अष्टम माला, खंड 16, अंक 35

बुधवार, 16 अप्रैल, 1986
26 चैत्र, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खण्ड 16 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 16, पाँचवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 35, बुधवार, 16 अप्रैल, 1986/26 चैत्र, 1908 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 701 से 702, 704, 707, 709 710, 714, 716 और 717	...	1-30
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	...	30-169
तारांकित प्रश्न संख्या : 700, 703, 705, 706, 708, 711 से 713, 715, 718 और 719	...	30-37
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6743 से 6778, 6780 से 6797, 6799 से 6839, 6841 से 6876 और 6878 से 6891	...	37-169
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	173-174
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति छठा प्रतिवेदन	...	174
नियम 377 के अधीन मामले	...	175-179
(एक) मध्यप्रदेश में सतना को भारत के अन्य महत्वपूर्ण नगरों से एस०टी०डी० द्वारा जोड़ने के लिए धनराशि देने की आवश्यकता		
श्री अजीज कुरैशी	...	175
(दो) महाराष्ट्र में किसानों से कपास खरीदने के लिए महाराष्ट्र काटन फैडरेशन को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता		
श्रीमती ऊषा चौधरी	....	175-176

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
(तीन) भारतीय खाद्य निगम द्वारा उसके विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से किसानों से खरीदे गए उनके उत्पाद के लिए उन्हें पर्याप्त और शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने की आवश्यकता		
श्री मोहम्मद सिद्दीक	...	176-177
(चार) उत्तर प्रदेश के उत्तरकाशी और टिहरी जिलों के खाई जौनपुर क्षेत्रों को आदिवासी क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता		
श्री ब्रह्मदत्त	...	177
(पांच) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले की वन भूमि में बसे आदिवासियों को वहां से निकाले जाने को रोकने की आवश्यकता		
श्री मानकूराम सोढी	....	177-178
(छः) दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय को हटाकर बिहार में मैथान ले जाने की आवश्यकता		
श्री सरफराज अहमद	...	178
(सात) भारत के पूर्वोत्तर भागों में रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता		
श्री बलवन्तसिंह रामूवालिया	...	178
(आठ) आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के छोटे मछुआरों को रियायती दरों पर डीजल तेल उपलब्ध कराने की आवश्यकता		
श्री गोपाल कृष्ण थोटा	...	179
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87—(जारी)	...	179-191
गृह मंत्रालय —(जारी)		
श्री पी०वी० नरसिंह राव	...	179-187
अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1986-87—(जारी)	...	192-243
खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय		
श्री सी० माधव रेड्डी	...	194-201
श्री चिंगवांग कोनयाक	...	201-203
श्री वी०एस० विजयराघवन	...	207-210

विषय		पृष्ठ
श्री अनूपचन्द शाह		210-213
श्री सैयद मसूदल हुसैन	...	213-217
श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक	...	217-218
प्रो० के०वी थॉमस	...	218-221
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	221-228
श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर		228-231
श्री राजकुमार राय	...	231-236
श्री राम प्यारे सुमन	...	236-239
श्री धर्मपालसिंह मलिक	...	240-242
डा० गौरीशंकर राजहंस	...	242-343
अमरीकी विमानों द्वारा त्रिपोली और बेंगाजी पर हाल ही में की गई बमबारी के बारे में चर्चा	...	243-297
प्रो० मधु दंडवते	..	244-250
श्री जी०जी० स्वैल	...	250-254
श्री आनन्द गजपति राजू	...	254-256
श्री आर०एस० स्पैरो	...	256-259
श्री सैफ़ुद्दीन चौधरी	...	259-262
प्रो० के०के० तिवारी	...	262-267
श्री पी० कुलनदईवेलू	...	267-268
श्री एडुआर्डो फैलीरो	...	268-271
श्री बलवन्तसिंह रामूवालिया	...	271-272
श्री बिपिनपाल दास	...	272-275
श्री दिनेश गोस्वामी	...	275-277

विषय		पृष्ठ
श्री शरद दिघे	...	277-279
श्री इन्द्रजीत गुप्त	...	279-284
श्री बृजमोहन महन्ती	...	285-286
श्री अब्दुल रशीद काबुली	...	287-291
श्री जी०एम० बनातवाला	...	291-292
श्री पीयूष तिरकी	...	292-293
श्री बी०आर० भगत	...	293-297
अमरीकी विमानों द्वारा त्रिपोली और बेंगाजी पर हाल ही में की गई बमबारी के बारे में संकल्प	...	297-298
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	299

लोक सभा

बुधवार, 16 अप्रैल 1986/26 चैत्र 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

केरल में परमाणु भट्ठी (रिएक्टर)

*701. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक परमाणु भट्ठी (रियेक्टर) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इसका कार्य शुरू हो जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) स्थल-चयन समिति ने केरल में, जो कि दक्षिणी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कुछ स्थलों का अध्ययन परमाणु बिजलीघर लगाने की दृष्टि से किया है। समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रो० के० वी० थामस : महोदय केरल में विद्युत उत्पादन केवल जल-विद्युत परियोजनाओं पर आधारित है। जैसा कि हमने देखा है कि वर्ष 1984-85 में केरल में भयानक सूखा पड़ने के कारण विद्युत उत्पादन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। दूसरे, यदि हमारी सभी जल-विद्युत परियोजनायें समय पर काम करना शुरू कर भी दें तो भी हमें केरल में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक बिजली की कमी का सामना करना पड़ेगा। तीसरे, केरल में कोई तापीय संयंत्र लगाना व्यवहार्य नहीं होगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या निर्धारित समय के भीतर केरल में कोई नाभिकीय संयंत्र लगाया जायेगा ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : परमाणु प्रौद्योगिकी से उत्पन्न विद्युत को ग्रिड में भेजा जाता है। अतः संयंत्र चाहे कहीं भी हो उन सभी राज्यों में विद्युत उपलब्ध होगी जिनके लिए ग्रिड बनाई गई है।

जहां तक केरल में संयंत्र लगाने का प्रश्न है, समिति ने इस संबंध में जांच की है और प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है। इस संबंध में कोई निर्णय लेने से पहले कुछ कहना कठिन होगा।

प्रो० के० वी० थामस : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, क्योंकि अक्सर ही केरल के लिए बड़ी परियोजनाओं की पेशकश की जाती है किंतु उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जाता और अन्य राज्यों को दे दिया जाता है। उत्तर यह दिया गया है कि चयन समिति ने स्थलों का निरीक्षण किया है किंतु कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस तरह इसमें 10 से 15 वर्ष का समय लग सकता है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस संयंत्र को चालू करने के लिए कोई समय निर्धारित कर सकती है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि हम स्थान का चुनाव कर लें और धन उपलब्ध न हो तो विद्युत संयंत्र लगाना संभव नहीं है। जहां तक केरल का संबंध है, वहां अनेक सरकारी उपक्रम हैं। अधिकांश अंतरिक्ष प्रोद्योगिकी परियोजनायें केरल में स्थित हैं। अतः ऐसा नहीं है कि हम देश के किसी भाग की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहां तक इस प्रश्न की बात है, यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

श्री टी० बशीर : जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है, एक समिति ने केरल का दौरा किया है और जहां तक मुझे मालूम है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि केरल परमाणु संयत्र लगाने के लिए उपयुक्त स्थान है। उस स्थान का नाम भूथाथानकेतु है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में कोई निर्णय कब लिया जाएगा ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैंने पहले ही कहा है कि निर्णय धन की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। केवल इतना कहने से ही कि हम अमुक स्थान पर एक परमाणु संयंत्र लगाने वाले हैं काम नहीं चलता जब तक कि हमारे पास इस काम के लिए धन न हो। अतः महोदय, इस बारे में कोई ऐसी समय सीमा बताना मेरे लिए ठीक नहीं है। जिसके भीतर हम निर्णय लेकर संयंत्र स्थापित करेंगे।

केरल में वन भूमि

*702. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में ऐसा वन क्षेत्र कितना बचा हुआ है जिसे बिल्कुल साफ नहीं किया गया; और

(ख) केरल में कितना वन क्षेत्र किसानों के प्रतिकूल कब्जे में है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) केरल में बिल्कुल साफ होने से बचा हुआ कुल वन क्षेत्र 7870 वर्ग किलोमीटर है।

(ख) केरल में आरक्षित वन भूमि का 20805 हेक्टेयर अनुमानित क्षेत्र, किसानों के प्रतिकूल कब्जे में है।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : महोदय, मैं समझता हूं कि केरल सरकार ने एक नीति सम्बन्धी निर्णय लिया है कि 1-1-1977 से पहले जो वन भूमि किसानों के प्रतिकूल कब्जे में है, वह उन्हें दे दी जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केरल सरकार ने भारत सरकार से ऐसा करने की अनुमति मांगी है और यदि हां, तो क्या उन्हें अनुमति दी गई है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : वास्तव में इसकी राजस्व विभाग तथा वन-विभाग द्वारा संयुक्त जांच की जानी है। उन्होंने भूमि का निरीक्षण पहले ही कर लिया है और वे अनुमान लगा रहे हैं कि कितनी भूमि लोगों के प्रतिकूल कब्जे में है। मेरे विचार में 16000 हैक्टेयर भूमि के बारे में जांच कर ली गई है कि यह प्रतिकूल कब्जे में है या सरकार के कब्जे में।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : मुझे यह कहते हुए अत्यंत दुःख हो रहा है कि मेरे प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर कि केवल 20805 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि केरल के किसानों के प्रतिकूल कब्जे में है, संतोषजनक नहीं है। केवल एक तालुक अर्थात केवल उदुबन चोला तालुक, इदुक्की में एक लाख एकड़ से अधिक वन भूमि लम्बे समय से किसानों के प्रतिकूल कब्जे में है और चूंकि केरल सरकार ने 1.1.1977 से पहले किसानों के कब्जे में भूमि उन्हें देने का निर्णय किया है, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितनी भूमि पर 1.1.1977 से पहले लोगों ने कब्जा किया था और 1-1-1977 के बाद कितनी भूमि उनके कब्जे में है। और क्या सरकार ने लोगों से भूमि खाली कराने के लिए कोई उपाय किए थे, जिन्होंने 1-1-1977 के बाद कब्जा किया है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : लगभग 8000 हेक्टेयर भूमि पर प्राइवेट व्यक्तियों को खेती करने की अनुमति दी गई है और शेष क्षेत्र उन्हें नहीं दिया गया। आपके प्रश्न का उत्तर केरल सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : वनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है किंतु माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर तत्थों से मेल नहीं खाता, क्योंकि 20000 हेक्टेयर से अधिक भूमि किसानों के कब्जे में है। महोदय, जब मैं इदुक्की के एक कस्बे में गया तो मैने देखा कि वहां बनी हुई इमारतें 20 या 25 वर्ष पुरानी हैं और उन लोगों ने मुझे बताया कि आपके रिकार्ड के मुताबिक वह क्षेत्र वन क्षेत्र है। मैंने देखा है कि आपके रिकार्ड में ऐसे क्षेत्रों को वन क्षेत्र दिखाया गया है जहां पर लोग 20 या 25 वर्षों से रह रहे हैं। आपको इन्हीं वनों की रक्षा करनी है। हम इन वनों की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं? इसलिए वन क्षेत्र और ऐसी भूमि जिस पर वास्तव में कब्जा किया जा चुका है, अंतर करना अत्यन्त महत्व-पूर्ण है। ऐसा नहीं किया गया है। यह सही नहीं है कि केवल 2000 हेक्टेयर वन भूमि किसानों के कब्जे में है। यह इससे

कहीं अधिक है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे असली वन भूमि का सीमांकन करने के लिए कदम उठायेंगे और लम्बे समय से किसानों के कब्जे में जो भूमि है उसका अनुमान लगाने और उसे किसानों को देने के लिए उपाय करेंगे।

श्री शिवराज वी० पाटिल : सीमा निर्धारित करने तथा संरक्षण करने से सम्बन्धित समस्याएं सामान्यत: राज्य सरकारों द्वारा निपटायी जाती हैं। हम उन्हें मदद तकनीकी सहायता तथा मार्गदर्शन देते हैं। विद्यमान कानूनों का उनके द्वारा कार्यान्वयन किया जाना होता है। जो जानकारी मैं इस सम्मानित सदन को दे रहा हूं वह राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। प्रतिकूल कब्जे में भूमि इससे अधिक है या नहीं, हमें इसकी जांच करनी होगी, किन्तु यह जानकारी राज्य सरकार की जानकारी पर आधारित है।

हम यह जानने का प्रयत्न कर रहे हैं किस प्रकार वनों का संरक्षण किया जाये और साथ ही साथ यह भी प्रयत्न कर रहे हैं कि जिनके पास भूमि है और वे केवल उसी पर निर्भर करते हैं तो उन्हें परेशान न किया जाये। इन दो बातों में संतुलन बनाए रखना है। इसलिए एक तिथि निर्धारित की गई है; यदि किसी के पास 1-1-1977 से पूर्व भूमि थी तो उसके पास वह भूमि रहने दी जायेगी और यदि कब्जा इसके बाद किया गया हो तो वह भूमि उससे लेकर वन विभाग को दे दी जायेगी।

श्री सुरेश कुरुप : मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय हम सदस्यों से प्राप्त जानकारी को ध्यान में रखेंगे। केरल में वन संरक्षण अधिनियम होने के बावजूद अतिक्रमण होता रहा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह उनकी विशेषता है ?

श्री सुरेश कुरुप : जी हां, अतिक्रमण अब भी हो रहा है और यह एक सतत प्रक्रिया है............(**व्यवधान**)

प्रधान मंत्री की पहल पर 'साइलेंट वैली' को 'नेशनल पार्क' घोषित कर दिया गया था। किंतु जल-विद्युत परियोजना के निर्माण के समय उस जंगल को जाने वाली सड़कें बनाई गई थी। इसके बाद भी 'साइलेंट वैली' को नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है जबकि अगली से परियोजना स्थल तक जाने वाली सड़क अभी चालू है। लोग वन क्षेत्र में जाकर पुराने पेड़ काट कर ले जाते हैं। केरल में यह हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है और सरकार का वन भूमि के अतिक्रमण के संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : वनों के संरक्षण का राष्ट्रीय स्तर पर महत्व अत्यंत स्पष्ट है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने सभी मुख्य मंत्रियों को यह लिख दिया है कि वे वनों के संरक्षण के लिए कदम उठायें और यह देखें कि किसी भी भूमि पर कब्जा न हो। अब वनों की कटाई में वास्तव में कुछ कमी आई है। एक समय था जब एक वर्ष के समय में 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि वन-प्रयोजनों के बगैर प्रयोग की जाती थी और अब केवल 60 से 65 हजार हेक्टेयर भूमि का ही प्रयोग हो रहा है। केन्द्र सरकार के अनुरोध के कारण राज्य सरकारें भूमि के संरक्षण के लिए उपाय कर रही हैं।

जहां तक केरल का सम्बन्ध है वन क्षेत्र के गैर-वन क्षेत्र में परिवर्तित होने की दर अन्य राज्यों की अपेक्षा कुछ कम है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : महोदय.........

अध्यक्ष महोदय : क्या आपका प्रश्न केरल से सम्बन्धित है ?

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : जी हां, यह सारे भारत और केरल से भी संबंधित प्रश्न है। मंत्री जी ने बताया है कि 8000 हेक्टेयर भूमि किसानों के प्रतिकूल कब्जे में है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, जो कि स्वयं मंत्री जी द्वारा प्रधान मंत्री की ओर से 28 अगस्त, 1985 को संसद सदस्यों को दी गई थी, यह बताया गया था कि 1180 वर्ग किमी० वन क्षेत्र को पूरी तरह गैर-वन क्षेत्र बना दिया गया है। सात वर्ष की अवधि में अर्थात 1957-82 के दौरान कुल वन क्षेत्र में 18.74 प्रतिशत की कमी आई है। यह जानकारी पूरे भारत के संदर्भ में है। अब क्या मंत्री जो यह बतायेंगे कि केरल में क्या प्रतिशतता है ? दूसरे, क्या वे राज्य सरकार के आंकड़ों को सही समझते हैं या अपने विभाग के ?

अध्यक्ष महोदय : जो भी अनुकूल हों।

श्री शिवराज वी० पाटिल : केरल में 1972-75 में वन क्षेत्र 8.6 लाख हेक्टेयर था। 1980-82 में यह कम होकर 7.4 लाख हेक्टेयर रह गया था। अब अनुमानित कमी 1.2 लाख हेक्टेयर की है। ये केरल से संबंधित आंकड़े हैं। जहां तक अन्य क्षेत्रों के आंकड़ों का संबंध है, 1972-75 में, कुल वन क्षेत्र 555.2 लाख हेक्टेयर था। 1980-82 में यह क्षेत्र कम होकर 463.5 लाख हेक्टेयर रह गया। अनुमानतः 91.7 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र कम हुआ। 10 वर्ष की अवधि में वन क्षेत्र में 10% कमी आई।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : हमें जो सूचना दी गई है, वह गलत है। इसमें लगभग 17.4% है। अभी आपने कहा कि 10%।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं केरल के बारे में जानकारी दे रहा हूं। आप पूरे देश के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने यह नहीं कहा कि केवल 8000 हेक्टेयर भूमि प्रतिकूल कब्जे में है। मैंने 20,000 हेक्टेयर भूमि कहा है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि हमें अभी जो जानकारी दी गई है वह सही है अथवा 1985 में जो जानकारी दो गई थी वह सही थी अथवा दोनों ही सही हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं उसे दूसरी तरह से पेश नहीं करना चाहता हूं। वन विभाग ने जो जानकारी दी है, वह रिमोट सेंसिंग विभाग द्वारा दो गई जानकारी से थोड़ी भिन्न है। इसमें मतभेद है। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलोजी द्वारा जो जानकारी एकत्रित की गई, वह वन विभाग द्वारा बताए गए वन क्षेत्र से कुछ कम है। जब ऊपर से दृश्य लिए जाते हैं तो केवल हरे क्षेत्रों को ही लिया जाता है। उसमें कई कठिनाइयां आती है। रिमोट सेंसिंग विभाग

के आंकड़ों का मिलान वन विभागों द्वारा बताए गए आंकड़ों से करने के लिए हमें इसमें होने वाली कठिनाइयों को समझना होगा। यदि आपको कोई कठिनाई है तो मैं सदन से बाहर आपको उस बारे में बता सकता हूं।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : मैं यही कह रहा हूं। आपके वैज्ञानिक विभाग द्वारा दी गई जानकारी और पुराने तरीकों से एकत्र की गई जानकारी अर्थात पुराने राजस्व रिकार्डों की सहायता से एकत्र की गई जानकारी, दोनों में कौन सी सही है ?

दांतों को स्वस्थ रखने के लिए नई प्रौद्योगिकी

*704. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना दंत चिकित्सा कोर ने दांतों को स्वस्थ रखने, दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री, धातु की दांत प्लेट, हिलते हुए दांतों को मजबूत और स्वस्थ बनाने के संबंध में उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनसाधारण को अस्पतालों में इस नई प्रौद्योगिकी और सामग्री का किस प्रकार से लाभ मिलेगा ?

अनुसंधान और विकास विभाग में रक्षा राज्यमंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग). सेना दंत चिकित्सा कोर ने दांतों और दांतों की पंक्ति को मजबूती प्रदान करने एवं ढीले पड़ गये दांतों की हड्डी फिर से मजबूत करने के लिए धातु की बनी क्राउनों और ब्रिजों की सामग्रियों का देश में ही विकास कर लिया है और इनका परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा हड्डी की प्लेटें लगाने संबंधी तकनीकी जानकारी का भी विकास किया गया है।

देश में ही विकसित यह सामग्री एवं प्रौद्योगिकी जब इस योग्य हो जाएगी कि उसका सही उपयोग किया जा सकता है तो उसे राज्य/केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में जनसाधारण के लाभ के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्रीमती माधुरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार तथा वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहूंगी कि दंत चिकित्सा में उन्होंने अति विकसित पद्धति का देश में ही आविष्कार कर लिया है। देश में विकसित इस आविष्कार का लाभ जन साधारण को कब तक मिलने लगेगा ? क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसके विकास तथा प्रसार के लिए कोई विशेष प्रावधान किया गया है।

श्री अरुण सिंह : यह जो प्रोडेक्ट डेवलप किये गये हैं, इसका इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया है। इसका अभी ट्रायल चल रहा है। मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि कमिट कर सकूं कि यह किस

वक्त डेवलप हो जायेंगे, लेकिन इतना जरूर कमिट कर सकता हूं कि जब ट्रायल्स सक्सेसफुली खत्म हो जायेंगे तो इंट्रोड्यूस कर देंगे।

श्रीमती माधुरी सिंह : दंत चिकित्सा कोर क्या दांतों को रोग रहित रखने के लिए कोई प्रिवेंटिव विधि पर भी अनुसंधान कर रहा है ?

श्री अरुण सिंह : जी, हां। कर रहा है।

श्रीमती कृष्णा साही : किस प्रकार का अनुसंधान कर रहा है, यह मैं जानना चाहती हूं।

श्री अरुण सिंह : इनके तीन काम हैं। एक तो ये प्रोडक्ट्स का प्रोसेस डेवलपमेंट करते हैं। दूसरे ये एपीडिमियोलोजी की स्टडी करते हैं **इन रिलेशन टू डेन्टल सरफेस और** तीसरा **प्रिवेंशन एण्ड कन्ट्रोल आफ डेन्टल डिसीजेज।**

प्रश्न संख्या 707 के सम्बन्ध में

[अनुवाद]

रक्षा, अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : महोदय, प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व, मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि वायु सेना के दक्षिणी कमान के मुख्यालय जैसी कुछ बात नहीं है। मेरे विचार से सदस्य का अभिप्राय वायु सेना के दक्षिणी कमान के मुख्यालय से ही है और मैं तदनुसार उत्तर दे रहा हूं।

वायु सेना की दक्षिणी कमान के मुख्यालय के लिए भूमि

*707. **श्री टी. बशीर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुसेना की दक्षिणी कमान के मुख्यालय के लिए कितनी भूमि की जरूरत थी;

(ख) क्या केरल सरकार द्वारा अधिगृहीत भूमि वायुसेना के प्राधिकारियों को सौंप दी गई है ; और यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह भूमि वायु सेना के प्राधिकारियों को कब सौंपे जाने की आशा है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) लगभग 96 एकड़।

(ख) और (ग). लगभग 82 एकड़ भूमि वायुसेना को सौंप दी गई है—62.9 एकड़ 1984 में, 13.75 एकड़ दिसम्बर, 1985 में और 5.41 एकड़ मार्च, 1986 में। शेष भूमि पुनर्ग्रहण/अर्जन के पश्चात् उन्हें सौंप दी जाएगी।

श्री टी. बशीर : महोदय, मेरी भूल में सुधार किया गया है। उसके लिए धन्यवाद। महोदय, विशेष रूप से हिन्द महासागर के सैन्यीकरण और श्रीलंका की घटनाओं के संदर्भ में वायुसेना के दक्षिण कमान के मुख्यालय का विकास करना बहुत महत्वपूर्ण है। पहले इस उद्देश्य के लिए त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे का विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया था। मैं समझता हूं कि इसके लिए पृथक हवाई अड्डा बनाना सही ही नहीं आवश्यक भी है। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या नागरिक हवाई अड्डे का प्रयोग रक्षा कार्यों के लिए भी करना ठीक नहीं है तथा क्या वायुसेना के दक्षिण कमान के मुख्यालय के प्रयोग के लिए एक पृथक हवाई अड्डा बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है?

श्री अरुण सिंह : महोदय, वायुसेना के दक्षिण कमान, जो कि भारतीय वायु सेना की मुख्य क्षेत्रीय कमान है के मुख्यालय और वायु सेना अड्डा, जिसका जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं, के बीच काफी अन्तर करना होगा।

जहां तक वायुसेना के दक्षिणी कमान के मुख्यालय का संबंध है, उसमें काफी प्रगति हुई है। वहां $14\frac{1}{2}$ एकड़ कुछ जमीन और अर्जित की जानी है और हमें आशा है कि हम शीघ्र उसे ले सकेंगे।

जहां तक त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे का संबंध है, हमें अभी तक किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है क्योंकि हम जानते हैं कि जब आवश्यकता हो, इस हवाई अड्डे का उपयोग असैनिक और सैनिक अधिकारी दोनों ही कर सकते हैं। देश में अन्य कई हवाई अड्डों पर भी आम तौर पर ऐसा ही होता है। वायुसेना की दक्षिणी कमान के लिए हवाई अड्डा और अड्डे की सुविधायें प्रदान करने के लिए पृथक हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री टी. बशीर : महोदय, अभी भी मुझे विश्वास है कि पृथक हवाई अड्डा बनाना ठीक है। खैर वायु सेना की दक्षिणी कमान के मुख्यालय के हिस्से के रूप में एक राडार केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। क्या सरकार ने इस सबंध में कोई निर्णय लिया है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

श्री अरुण सिंह : उस क्षेत्र में एक पी-30 राडार इकाई की स्थापना की जा रही है।

श्री ए० चार्ल्स : वायुसेना की दक्षिणी कमान के मुख्यालय की स्थापना मेरे निर्वाचन क्षेत्र में किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। मंत्री महोदय के उत्तर से ....

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको कोई आपत्ति है?

श्री ए० चार्ल्स : मंत्री महोदय के उत्तर से पता चलता है कि नागरिक हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अभी भी करीब 14 एकड़ भूमि की आवश्यकता है और आरम्भ में बहुत आपत्ति की गई थी, क्योंकि वहां सौ के करीब झोंपड़ियां बनी हुई थीं। किंतु यह परियोजना महत्वपूर्ण होने के कारण हमने उनसे बातचीत की और मुझे मंत्री महोदय को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि उस पर अब किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन वास्तव में भ्रम यह है कि भूमि के अर्जन में विलम्ब होने

के कारण ये निर्धन लोग कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। अत: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के नजदीक की शेष भूमि के अर्जन के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएंगे ?

श्री अरुण सिंह : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि जो शेष 14.4 एकड़ भूमि अर्जित की जानी है, उसे शीघ्र अर्जित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न संख्या 708—श्री कंवर उपस्थिति नही हैं। अब प्रश्न संख्या 709 –श्री जयप्रकाश अग्रवाल।

अजमेर के सालाना उर्स के लिए पाकिस्तानी तीर्थ यात्री

*709. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष अजमेर में ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती के सालाना उर्स में पाकिस्तान के कितने तीर्थ यात्री भाग ले रहे हैं।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : मार्च 1986 में 287 पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों ने अजमेर की यात्रा की।

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आजकल के हालात में जबकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान हिन्दुस्तान में बहुत सारे आतंकवादियों को प्रशिक्षण देकर यहाँ भेजना चाहता है और अभी कुछ दिन पहले अखबार में आया था कि जो लोग यहां आते हैं, उन में से कुछ यहीं रह जाते हैं और दूसरे लोग उनके नाम पर उसी पासपोर्ट से पाकिस्तान वापिस चले जाते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं, जिससे आपको यह पता लगे कि जो लोग यहां आए हैं, वे सही हैं और वे सिर्फ धार्मिक भावनाओं के साथ आए हैं तथा वे लोग वापिस चले गए हैं या नहीं चले गए हैं ?

[अनुवाद]

श्री के० आर० नरायणन : ये वीसा तीर्थ-यात्रियों को दिए जाते हैं और हम ऐसे वीसा देने से पूर्व प्रत्येक मामले की जांच करते हैं। हम हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि तीर्थ-यात्री पाकिस्तान वापिस जाएं। (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि जो लोग यहां आए हैं, उनके मूवमेंट्स क्या हैं ? वे लोग सिर्फ अजमेर शरीफ ही जाते हैं या उसके अलावा और कहीं भी जा सकते हैं ? वे कितने दिनों तक यहां रहते हैं और कितने दिनों की उनको परमिशन मिलती है ?

[अनुवाद]

श्री के० आर० नारायणन : ठीक है, मैं आपको ठीक से नहीं बता सकता कि उन्हें कितने दिन ठहरने की अनुमति दी जाती है; लेकिन वे यहां सिर्फ तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से ही आए हैं और उनके साथ हमारे सम्पर्क अधिकारी और सुरक्षा कर्मी भी हैं और हम सुनिश्चित करते हैं कि तीर्थ यात्रा समाप्त होने के बाद वे पाकिस्तान वापस चले जायें।

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, अभी जो तीर्थ यात्री तशरीफ लाए थे, क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि उन्होंने जलूस के रूप में पाकिस्तान के झण्डे को फहराया और पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाए? उन लोगों ने जो राष्ट्र विरोधी कार्य किया, उसका मंत्री जी को क्या पता है? यदि पता है, उन्होंने क्या कार्यवाही की है?

[अनुवाद]

श्री के० आर० नारायणन : हमें इस बात की जानकारी है एक पाकिस्तानी यात्री ने जुलूस के समय पाकिस्तानी झंडे को फहराने की कोशिश की सुरक्षा कर्मियों और संपर्क अधिकारी ने यह देखा। उन्होंने यात्रियों के नेता का ध्यान इस ओर दिलाया और उन्होंने झंडे को लपेट दिया तथा उसके बाद दुबारा झंडा फहराने का प्रयास नहीं किया गया।

भारत को उन्नत जापानी प्रौद्योगिकी का अन्तरण

*710. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान सरकार ने भारत में उन्नत प्रौद्योगिकी के अन्तरण के एक दल भारत में आने के लिए मनोनीत किया है;

(ख) यदि हां, तो जापान के इस दल का क्या उद्देश्य है; और

(ग) क्या यह दल भारत सरकार के निमंत्रण पर भारत में आ रहा है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी· पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : हमारे देश में जापान से उन्नत प्रौद्योगिकी के अंतरण की आवश्यकता है। क्या भारत और जापान के प्रतिनिधियों के बीच कोई वार्ता हुई है अथवा हमारी सरकार ने वहां की प्रौद्योगिकी के अन्तरण के बारे में वार्ता किए जाने पर विचार किया है अथवा इसके अंतरण का कोई प्रयास किया गया है? बजाय इसके कि आपके द्वारा न कहा जाये मैं विस्तार से इस बारे में जानना चाहता हूं। क्या वह विस्तार से बताएंगे? क्या कोई प्रयास किया गया है अथवा कोई वार्ता हुई है या वे कोई वार्ता करने पर विचार कर रहे है?

श्री शिवराज वी. पाटिल : विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए भारत और जापान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर उस समय हस्ताक्षर किए गए जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर गए थे। हमारे विदेश मंत्री और जापान के विदेश मंत्री ने उस समझौते पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद जापान से कोई मिशन भारत नहीं आया है और न ही भारत से कोई मिशन जापान गया है। किंतु एक छोटा शिष्टमंडल जापान गया था और उन्होंने कुछ मामलों पर चर्चा की है। इस समय हम आटोमोबाइल प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी और अन्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग दे रहे हैं। जब कुछ वैज्ञानिक और अन्य लोग भारत से जापान गए तो चर्चा के समय उन्होंने जैवी चिकित्सा विज्ञान, प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग देने के बारे में चर्चा की।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या उच्च प्रौद्योगिकी के बारे में वहां कोई बातचीत हुई है। या कोई समझौता किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामचन्द्र, कृपया थोड़ा तेज बोलिए।

प्रो० मधु दंडवते : हेडफोन सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे बदलने जा रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम सचमुच ठीक से नहीं सुन पाते।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे बदलने जा रहे हैं; हम नए हेडफोन लगायेंगे।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : जापान खेतों में चावल और धान उगा रहा है, ऐसा भी सुना गया है कि वे धान के खेतों में कुछ मछली भी उगायेंगे। मंत्री महोदय ने कहा था कि जापान में उच्च प्रौद्योगिकी है। क्या सरकार ने जापान से प्रौद्योगिकी के आयात के लिए अथवा इसके अंतरण के लिए कोई प्रयास किया है, ताकि हमारी खेती की पैदावार में सुधार हो सके ? क्या हमारी सरकार ने इस संबंध में कोई प्रयास किया है ?

श्री शिवराज वी. पाटिल : जब समझौते पर हस्ताक्षर किए गए तो हमने विशेष क्षेत्र में सहयोग करने का निर्णय लिया। विशेष क्षेत्रों का निर्धारण किया गया और बाद में हम उन विशेष परियोजनाओं को लेते हैं जिन पर हमें काम करना है। अब यह एक क्षेत्र है जिसमें जापान के पास निश्चय ही कुछ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी है; और हमारे समझौते के अनुसार, यदि हमारे कुछ प्रौद्योगिकी को लेना संभव हुआ तो ठीक है, यह उपयोगी सिद्ध होगी। लेकिन इस समय विशेष रूप से उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : श्री अजय मुशरान।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : वे आपके साथ थे, कहां रह गए ?

अध्यक्ष महोदय : वहीं रह गए, बड़े सेफ हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मूलचंद डागा।

प्रो० मधु दंडवते : आमतौर पर वह अपने संशोधन वापिस ले लेते हैं किंतु आज वह स्वयं ही नहीं आए।

अध्यक्ष महोदय : वह पिछले दो दिनों से नहीं आ रहे हैं।

मन्द-बुद्धि लोगों के कल्याण कार्यों में संलग्न स्वयंसेवी संगठन

***714. डा० फुलरेणु गुहा** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मन्द-बुद्धि लोगों के कल्याण कार्यों में लगी हुई स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठनों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें कितनी संस्थाओं/संगठनों ने अनुदान प्राप्ति के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन दिये हैं;

(ग) उनमें से कितनी संस्थाओं/संगठनों को अनुदान मिला है; और

(घ) उनकी मंजूर की गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) लगभग 200।

(ख) 1985-86 के दौरान 42 संस्थानों/संगठनों ने अनुदान के लिए आवेदन दिये हैं।

(ग) 39 को।

(घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

संगठन	1985-86 के दौरान स्वीकृत अनुदान
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश स्टेट काऊंसिल फार चाइल्ड वेल्फेयर हैदराबाद,	5,47,953/रुपए
2. राधा इन्स्टीच्यूट फार मेन्टली रिटार्डेड सिकन्दराबाद,	1,50,000/-रुपए

1	2
3. "शिशु कुंज" स्पेशल स्कूल फार मेन्टली रिटार्डेड चिल्ड्रन, पोरबन्दर (गुजरात)	1,50,000/-रुपए
4. जिला रेडक्रास सोसायटी, अम्बाला सिटी	1,513/-रुपए
5. रोटरी इन्नरह्वील होम फार मेन्टली रिटार्डेड चिल्ड्रन जम्मू,	35,069/-रुपए
6. ऐसोसिएशन फार दी मेन्टली हैन्डीकैप्ड, बंगलौर	29,461/-रुपए
7. एपोस्टोलिक कारमल एजूकेशनल सोसायटी मंगलौर (कर्नाटक)	1,00,000/-रुपए
8. समाज कल्याण केन्द्र, त्रिचुर	2,57,949/-रुपए
9. बाल विकास सोसायटी, त्रिवेन्द्रम	7,268/-रुपए
10. यंग विमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन, क्वीन (केरल)	20,243/-रुपए
11. स्पास्टिक्ससोसायटी, बम्बई	6,70,261/-रुपए
12. सोसायटी फार दी वोकेशनल रिहैब्ली-टेशन आफ रिटार्डेड, बम्बई	30,870/-रुपए
13. प्रबोधिनी विद्या मंदिर (स्कूल फार दी मेन्टली रिटार्डेड चिल्ड्रेन) नाशिक-2	1,00,000/-रुपए
14. मातृ सेवा संघ, नागपुर	1,76,784/-रुपए
15. दी पुना सेवा सदन, सोसायटी पुणे	37,602/-रुपए
16. सोसायटी फार दी केअर ट्रीटमेंट एण्ड ट्रेनिंग आफ चिल्ड्रन इन नीड आफ स्पेशल केअर, बम्बई।	1,52,648/-रुपए

1	2
17. वल्लभदास डागरा इंडियन सोसायटी फार दी मेन्टली रिटार्डेड, बम्बई	50,083/-रुपए
18. सेन्टर फार मेन्टल हाईजीन, इम्फाल (मणिपुर)	40,995/-रुपए
19. होम एण्ड होप (ए स्कूल फार दी रिटार्डेड चिल्ड्रन) राऊरकेला (उड़ीसा)	1,00,000/-रुपए
20. अम्बकम इन्स्टीच्यूट फार दी मेन्टली हैन्डीकैप्ड चिल्ड्रन मदुराई	89,232/-रुपए
21. स्पेस्टीक्स सोसायटी आफ तमिलनाडु, मद्रास।	2,32,910/-रुपए
22. आन्ध्र महिला सभा, इसवई प्रसाद दत्तात्रेय ओर्थपेडिक सेन्टर, मद्रास।	1,75,942/-रुपए
23. पाथवे सेन्टर फार रिहेब्लीटेशन एण्ड एजूकेशन फार दी मेन्टली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मद्रास	69,480/रुपए
24. नवज्योति ट्रस्ट, 14, स्पेंसर रोड, बंगलौर	86,734/-रुपए
25. बाल बिहार, हाल्स रोड, किलपाउक, मद्रास।	4,708/रुपए
26. ब्यूरो आफ चाइल्ड वेल्फेयर एण्ड रिसर्च, लखनऊ।	1,67,454/-रुपए
27. राफेल, रायडर चेसेयर, इन्टरनेशनल सेन्टर, देहरादून	66,995/-रुपए

1	2
28. चेतना स्कूल फार दी मेन्टली रिटार्डेड चिल्ड्रन, लखनऊ।	5,44,187/-रुपए
29. प्रवर्तक इन्स्टीच्यूट आफ मेन्टली रिटार्डेड जिला हुगली	2,51,942/-रुपए
30. दी स्पेसटिक्स सोसायटी आफ इस्टर्न इंडिया, कलकत्ता।	4,16,399/-रुपए
31. अलकेन्दु बोध निकेतन, कलकत्ता	3,71,364/-रुपए
32. सोसायटी फार रेमेडियल एजूकेशन एस्टिमेंट काऊंसलिंग हैन्डीकैप्ड, कलकत्ता।	2,28,483/-रुपए
33. अभिनव भारती (मानव विकास केन्द्र) कलकत्ता।	3,19,140/-रुपए
34. फेडरेशन फार दी वेल्फेयर आफ दी मेन्टली रिटाडड (इंडिया) नई दिल्ली।	3,39,809/-रुपए
35. संजीवनी सोसायटी आफ मेंटल हेल्थ, नई दिल्ली	64,500/-रुपए
36. दिल्ली सोसायटी फार दी वेल्फेयर आफ मेन्टली रिटार्डेड चिल्ड्रन, नई दिल्ली।	16,686/-रुपए
37. दिल्ली चेशेयर होम, नई दिल्ली	25,000/-रुपए
38. स्पेस्टीक्स सोसायटी आफ नार्दन इंडिया, नई दिल्ली।	5,10,622/रुपए
39, बलवंत राय मेहता विद्या भवन, नई दिल्ली।	3,04,171/-रुपए
	—

डा० फूलरेणु गुहा : विवरण से पता चला है कि तीन संस्थाओं को कोई अनुदान नहीं मिला है। इसका कारण उनकी बुरी रिपोर्ट थी या राज्य सरकार से सिफारिशें नहीं मिली थी; अगर राज्य सरकार से यह रिपोर्ट नहीं मिली थी तो क्या मैं राज्य सरकार का नाम जान सकती हूं ?

डा० राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी : महोदया, मेरे पास इसका ब्यौरा नहीं है।

डा० फूलरेणु गुहा : मैं सुन नहीं सकी।

अध्यक्ष महोदय : उनके पास ब्यौरा नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह आपको भेज दिया जायेगा।

डा० राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी : ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। इसे जल्दी ही आपके पास भेज दिया जायेगा।

डा० फूलरेणु गुहा : क्या मैं जान सकती हूं किस आधार पर इन राशियों की सिफारिश की जाती है तथा मंजूरी दी जाती है ?

डा० राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी : अनुदान देने का आधार यह है कि पहले राज्य सरकारें सिफारिशें भेजती हैं। दूसरा, संगठन द्वारा किये जा रहे कार्यों की जांच की जाती है और यह भी देखा जाता है कि पिछले वर्ष जो अनुदान दिया गया था उसका उचित प्रकार से प्रयोग किया गया है या नहीं। यदि उन्होंने पिछले वर्ष के अनुदान का प्रयोग कर लिया हो और अगर विभाग संतुष्ट हो तो केवल तभी हम अनुदान देते हैं। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले पूछे गये प्रश्न के उत्तर में कहा था कि हमने इन अनुदानों के देने के बारे में अपनी नीति को संशोधित किया है। जो संस्थाएं इन अनुदानों को ले रही है उन्हें 50% अनुदान की राशि प्रारम्भ में दी जायेगी तथा शेष 50% राशि राज्य सरकार से प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद दी जायेगी। इसके बाद ही हम उन्हें राशि देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री यशवन्तराव गडारव पाटिल। माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं। अगला प्रश्न। श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह।

परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्टों संबंधी सुरक्षोपाय

*716. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारी जल संयंत्रों सहित निर्माण की जाने वाली परमाणु बिजली परियोजनाओं को पर्यावरण के दृष्टिकोण से स्वीकृति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों के अपशिष्ट पदार्थों को विकिरण की सहयसीमा के भीतर रखने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या बेकार ईंधन छड़ों और अन्य उपोत्पादों के निपटान के लिए कोई पूर्ण सुरक्षोपाय लागू किए गए हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) सभी परियोजनाओं के मामले में निर्माण-कार्य शुरू करने से पहले पर्यावरण विभाग का अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाता है।

(ख) बहिस्रोवों की मानीटरिंग लगातार यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि विकिरण की मात्रा अंतर्राष्ट्रीय विकिरण बचाव आयोग द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप ही रहे। न्यूक्लियर ऊर्जा संबंधी कार्यक्रम के आरंभ से ही परमाविक अपशिष्ट पदार्थों के नियंत्रण को उच्च प्राथमिकता दी जाती रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामान्य और पूर्वापेक्षित अप-सामान्य परिस्थितियों में संयंत्र से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों की, जिनमें उन्मुक्त होने वाले विकिरण सक्रिय गैसीय तथा तरल पदार्थ भी शामिल हैं, मात्रा पूरी तरह से निर्धारित सीमा में ही रहे परमाणु विद्युत संयंत्रों के डिजाइनों में ऐसे बहुत से सुरक्षा तंत्र शामिल किए जाते हैं जो इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि यदि कोई उपकरण ठीक तरह से काम करना बंद कर दें तो भी उसका प्रभाव सुरक्षा पर न पड़े।

(ग) अल्प तथा माध्यमिक स्तर की रेडियो सक्रियता से युक्त पदार्थों का निपटान सुरक्षित रूप से करने के लिए विकसित तरीके विश्वभर में तथा हमारी सभी न्यूक्लियर सुविधाओं में काम में लाए जा रहे हैं। भुक्त शेष ईंधन से निकलने वाले अधिक रेडियोसक्रियता युक्त अपशिष्ट पदार्थों के काचन और निपटान की तकनीक हमारे देश में भी विकसित की जा चुकी है और उस तकनीक की उपयोगिता भी सिद्ध हो चुकी है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या यह सच है कि सरकार कर्नाटक में कलिया नदी के किनारे आणविक संयंत्र लगाना चाहती थी और क्या लोगों ने इसका बहुत विरोध किया था ? सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : कर्नाटक में कलिया नदी के किनारे आणविक संयंत्र लगाने का प्रस्ताव था। उस क्षेत्र के कुछ लोगों ने इसका बहुत विरोध किया था। लेकिन सरकार का दृष्टि-कोण यह था कि जो लोग वहां रह रहे हैं उनको उस संयंत्र से कोई खतरा या कोई जोखिम न उठाना पड़े। सभी सावधानियां बरती जाती हैं और हमने लोगों को समझाने की कोशिश की है कि उस संयंत्र से लोगों को कोई हानि नहीं होगी।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या सरकार ने इस परमाणु संयंत्र से सम्बन्धित नियम का पालन करने के लिए कोई जांच सुरक्षा निकाय का गठन किया है ? और अगर हां, तो क्या यह वैसा ही है जैसा अमरीका का परमाणु विनियम बोर्ड है जो मंत्रालय से स्वतन्त्र होकर कार्य करता है जिससे लोग उनके पास जा सकें और अपनी शिकायतों का स्वतन्त्र रूप से समाधान करा सकें ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : वर्तमान व्यवस्था के अधीन हमारे यहां परमाणु विद्युत बोर्ड है जो परमाणु विद्युत रिएक्टर लगाने के लिए जिम्मेवार है। एक अलग से निकाय है, जिसका परमाणु बिजली बोर्ड के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। यह पृथक निकाय परमाणु विद्युत स्टेशनों के

सुरक्षा पहलू को भी देखता है। अगर कोई शिकायत है तो वे शिकायतें उनके पास भेजी जा सकती हैं वे उन शिकायतों की अलग से जांच कर सकते हैं और तब उन पर कार्यवाही की जा सकती है। मैं अध्यक्षपीठ की अनुमति से इस सदन को सूचित करना चाहता हूं कि भारत में हमने वह सभी उपाय किये हैं जो सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से आवश्यक हैं। एक बात और मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि विश्व में विद्युत रिएक्टर के संचालन के 4000 वर्षों में परमाणु रिएक्टर के प्रसारक एक भी व्यक्ति नहीं मरा है। इन परमाणु विद्युत स्टेशनों के लिए अपनाए गये सुरक्षोपाय बहुत ही कठोर हैं और सभी प्रकार की सावधानी बरती जाती है। इससे हमें स्पष्ट हो गया है कि परमाणु विद्युत रिएक्टरों द्वारा परमाणु विद्युत प्राप्त करना खतरनाक नहीं है।

श्री जी० जी० स्वैल : इन परमाणु संयन्त्रों से विकिरण के खतरे के बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है। यह ठीक व उचित है। हम इतने सावधान नहीं हो सकते। लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या यह सच है कि आणविक सयंत्र की अपेक्षा कोयला दहन संयंत्र से निकली आर इ एम एस किरणों का प्रभाव मनुष्य पर अधिक पड़ता है। कुछ औद्योगिक संयंत्रों से होने वाले विकिरणों का भी मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि कोयला दहन संयंत्र तथा अन्य संयंत्रों से निकलने वाले असहनीय विकिरणों का प्रभाव मनुष्य पर न पड़े इसके लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : हमें विकिरणों की समस्या को स्पष्ट रूप से समझना होगा मुझे बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक विकिरण से 87.0 प्रतिशत, चिकित्सा सम्बन्धी परीक्षण (एक्सरे, रेडियोग्राफी) 11.5%हथियारों के कारण 0.5% व्यवसायिक तौर पर 0.4%, और विविध रूप में 0.5% से प्रभावित होता है जबकि आणविक विद्युत घर से केवल 0.1 प्रतिशत ही विकिरण होता है। इस तरह से मनुष्य का शरीर विभिन्न प्रकार की विकिरणों से प्रभावित होता है। जहां तक कोयला विद्युत घरों से होने वाले विकिरण का सम्बन्ध है, यह सच है कि तापीय विद्युत घर मे जो अपशिष्ट निकलता है उससे भी कुछ विकिरण होता हो परन्तु वह परमाणु ऊर्जा के अधीन नहीं आता है। हम इसकी देखरेख नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ताप विद्युत संयंत्रों से निकले अवशिष्ट में से जो विकिरण होता है वह मानव जीवन के लिए खतरनाक नहीं है तथा वह निर्धारित सीमा से बहुत कम होता है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष जी, सबसे ज्यादा एटोमिक रिएक्टर अमेरिका में है और अमेरिका में जो आर्डर प्लेस किए हुए हैं, वे भी कैंन्सिल किए जा रहे हैं, यह हमारी जानकारी है। वहां पर कई स्टेट्स ने अमेरिका में, एटोमिक रिएक्टर बैन कर दिए हैं। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा एडवांस कन्ट्री है, माननीय मंत्री जी स्वयं जाकर स्टडी करके फिर इस विषय में निर्णय लेंगे क्या।

अध्यक्ष महोदय : आपको भेज दें साथ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पुरोहित जी को साथ ले जाना।

(व्यवधान)

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमन् मैं यह बताना चाहूंगा कि आजकल जो एनर्जी निर्माण करने का काम है, उसमें एटोमिक एनर्जी का बहुत महत्व बढ़ गया है। फ्रांस में तो 75 परसेंट एनर्जी न्यूक्लिअर-टैक्नोलौजी से बनाने की कोशिश चल रही है। जापान में भी जो एनर्जी न्यूक्लिअर टैक्नोलोजी से बनाई जाती है, वह 25 परसेंट से ज्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि जितनी एनर्जी चाहिए उसके साठ परसेंट तक की एनर्जी जापान में न्यूक्लिअर टैक्नोलोजी से बनाने की कोशिश की जा रही है। जापान तो एक ऐसा कन्ट्री है जिसको अच्छी तरह से मालूम है कि रेडिएशन का क्या मतलब होता है। अमेरिका के अंदर आज भी इतने बहुत सारे एटोमिक पावर स्टेशन हैं। जितनी हम एनर्जी बनाते हैं, उससे ज्यादा वे आज भी न्यूक्लिअर टेक्नोलौजी से बनाते हैं।

रेट ऑफ ग्रोथ थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है मगर उनकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। आज हमारे पास जितने थर्मल पावर स्टेशन्स या हाइडल पावर स्टेशन्स हैं, उनसे ज्यादा संख्या में उनके पास न्यूक्लिअर पावर स्टेशन्स हैं और उनकी संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जब कि हमें ऊर्जा की बहुत जरूरत पड़ेगी, और न्यूक्लिअर एनर्जी का बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग होने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि सारे संसार की एनर्जी की जरूरत का 25 परसेंट हम न्यूक्लिअर टैक्नोलौजी से प्राप्त कर सकेंगे। दूसरे, हम सोलर एनर्जी के उपयोग को भी बढ़ाना चाहते हैं और उसकी टैक्नोलौजी अभी डैवलप नहीं हुई है, अगले 70-80 सालों के बाद उस की टैक्नोलोजी डैवलप हो सकती है और तब कहीं उससे हमें अपनी जरूरत की एनर्जी का 20 प्रतिशत हिस्सा या उससे कुछ ज्यादा, मिल सकता है। तब तक के लिए हमें आज जो है उसी का सहारा लेना पड़ेगा और फ्यूजन टैक्नोलौजी डैवलप हो तो इसका काम चल सकता है।

[अनुवाद]

श्री कुलनदेइ वेलु : महोदय, शोधकर्ताओं का कहना है कि परमाणु ऊर्जा में विद्यमान रेडियोधर्मी तत्वों से अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है और अगर सच है तो इसे रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारा सम्पूर्ण वातावरण विकिरण से मुक्त नहीं है। हम सूर्य की किरणों से विकरण प्राप्त करते हैं तथा और भी बहुत सी चीजों से विकिरण होता है। वातावरण में विद्यमान कुल विकिरणों की प्रतिशतता मैंने आपको बता दी है और मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि प्राकृतिक स्त्रोतों से 80 प्रतिशत विकिरण होता है। इन सभी बातों को बताने के बाद में यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि आणविक ऊर्जा घरों से होने वाले विकिरण की वजह से कोई भी बच्चा अपंग पैदा नहीं होता. परन्तु सच यह है कि जब विकरण कोशिका में प्रवेश करती है तो यह जीन में परिवर्तन ला देती है। इसके परिणामस्वरूप कुछ विकृति हो सकती है लेकिन इस निरूपता के लिए विकिरण की प्रतिशता अधिक है। परन्तु आणविक विद्युत घरों से होने वाला विकिरण इसके मुकाबले बहुत ही कम है।

11 47 म. पू.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रताप भानु शर्मा.

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, सिर्फ सत्ताधारी पक्ष तथा उनके साथी दल।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं वह विपक्ष में हैं। आपसे ऐसा किसने कहा।

श्री प्रताप भानु शर्मा : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह ठीक है कि हमारे देश ने रेडियोधर्मी क्षेप्य पदार्थ प्रबन्धन के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है जिसकी बहुत पहले जब भारत के परमाणु कार्यक्रम की योजना बनायी गयी थी, कल्पना की गयी थी। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि खनन, पिसाई, इंधन निर्माण, रियेक्टर आपरेशन से लेकर आखिर में प्रयोग किये गये इंधन को संसाधित करने तक परमाणु ईंधन चक्र के विभिन्न चरणों के दौरान जो रेडियोधर्मी क्षेप्य पदार्थ निकलते हैं उनकी नुकसान पहुंचाने वाली क्षमता का अंदाजा लगाने के लिए क्या कोई अध्ययन किया गया है और दूसरे············(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आप केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

श्री प्रताप भानु शर्मा : महोदय, यह बिल्कुल उपयुक्त बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री प्रताप भानु शर्मा : महोदय, यह विकिरण समस्या के बारे में बिल्कुल ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश ने एक फास्ट ब्रीडर टैस्ट रियेक्टर का विकास किया है और हमने अपने देश में इस प्रौद्योगिकी का किकास किया है। इस्तेमाल किये गये ईंधन को फिर से संसाधित करने पर जो कि फास्ट ब्रिडर रियेक्टर में प्लूटोनियम को फिर से प्रयोग करने के लिए बहुत जरूरी है, उच्च स्तर के जलीय क्षेप्य पदार्थ भारी मात्रा में उत्पन्न होते हैं जिसमें प्रयोग किए गये ईंधन की लगभग सारी रेडियोधर्मिता होती है। अतः, मैं जानना चाहता हूं हमारी सरकार तथा हमारा परमाणु ऊर्जा बोर्ड ऐसे उच्च स्तर के जलीय क्षेप्य द्रव पदार्थों का जो कि अल्फा प्रदूषित होते हैं भंडारण करने तथा निपटान करने के लिए कौन से प्रभावशाली कार्य कर रही है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम स्वावलम्बी हो गये हैं। संपूर्ण ईंधन चक्र पर हमारा अधिकार है। हमारे पास रियेक्टरों की स्थापना करने की प्रौद्योगिकी है, हमारे पास भारी जल बनाने की प्रौद्योगिकी है तथा बेकार के पदार्थों को समाप्त करने की प्रौद्योगिकी हमारे पास है। जहां तक विकिरण की बात है, सभी क्षेत्रों में जो इन गतिविधियों से संबंधित हैं, विकिरण सक्रियता की भी जांच की जाती है और इस प्रकार के विकिरणों की वजह से कोई व्यक्ति प्रभावित न हो इससे संबंधित प्रक्रिया एवम् प्रौद्योगिकी का विकास हमने कर लिया है।

मैंने पहले ही कहा है कि हमने रेडियोधर्मी बेकार पदार्थों को निपटाने संबंधी प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया है अब बेकार पदार्थ को द्रव्य में परिवर्तित किया जाता है और उसे शीशे के बर्तन में रखा जाता है और उसके बाद हमारे पास कुछ अन्य प्रक्रियाएं हैं जिन्हें उसे जमीन में गहरा गाड़ देने के लिए अपनाया जाता है। इस तरह की प्रौद्योगिकी हमारे पास उपलब्ध है। हमें पक्का विश्वास है कि इससे नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज बाहर नहीं आयेगी। इसी के साथ मैं सभा और माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हर स्तर पर हमने सावधानियां रखी हैं। हम यह प्रयास करते हैं कि निर्धारित सीमा पार न हो। भारत में निर्धारित सीमा कुछ चीजों के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय निर्धारित सीमा से अधिक कठोर हैं। हमने इस क्षेत्र पर सभी सावधानियाँ ली हैं। माननीय सदस्यों को इस संबंध में डरने की जरूरत नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी की बात से सहमत हूं कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन से बचा नहीं जा सकता। लेकिन सर्वाधिक संगत बात यह है कि हम इस क्षेत्र में सुरक्षा और प्रदूषण को रोकने संबंधी उपायों को कठोर एवम् व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं। महोदय, मंत्री जी अच्छी प्रकार से जानते हैं कि परमाणु ईंधन कम्पलैक्स हैदराबाद के पास स्थित है। वहाँ पर शिकायतें हुई हैं कि इस कारखाने के क्षेप्य पदार्थों से निकलने वाला हानिकारक विकरण नियत सीमा से अधिक हो रही है। ऐसी शिकायतें बहुत बार दर्ज कराई गई हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस कम्पलैक्स के बारे में क्या किया गया है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं माननीय सदस्य का, यह कहने के लिए धन्यवाद करता हूं कि भविष्य में ऊर्जा उत्पादन में परमाणु प्रौद्योगिकी लाभदायक सिद्ध होगी। परन्तु इसी के साथ हम यह भी विशेष रूप से सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकिरण के कारण मानव जीवन, पशु जीवन तथा वृक्षों के जीवन को कोई खतरा उत्पन्न न हो। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हैदराबाद क्षेत्र में भी किसी सीमा को लांघा नहीं गया है। जहाँ से भी हमें शिकायतें प्राप्त हुई हैं हमने वहां की स्थिति की जांच की है। यह पाया गया है कि सीमा को बिल्कुल भी नहीं लांघा गया है। यूनिट के अंदर और बाहर यह पता लगाने ने के लिए कि सीमा को लांघा गया है। अथवा नहीं हमारे पास प्रक्रिया मौजूद है। अगर इसे लांघा गया है तो कतिपय प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। किसी भी सीमा को कभी भी लांघा नहीं गया है और ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है।

उड़ीसा की परती भूमि विकास और सामाजिक वानिकी के लिए धनराशि का आबंटन

*717. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परती भूमि के विकास और सामाजिक वानिकी संबंधी योजनाओं के लिये वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई और उसमें से प्रत्येक में उड़ीसा राज्य का कितना अंशदान रहा;

(ख) इन योजनाओं के कार्यान्वयन की अब तक की उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) क्या वर्ष 1984-85 और 1985-86 के लिये आवंटित धनराशि पूरी खर्च नहीं की जा सकी है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा वर्ष 1986-87 के दौरान इन योजनाओं को पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिये क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पटिल) : (क) तथा (ख). वानिकी क्षेत्र तथा ग्रामीण विकास विभाग की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत उड़ीसा को सामाजिक वानिकी के लिए आबंटन कर दिया गया है। ब्योरे सभा-पटल पर रखे गए विवरण -1 में दिये गये हैं। मई, 1985 के बाद राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना के साथ परती भूमि विकास पर केन्द्रीयकरण प्रारम्भ किया गया।

(ग) 1984-85 में कमी के कारणों को राज्य सरकार से मालूम किया जा रहा है। वर्ष 1985-86 के लिए व्यय के अन्तिम आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) इन स्कीमों के क्रियान्वयन के संबंध में बनाई गई कार्यवाही योजना के ब्योरे दर्शाने वाला विवरण -2 सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण—1

योजना का नाम	कुल केन्द्रीय आबंटन (करोड़ रुपयों में)	उड़ीसा का अंश	वास्तविक व्यय	रोपित क्षेत्र (हेक्टे.)	बांटे गए बाल पौधे	कुल केन्द्रीय आबंटन (करोड़ रुपयों में)	उड़ीसा का अंश	वास्तविक व्यय	रोपित क्षेत्र (हेक्टेयर)	बांटे गए वाले पौधे (लाख)
	1984-85					1985-86				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वानिकी क्षेत्र										
1. ग्रामीण जलाने की लकड़ी की पौधरोपण सहित सामाजिक वानिकी	19.00	0.91	0.76	6846	66.25	26.00	0.95	@	7593	32.75
ग्रामीण विकास विभाग										
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	22.98	0.79	0.63	4516	—	45.75	2.07	0.95 (31.12.85 तक)	13406	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	सामाजिक वानिकी के लिए कोई विशिष्ट आबंटन नहीं है।	परियोजनाएं स्वीकृत हैं 0·20	0.17	1870	——	63·50	3.48	3.13	1611 (31·12.85 तक)	
4. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (सभी घटकों को सम्मिलित करके)	76·65	5·85	2.68	1373	——	73·80	4·68	@	3329	——
योग	118·63	7.75	4.24	14605	66·25	209.05	11·18	4.08	25939	32.75

@ अन्तिम आंकड़ों की प्रतीक्षा की जा रही है।

योजना का नाम	1986-87 (बजट के लिए प्रस्ताव) कुल केन्द्रीय आबंटन	उड़ीसा का हिस्सा (करोड़ रुपयों में)
	12	13
वानिकी क्षेत्र		
1. ग्रामीण जलाने की लकड़ी की पौधरोपण को सम्मिलित कर सामाजिक वानिकी	20·00	1·00
ग्रामीण विकास विभाग		
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	55·33	2.53
3. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम	158·41	4·10
4. सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (सभी घटकों को सम्मिलित करके)	92.25	5.85
योग	325·99	13.48

विवरण-2

परती भूमियों के विकास के लिए कार्यकारी योजना

1. परती भूमि का अभिनिर्धारण :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से अपने क्षेत्र में परती भूमि के अभिनिर्धारण का अनुरोध किया गया है चाहे वे वन क्षेत्र, राजस्व/सामान्य भूमि या अवनत कृषि भूमि हो।

2. जनता की भागीदारी :

इसको निम्नलिखित उपायों से सुनिश्चित किया जाएगा :—

(क) **विकेन्द्रित नर्सरियां** : जनता की नर्सरियां अर्थात किसानों, स्कूलों, महिलाओं, युवा दलों, स्वैच्छिक एजेंसियों इत्यादि को पौधों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ख) **फार्म वानिकी** : किसानों को उनकी सीमांत भूमि और खेती की मेढ़ों पर वृक्षों की फार्मिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पौधों के वितरण हेतु एक विवेकशील नीति तैयार की जानी चाहिए।

(ग) **वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समिति** : पौधों को लगाने और वितरण में तथा वृक्ष लगाने के लिए वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समितियों को संगठित किया जाना चाहिए।

(घ) **स्वैच्छिक संगठन** : व्यापक आधार वाले संगठनों, महिला मण्डलों, युवा दलों को नर्सरी उगाने और पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ङ) **पेड़ों के पट्टे** : सड़कों, रेल, नहरों इत्यादि और अन्य निम्नीकृत भूमि को ग्रामीण निर्धनों को इस जमीन पर उनके द्वारा लगाये गये वृक्षों पर भोगाधिकार सहित, दे दिया जाना चाहिए।

3. नोडल एजेंसी :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से विभिन्न अभिकरणों, सरकारी व अन्यों द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों को अमल में लाने के लिए एक समेकित नीति को सुनिश्चित करने हेतु एक एकल नोडल एजेंसी के अभिनिर्धारण के लिये अनुरोध किया गया है।

4. बीज :

राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों से किसानों को व्यापारिक आधार पर चारा, घास और फलीदार बीजों की आपूर्ति हेतु विद्यमान राज्य बीज निगमों के क्रियाकलाप की भूमिका में विस्तार करने का अनुरोध किया गया है।

5. भूमि को पट्टे पर देना : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को ग्रामीण निर्धनों को वन रोपण हेतु वन तथा गैर-वन परती भूमि पट्टे पर देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

6. वन आधारित उद्योगों को, उनके द्वारा अपेक्षित कच्चे माल के उत्पादन हेतु परती भूमि पर वन रोपण के लिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ग्रामीण निर्धनों को रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें लाभप्रद आधार पर वृक्ष उगाने के योग्य बनाने की दृष्टि से परती भूमि पर वृक्ष आवरण उगाने के लिए उद्योगों को उत्साहित भी किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों से, इस विषय में उद्योगों को परती भूमि पट्टे पर दिये जाने के लिए, मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

7. शहरी ईंधन की लकड़ी और हरित पट्टियां :

राज्य/संघ शासित क्षेत्रों से सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि शहरी ईंधन की लकड़ी और चारे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईंधन की लकड़ी और चारे के पौधों की हरित पट्टियां कस्बों और शहरों में लगाई जायें।

8. निम्नीकृत वन क्षेत्र :

राज्यों से, निम्नीकृत वन भूमि के अभिज्ञान और ईंधन की लकड़ी और इनके चारे की प्रजातियों से पुन: वन रोपण करने का अनुरोध किया गया है।

9. वन विकास निगम :

वन विकास निगमों को ईंधन की लकड़ी और चारे के पौधे लगाने के लिए सरकारों से परती भूमि पट्टे पर लेनी चाहिए।

10. सरकारी विभाग :

सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य निकाय/संस्थानों जिनके पास पर्याप्त अप्रयुक्त भूमि है, ऐसी भूमि को वृक्षारोपण के अन्तर्गत लाना चाहिए।

11. माध्यम एवं संचार :

जनता में जागरूकता लाने के लिए लोक कला और संस्कृति के परम्परागत माध्यम, रेडियों, टेलीविजन और अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाना चाहिए।

12. प्रबोधन एवं मूल्यांकन :

राज्य/संघ राज्य सरकारों को कार्यक्रम के गुणात्मक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के के लिए उपयुक्त प्रबोधन और मूल्यांकन तंत्र विकसित करना चाहिए।

श्री चिंतामणि जेना : महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उत्तर देते हुए योजना तथा उपयोग सम्बन्धी ब्यौरे अपने उत्तर से संलग्न विवरण में दिये हैं।

महोदय, अपने प्रश्न के भाग (ग) में, मैंने स्पष्ट रूप से पूछा है कि क्या राज्य को दी गयी धनराशि का पूरी तरह से उपयोग किया गया है, अगर नहीं, तो इस कमी के कारण क्या हैं। उन्होंने कहा है कि इसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है।

महोदय, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने राज्य सरकार तथा संघ शासित क्षेत्रों से कहा है कि वे एक्शन प्लान के अनुसार योजना की क्रियान्विति तथा उस पर निगाह रखने के लिए एक नोडल ऐजंसी निर्धारित करें।

क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि उड़ीसा राज्य सरकार ने कौन-सी नोडल ऐजंसी तय की है जो इस योजना पर निगाह रखेगी ताकि धन का सही उपयोग हो ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, राज्य सरकार ने बंजर भूमि के विकास के लिए निगम बनाया है। यह निगम बन गया है और इसे बहुत धनखर्च करने के लिए दिया गया था। हमें बताया गया है कि निगम इस धनराशि को खर्च करने की स्थिति में नहीं है। उनके पास इस उद्देश्य के लिए कोई साज-समान नहीं बनाया है। इसके अतिरिक्त आई० आर० डी० पी० कार्य और अन्य कार्य उस समय निगम को दिये गये थे फिर भी धन-राशि व्यय नहीं की जा सकी।

श्री चिंतामणि जेना : महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है कि केन्द्र द्वारा विभिन्न राज्यों को बंजर भूमि के विकास के लिए आबंटन किस आधार पर किया जाता है, क्या इसके लिए राज्य के क्षेत्रफल अथवा राज्य की जनसंख्या को आधार बनाया जाता है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : हम आम तौर पर जिस क्षेत्र को आसानी से विकसित किया जा सकता है उसका विकास करने का प्रयास करते हैं। महोदय, आधार आम तौर से बंजर भूमि की उपलब्धता को बनाया जाता है। कई प्रकार की बंजर भूमि हैं। कुछ भूमि लवणीय होती हैं, कुछ भूमि निम्न स्तर की होती हैं तथा अन्य प्रकार की भूमि भी होती हैं। अतः भूमि की किस्म, उपलब्ध क्षेत्रफल को देखते हुए धनराशि का नियतन किया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी आधार हैं जिनको देखा जाता है जिन्हें मैं माननीय सदस्य को लिखित में सूचित करूंगा।

श्री शरत देव : महोदय, अगर आप हमें दिये गए विवरण के पृष्ठ 2 को देखें तो आप पायेंगे कि इसमें कहा गया है कि 0.95 करोड़ रुपये खर्च करके 13,406 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है जबकि उसी वर्ष में 3.13 करोड़ रुपये खर्च करके मात्र 1,611 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है, इस प्रकार की विषमता का क्या कारण है ?

दूसरी बात यह है कि जब इतनी धनराशि खर्च करने से बची हुई है और राज्य सरकार भी पर्याप्त रूप से यह जानकारी नहीं दे पायी है कि इस धनराशि का 1984-85 में उपयोग क्यों नहीं किया जा सका, किन हालातों में बिना जांच किए केन्द्रीय सरकार ने फिर से राज्य को 1985-86 में इतनी धनराशि दी है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, जहां तक किसी खास क्षेत्र की भूमि पर धन खर्च करने का संबंध है, यह भूमि की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, किस प्रकार की भूमि को वन में परिवर्तित करना है आदि अन्य सभी बातें। मैंने पहले ही कहा है कि कुछ धनराशि जो राज्य सरकार को दी गई थी खर्च नहीं की गई थी और उसके लिए राज्य सरकार ने जो कारण हमें बताया और जिसे मैं माननीय सभा के सामने रख रहा हूं उन्होंने उस क्षेत्र में बंजर भूमि का विकास करने के लिए एक निगम बनाया था और उस निगम के पास चूंकि इस कार्य के लिए आवश्यक सुविधायें तथा आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी……

श्री शरत देब : यह बात निगम के बारे में है। ई० आर० आर० पी०, आई० आर० डी० और आर० एल० ई० जी० पी० को अलग से स्थानीय निकायों द्वारा लागू किया जाता है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : आई० आर० डी० तथा ई० आर० आर० पी० के बारे में उन्होंने कहा है कि बाद में यह कार्य भी निगम को सौंप दिया गया था।

श्री शरत देब : महोदय, उन्होंने वह धन निगम को नहीं दिया। यह मैं आपकी जानकारी में ला रहा हूं।

श्री बृजमोहन महन्ती : महोदय, 12 सूत्री कार्यवाही योजना बनायी गयी थीं और राज्य सरकारों तथा संघशासित क्षेत्रों को इसे लागू करने के लिए कहा गया था। क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों की क्या प्रतिक्रिया रही ? क्या माननीय मंत्री यहां बतायेंगे कि क्या प्रतिक्रिया रही है तथा सभी 12 सूत्रों की दिशा में कार्यवाही के बारे में क्या प्रेगति है ? मेरा कहना यह है कि अगर जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है तो क्या माननीय मंत्री इस जानकारी, प्रतिक्रिया और प्रगति सहित, सभा-पटल पर रखेंगे ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : बंजर भूमि विकास के महत्व को प्रत्येक स्तर पर पहचाना जाना चाहिए, केन्द्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर तथा लोगों के स्तर पर भी। केवल लोगों, स्थानीय प्राधिकरणों तथा राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। केन्द्र की तरफ से सभी संबधित लोगों को यह जताने का प्रयास किया जा रहा है कि बंजर भूमि विकास में देश का मूल विकास निहित है और हम देखते हैं कि सरकार के सुझाव पर लोगों का ध्यान जाने की प्रगति में वृद्धि हो रही है। यद्यपि, एक विशेष स्वीकार्य स्तर जो वास्तव में बहुत ही कुशल एवं उपयोगी होगा प्राप्त करना होगा। परन्तु सभी संबंधित लोगों की इस मामले पर ध्यान देने की क्रिया में प्रगति और वृद्धि हो रही है।

श्री बृज मोहन महन्ती : प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र की प्रगति क्या है ? यही मेरा प्रश्न है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह जानकारी दी जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि राजस्थान के अरावली के गैप, जिसके फोटोग्राफ्स इन्सैंट 1 के माध्यम से लिये गये हैं और जिससे वैस्टर्न

राजस्थान का डैजर्ट, रेगिस्तान, दिल्ली और यू० पी० तक बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए जो वैस्ट लैंड कार्पोरेशन के माध्यम से स्कीम भेजी गई है, वह कब तक सैंक्शन होगी ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों का सुदूर संवेदन सर्वेक्षण

*700. श्री हरीश रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों का सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस क्षेत्र में वन सम्पदा सहित राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए निकट भविष्य में ऐसा सर्वेक्षण कराने का सरकार का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग). पर्वतीय क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के लिए समग्र वन मानचित्रण और परती भूमि के मानचित्रण के लिए उपग्रह प्रतिबिम्बकी सहित कई सुदूर संवेदन संबंधी सर्वेक्षण किए गए हैं । संरक्षण के लिए प्राथमिक क्षेत्रों के निरूपण के लिए, अवसाद जमा होने का अनुमान लगाने तथा जल प्रवाह की भविष्यवाणी के लिए ऊपरी गंगा जल-ग्रहण क्षेत्र का सुदूर संवेदन सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

1972-75 और 1980-83 की अवधि के लिए उपग्रह प्रतिबिम्बिकी सहित वन मानचित्रण किया गया था । भू-जांचों के बाद वन के अन्तर्गत क्षेत्र का अनुमान 1980 दशाब्द के प्रारम्भ की स्थिति के अनुसार लगभग 32,000 वर्ग किलोमीटर था, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 11% है । ये मानचित्र वानिकी की आयोजना तथा परिवर्तन का पता लगाने के लिए निवेश के रूप में उपयोगी पाये गए हैं ।

उत्तर प्रदेश राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए परतीभूमि के मानचित्र में हिम आच्छादित क्षेत्रों और कोरे वन क्षेत्रों को दिखाया गया है । उत्तर प्रदेश के वन विभाग द्वारा परती भूमि के विकास के लिए इन मानचित्रों का उपयोग किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों के लिए हवाई फोटोग्राफों की सहायता से 1 : 50,000 के पैमाने पर स्थलाकृतिक सर्वेक्षण किए गए तथा अधिकांश मानचित्रों को हाल ही में प्रकाशित किया गया है। स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कई पर्वतीय क्षेत्रों में हवाई फोटोग्राफों से कई विस्तृत सर्वेक्षण भी किए गए हैं। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं :

विस्तृत वन आच्छादन किस्म का मानचित्रण, वन की किस्म का मूल्यांकन और अलमोड़ा जिले के भागों में तथा देहरादून के वन भागों में वनरोपण स्थलों का निर्धारण करना; चमोली जिले में अलकनन्दा जलग्रहण क्षेत्र में मृदा और भूमि उपयोग संबंधी सर्वेक्षण करना; 2000 वर्ग कि०मी० क्षेत्र को आवृत्त करते हुए दून घाटी का समेकित सर्वेक्षण करना।

भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह उपयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश के सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र ने हिमालय क्षेत्र में गंगा और रामगंगा नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों के भागों में हवाई फोटोग्राफी की है। यह परियोजना अब प्रारंभिक चरणों में है।

उपर्युक्त के अनुवर्ती के रूप में पहले से प्रारंभ सर्वेक्षणों को पूरा करने के साथ-साथ कई सर्वेक्षण शुरू किए जा सकते हैं।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी खतरे

*703. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न परमाणु ऊर्जा तथा अन्य इलैक्ट्रानिक संयंत्रों में काम करने वाले अनेक कर्मचारी अत्यधिक विकिरण के कारण पिछले दो वर्षों के दौरान प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कौन-कौन से संयंत्र हैं जिनके विकिरण तथा अन्य खतरों से कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर सर्वाधिक कुप्रभाव पड़ा है; और

(घ) इन संयंत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सभी संयंत्रों में कर्मचारियों पर पड़ने वाले विकिरण की मात्रा अन्तर्राष्ट्रीय विकिरण बचाव आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुरूप निर्धारित सीमाओं के पूर्णतः भीतर ही रहती है। इस कारण, कर्मचारियों के स्वास्थ्य के प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) विकिरण की विद्यमानता में काम करने वाले कर्मचारियों की निगरानी उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से करने तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के स्वास्थ्य भौतिकी प्रभाग और विकिरण बचाव प्रभाग द्वारा विकिरण सुरक्षा संबंधी निगरानी रखने के काम सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उन संयंत्रों के स्थापना-काल से ही किए जाते रहे हैं।

विकलांगों के आर्थिक उत्थान की योजनाएं

*705. **श्री चित्त महाता :**

श्री निर्मल खत्री :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने लोगों से अपील की है कि विकलांगों को राष्ट्र के सामान्य नागरिकों के समान उचित स्थान दिया जाना चाहिए और उनके आर्थिक उत्थान में उनकी सहायता की जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान के लिए कोई नई योजना बनाई है;

(ग) क्या देश में विकलांग व्यक्तियों की सहायता करने के लिए उनको दिए जाने वाले लाभों तथा रीति-नीति की सूची बनाई गई है/बनाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) जी, हां। प्रधान मंत्री जी के संदेश के उद्धरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2641/86]

(ख) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

देश में विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान के लिए कई योजनाएं हैं, जिनका संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

रोजगार

केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में विकलांग व्यक्तियों के लिए ग्रुप 'ग' और 'घ' पदों के लिए 3 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं।

रोजगार उपलब्ध कराने में विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए देश में 22 विशेष रोजगार कार्यालय और 41 विशेष रोजगार सेल स्थापित किए गए हैं।

विकलांग व्यक्तियों की अवशिष्ट योग्यता का मूल्यांकन करने, उन्हें प्रशिक्षण देने और नियमित रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 14 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में 11 ग्रामीण पुनर्वास केन्द्र और जोड़ दिए गये हैं।

भारत सरकार विकलांग व्यक्तियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम तैयार करने और शैल्टर्ड वर्कशाप की स्थापना करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता प्रदान करती है। अन्य रोजगारों में भी विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए नियोजन अधिकारियों की नियुक्ति करने हेतु स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्राईवेट क्षेत्र के नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने हेतु भारत सरकार विकलांग व्यक्तियों के उत्कृष्ट नियोक्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार देती है।

स्वरोजगार

पैट्रोल पम्प/गैस व्यापार के कार्य में विकलांग व्यक्तियों के लिए 7.5 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है।

रियायती ब्याज दर योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक विकलांग व्यक्तियों को कम ब्याज दर (4 प्रतिशत) पर ऋण देते हैं।

संचार मंत्रालय, विकलांग व्यक्तियों को सार्वजनिक टेलीफोन बूथ प्रदान करता है, जिस से वे अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हैं।

राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय, विकलांग व्यक्तियों को अपनी जीविका उपार्जन के लिए उन्हें क्योस्क/बिक्री स्टाल आवंटित करते हैं।

कल्याण मंत्रालय ने जिला पुनर्वास केन्द्रों की एक योजना शुरू की है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यापक और समन्वित सेवायें प्रदान की जाती हैं। जहां तक विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान का प्रश्न है जिला पुनर्वास केन्द्र में, छोटी दुकानों, बिक्री स्टालों, सेवा केन्द्रों, कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में स्वरोजगार चलाने जैसी अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रों में काम बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

इलेक्ट्रानिकी उद्योग में पूंजी निवेश

*706. **श्री गुरुदास कामत :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितना पूंजी निवेश किया और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितना पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में विदेशी पूंजीनिवेश के बढ़ने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा वास्तविक रूप से खर्च की गई कुल राशि 171.10 करोड़ रुपये थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमोदित वित्तीय परिव्यय 471 करोड़ रु० है।

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा चलाई/चलाए जा रही/रहे विभिन्न प्रकार की योजनाओं/कार्यक्रमों में अधिकांश ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उद्योग उन्मुख है तथा अन्य कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें कल-पुर्जों से लेकर सम्पूर्ण उत्पाद तैयार करने में पूंजीनिवेश करना पड़ता है और इस प्रक्रिया में मूल संरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना, प्रौद्योगिकी का विकास तथा प्रायोगिक आधार पर उत्पादन एवं जनशक्ति का प्रशिक्षण, आदि सभी पर पूंजीनिवेश करना होता है।

(ख) और (ग). मार्च 1985 में इलेक्ट्रॉनिकी के लिए घोषित नीति विषयक एकीकृत उपायों में, और इसके उपरान्त अधिसूचित किए गए कुछ उपायों के अंतर्गत ऐसी कम्पनियों को, जिनकी विदेशी साम्या पूंजी 40% है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के क्षेत्र में भाग लेने की मुक्त रूप से अनुमति प्रदान की गई है, जो पूर्णरूपेण स्वस्वामित्व वाली भारतीय कम्पनियां के लिए खुली हैं। उच्च प्रौद्योगिकी के कुछ क्षेत्रों में, अधिक मात्रा में विदेशी पूंजीनिवेश की भी अनुमति दी जाती है। नीति संबंधी इस घोषणा के फलस्वरूप, अनेक विदेशी कम्पनियों ने भारत में इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में पूंजीनिवेश करने में रुचि दिखाई है। किन्तु, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान, ऐसा कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं रखा गया है जिसके फलस्वरूप विदेशी पूंजीनिवेश में वृद्धि होने की संभावना हो। यह वृद्धि क्रमिक रूप से होगी।

[हिन्दी]

बेरोजगार विकलांग व्यक्तियों की संख्या

*708. **श्री कुंवर राम** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 के दौरान देश में बेरोजगार विकलांग व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : यद्यपि देश में बेरोजगार विकलांग व्यक्तियों की संख्या सम्बन्धी सूचना एकत्र नहीं की जाती, तथापि, 1985 के दौरान रोजगार कार्यालयों में ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 40,833 है।

[अनुवाद]

सेना मुख्यालय के कर्मचारियों को रिहायशी आवास

*711. **श्री अजय मुशरान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा मंत्रालय में कार्यरत अधिकतर केन्द्रीय सरकारी असैनिक कर्मचारियों को रिहायशी आवास दिए जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि सेना मुख्यालय की निम्न विरचनाओं में कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी तो माना जाता है, किन्तु उनमें से केवल 15 प्रतिशत को ही रिहायशी आवास दिये जाते हैं; और

(ग यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को रिहायशी आवास देने के मामले में समान न मानने के क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). सेना मुख्यालयों की निम्न विरचनाओं के सिविलियन कर्मचारी भी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों में से जिन्हें रिहायशी आवास दिए गए है, उनका प्रतिशत अलग स्टेशनों में अलग है। जिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को रिहायशी आवास नहीं दिए गए हैं वे सभी नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता पाने के हकदार हैं।

[हिन्दी]

शराब की बोतलों पर चेतावनी का छापा जाना

*712. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिगरेट की डिब्बियों पर यह चेतावनी छापी जाती है कि "सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" और यदि हां, तो ऐसी चेतावनी शराब की बोतलों पर भी न छापने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या शराब की बोतलों पर ऐसी चेतावनी का छापा जाना अनिवार्य करने का सरकार का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) सिगरेट के डिब्बों पर कानूनी तौर से चेतावनी का छापा जाना केन्द्रीय विधान के अनुसरण में है, जो शराब की बोतलों के संबंध में लागू नहीं होता।

(ख) नशीले पेयों को विनियमित करने संबंधी कानून राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिनसे इस संबंध में समुचित कार्रवाई करने की आशा की जाती है।

[अनुवाद]

पुलिस कर्मचारियों में मादक द्रव्य सेवन का व्यसन

*713. **श्रीमती शीला दीक्षित** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा अध्ययन किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के अधीन केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल तथा सीमा सुरक्षा बल आदि के पुलिस कर्मचारी मादक द्रव्यों के सेवन के व्यसनी है;

(ख) यदि हाँ, तो अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) ऐसे कर्मचारियों का इलाज कराने के लिए सरकार ने अल्पकालिक और दीर्घकालिक क्या कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्रों और पश्चिमी घाटों का विकास

*715. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी घाटों सहित पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के संबंध में कोई सलाहकार समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) समिति ने इसके संबंध में क्या कार्यक्रम तैयार किये हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) 17 जनवरी, 1986 के कार्यालय ज्ञापन की प्रति सभा पटल पर प्रस्तुत है, जिसमें समिति का गठन अधिसूचित किया गया है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2642/86**]

(ग) समिति पर्वतीय क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए योजना से संबंधित मामलों पर सलाह देगी। समिति की अभी तक कोई बैठक नहीं हुई।

चंडीगढ़ पारपत्र कार्यालय

*718. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ पारपत्र कार्यालय के कार्यकरण को सुचारु ढंग से चलाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) पासपोर्ट हेतु कितने आवेदन पत्र इस समय लम्बित पड़े हैं; और

(ग) उनके शीघ्र निपटान के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) सरकार ने केवल चंडीगढ़ स्थित पासपोर्ट कार्यालय, के मामले में ही नहीं बल्कि सभी पासपोर्ट कार्यालयों के संबंध में उनके

द्वारा पासपोर्ट आवेदन-पत्रों पर की जाने वाली कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं, जैसे (1) वित्तीय गारंटी देने अथवा उसके स्थान पर सत्यापन प्रमाण-पत्र की अपेक्षा अब समाप्त कर दी गई है और नया पासपोर्ट जारी करने संबंधी आवेदन-फार्म को सरल बना दिया गया है। (2) सम्बन्धित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि स्पष्ट पहचान सत्यापन रिपोर्ट और सुरक्षा जांच रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों से प्राप्त हो जाने के एक सप्ताह के अन्दर पासपोर्ट जारी कर दिए जाएं; (3) चंडीगढ़ स्थित पासपोर्ट अधिकारी, और अन्य स्थानों में स्थित पासपोर्ट कार्यालयों को भी यह हिदायतें दी गई हैं कि वे, सत्यापन फार्म शीघ्र लौटाने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को समय-समय पर अनुस्मारक भेजते रहें।

(ख) एक अप्रैल, 1986 को पासपोर्ट कार्यालय, चंडीगढ़ में ऐसे पासपोर्ट आवेदन पत्रों की संख्या जिन पर अभी कार्यवाही की जानी है 18,976 है।

(ग) उपर्युक्त (क) भाग में उल्लिखित उपायों के अलावा, पासपोर्ट अधिकारी, चंडीगढ़ को यह भी हिदायत दी गई है कि वे चंडीगढ़ में सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनसे लम्बे समय से बकाया पड़े मामलों का शीघ्र निपटान करने में सहयोग देने का उनसे अनुरोध करें।

मिदनापुर में परमाणु ऊर्जा केन्द्र

*719. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में एक परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव रद्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रोद्यौगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पूर्वी विद्युत क्षेत्र में, जिसमें पश्चिमी बंगाल भी शामिल है, भविष्य में परमाणु बिजली घर लगाने के बारे में स्थल-चयन समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट पर निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली में जाली डिग्री प्रमाणपत्र को देने वाला गिरोह

6743. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1986 के अन्त में पश्चिमी दिल्ली में जाली विश्वविद्यालय डिग्री और प्रमाणपत्र देने वाला एक गिरोह पकड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो इस गिरोह का ब्यौरा क्या है और इसकी कार्य प्रणाली क्या थी; और

(ग) इस संबंध में पकड़े गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालल में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा और गुरुजी अनुशिक्षण केन्द्र, चान्दनगर, दिल्ली से आगरा विश्वविद्यालय के जाली प्रमाण पत्र और मोहरें बरामद की। रबर स्टाम्प सीलें "उप-रजिस्ट्रार, परीक्षा, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा" की थी। उप-रजिस्ट्रार, परीक्षा आगरा विश्वविद्यालय की मोहर और कुछ कोरे फार्मों और प्रमाणपत्रों का एक फाईल फोल्डर भी बरामद किया गया।

(ग) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 473/474 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया और दो व्यक्ति अर्थात शिवचरण और उसका पुत्र राकेश कुमार, को गिरफ्तार किया गया है।

सेंट्रल मिकेनिकल इंजीनिरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा धनराशि का दुरुपयोग

6744. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :**

श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल मिकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट दुर्गापुर में वर्ष 1983 में अखिल भारतीय टूल डिजायन संबंधी गोष्ठी और वर्ष 1984 में आयोजित रजत जयंती उत्सव के आयोजन से जुटाई गई धनराशि उसी प्रयोजन के लिए खर्च की गई जिसके लिए यह धन राशि जुटाई गई थी;

(ख) क्या उक्त धनराशि गोष्ठी के बाद दौरों, विज्ञापनों और दावतों पर खर्च की गई थी;

(ग) क्या इन सभी की समुचित लेखा परीक्षा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। ऑल इंडिया मशीन टूल डिजायन और अनुसंधान सम्मेलन, जो कि एक अलग निकाय है, ने अपनी निर्वाचित संगठन समिति के माध्यम से सन् 1983 में सी एम ई आर आइ के प्रांगण में एक सेमिनार आयोजित किया था। उन्होंने प्रायोजनों के माध्यम से अपनी निधियों को बढ़ाया। सी एम ई आर आइ ने अपनी रजत जयंती सन् 1984 में मनायी जिसका समस्त व्यय सी एस आइ आर द्वारा वहन किया गया।

(ख) सम्मेलन की संगठन समिति ने सम्मेलन के पश्चात दौरे, विज्ञापनों और व्यय वहन करने के लिए अपनी निधि की बची हुई शेष राशि का उपयोग किया और बाकी बची हुई धन राशि को स्थापना राशि (सीडमनी) के रूप में संगठन समित को स्थानान्तरित कर दिया।

(ग) जी, हां।

(घ) एआइएमटीडीआर के लेखों का लेखा परीक्षण किया गया और लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को संगठन समिति द्वारा अनुमोदित विवरणों के साथ आगामी सम्मेलन की संगठन समिति को अग्रसारित किया गया। जहां तक सीएमईआरआइ रजत जयंती समारोह (1984) का संबंध है। यह खर्चा सीएमईआरआइ के खातों में विधिवत् रूप से दिखाया गया था।

विद्युत उत्पादन संयंत्रों से पैदा होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु कदम

6745. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कंपनियां वायु और जल प्रदूषण पैदा कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों से पैदा होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है; और

(ग) विद्युत उत्पादन संयंत्रों द्वारा उत्पन्न वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को रोकने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अनसारी) : (क) केन्द्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार, देश में 4054 प्रदूषक औद्योगिक इकाईयां (बड़ी तथा मझोली) हैं, जिनमें से कई एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार (एम० आर० टी० पी०) की कम्पनियां शामिल हैं।

(ख) उठाये गये कदमों में निम्न शामिल हैं:--

— उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को अपनाने के लिए समझाया जाता है;

— दोषी इकाईयों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाई की जाती है;

— प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना तथा उनके संतोषप्रद निष्पादन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है; और

— विशेष रूप से छोटे पैमाने के उद्योगों को सामान्य बहिस्राव उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(ग) उठाये जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

— संतोषजनक रूप से कार्य न करने वाली इकाईयों को प्रतिस्थापित करने के लिए उच्च क्षमता वाले स्थिर-वैद्युत अवक्षेपकों को स्थापित करना;

— राख संग्रह प्रणाली में सुधार लाने के लिए विद्यमान इकाईयों की शृंखला में स्थिर-वैद्युत अवक्षेपकों के अद्यतन डिजायनों को स्थापित करना;

— कोयले की सम्भाल तथा राख व्ययन सुविधाओं में सुधार; तथा

— मानकों के अनुसार बहिस्रावों का उपचार।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर अत्याचार

6746. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर अत्याचार की कितनी घटनायें घटी;

(ख) राज्यों द्वारा दिये गये आंकड़े क्या हैं;

(ग) इन अत्याचार की घटनाओं में कितनी जाने गईं और कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया;

(घ) कितने मकान जलाये गये और इन अत्याचारों की घटनाओं में लगभग कितने मूल्य की सम्पत्ति नष्ट की गई;

(ङ) इन अत्याचारों से प्रवाहित लोगों को राज्यों ने कितना मुआवजा दिया है;

(च) कितने मामले दर्ज किये गये और कितने मामलों में आरोप पत्र जारी किये गये;

(छ) इन अत्याचारों के लिये कितने अपराधियों को दण्ड दिया गया; और

(ज) 31 जनवरी, 1986 को कितने मामले लंबित पड़े थे?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग). विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर गैर अनुसूचित जातियों द्वारा किए गए अत्याचार के मामलों की अपराधवार संख्या की दो सारणियां क्रमश: विवरण-1 और विवरण-2 में दी गई हैं।

(घ) जलाये गये मकानों और नष्ट की गई सम्पत्ति के बारे में सरकार द्वारा जानकारी नहीं रखी जाती, अत: उपलब्ध नहीं है।

(ङ) राज्यों द्वारा प्रभावित लोगों को दिये गये मुआवजे का ब्यौरा भारत सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है।

(च) से (ज). गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, गोवा दमन और दीव और लक्षद्वीप राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अब तक प्राप्त सूचना और बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश से (30-6-1985) तक की आंशिक सूचना के अनुसार, वर्ष 1985 के दौरान अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचारों के उन मामलों की संख्या 6562 थी जो चार्जशीट देकर समाप्त हुए, जबकि 947 मामलों में सजा सुनाई गई। 27,832 मामले न्यायालयों में लम्बित हैं।

अनुसूचित जनजातियों के बारे में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्कम, त्रिपुरा, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, लक्षद्वीप और मिजोरम राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार 31-12-1985 तक 345 मामले जाँच अधिकारियों के पास लम्बित थे, 246 मामले विचारण न्यायालयों में लम्बित थे, जबकि 165 मामलों में सजा दी गई है।

विवरण--1

वर्ष 1985 के दौरान अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों पर हुए अत्याचारों के उन मामलों की संख्या जिनकी सूचना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दी गई

क्रम सं०	राज्य	हत्या	गंभीर चोट	बलात्कार	आगजनी	अन्य अपराध	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	12	04	23	05	122	166
2.	असम*	—	—	—	—	—	—
3.	बिहार	54	110	63	142	1083	1452
4.	गुजरात	22	64	08	51	605	750
5.	हरियाणा	11	—	26	03	81	121
6.	हिमाचल प्रदेश	01	09	03	03	33	49
7.	कर्नाटक	20	07	11	49	207	294

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	केरल	06	04	19	10	261	300
9.	मध्य प्रदेश	75	347	194	196	4321	5133
10.	महाराष्ट्र	13	35	28	20	332	428
11.	उड़ीसा	01	19	12	10	117	159
12.	पंजाब	08	03	11	01	09	32
13.	राजस्थान	29	167	101	66	1074	1437
14.	तमिलनाडू@	20	10	17	13	723	783
15.	उत्तर प्रदेश	223	582	177	408	2745	4135
16.	पश्चिम बंगाल	03	—	01	03	04	11
	संघ राज्य क्षेत्र						
1.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	01	01
2.	दिल्ली	—	—	- -	—	01	01
	कुल	498	1361	694	980	11719	15252

टिप्पणी :—अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में सूचना "शून्य" है।

* केवल मई 1985 तक की सूचना है।

@ अगस्त, 1985 के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

विवरण—2

वर्ष 1985 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर हुए अत्याचारों के उन मामलों की संख्या का विवरण जिनकी सूचना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने भेजी है।

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	राज्य हत्या	गंभीर चोट	बलात्कार	आगजनी	अन्य अपराध	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	02	शून्य	09	शून्य	11	22
2.	असम	शून्य	04	01	शून्य	18	23
3.	बिहार	12	15	26	12	156	221
4.	गुजरात	10	24	08	01	82	125
5.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	01	01
6.	केरल*	02	01	03	01	52	59
7.	मध्य प्रदेश	95	204	138	168	2350	2955
8.	महाराष्ट्र	09	11	25	05	119	169
9.	मणिपुर	01	शून्य	शून्य	शून्य	01	02
10.	उड़ीसा	02	05	07	शून्य	32	46
11.	राजस्थान	13	58	19	11	278	379
12.	तमिलनाडू	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	01	01
13.	उत्तर प्रदेश**	—	—	—	—	—	03
14.	पश्चिम बंगाल	02	—	05	—	09	16
	संघ राज्य क्षेत्र						
1.	अरुणाचल प्रदेश***	शून्य	01	शून्य	शून्य	10	11
	कुल	148	323	241	198	3120	4033

टिप्पणी : अन्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में सूचना शून्य है।

*केरल के बारे में सूचना केवल सितम्बर, 1985 तक की है।

**उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रिपोर्ट किये गये 3 मामलों का अपराध-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

***अगस्त, 1985 और दिसम्बर, 1985 के अलावा।

पेंशन-भोगियों को दो माह का वेतन वापिस लौटाना

6747. डा० बी० एल० शैलेश : क्या प्रधान मंत्री 11 मार्च, 1986 को कार्मिक तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा पेंशनभोगियों को रियायत देने के बारे में सभा पटल पर रखे गए विवरण के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1938 से पूर्व के सरकारी कर्मचारी जो वर्ष 1973-74 के दौरान सेवा निवृत्त हो गये थे और जिनके उपादान में से दो माह का वेतन पारिवारिक पेंशन के लिये काट लिया गया था, उन्हें ये राशि वापिस कर दी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई प्रशासनिक आदेश जारी किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग). 1938 से पहले के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को रियायतें मंजूर किए जाने के संबंध में 11-3-1986 को सभा पटल पर रखे गए विवरण का, कुटुम्ब पेंशन के लिए विकल्प देने पर 2 महीने के वेतन की कटौती किए जाने के साथ कोई संबंध नहीं है।

आरंभ में कुटुम्ब पेंशन योजना, 1964 एक अंशदायी योजना थी और इस योजना की प्रसुविधाओं के हकदार कर्मचारियों के लिए मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान में से 2 महीने की परिलब्धियों का अंशदान देना जरूरी था। तथापि, 22-9-77 से यह शर्त समाप्त कर दी गई थी।

उच्चतम न्यायालय ने कुटुम्ब पेंशन योजना, 1964 की प्रसुविधाएं ऐसी विधवाओं को प्रदान किए जाने के प्रश्न पर विचार किया था जो कि पहले इस प्रसुविधा की हकदार नहीं थीं। उच्चतम न्यायालय में सरकार द्वारा दिए गए एक बयान के आधार पर न्यायालय ने कुटुम्ब पेंशन योजना, 1964 की प्रसुविधाएं ऐसे सरकारी सेवकों के परिवारों के मामले में भी लागू कर दी थीं जो कि पेंशनदायी प्रतिष्ठानों में नियुक्त थे/हैं और जो कि आजकल 30-4-1985 को दिए गए निर्णय के अनुसार 22-9-77 से इस योजना के अधीन नहीं आते हैं। तदनुसार जिन विधवाओं को कुटुम्ब पेंशन की प्रसुविधा अब मंजूर की गई है, उनके लिए 2 महीने की परिलब्धियों का अंशदान देना जरूरी नहीं है। परिणामतः सरकार पेंशनभोगियों द्वारा पहले ही अदा किए गए अंशदान के लौटाए जाने से संबंधित किसी भी मांग पर विचार नहीं करेगी।

भाड़ा समकरण नीति

6748. डा० सुधीर राय : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय परिवहन नीति संबंधी समिति द्वारा 1980 में प्रस्तुत रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के अनुसार भाड़ा समकरण नीति को समाप्त करने के लिए एक नया विधेयक प्रस्तुत करेगी;

(ख) क्या भाड़ा समकरण नीति से पूर्वी भारत के राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) क्या भाड़ा समकरण नीति को समाप्त करने संबंधी तरीकों और चरणबद्धता तैयार की जा रही है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). किसी विशेष क्षेत्र के विकास में भाड़ा समीकरण की नीति को ही कारक मानना कठिन है । सरकार ने राष्ट्रीय परिवहन नीति से संबंधित समिति (पांडे समिति) की सिफारिशों को लोहा तथा इस्पात और सीमेंट जैसी वस्तुओं पर भाड़ा समीकरण संबंधी वर्तमान स्कीम को, दूरवर्ती, अगम्य तथा अलग-अलग क्षेत्रों के लिए परिवहन राजसहायता देकर, धीरे-धीरे समाप्त करना सिद्धान्त रूप में पहले ही स्वीकार कर लिया है । भाड़ा समीकरण को उपयुक्त समयावधि में समाप्त करना होगा ताकि संबंधित उद्योगों को कीमतों में समायोजन के लिए पर्याप्त समय प्राप्त हो सके । भाड़ा समीकरण स्कीम को धीरे-धीरे समाप्त करने के समय और औपचारिकता को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

सिक्किम में भर्ती केन्द्र

6749. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में तीन सशस्त्र बलों के लिए कोई भरती केन्द्र है;

(ख) यदि हां, तो यह कहां पर स्थित है तथा युवकों की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सिक्किम के युवकों को रक्षा बलों में भरती के लिए आकर्षित करने हेतु एक भरती केन्द्र खोलने का है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं । सिक्किम क्षेत्र के लिए शाखा भर्ती कार्यालय सिलीगुड़ी सुरक्षा भर्ती डिपू, दार्जिलिंग एवं एयरमैन सलेक्शन सेंटर बैरकपुर के माध्यम से भर्ती की पर्याप्त व्यवस्था है ।

हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में स्वतंत्रता सैनानी पेंशन

6750. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने स्वतन्त्रता सेनानियों को चालू वित्तीय वर्ष 1985-86 के उत्तरार्ध में राज्यवार पेंशन मंजूर की गई है;

(ख) हिमाचल प्रदेश के ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के जिला वार नाम क्या हैं जिन्हें पेंशन मंजूर की गई है; और

(ग) हिमाचल प्रदेश के ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के जिला-वार नाम क्या है जिनके मामले मंजूरी के लिए अभी तक अनिर्णीत पड़े हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना विवरण—1 और विवरण—2 में दी गई है।

(ग) 31-3 1986 को हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन मंजूरी के 121 मामले, जिसमें भूतपूर्व आई एन ए के मामले भी शामिल हैं, अन्तिम रूप से निपटाए जाने के लिए लम्बित थे।

विवरण—1

उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें चालू वित्तीय वर्ष 1985-86 (राज्यवार) के उत्तरार्ध में पेंशन मंजूर की गई

प्रशासनों के नाम

क्रम सं०	राज्यों संघ/शासित क्षेत्र	स्वीकृत मामलों की संख्या	
1.	आन्ध्र प्रदेश	840	
2.	असम	4	
3.	बिहार	125	
4.	गुजरात	26	
5.	हरियाणा	4	
6.	हिमाचल प्रदेश	3	(1 सामान्य स्वतंत्रता सेनानी और 2 आई एन ए के कर्मचारी)
7.	जम्मू और कश्मीर	51	
8.	कर्नाटक	237	
9.	केरल	70	
10.	मध्य प्रदेश	14	
11.	महाराष्ट्र	799	
12.	मणिपुर	3	
13.	मेघालय	—	

1	2	3
14.	नागालैंड	—
15.	उड़ीसा	11
16.	पंजाब	150
17.	राजस्थान	2
18.	तमिलनाड़ु	7
19.	त्रिपुरा	3
20.	उत्तर प्रदेश	44
21.	पश्चिम बंगाल	162
22.	आई एन ए कर्मचारी	150 (हिमाचल प्रदेश के अलावा)

संघ शासित क्षेत्र प्रशासन

1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	चण्डीगढ़	—
4.	दिल्ली	7
5.	गोआ	1
6.	मिजोरम	—
7.	पांडिचेरी	—

विवरण—2

हिमाचल प्रदेश के उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम जिन्हें चालू वित्तीय वर्ष 1985-86 के उत्तरार्ध में जिलावार पेंशन मंजूर की गई

1.	श्री शिवदयाल	बिलासपुर
2.	श्री स्वर्णसिंह	कांगड़ा
3.	श्री रायसिंह	कांगड़ा

मूल्य वृद्धि के कारण गरीबी रेखा के मानदण्ड में परिवर्तन

6751. **श्री अनिल बसु** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों सहित सभी वस्तुओं के मूल्यों में वर्तमान वृद्धि को देखते हुए गरीबी की रेखा क्या होगी;

(ख) क्या गरीबी रेखा के मानदण्ड में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उन व्यक्तियों की संख्या कम हो जाएगी, जिन्हें छठी योजना अवधि के दौरान निर्धनता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का दावा किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रयुक्त गरीबी की रेखा का, 1984-85 की कीमतों पर, ग्रामीण क्षेत्रों में 107 रु० प्रति व्यक्ति मासिक व्यय का स्तर और शहरी क्षेत्रों में 122 रु० प्रति व्यक्ति मासिक व्यय का स्तर है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी की आवश्यकता और शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 2100 कैलोरी की आवश्यकता का समानरूपी है। इस गरीबी की रेखा को परवर्ती वर्षों के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के निजी उपभोग संकेतक (समग्र उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के प्रतिरूपी के तौर पर) का उपयोग करते हुए अद्यतन बनाया जाएगा।

(ख) से (घ). गरीबी के अनुमान पारिवारिक उपभोक्ता व्यय से संबंधित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित हैं। 1983-84 के लिए अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 38वें दौर पर आधारित हैं। अगला सर्वेक्षण 1988 या 1989 में ही किया जाएगा, और इसलिए, गरीबी की रेखा को अद्यतम बनाने के कारण, गरीबी की रेखा को पार करने वाले लोगों की संख्या में आए निवल परिवर्तन के बारे में जानना सम्भव नहीं है।

शांति को बढ़ावा देने के लिए बैठकें/सेमिनार

6752. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शांति वर्ष में शांति को बढ़ावा देने के लिये भारत द्वारा कोई बैठकें/सेमिनार आयोजित किये गये हैं अथवा भारत ने किसी ऐसी बैठक/सेमिनार में भाग लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तिथियां तथा ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). अन्तर राष्ट्रीय शांति वर्ष मनाने के लिए विदेश राज्य मंत्री अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय तमारी समिति की

स्थापना की गई है। इस समिति की बैठक शीघ्र ही होगी और राष्ट्रीय स्तर पर अन्तरराष्ट्रीय शांति वर्ष मनाने के लिए एक विस्तृत क्रियाकलाप कार्यक्रम तैयार करेगी।

संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष अब तक इस विषय पर किसी बैठक/गोष्ठी का आयोजन नहीं किया है। तथापि यह वर्ष मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यूयार्क स्थिति अपने मुख्यालय में 16 सितम्बर, 1986 को एक बैठक आयोजित करने का विचार है। भारत भी इस बैठक में भाग लेगा।

विकलांगों के कल्याण के लिए तकनीकी केन्द्र की स्थापना

6753. **श्री कृष्णसिंह :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विदेशी प्रौद्योगिकी सहायता से विकलांगों के लिये सहायक-उपकरणों के विकास हेतु एक तकनीकी केन्द्र स्थापित करने का विचार है, और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं ! फिर भी कल्याण मंत्रालय भारत में विकलांगों के लिए, सहायक यंत्रों और उपकरणों के सुधार मूल्यांकन और मानकीकरण के लिए केन्द्र स्थापित करने का विचार कर रहा है। केन्द्र उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाने और आदान प्रदान करने के लिए भारतीय विनिर्माताओं और विदेशी एजेंसियों के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ाने में सहायता करेगा।

(ख) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

तिहाड़ जेल से भागने की घटनायें

6754. **श्री साइमन तिग्गा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में अत्यन्त कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वाली तिहाड़ सेंट्रल जेल, दिल्ली से भागने की लगभग आधा दर्जन घटनायें हुई हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में जेल से भागने की घटनाओं का वर्ष वार ब्यौरा क्या है;

(ग) संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। की जा रही है; और

(घ) जेल से भागने की घटनाओं को रोकने के लिये क्या सुरक्षा उपाय करने पर विचार किया जा रहा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जेल से भागने की घटनाओं का वर्ष वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

1983	4
1984	2
1985	2
1986	1

(ग) जेल से भागने की घटनाओं के परिणामस्वरूप 29 अधिकारियों को निलम्बित किया गया और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गयी। तीन अवसरों पर मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करवाने के आदेश दिए गए। 1986 की जेल से भाग निकलने की घटना के बाद, 6 जेल अधिकारियों के विरुद्ध एक फौजदारी मुकदमा दर्ज किया गया है।

(घ) सरकार ने तिहाड़ जेल में और अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(i) पूर्णकालिक महानिरीक्षक (कारागार), वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया गया है जिसका कार्यालय तिहाड़ जेल के परिसर में ही होगा ताकि अधिक प्रभावशाली निरीक्षण किया जा सके।

(ii) सभी स्तरों पर अधिकतर सतत सतर्कता प्रदान करने की दृष्टि से 234 अतिरिक्त कर्मचारियों के स्टाफ की स्वीकृति दी गई है।

(iii) पर्यवेक्षी स्टाफ में अधिक गतिशीलता लाने की दृष्टि से 6 और वाहन मंजूर किए गए हैं। ताकि वे आकस्मिक स्थितियों पर ध्यान दे सकें और कैदियों को न्यायालयों तथा अस्पतालों में अधिक सुरक्षित ढंग से ला सके और ले जा सकें।

(iv) तिहाड़ जेल के भीतर और इसके चारों ओर तैनात विद्यमान सुरक्षा बलों को काफी बढ़ाया गया है।

(v) परिसर में आगन्तुकों तथा वाहनों के आने जाने को प्रतिबन्धित प्वाइंटों द्वारा नियमित किया जाता है। किसी वाहन को निश्चित सीमा से परे आने की अनुमति नहीं दी जाती है।

(vi) मुलाकात से पहले और बाद में आगन्तुकों तथा कैदियों पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त गार्ड तैनात किया जाता है।

नियुक्ति और स्थानान्तरण संबंधी नीति

6755. डा० ए० के० पटेल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में विभिन्न रक्षा आयुध कारखानों और प्रतिष्ठानों में सेवा

निवृत्ति की आयु के नजदीक अर्थात् पचास वर्ष और इससे ऊपर की आयु के कर्मचारियों के स्थानान्तरण और नियुक्तियों के बारे में नीति क्या है; और

(ख) क्या उन्हें उनके संबंधित राज्यों अथवा उनकी रुचि के स्थानों पर नियुक्त किए जाने के लिए कोई प्राथमिकता दी जाती है ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). जिन कर्मचारियों को स्थानान्तरित किया जा सकता है और जिनकी सेवानिवृत्ति नजदीक हो उन्हें जहां तक संभव हो, अपनी जगह से अन्य स्थान में स्थानान्तरित नहीं किया जाता। परन्तु कर्मचारियों द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति के एक या दो वर्षों के भीतर अपने घर के पास या अपनी रुचि के स्थान पर स्थानान्तरण के लिए किए गए अनुरोधों पर कार्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जब भी संभव होता है, विचार किया जाता है।

जल प्रदूषण नियंत्रण का अध्ययन

6756. श्री मानिक रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री राम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, दिल्ली ने कपड़ा उद्योग के अपशिष्ट का शोधन करने के लिए क्रियाशील चारकोल के प्रयोग से होने वाले जल प्रदूषण पर नियंत्रण करने के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और प्रयोग में लाये गये अपशिष्ट को पुनः प्रयोग में लाने सहित इन निष्कर्षों का व्यावहारिक उपयोग क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1976-79 के दौरान श्री राम औद्योगिक अनुसंधान ने जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु घुले हुए कार्बनिक प्रदूषकों को निकालने के लिए सक्रियत कार्बनों का इस्तेमाल करके विशेषतया: कपड़ा प्रक्रम गृहों में रंगने के पदार्थों के अपशिष्ट द्रव्यों पर एक अध्ययन किया।

इस पद्धति को विषालु तत्वों को जो कि रंगाई घर (डाई हाऊस) की अपशिष्ट नालियों में सामान्य रूप से पाये जाते हैं उनको शामिल करके रंगाई, कार्बनिक एसिडों, पृष्ठ सक्रियतों, साबुनों, अपमार्जकों तथा सम्बद्ध रसायनों में से प्रदूषकों को निकालने में प्रयोग किया जा सकता है। फिर भी, यदि अकार्बनिक लवणों की मात्रा अधिक हो तो सक्रियत कार्बनों के निष्पादन में कमी आ जाएगी।

इस प्रक्रिया को पतले बहि:स्रावों के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। आर्थिक कारणों से संकेन्द्रित बहि:स्रावों को नियंत्रित करने के लिए प्रथमोपचार की आवश्यकता है।

उप मुख्य संयंत्र पैमाने के परीक्षकों पर आधारित डाई हाऊस अपशिष्ट से पुन: प्राप्त पानी की लागत 40—50 पैसे प्रति हजार लीटर आती है।

पुन: प्राप्त पानी का दोबारा इस्तेमाल निम्नलिखित पर निर्भर करता है :—

—ताजे पानी की आपूर्ति लागत

—बहिस्राव विसर्जन की लागत

—दिये गये संयंत्र में जल गुणवत्ता की आवश्यकता

—दिये गये संयंत्र में वांछित उपचार की डिग्री

यह प्रक्रिया कार्बन की अवशोषी क्षमता, अपशिष्ट विशेषताओं, बहिस्रावों की ऐच्छिक गुणवत्ता पर पूर्णतया निर्भर है।

कार्य-निष्पादन कण आकार, तापमान, प्रकृति और प्रदूषकों के आणविक भार पर भी निर्भर करता है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हवाई पट्टी का निर्माण

6757. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा सड़क संगठन ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की एक हवाई पट्टी का निर्माण किया था;

(ख) यदि हां, तो 28 फरवरी, 1986 तक परियोजना पर कुल कितना व्यय हुआ, कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है और उक्त परियोजना पर कुल कितनी अनुमानित लागत जाएगी; और

(ग) क्या यह सच है कि उक्त कार्य रोक दिया गया है; यदि हां तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग). भारतीय वायुसेना के लिए ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में हवाई अड्डे के निर्माण का कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया था। इस कार्य को जारी रखने के प्रश्न की समीक्षा की जा रही है। इसलिए सीमा सड़क संगठन को इस हवाई अड्डे का कार्य फिलहाल स्थगित करने को कहा गया है।

फरवरी, 1986 तक इस परियोजना पर लगभग 248 लाख रुपये खर्च हुए।

सरकारी क्षेत्र की प्रमुख कम्पनियों का चयन

6758. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने एक कार्यक्रम तैयार करने का निर्णय लिया

है जिसके अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र की 20 प्रमुख कम्पनियों का चयन किये जाने की संभावना है, जिनके संबंध में इस शताब्दी के अन्त तक 2000 करोड़ रुपये के न्यूनतम वार्षिक कारोबार का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रंगीन टी० वी० सेटों की उपलब्धता

6759. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छः महीने पहले सरकारी तौर पर यह घोषणा की गई थी कि रंगीन टी० वी० सेट 5000/- रुपते प्रति टी० वी० सेट की दर से उपलब्ध कराये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि लाइसेंसशुदा टी० वी० निर्माताओं ने इस बात का उल्लेख किया है कि जब तक सरकार टी० वी० के पुर्जे के आयात में कुछ राहत नहीं देगी ऐसा कर पाना बहुत कठिन होगा; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) जी, नहीं । किन्तु, दिनांक 18 दिसम्बर, 1985 को लोक सभा में तारांकित प्रश्न सं० 436 के सिलसिले में पूछे गए अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए, राज्य मंत्री (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी), ने कहा था कि रंगीन दूरदर्शन सेटों की कीमत घटकर 5500 रु० हो गई थी और रंगीन दूरदर्शन सेटों को उस कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है । इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की एक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी, इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (ई टी एण्ड टी) ने अपने सामग्री, प्रौद्योगिकी तथा ब्राण्ड नाम (एम टी बी) कार्यक्रम के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को बढ़िया क्वालिटी तथा उचित कीमत पर रंगीन दूरदर्शन सेट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, 51 से० मी० के रंगीन दूरदर्शन सेटों को बाजार में प्रस्तुत किया है। इनका विपणन् परीक्षणात्मक आधार पर किया गया है । वर्ष 1986-87 के लिए दिनांक 28 फरवरी, 1986 को बजट प्रस्तावों की घोषणा होने तक, ई० टी० एण्ड टी० की प्रौद्योगिकी एवं ब्रांड नाम के अन्तर्गत रंगीन दूरदर्शन सेटों की कीमत 5150 रुपये थी और स्थानीय कर अतिरिक्त थे । वर्ष 1986-87 के लिए बजट-प्रस्तावों की घोषणा होने के उपरान्त, उक्त रंगीन दूरदर्शन सेटों की कीमत अब लगभग 5750 रुपये होगी और स्थानीय कर अलग से लगेंगे ।

(ख) और (ग). सरकार ने पिछले 2-3 वर्षों के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों, जिनमें

दूरदर्शन सेट भी शामिल है, की कीमतों में कमी लाने की दृष्टि से अनेक कदम उठाएं हैं। इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :

(i) संघटक-पुर्जों तथा पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा-शुल्क में कमी करना। इस प्रकार, दिनांक 18 अगस्त, 1983 को "इलेक्ट्रोनिकी के विकास की गति में और तेजी लाने के लिए किए गए उपायों" पर संसद में दिए गए वक्तव्य के परिणामस्वरूप, अनेकों इलेक्ट्रोनिकी संघटक-पुर्जों पर सीमा-शुल्क की दर 158% से घटाकर 75% कर दी गई; तथा परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए अनेक पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा-शुल्क 35% से घटाकर 25% कर दिया गया।

(ii) व्यवहार्य उत्पादन-क्षमताओं के लिए उदारता पूर्वक औद्योगिक अनुमोदन जारी करना, ताकि कम लागत पर अधिक उत्पादन किया जा सके तथा उत्पादन में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जा सके।

(iii) एक ही लाइसेंस के अन्तर्गत कई वस्तुओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस/अनुमोदन जारी करना।

(iv) संघटक-पुर्जा उद्योग को लाइसेंस से मुक्त करना तथा संघटक-पुर्जों का विनिर्माण करने के लिए, एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति अधिनियम की धारा 22 क के अन्तर्गत छूट देना।

एक बार ऐसे संवर्धनात्मक उपाय कर दिए जाने पर, कीमतें घटाने की दिशा में बाजार द्वारा पड़ने वाले प्रभाव ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए भारत-अमरीका सहयोग परियोजना

6760. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के शिक्षा विभाग की एक एजेन्सी, राष्ट्रीय विकलांग अनुसंधान संस्थान और भारत सरकार, भारत में पुनर्वास सेवा व्यवस्था का कोई व्यापक माडल विकसित करने के उद्देश्य से एक मिलियन डालर (12 मिलियन रुपये) की धनराशि की संयुक्त सरकारी परियोजना के संबंध में सहयोग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सहयोग के मुख्य उद्देश्यों और परियोजना का ब्योरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). राष्ट्रीय विकलांग अनुसंधान संस्थान, अमरीका के शिक्षा विभाग और कल्याण मंत्रालय में यह सहमति हुई है कि राष्ट्रीय विकलांग अनुसंधान संस्थान भारत में दो माडल जिला पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना करने और 6 जिला पुनर्वास केन्द्रों की सहायता के लिए 1 जनवरी 1985 से 5 वर्षों की अवधि के लिए 180 लाख रुपये तक की धनराशि प्रदान करेगा। जिला पुनर्वास केन्द्र योजना का उद्देश्य देश में विकलांग व्यक्तियों को व्यापक और समन्वय सेवाएं प्रदान करना है। यह योजना इस

प्रकार बनाई गई है जिससे कि न्यूनतम खर्च और जहां तक सम्भव हो कुछ एक विशेषज्ञों द्वारा जिले में मौजूदा संसाधनों का उपयोग करते हुए ग्रामीण लोगों को सेवाएं प्रदान की जा सके।

तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा संयंत्र

6761. **श्री एन० डेनिस :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) दक्षिण विद्युत क्षेत्र के बारे में, जिसमें शामिल राज्यों में से तमिलनाडु भी एक है, भविष्य में लगाए जाने वाले बिजली घरों के लिए स्थल चुनने के संबंध में दी गई स्थल-चयन समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

समेकित ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम (आई० आर० ई० पी० पी०)

सम्बन्धी संचालन समिति

6762. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने समेकित ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम (आई० आर० ई० पी० पी०) पर कारगर समन्वय और निगरानी रखने हेतु ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण आयोजना के क्षेत्रों में प्रसिद्ध विशेषज्ञों की इस कार्यक्रम संबंधी एक संचालन समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख). योजना आयोग ने सिद्धान्त रूप में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम से संबंधित संचालन समिति स्थापित करने का निर्णय किया है, परन्तु समिति अभी गठित नहीं हुई है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के कार्य

6763. श्री मुरलीधर माने : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस ब्यूरो के कार्य क्या हैं ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के कार्य निम्नलिखित है :—

(i) अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचना पर शोधन गृह के रूप में कार्य करना ।

(ii) अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियों से संबंधित सूचना रखना, समन्वित करना तथा भेजना ।

(iii) राष्ट्रीय स्तर पर अपराध आँकड़ों को एकत्र तथा संसाधित करना ।

(iv) आँकड़े प्राप्त करके उन्हें दण्डात्मक तथा सुधारात्मक अभिकरणों को, अपराधियों के पुनर्वास, उनके रिमांड पैरोल तथा समय पूर्व रिहाई आदि की कार्रवाई के लिए उनसे आँकड़े प्राप्त करना तथा भेजना ।

(v) राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो के कार्यों में समन्वय, मार्ग दर्शन तथा सहायता करना ।

(vi) अपराध रिकार्ड ब्यूरो के कार्मिकों को प्रशिक्षण सुविधाएं देना ।

(vii) अपराध रिकार्ड ब्यूरो का मूल्यांकन, विकास तथा आधुनिकीकरण करना ।

वर्ष 1986-87 के लिए हरियाणा के लिए वार्षिक योजना

6764. श्री चिरंजीलाल शर्मा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के लिए हरियाणा के लिए वार्षिक योजना पर व्यय का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कितनी राशि आबंटित की गई है तत्संबंधी शीर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

वार्षिक योजना—1986—87—हरियाणा—अनुमोदित परिव्यय

विकास के मुख्य शीर्ष	(करोड़ रु०) 1986—87 अनुमोदित परिव्यय
1. कृषि और सम्बद्ध सेवाएं	44·72
2. ग्रामीण विकास	10.86
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम—मेवात विकास	2·50
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	169·37
5. ऊर्जा	163·14
6. उद्योग और खनिज	8.63
7. परिवहन	26·89
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1·55
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं	7·26
10. सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	86.08
11. सामान्य सेवाएं	4·00
कुल जोड़	525.00

सिलिकान एकक

6765. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ स्वदेशी सिलिकान एकक स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में अब तक कितने स्वदेशी सिलिकान एकक स्थापित किए गए हैं;

(ग) देश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने स्वदेशी सिलिकान एकक स्थापित करने का विचार है;

(घ) ऐसे एककों के लिए किन-किन स्थलों को चुना गया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में एक नया स्वदेशी सिलकान एकक स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो इसके लिए किस स्थान का चयन किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित कम्पनियों ने सिंगल (एकल) क्रिस्टलीय सिलिकान की छड़ें (इनगोट्स) तथा वेफरों का विनिर्माण करने के लिए इकाईयों की स्थापना की है :

(i) सुपर सेमीकण्डक्टर्स (पश्चिमी बंगाल)

(ii) सिल्ट्रॉनिक्स (तमिल नाडू)

(iii) मेटकन सिलिकंन लिमिटेड (तमिलनाडू)

(iv) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (कर्नाटक)

(v) सेंट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (उ० प्र०)

(vi) भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (कर्नाटक)

इसके अतिरिक्त, मेटकम सिलिकेन लिमिटेड ने पौलिसिलिकैन का उत्पादन करने के लिए एक संयंत्र स्थापित किया है। पहली तीन कम्पनियां निजी क्षेत्र में तथा अन्तिम तीन कम्पनियां सार्वजनिक क्षेत्र में हैं।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में जिन सिलिकैन इकाईयों को स्थापित करने का प्रस्ताव है, वे इस प्रकार हैं :—

(i) राष्ट्रीय सिलिकेन सुविधा* (एन एस एफ)

(ii) सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड की क्षमता में वृद्धि करना।

*रास्ट्रीय सिलिकेन सुविधा के सम्बंध में पूंजी-निवेश विषयक निर्णय शीघ्र ही लिया जाएगा।

(घ) राष्ट्रीय सिलिकन सुविधा (एन एस एफ) के लिए इससे पूर्व जिस स्थल का चयन किया गया था वह गुजरात राज्य स्थित बड़ोदरा था।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

ए एन 32 परिवहन विमान की दुर्घटना में मारे गए सैनिकों को मुआवजा

6766. श्री सी० सम्बु : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मार्च, 1986 में भारतीय वायुसेना के मिडियम रेंज स्ट्रैटेजिक टैक्टिकल परिवहन विमान की दो दुर्घटनाओं को देखते हुए इसका व्यापक पुनर्मूल्यांकन करने का है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त दुर्घटना में मारे गए सैनिकों को कोई मुआवजा देने की घोषणा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) ए० एन-32 विमान में डिजाइन की किसी कमी का पता लगाने के लिए व्यापक विश्लेषण किया गया है। इस विमान के डिजायन या मुख्य पुर्जों एवं प्रणालियों में कोई कमी नहीं पाई गई है। बल्कि किसी प्रणाली या उप-प्रणाली के काम न करने की स्थिति में उसमें, उसके स्थान पर पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद है।

(ख) और (ग). इस संबंध में गठित जांच अदालत यदि यह घोषित करती है या इस निर्णय पर पहुंचती है कि इन कार्मिकों की मृत्यु हो चुकी मानली जाए तो उसके पश्चात् उनके निकटतम संबंधियों को नियम के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। अदालत की रिपोर्ट मिलने तक गैर-सार्वजनिक निधियों से छः महीने की अवधि के लिए प्रत्येक अफसर के परिवार को प्रति माह 2300 रु० और प्रत्येक एयरमैन के परिवार को प्रतिमाह 1150 रु० की अग्रिम अदायगी की जाएगी। इसके अतिरिक्त इस अवधि के लिए और उसके पश्चात् ये परिवार नियमों के अन्तर्गत परिवार पेंशन पाने के हकदार हैं।

वन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करने में कठिनाइयां

6767. श्री आर० अन्बरासु : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि राज्य सरकारों को जनता के लाभार्थ सड़कें बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वन भूमि का गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने हेतु केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख).

वन भूमि की सीमा के खतरनाक ह्रास के परिप्रेक्ष्य में गैर-वानिकी प्रयोजन हेतु वन भूमि के दिक्परिवर्तन में सावधानी बरती जानी है। यदि सड़कों के निर्माण के लिए वन भूमि का प्रयोग अपरिहार्य हो तो, उचित जांच-पड़ताल के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति दी जाती है।

उद्योगों द्वारा स्वीकार न की गई विकसित प्रक्रियायें

6768. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "आयातित प्रौद्योगिकी" की सनक के कारण उद्योगों द्वारा पूरी तरह से विकसित और व्यावहारिक प्रयोग के लिए तैयार कई प्रक्रियाओं को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी है, जिन्होंने ऐसी प्रक्रियाओं को स्वीकार नहीं किया है;

(ग) क्या ऐसी प्रमाणिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध होने के बावजूद संबंधित मंत्रालयों द्वारा इसी प्रकार की प्रौद्योगिकी के लिए लाइसेंस/अनुमति दी गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) हालांकि कुछेक मामलों में आयातित प्रौद्योगिकी को तरजीह दी जा सकती है, परन्तु ऐसे क्षेत्रों में आमतौर पर प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति नहीं दी जाती, जहां वाणिज्यिक रूप से प्रमाणित देशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध होती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। देशी रूप से विकसित कुछ प्राद्योगिकियों को, जब उनकी वाणिज्यिक अर्थक्षमता प्रायोगिक योजना और/अथवा अर्धवाणिज्यिक संयंत्र परीक्षण के जरिये स्थापित न हुई हो, जल्दी से स्वीकार नहीं किया जाता। उपलब्ध स्थापित प्रौद्योगिकियों जैसी प्रौद्योगिकियों के आयात की अनुमति नहीं दी जाती है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आयोग

6769. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व की नदियों के बढ़ते हुए प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य देशों की संख्या क्या है;

(ग) क्या भारत इसका सदस्य है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सरकार को ऐसे किसी आयोग की जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान द्वारा वैज्ञानिकों की भर्ती

6770. श्री अमल दत्त : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान में भर्ती करने संबंधी प्रणाली क्या है;

(ख) क्या अधिकांश वैज्ञानिकों की कनिष्ठ (बी एण्ड सी) स्तरों पर तदर्थ आधार पर की जाती है और बाद में विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से स्थायी कर दिया जाता है; और

(ग) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान को अब संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से वैज्ञानिकों की भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में समूह "ग" और समूह "घ" के सभी पदों पर भर्ती इसकी प्रयोगशालाओं और स्थापनाओं द्वारा रोजगार केन्द्र के माध्यम से स्वयं की जाती है और वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों को छोड़कर समूह "क" और समूह "ख" के सभी पदों पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। इस संगठन के वैज्ञानिक तथा तकनीकी समूह "क" और "ख" पदों में सीधी भर्ती संगठन द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर दिए गए खुले विज्ञापन के द्वारा की जाती है। इन पदों पर चुनाव विधिवत गठित बोर्ड द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के क्रम से किया जाता है। इस बोर्ड का अध्यक्ष बाहर का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है और इसके सदस्य दो बाहर के विशेषज्ञ और दो विभागीय अधिकारी हैं।

(ख) तदर्थ आधार पर भर्ती केवल कुछ चुनी हुई इकाईयों में बहुत सीमित आधार पर की जाती है जहां इन्हें भरने की तुरन्त जरूरत होती है। तदर्थ आधार पर नियुक्त वैज्ञानिकों को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा स्थायी आधार पर नियुक्त नहीं किया जाता। उन्हें खुले विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन करना होता है और बाहर के उम्मीदवारों के साथ प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना होता है। उन्हें नियमित रूप से तभी नियुक्त किया जाता है जब वे इस आधार पर चुने जाते हैं।

(ग) जी हां। 1 जून 1985 से रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को अपने वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों की भर्ती एवं पदोन्नति करने से संबंधित मामलों में संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से छूट मिली हुई है। यह इसलिए किया गया है कि ताकि रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष विभाग जैसे उन बड़े वैज्ञानिक विभागों के समकक्ष लाया जा सके जो संबंधित एजेंसियों के लिए वैज्ञानिकों की सीधी भर्ती को उचित समझते हैं।

नदियों की सफाई के लिए राज्यों को सहायता

6771. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी की सफाई के साथ-साथ अन्य राज्यों में नदियों को साफ करने के लिए कोई दीर्घकालीन योजना बनाई गई है ताकि उनके पानी का प्रदूषण समाप्त किया जा सके; और

(ख) क्या सरकार का इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों की विशेष सहायता प्रदान करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) यद्यपि गंगा नदी के अतिरिक्त किसी अन्य नदी के प्रदूषण को कम करने की योजना आरम्भ नहीं की गई है, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र तथा ब्रह्मणी नदियों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक अध्ययन चल रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"इलेक्ट्रोफार्मिंग" की तकनीक

6772. **श्री० पी० आर कुमारमंगलम :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इलैक्ट्रोफार्मिंग" की नई तकनीक से हमारी अनेकों वर्तमान उत्पादन तकनीकों का कायाकल्प, उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन और उनका सरलीकरण हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका प्रयोग विशेषकर करेंसी नोट छापने, सौर ऊर्जा संग्रहकों, घर्षण लघुकरण, तथा विमानों के संवेदनशील भागों आदि की कटाव से रक्षा के लिए, कहां तक लाभदायक हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). मास्टर फार्म पर वैद्युतनिक्षेपण (इलेक्ट्रोडियोजीशन) द्वारा धात्विक आकारों के उत्पादन का प्रक्रम विद्युतनिर्माण (इलैक्ट्रोफार्मिंग) है। पेचीदा आकृतियों के उत्पादन, में इस प्रक्रम से घनिष्ठ परिणाम तथा परिवर्ती पृष्ठ टेक्सचरों की अधिक विश्वसनीयता और सूक्ष्म विस्तृत विवरण सहायता

मिलती है। इस प्रकार इलैक्ट्रोफार्मिंग कुछ विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए उच्चमान निम्न आयतन में उत्पादन के लिए परंपरागत धातुनिर्माण तकनीकों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने की क्षमता रखता है।

(ग) करेंसी नोट उत्पादन में विद्युतनिर्मित प्रिंटिंग प्लेटों का रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। सौर संग्राहकों के अनुप्रयोगों के लिए विद्युतनिर्मित सौर पणिकाओं का उपयोग भारत में किया जा रहा है। प्रिंडटे सर्किट बोर्ड, सौर ऊर्जा और अन्य अनुप्रयोगों के लिए आपेक्षित तांबे और निकल् की पणिकाओं का विद्युतनिर्माण संबंधी अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) कार्य केन्द्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान (सीईसीआरआई) कारैकुडी में प्रारम्भ किया गया है। सूक्ष्म तरंग घटकों, मिजाइल घटकों, आदि में तांबा, निकल् और चांदी के विद्युतनिर्माण (इलेक्ट्रोफॉर्मिंग) के लिए राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला (एनएएल) बंगलूर के पास विशेषज्ञता है।

अमरीका में रुपये को मुक्त विनिमय मुद्रा बनाने का प्रस्ताव

6773. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में रह रहे भारतीयों का एक दल प्रधान मंत्री से मिला है और उसने से अब दस वर्ष के भीतर रुपये को मुक्त विनिमय मुद्रा बनाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन्) : (क) सरकार को यह जानकारी नहीं है कि अमरीका में भारतीय समुदाय के किसी वर्ग ने इस प्रकार का कोई सुझाव दिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में डाकुओं से प्रभावित क्षेत्रों के लिए योजना

6774. **श्री बलराम सिंह यादव :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार व मैनपुरी सहित डाकुओं से प्रभाविक जिलों के चहुंमुखी विकास के लिए कोई विशिष्ट योजना भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उच्च प्रौद्योगिकी की सप्लाई के संबंध में बातचीत

[अनुवाद]

6775. श्री एन० वेंकटरत्नम : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्च प्रौद्योगिकी की सप्लाई के संबंध में अमरीका और जापान के साथ बातचीत कर रही है और प्रत्येक देश से क्या उत्तर मिला है;

(ख) क्या यह सच है कि अमरीका ने प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं और शाखा से गारन्टी मांगी है;

(ग) यदि हां, तो वे शर्तें/गारन्टियां क्या हैं और क्या भारत सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है ;

(घ) क्या भारत सरकार ने रक्षा उपकरणों अथवा उच्च प्रौद्योगिकी के लिए इससे बातचीत की है; और

(ङ) यदि हां, तो उनसे क्या उत्तर मिला है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन्) : (क) अमरीका की सरकार के साथ बातचीत होने के बाद नवम्बर, 1984 में प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण पर एक समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर हुए थे। इसके बाद से अमरीका से उन्नत कम्प्यूटर प्रणालियों जैसी उच्च प्रौद्योगिकी की प्राप्ति में वृद्धि हुई है। जापान के साथ इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि, 29 नवम्बर, 1985 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच करार पर हस्ताक्षर हुए थे लेकिन इस करार के अन्तर्गत सहयोग के विशेष क्षेत्र अभी तय किए जाने हैं।

(ख) और (ग). समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत उच्चतर प्रौद्योगिकी की बिक्री कुछ शर्तों पर की जाती है जिसका संबंध मुख्य रूप से इस प्रौद्योगिक के वास्तविक उपयोग इसके अहस्तान्तरणीय से होता है।

(घ) और (ङ). भारत सरकार और सोवियत संघ के बीच सुरक्षा उपकरणों और लौह और अलौह धातु,-विज्ञान, विज्ञान निर्माण, बिजली, कोयला, इलैक्ट्रॉनिक्स सिंचाई आदि जैसे क्षेत्रों में उच्चतर प्रौद्योगिकी की आपूर्ति के लिए पहले से ही सहयोग चल रहा है। सोवियत संघ की प्रतिक्रिया काफी संतोष जनक रही है।

केन्द्र में सचिवों और अपर सचिवों का राज्य-वार ब्यौरा

6776. श्री शरद दिघे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र के सचिव और अपर सचिव के उच्च स्तरीय पदों का कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का राज्य संवर्ग-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन पदों को भरने के लिए सुस्पष्ट कार्मिक नीति निर्धारित करने तथा केन्द्र में राज्य संवर्ग से आने वाले अधिकारियों के लिए कार्यावधि प्रणाली को कड़ाई से लागू करने तथा मूल्यांकन का एक समान स्तर बनाने तथा प्रत्येक राज्य संवर्ग के लिए अधिकतम और न्यूनतम कोटा निर्धारित करने का है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) विभिन्न राज्य संवर्गों से संबंधित भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे अधिकारियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है जो सचिव/अपर सचिव के स्तरों पर कार्य कर रहे हैं।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय के पद तथा कतिपय विशिष्ट फील्ड पद जो अवर सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर के होते हैं, वरिष्ठ स्टाफिंग योजना के अंतर्गत भरे जाते हैं, जिनके अधीन अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्रीय समूह "क" सेवाओं से संबंधित अधिकारी, योजना के अधीन निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर, नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। ऐसे पद सचिव के स्तर के पदों को छोड़कर, कार्यावधि के आधार पर भरे जाते हैं तथा ऐसी नियुक्तियों के मामले में कार्यावधि नीति का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। निरन्तर चलने वाले प्रशासनिक सुधारों के एक अंग के रूप में, केन्द्र तथा विभिन्न राज्य संवर्गों दोनों में ही मूल्यांकन का एक समान मानक अपनाने की सम्भावना का पता लगाया जा रहा है। चूंकि केन्द्रीय सचिवालय में अवर सचिव तथा उससे ऊपर के रैंक का कोई भी पद किसी सेवा अथवा किसी संवर्ग के लिए आरक्षित नहीं होता है, इसलिए प्रत्येक राज्य के लिए अधिकतम अथवा न्यूनतम कोटा निर्धारित किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1.4.1986 की स्थिति के अनुसार केन्द्र में सचिव/अपर सचिव के स्तर पर कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का संवर्ग-वार तथा स्तर-वार विवरण

क्रम संख्या	राज्य	केन्द्र में सचिव/समकक्ष पदों पर कार्यरत अधिकारियों की संख्या	केन्द्र में अपर सचिव/समकक्ष पदों पर कार्यरत अधिकारियों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	5
2.	असम-मेघालय	2	2
3.	बिहार	4	4
4.	गुजरात	1	—
5.	हरियाणा	—	2

1	2	3	4
6.	हिमाचल प्रदेश	1	1
7.	जम्मू व कश्मीर	—	—
8.	कर्नाटक	3	1
9.	केरल	1	2
10.	मध्य प्रदेश	4	10
11.	महाराष्ट्र	2	3
12.	मणिपुर-त्रिपुरा	—	2
13.	नागालैण्ड	—	—
14.	उड़ीसा	4	2
15.	पंजाब	1	2
16.	राजस्थान	2	7
17.	सिक्किम	—	—
18.	तमिलनाडु	3	2
19.	संघ शासित क्षेत्र	—	1
20.	उत्तर प्रदेश	12	4
21.	पश्चिमी बंगाल	5	5

कस्तूरी मृगों का मारा जाना रोकने के लिए कदम

6777. **श्री बृज मोहन महन्ती :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कस्तूरी मृगों, जिनसे कस्तूरी निकालने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 3000 मृगों की हत्या की जाती है, का मारा जाना रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या कस्तूरी निकालने की चीनी प्रणाली, जिसमें मृग को कोई नुकसान पहुँचाए बिना मृग की ग्रन्थि में एक खोखली नली डालकर कस्तूरी निकाली जाती है भारत में भी प्रयोग करने पर विचार किया जा रहा है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) कस्तूरी मृग वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची—1 में शामिल हैं जो शिकार एवं व्यापार व वाणिज्य के विरुद्ध पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। कस्तूरी मृग को मारने पर 6 माह की अवधि से कम न होने वाली जेल जिसको 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा पांच सौ रुपयों से कम न होने वाले जुर्माने की भी सजा दी जा सकती है। इस प्रजाति की तथा इसके प्राकृतिक-वास की सुरक्षा हेतु, हिमालय क्षेत्र में जो इसके वितरण की सीमा है, में कई राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। वर्तमान निर्यात नीति में कस्तूरी मृग एवं इसके इस उत्पादों का निर्यात निषेधित किया गया है। कस्तूरी मृग को वन्य वनस्पति-जात तथा प्राणीजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (सी० आई० टी० ई० एस०) जिसका कि भारत सदस्य है, के परिशिष्ट—1 में भी सूचीबद्ध किया गया गया है। इस अभिसमय के तहत, कस्तूरी मृग एवं इसके उत्पादों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कड़ाई से विनियमित किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

उगाडी के अवसर पर सरकारी अवकास की घोषणा

6778. **श्री बट्टम श्रीराम मूर्ति :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेलगू नव-वर्ष दिवस उगाडी को सरकारी अवकाश घोषित करने का है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में जनता, संसद सदस्यों अथवा सेवा-संगठनों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं। तथापि उगाडी को प्रतिबन्धित छुट्टियों की सूची में सम्मिलित किया गया है और सरकारी कर्मचारी इस छुट्टी का लाभ उठा सकते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) उगाडी को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने के अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं हो पाया है।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में वन

6780. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन हैं;

(ख) क्या मुख्य भूमि में, जहां 22 प्रतिशत क्षेत्र में वन है, वनों के संरक्षण के लिए जो

मापदंड हैं, संघ राज्य क्षेत्र अन्दमान निकोबार द्वीपसमूह के लिए भी वही मापदंड हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि दक्षिण अन्दमान में बहुत अधिक जनसंख्या की पेयजल की आवश्यकता पूरी करने वाली सोना नाला के लिए जल सम्भरण योजना को अब त्यागा जा रहा है क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने वहां वनों को काटने की अनुमति नहीं दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में वनसंग्रह के परिरक्षण के लिए उस द्वीपसमूह के निवासियों को वहां से हटाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) द्वीपसमूहों में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 86 प्रतिशत वन क्षेत्र है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारत सरकार को दक्षिण अन्दमान द्वीप में सोना नाला के लिए जल आपूर्ति स्कीम हेतु वन भूमि के दिक्परिवर्तन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

विदेशों में रहने वाले भारतीयों पर लागू वाले कानून

6781. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमरीका तथा फ्रांस में भारतीयों के मुकदमों का निपटारा हिन्दू ला अथवा मुस्लिम परसनल ला के उपलब्धों के अनुसार किया जाता है अथवा उपर्युक्त देशों में उन सभी के लिये एक समान कानून है; और

(ख) यूरोप में उन देशों के नाम क्या है, जहां भारतीयों के मुकदमों का निपटारा हिन्दू अथवा मुस्लिम ला के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है और उन पर एक समान कानून लागू नहीं होते ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन्) : (क) यू० के०, कनाडा, संयुक्त राज्य अमरीका और फ्रांस में रहने वाले भारतीयों के मामलों पर कार्यवाही सम्बन्धित देशों में लागू स्थानीय कानूनों की व्यवस्थाओं के अनुसार की जाती है तथा उन पर हिन्दू कानून अथवा मुस्लिम वैयक्तिक कानून लागू नहीं होता है।

(ख) 1—इटली—आम सिद्धांत यह है कि दोनों पक्ष किस देश के हैं उस पर उसी देश

के कानून लागू होंगे बशर्ते उस देश के कानून आम सिद्धांतों और इटली के कानूनी ढांचे सार्वजनिक रीति-रिवाजों के प्रतिकूल नहीं हैं।

2—बेल्जियम—बेल्जियम में विदेशी राष्ट्रिकों पर बेल्जियम अन्तर्राष्ट्रीय वैयक्तिक कानून के अनुसार कार्यवाही की जाती है। यह कानून भारतीयों पर हिन्दू और मुस्लिम कानूनों के उपबन्धों के तहत कार्यवाही की इजाजत देता है। तथापि इस प्रकार के वैयक्तिक कानूनों के लागू करने से अगर बेल्जियम की अन्तरराष्ट्रीय सावजनिक व्यवस्था का उलंघन होता हो, जिसमें बेल्जियन समाज द्वारा स्वीकृत सामाजिक मूल्य निहित है, तो इसकी इजाजत नहीं दी जाती है।

3—जर्मन संघीय गणराज्य—फौजदारी के मामलों में एक समान कानून लागू होता है तथापि, विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार आदि के मामलों में भारतीय कानून लागू होता है सिवाय उन मामलों को छोड़कर जिनमें साफतौर पर यह कहा गया हो कि उनमें अधिवास देश का कानून लागू होगा और यह भारतीय कानून उसी हद तक लागू होगा जहां तक वह उन आधार भूत सिद्धांतों के विपरीत न पड़ता हो जो जर्मनी की कानूनी व्यवस्था के आधार हैं।

4—फिनलैंड—(क) विवाह और तलाक के मामलों पर कुछ शर्तों के साथ फिनलैंड का कानून लागू होगा।

(ख) राष्ट्रीय कानून के अनुसार तलाक के समय जो सम्पत्ति होगी उस पर पति अधिकार होगा।

(ग) जहां तक सम्पत्ति पर उत्तराधिकार का प्रश्न है वह मृतक के राष्ट्रीयता के अन्तर्गत होगी।

जर्मन जनवादी गणराज्य के मामले में सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि वहां ऐसे मामले नहीं हुए हैं। डेनमार्क के मामले में भी सूचना उपलब्ध नहीं है।

यूरोप के शेष देशों में एक समान कानून लागू होता है और वहां रहने वाले भारतीयों पर हिन्दू और मुस्लिम वैयक्तिक कानून लागू नहीं होता है।

[अनुवाद]

विकलांगों के कल्याण के लिए भारत-अमरीका सहयोग परियोजना

6782. **श्री आनन्द सिंह : क्या कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ हैण्डीकेप्ड रिसच और भारत सरकार के सहयोग से विकलांगों के लिए एक भारत-अमरीका परियोजना स्थापित की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी लागत, उत्पादन-क्षमता और सहयोग में प्रत्येक पक्ष के अंश का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). राष्ट्रीय विकलांग अनुसंधान संस्थान, अमरीका के शिक्षा विभाग और कल्याण मंत्रालय में यह सहमति हुई है कि राष्ट्रीय विकलांग अनुसंधान संस्थान भारत में दो माडल जिला पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना करने और 6 जिला पुनर्वास केन्द्रों की सहायता के लिए 1 जनवरी, 1985 से 5 वर्षों की अवधि के लिए 180 लाख रुपये तक की धनराशि प्रदान करेगा। भारत सरकार दो केन्द्रों की निर्माण लागत, जो 20 लाख रुपये है, वहन करेगी।

प्रमुख संघटकों के लक्ष्य में गिरावट

6783. **प्रोफेसर रामकृष्ण मोरे** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम के कुछ प्रमुख संघटकों के लिए निर्धारित लक्ष्यों में वर्ष 1985-86 के दौरान गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां तो इस संबंध में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक कार्यक्रम के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य की तुलना में उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में असंतोषजनक कार्य किया है और इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख). मासिक प्रगति रिपोर्ट के अन्तर्गत आने वाले सूत्रों/मदों के संबंध में अप्रैल, 1985—फरवरी, 1986 तक की अवधि में उपलब्धि का प्रतिशत अनुपात दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। 4 मदों अर्थात् एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास, गांवों को बिजली पहुंचाने और नसबंदी के संबंध में निष्पादन को उक्त अवधि के लिए "निष्कृष्ट" अर्थात् लक्ष्य का 80 प्रतिशत से कम आंका गया।

(ग) निम्नलिखित राज्यों ने दर्जेवार कुल मिलाकर 80 प्रतिशत से कम उपलब्धि बताई है :—

असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल।

इस संबंध में राज्यों ने निम्नलिखित कारण बताए हैं :

(i) अपर्याप्त मूलभूत सुविधाएं और प्रशासनिक व्यवस्था,

(ii) वनभूमि सहित अभिग्रहण में कठिनाई,

(iii) निधियों की कमी,

(iv) निर्माण सामग्री की कमी,

(v) दूसरी बार वित्त सहायता देने के लिए लाभभोगियों को पहचानने में कठिनाई आदि।

(घ) समय-समय पर भारत सरकार कार्यक्रम के शीघ्र कार्यान्वियन के लिए राज्यों के साथ मामले को उठाती है।

विवरण

20-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वियन

सूत्र संख्या	मद	यूनिट	लक्ष्य अप्रैल-फरवरी, 1986	उपलब्धि अप्रैल-फरवरी, 1986	उपलब्धि प्र० श० अनुपात अप्रैल-फरवरी, 1986
1	2	3	4	5	6
3क.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (नए और पुराने)	लाख परिवार	35.0	21.7	62
3ख.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम*	श्रम-दिवस लाख संख्या	1975	2052.7	104
3ग.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम**	—वही—	1783.1	1801.2	101
4.	फालतू जमीन	000 एकड़	109.7	88.3	81
6.	बंधुआ मजदूर पुनर्वास*	संख्या	23940	16138	67

*केन्द्रीय प्रायोजित योजना, केन्द्र/राज्य के 50:50 भाग पर।

** केन्द्रीय प्रायोजित योजना 100 केन्द्रीय भाग पर।

1	2	3	4	5	6
7क.	अनुसूचित जाति परिवार	लाख संख्या	20.0	17.2	86
7ख.	अनुसूचित जनजाति परिवार	—वही—	7.6	6.6	87
8.	पेयजल	गांवों की संख्या	24679	35519	144
9क.	मकानों के लिए जगह	लाख संख्या	5.3	7.6	144
9ख.	निर्माण सहायता	लाख संख्या	3.7	3.0	81
10क.	गन्दी बस्तियों की जनसंख्या	—वही—	13.6	17.0	125
10ख.	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए मकान	—वही—	1.3	1.1	82
11क.	गांवों को बिजली दी गई	संख्या	17382	13619	78
11ख.	बिजली दिए गए पंपसैट	लाख संख्या	3.3	3.2	97
12क.	वृक्षारोपण	—वही—	27189	28926	106
12ख.	बायोगैस संयंत्र (राज्य)	000 संख्या	107.5	122.8	114
13.	नसबंदियां**	लाख संख्या	48.7	38.0	78
14क.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	1125	1392	124
14ख.	उपकेन्द्र	संख्या	5189	4183	81
15.	ए० बा० वि० यो० खंड	संख्या	172	156	91

** केन्द्रीय प्रायोजित योजना 100 केन्द्रीय भाग पर।

बिहार में प्रति व्यक्ति आय में कम वृद्धि

6784. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन योजनाओं के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और निवेश की दर अखिल भारतीय औसत से कम रही ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन परिव्ययों के बावजूद बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

आय और परिव्यय

	प्रति व्यक्ति आय की सम्मिश्र संवृद्धि दर (प्रतिशत)		प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय रु० में (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	
	बिहार	अखिल भारत	बिहार	अखिल भारत
चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74)	8.79	9.53	85	145
पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-79)	5.70*	7.41*	230	345
छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)	11.37	11.90	572	891

*1979-80 के लिए प्रति व्यक्ति आय शामिल है।

सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए मेडिकल साइंस के विषय ऐच्छिक विषय के रूप में रखना

6785. डा० टी० कल्पना देवी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षाओं में मेडिकल साइंस के किन्हीं विषयों को ऐच्छिक विषय के रूप में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने डाक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में चुने गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). सिविल सेवा परीक्षाओं की विद्यमान योजना आम तौर पर कोठारी समिति के नाम से ज्ञात भर्ती नीति एवं चयन पद्धति समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1979 में लागू की गई थी। वैकल्पिक विषयों की सूची के बारे में समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि प्रारंभिक और प्रधान—दोनों परीक्षाओं के लिए सूची विषय-सामग्री की दृष्टि से इतनी संकुचित नहीं होनी चाहिए कि होनहार उम्मीदवार चयन में बैठने से रुक जाएं। इसके अलावा वैकल्पिक विषयों की सूची बहुत बड़ी होने पर कई विषयों में उम्मीदवारों की संख्या बहुत थोड़ी रह जाएगी। उस स्थिति में परीक्षा इस प्रकार विभाजित हो जाएगी मानों काफी बड़ी संख्या में अलग-अलग परीक्षाएं ली जा रही हों। इसलिए जिन विषयों में प्रतियोगी उम्मीदवारों की संख्या अपेक्षतया कम है उन्हें तब तक नहीं रखा जाना चाहिए जब तक कि उनके रखे जाने के पक्ष में सबल कारण न हो। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि ऐसे विषय जो उच्च विशेषज्ञता स्वरूप के हैं अथवा जिन्हें केवल सीमित संख्या में उम्मीदवारों द्वारा लिए जाने की सम्भावना है उन विषयों को सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी, 7वीं लोक सभा की प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से सिविल सेवा परीक्षा योजना की पुनरीक्षा की जा रही है तथा परीक्षा के वैकल्पिक विषयों में विभिन्न विषयों को शामिल करना भी पुनरीक्षण का एक अंग होगा।

(ग) जहां तक पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में चुने गए डाक्टरों की संख्या का सम्बन्ध है, सूचना नीचे दी गई है—

वर्ष	1982	1983	1984
भारतीय प्रशासनिक सेवा	2	4	2
भारतीय पुलिस सेवा	1	—	3

[हिन्दी]

उच्चतम न्यायालय में सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग

6786. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रयोग करने की है ;

(ख) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय की अधिकांश कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 348 (1) के अनुसार अंग्रेजी में होती है जिसे देश की अधिसंख्य जनता नहीं समझ पाती क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती है; और

(ग) क्या सरकार लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय के कार्य में हिन्दी प्रारम्भ करने के लिए कदम उठाएगी ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग). संविधान के अनुच्छेद 348(1) में की गई व्यवस्था के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियों में अंग्रेजी का प्रयोग तब तक जारी रहेगा जब तक कि संसद, विधि द्वारा कोई उपबंध न कर दें। इस बारे में कोई विधेयक नहीं बनाया गया है। अंग्रेजी के साथ हिन्दी का प्रयोग अभी तक केवल देश के 4 उच्च न्यायालयों मे ही किया जाता है। इसलिए वर्तमान प्रक्रिया में इस समय कोई परिवर्तन करना उचित नहीं होगा।

स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली सुविधायें

6787. **श्री के० एन० प्रधान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या स्वतंत्रता सेनानियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है और क्या विभिन्न श्रेणियों को दी जाने वाली सुविधाओं में कोई विषमतायें हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). स्वतंत्रता सेनानियों को 500 रु० प्रति माह की पेंशन देने के अतिरिक्त, केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सैनानियों को हाल ही में रेलवे द्वारा उन्हें और उनकी पत्नियों/पतियों को, किसी भी दो रेलवे स्टेशनों के मध्य या रेलवे समय-सारणी में यथा सूचित सर्कुलर रूट पर अनेक स्थानों के लिए मुफ्त यात्रा करने की सुविधा प्रदान की गयी है। हाल ही में दी गयी यात्रा सुविधा के मामले में स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणियों के मध्य कोई विषमता नहीं रखी गयी है।

केवल राज्य राजस्व से पेंशन प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को उपयुक्त यात्रा सुविधाएं देने पर विचार करने के लिए राज्य सरकारों से भी अपील की गई है।

अधिकतर राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा चिकित्सा सुविधाएं, स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को शिक्षा सुविधाएं जैसी अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं।

[अनुवाद]

स्वदेशी थोरियम और यूरेनियम

6788. श्री प्रभातभानु शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अपने परमाणु विद्युत संयंत्रों के लिए बन्धन के रूप में यूरेनियम तथा थोरियम के संसाधन हेतु स्वदेशी तकनीक का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने एकक स्वदेशी ईंधन का उपयोग कर रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). दाबित भारी पानी किस्म के सभी विद्युत रिएक्टरों में, अर्थात् राजस्थान परमाणु बिजली घर और कल्पाक्कम स्थित रियक्टरों में, भारत में ही विकसित और उत्पादित यूरेनियम ईंधन काम में लाया जाता है। तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए भी ईंधन तत्वों का उत्पादन आयातित यूरेनियम हेक्साफ्लूओराइड को काम में लाकर भारत में ही किया जाता है। फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर के लिए आवश्यक सारा ईंधन, जिसमें थोरियम आवरण भी शामिल है, भारत में ही तैयार किया गया है।

सेना के टैंक के लिए इन्जन

6789. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना के लिए एक पूर्णतः भारतीय टैंक बनाने में वर्ष प्रतिवर्ष विलम्ब होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वह परियोजना कब आरम्भ की गई थी और इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या नये टैंक में लगाने के लिए टैंक का इन्जन अन्तिम रूप से मंजूर कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या कमियां रह गई हैं और यह कब तक बनकर पूरा हो जाएगा; और

(ङ) क्या भारतीय टैंक के निर्माण में विलम्ब होने के कारण हमें आयात करना पड़ रहा है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) रक्षा

अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन का विकास किया जा रहा है। इसका उत्पादन इसके विकसित हो जाने और परीक्षण कर लिए जाने के बाद ही आरम्भ किया जाएगा।

(ख) मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन के विकास की परियोजना 1974 में शुरू की गई थी। परियोजना कार्यक्रमानुसार चल रही है।

(ग) इस मुख्य युद्धक टैंक के लिए देशी इन्जन का अभी विकास किया जा रहा है। इस इन्जन को उत्पादन के लिए तभी मंजूर किया जाएगा जब यह विकसित हो जाएगा और इसके परीक्षण संतोषजनक रूप से पूरे हो जाएंगे।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) यह कार्यक्रम नियत कार्यक्रमानुसार चल रहा है अतः देरी का प्रश्न नहीं है।

प्रत्यर्पण संधि

6790. **श्री शान्ता राम नायक :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान कितनी नई प्रत्यर्पण सन्धियों पर हस्ताक्षर किए गए और सम्बन्धित देशों के नाम क्या हैं; और

(ख) इन सन्धियों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूतपूर्व हैदराबाद स्टेट के स्वतन्त्रता सेनानी

6791. **श्रीमती बसव राजेश्वरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजकोट आन्दोलन के समय के भूतपूर्व हैदराबाद स्टेट के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कोई फैसला किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). सरकार ने स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम 1980 के अन्तर्गत पात्रता की अर्हता के रूप में 1947-48 के दौरान भूतपूर्व रजवाड़ा हैदराबाद की सीमाओं पर लगाए गए शिविरों में भारत संघ में राज्य के विलय के लिए निजाम की सेनाओं के विरुद्ध छेड़े गए संघर्ष में भाग लेने

वाले व्यक्तियों की यातनाओं को मान्यता दे दी है। तथापि ऐसी यातनायें कम से कम 6 महीने की अवधि की होनी चाहिए जैसा कि अन्य यातनाओं के बारे में है, जिससे कोई व्यक्ति पेंशन स्वीकृति का पात्र बनता है।

[हिन्दी]

नदियों का प्रदूषण रोकने के लिए उपाय

6792. **श्री सुभाष यादव : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सभी नदियों का जल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है तथा इन नदियों के जल में अनेक गम्भीर रोगों के कीटाणु पाए गए हैं; जिनसे फेफड़ों और चमड़ी के घातक रोग हो जाते हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि नदियों के किनारों पर जलाए गए शवों की भस्म नदियों में बहा दी जाती है और हजारों बिना जले शव नदियों के तेज प्रवाह में बह जाने के लिए नदियों में फेंक दिए जाते हैं और इसके अतिरिक्त शहरों का मल मूत्र और उद्योगों का कचरा भी नदियों में डाला जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा नदियों के पानी को स्वच्छ रखने के लिए ऐसी हानिकारक प्रथा को रोकने हेतु सरकार की क्या कारंवाई करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) (क) : जी, नहीं; तथापि कुछ नदियों के फैलाव बहुत अधिक प्रदूषित हैं। प्रदूषित जल का प्रयोग अक्सर टाइफाइड, पेचिस आदि जैसे जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियों को बढ़ावा देता है। लेकिन फेफड़े एवं चर्म रोगों को सीधे प्रदूषण से सह-सम्बन्ध स्थापित करना कठिन है।

(ख) जी, हां।

(ग) देश में नदियों के प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए सरकार ने कदम उठाये हैं जिनमें निम्न शामिल हैं :

(i) जन-जागरूकता उत्पन्न करना;

(ii) विद्युत-शवदाह गृहों का निर्माण;

(iii) निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए नदी फैलावों का क्षेत्रीयकरण एवं वर्गीकरण;

(iv) विभिन्न प्रदूषक उद्योगों के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानकों का प्रतिपादन तथा केन्द्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन;

(v) प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अपनाने के लिए उद्योगों को समझाना;

(vi) दोषी उद्योगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करना;

(vii) प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना एवं संतोषजनक रूप से कार्य करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन;

(viii) विशेषकर, छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए सामान्य बहिस्राव उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन; और

(ix) गंगा कार्यकारी योजना जैसे बेसिन-वार प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का प्रतिपादन।

[अनुवाद]

बोट क्लब पर भूतपूर्व सैनिकों की रैली

6793. **श्री पी० एम० सईद :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान मार्च, 1986 में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा बोट क्लब पर की गई रैली की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो आल इंडिया एक्स-सर्विसमैन वैलफेयर एशोसिएशन द्वारा की गई मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा नियुक्त की गई उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों में भूतपूर्व सैनिकों की भी क्या मूल समस्यायें बताई गई हैं; और

(घ) अनेक सिफारिशें स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) "आल इंडिया एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन" की मुख्य मांगें ये हैं—पेंशनों में विसंगति दूर करना, पेंशनों के संराशीकरण की अवधि पूरी होने के पश्चात् मूल पेंशन को बहाल करना, 1964 से पूर्व पेंशनरों की विधवाओं को पेंशन देना, सेवानिवृत्त होने वाले सभी सेना कर्मियों के लिए 58 वर्ष की आयु तक रोजगार सुनिश्चित करना और सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कार्मिकों की भूमि/घरों को खाली कराना जो कि उन्होंने लीज पर दिए हुए थे। भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के सम्बन्ध में गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपार्ट में ये सभी बातें तथा सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाओं, पुनः रोजगार की शर्तों, चिकित्सा सुविधाओं, कैंटीन सुविधाओं आदि पर विचार किया गया है। सरकार ने इस समिति की 46 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। दो और सिफारिशें अंशतः स्वीकार कर ली गई हैं और एक और सिफारिश स्वीकार की जाने वाली है। दो सिफारिशें ऐसी हैं जो अन्य सिफारिशों से जुड़ी हैं और यदि इन जुड़ी हुई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है तो इन्हें भी स्वीकार कर लिया जाएगा। इस उच्च स्तरीय समिति की पेंशन से सम्बन्धित तीन सिफारिशों पर चतुर्थ वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात निर्णय लिया जाएगा।

सरकार ने 1964 से पूर्व के पेंशनरों की विधवाओं को परिवार पेंशन देने के लिए उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने पहली बार पहले के पेंशनरों के मामले में पेंशन नीति को वेतन आयोग के विचारार्थ भेजा है। इस प्रकार पेशन में विसंगति को दूर करने, संराशीकृत पेंशन के मूल्य की बहाली और पेंशनरों के मामले में जीवन-निर्वाह खर्च सूचकांक को सह-सम्बद्ध करने के लिए एक स्थायी समिति के गठन जैसी पेंशनों से सम्बन्धित तीन सिफारिशों पर, चतुर्थ वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, निर्णय लिया जाएगा।

सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कार्मिकों की भूमि/मकानों की बहाली का मामला राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है। कई राज्य सरकारों ने अपने कानूनों में इसके लिए आवश्यक प्रावधान किए हैं।

सेवानिवृत्त होने वाले सभी रक्षा कार्मिकों के लिए 58 वर्ष की आयु तक रोजगार सुनिश्चित करने के बारे में उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग विचार कर रहा है। उच्च स्तरीय समिति ने स्वयं यह मंजूर किया है कि इस प्रस्ताव की विस्तृत जांच होनी चाहिए और इसकी रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए।

(घ) भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकारों/मुआवजे सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने से सम्बन्धित सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि इस उद्देश्य की प्राप्ति कार्यकारी निर्देशों को जारी करके भी की जा सकती है क्योंकि इन अनुदेशों में विद्यमान परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है। इसी तरह यह निर्णय लिया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों की कल्याण योजनाओं के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में किसी तरह के विशिष्ट प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह प्रयास किया जाएगा भूत पूर्व सैनिक के लिये 7वीं पंचवर्षीय योजना के लाभ सुनिश्चित किए जाएं।

[हिन्दी]

पन्ना में रक्षा उपकरण निर्माण एकक स्थापित करना

6794. **श्री डाल चन्द्र जैन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा उपकरण निर्माण एकक की स्थापना के लिए पन्ना जिला उपयुक्त है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वहां ऐसा निर्माण एकक स्थापित करने पर विचार कर रही है ?

रक्षा उत्पादन और रक्षापूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). रक्षा उत्पादन एककों की स्थापना का निर्णय सामारिक और तकनीकी—आर्थिक बातों को ध्यान में रखकर लिया जाता है।

इस समय पन्ना जिले में रक्षा उत्पादन एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत मुस्लिम महिलाओं द्वारा न्यायालयों में दायर किये गये गुजारा भत्ता सम्बन्धी मामले

6795. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय के 1979 के निर्णय द्वारा गुजारा भत्ते का अधिकार मुस्लिम महिलाओं को प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो शाहबानों के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत अपने पति से गुजरा भत्ता लेने के लिए देश के विभिन्न भागों में विभिन्न न्यायालयों में कितनी मुस्लिम महिलाओं ने मामले दायर करवाये हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) गुजारा भत्ते का अधिकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 125 द्वारा प्रदत्त किया गया है। बाई ताहिरा बनाम अली हुसैन के मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में जो ए० आई० आर० 1979 एस० सी० 362 में प्रकाशित किया गया है, दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों की जहां तक उनका मुस्लिम पत्नियों को गुजारा भत्ता देने से सम्बन्ध है, व्याख्या की है।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

अमरीका के महान्यायवादी की यात्रा के परिणाम

6796. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के महान्यायवादी नशीली दवाओं की तस्करी और नशीले पदार्थों के प्रयोग की समस्या पर भारतीय नेताओं के साथ चर्चा करने के लिए मार्च, 1986 के अन्त में भारत आये थे;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न स्तरों पर उनके साथ क्या चर्चा हुई;

(ग) क्या उनके साथ भारत-अमरीकी सम्बन्धों और आपसी हित के अन्य मामलों पर भी चर्चा हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) अटार्नी जनरल एडविन मीज तृतीय ने 24 मार्च, 1986 को प्रधान मंत्री से मुलाकात की और मानव संसाधन विकास मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विधि और न्याय मंत्री के साथ बातचीत की।

(ग) जी, हां।

(घ) इन वार्ताओं से द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान का अवसर प्राप्त हुआ और पारस्परिक सद्‌भाव को बढ़ाने में मदद मिली।

चीन द्वारा कब्जे में ली गई भारतीय दूतावास की सम्पत्ति का मुआवजा

6797. डा० बी० एल० शैलेश :

श्री के० प्रधानी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन द्वारा बेंजिग में अपना सांस्कृतिक क्रांति के दौरान कब्जे में ली गई भारतीय दूतावास का सम्पत्ति का मामला अब तक हल कर लिया गया है; और

(ख) भारतीय दूतावास की अधिग्रहीत सम्पत्ति के लिए चीन सरकार द्वारा कितना मुआवजा दिया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) चीन के प्राधिकारियों ने 1968 में भारत के दूतावास के जिस भवन पर कब्जा कर लिया था उसके बदले चीन की सरकार भारत सरकार को उस भवन के सम्पत्ति अधिकार अन्तरित करने के लिए सहमत हो गई हैं जिसका इस्तेमाल इस समय भारत राजदूतावास के चांसरी तथा भारत के राजदूत के निवास स्थान के रूप में किया जा रहा है। चीन की सरकार के साथ जो करार किया गया था उसमें भारतीय राजदूतावास की सम्पत्ति, जिस पर चीनी पक्ष ने 1968 में कब्जा कर लिया था, के लिए मुआवजे की यह व्यवस्था शामिल है। चूंकि ये भवन पहले से बेहतर है और इनका भवन क्षेत्र पहले से ज्यादा है अत: भारत सरकार चीनी प्राधिकारियों को 33,10,344·8 रुपये की राशि देने के लिए सहमत हो गई।

समुद्रतटीय प्रदूषण के अध्ययन के लिए केन्द्र

6799. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में समुद्र तटीय प्रदूषण के अध्ययन के लिए केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के पास विचाराधीन पड़ा है; और

(ग) क्या भारत के किसी तटवर्ती राज्य में ऐसे केन्द्र स्थापित किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और

(ख). जी, नहीं। तथापि, राज्य सरकार ने कोचीन बन्दरगाह क्षेत्र में तटीय प्रदूषण के प्रबोधन के लिए 12 स्टेशन स्थापित किए हैं। प्रदूषण स्त्रोतों का पता लगाने के लिए केरल में तटीय क्षेत्रों के आवाह क्षेत्रों में सर्वेक्षण भी किए गये हैं।

(ग) अब तक तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 20 स्टेशन स्थापित किए हैं।

सूचना विंग से युक्त भारतीय दूतावास

6800. **श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या विदेश मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1985 को कुल कितने आवासीय राजनयिक दूतावास थे;

(ख) पृथक सूचना विंग से युक्त आवासीय राजनयिक दूतावास कितने थे और ऐसे विंग से रहित दूतावासों की संख्या कितनी थी;

(ग) सूचना विंग से युक्त विदेशस्थ भारतीय दूतावासों में कुल कितने पूर्ण कालिक भारतीय अधिकारी तथा कर्मचारी हैं;

(घ) उपर्युक्त (ग) में शामिल किए गए अधिकारियों तथा कर्मचारियों में से कुल कितने अधिकारी तथा कर्मचारी सूचना कार्य के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं; और

(ङ) पृथक सूचना विंग से युक्त भारतीय दूतावासों में वर्ष 1985-86 में अब तक कुल कितनी राशि सूचना कार्य पर खर्च की गई ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) 104।

(ख) उक्त निवासी राजनैयिक मिशनों में से 26 मिशनों में अलग सूचना स्कन्ध है जबकि शेष 78 मिशनों में इस प्रकार से स्कन्ध नहीं है।

(ग) 1437

(घ) 94

(ङ) 1,71,05,302 रुपये

[हिन्दी]

दानापुर छावनी में चुनाव

6801. **श्री कुंअर राम : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि दानापुर छावनी में 22 सितम्बर, 1985 को चुनाव हुआ था; और

(ख) उस पर कितना व्यय हुआ ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 49,595 रुपये।

[अनुवाद]

चुनी हुई परियोजनाओं को पूरा करना

6802. **डा० वी वेंकटेश** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा चुनी गई उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके कार्यान्वयन पर वर्ष 1986 के दौरान विशेष ध्यान दिया जायेगा;

(ख) उन परियोजनाओं के पूरा करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है, जिन्हें उनके मंत्रालय ने वर्ष 1985 के गत तीन महीनों के दौरान शीघ्र और तेजी से पूरा करने हेतु पहल की थी; और

(ग) चुनी गई परियोजनाओं का पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) वर्ष 1986 के दौरान इस मंत्रालय द्वारा तीव्रता से प्रबोधन की जा रही 100 करोड़ रु० और उससे अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्रक परियोजनाओं के नाम संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ख) 1985 के पिछले तीन महीनों के दौरान, इनमें से 92 प्रतिशत के सम्बन्ध में पूरा होनें की प्रत्याशित तारीख में कोई विलम्ब नहीं बताई गई।

तीन परियोजनाएं अर्थात् नवशिवापत्तन परियोजना, एल०पी०जी० विपणन चरण-3 (आई०ओ०सी०) और एल०पी०जी० विपनन चरण-3 (बी०पी०सी०एल०) 2 से 12 महीने तक आगे बढ़ गई है।

(ग) अभिज्ञात परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) वास्तविक परियोजना कार्यान्वयन योजना तैयार करना।

(2) मासिक फ्लैश रिपोर्ट और त्रैमासिक स्थिति रिपोर्ट देने वाली प्रणाली के जरिए प्रभावशाली प्रबोधन।

(3) शीघ्र पूरा करने के लिए परियोजना प्राधिकरणों पर निरन्तर दबाव डालना।

(4) नियमित अन्तरमंत्रालयी समन्वय और पारस्परिक कार्यवाही।

(5) सम्बन्धित मंत्रालयों और परियोजना प्राधिकरणों द्वारा विलम्ब को कम करने के लिए दूसरे केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, उपकरण संभरकों परामर्शदाताओं और अन्य सम्बन्धित एजेंसियों के साथ बराबर अनुवर्ती कार्यवाही करना।

विवरण

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रबोधन की जा रही केन्द्रीय क्षेत्रक परियोजनाओं के नाम जिनकी मूलतः अनुमोदित लागत 100 करोड़ और इससे अधिक है

क्र० सं०	परियोजना का नाम
1	2
	बिजली
1.	सिंगरौली एसटीपीपी-2 (एनटीपीसी)
2.	रामागुंडम एसटीसीपी-1 (एनटीपीसी)
3.	रामागुंडम एसटीपीपी-2 (एनटीपीसी)
4.	कोरबा एसटीपीपी-1 (एनटीपीसी)
5.	कोरबा एसटीपीसी-2 (एनटीपीसी)
6.	फरक्का एसटीपीपी-1 (एनटीपीसी)
7.	फरक्का एसटीपीपी-2 (एनटीपीसी)
8.	विन्ध्याचल एसटीपीपी (एनटीपीसी)
9.	रिहन्द एसटीपीपी-1 (एनटीपीसी)
10.	काहलगांव एसटीपीपी-1 (एनटीपीसी)
11.	बोकारो बी-1 (डीवीसी)
12.	बोकारो बी-2 (डीवीसी)
13.	कलाल हाइडल (एनएचपीसी)
14.	दुलहस्ती हाइडल (एनएचपीसी)
15.	चमेरा हाइडल (एनएचपीसी)

1	2
16.	टंनकपुर हाइडल (एनएचपीसी)
17.	कोपिलि हाइडल (एनईईपीसीओ)
18.	दोयांग हाइडल (एनईईपीसीओ)
19.	सिंगरौली टी आर-2 (एनटीपीसी)
20.	विन्ध्याचल टी आर-1 (एनटीपीसी)
21.	रामागुंडमटी आर-1 (एनटीपीसी)
22.	फरक्का टी आर-2 (एनटीपीसी)
23.	रिहन्द टी आर-1 (एनटीपीसी)
24.	काहलगांव टी आर-एसटी-1 (एनटीपीसी)
25.	कोरबा टी आर-1 (एनटीपीसी)
26.	केन्द्रीय टी आर (एनटीपीसी)
27.	चुखा टी आर (एनएचपीसी)
27ए.	कोयलकारो हाइडल (एनएचपीसी)
	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
28.	चरण-3 (एचपीसीएल)
29.	चरण-3 (आई ओसी)
30.	चरण-3 (बीपीसीएल)
31.	हजीरा-बरेली-जगदीश गैस पाइप लाइन
32.	एसएच/एनक्यु कम्पलैक्स (ओएनजीसी) की स्थापना
33.	साउथ बेसिन विकास (ओएनजीसी) गुजरात में पाइप लाइन बिछाना (चरण-1)
34.	गैस स्वीटनिंग प्लांट चरण-1 (ओएनजीसी) हजीरा (ओएनजीसी)
35.	एनपीजी प्लांट हजीरा (ओएनजीसी)
36.	कैम्बे बेसिन पैट्रोलियम परियोजना (ओएनजीसी)

1	2
37.	त्वरित उत्पादन कार्यक्रम बम्बई (हाई) (ओएनजीसी)
38.	भू-अन्वेषण ड्रिलिंग के लिए 19 रिगों का अभिग्रहण (ओएनजीसी)
39.	आनलैंड-अर्बन टर्मिनल कम्पलैक्स का विस्तार (ओएनजीसी)
40.	पोलिएस्टरस्टेपल फाइबर प्लांट (बीआरपीएल)
41.	आई०पी०सी०एल
	महाराष्ट्र गैस क्रैकर काम्लक्स कोयला
42.	मुनीटीह (बीसीसीएल)
43.	ब्लाक-2 झरिया (बीसीसीएल)
44.	पुटकी बलिहारी (बीसीसीएल)
45.	राजमहल (ईसीएल)
46.	झांझरा (ईसीएल)
47.	सोनपुर बाजारी (ईसीएल)
48.	बीना (सी०सी०एल०)
49.	जयन्त विस्तार (सी०सी०एल०)
50.	अमलोहरी (सी०सी०एल०)
51.	दुधिचुआ (सी०सी०एल०)
52.	कुसमुंडा (डब्लू०सी०एल०)
53,	गोवरा (एफ०सी०एल०)
54.	मनुगुरू II (एस०सी०सी०एल०)
55.	नेवेली II खान II (एन०एल०सी०)
56.	नेवेली II टी०पी०एस II (एन०एल०सी०)
57.	नेवेली II टी०पी०एल० II (एन०एल०सी०)

1	2
	इस्पात
58.	विशाखापतनम इस्पात परियोजना (आर०आई०एन०एल०)
59.	बोकारो 4 एम०टी० विस्तार (सेल)
60.	भिलाई 4 एम०टी० विस्तार (सेल)
61.	बोकारो कैप्टिव पावर प्लांट (सेल)
	खान
62.	कैप्टिव पावर प्लांट (बालको)
63.	उड़ीसा एल्यूमीनियम कम्पलैक्स (नेल्को) समैल्टर एल्यूमीना सी०पी०पी०
	उर्वरक
64.	हजीरा-1 और II (कृभको)
65.	ओलना (इफ्को)
66.	रामरूप-3 (एच०एफ०सी०)
67.	पारादीप फास्फेट (पी०पी०एल) चरण-1 और चरण-2
68.	विजयपुर (एन०पी०एल०)
69.	कैप्रोलैक्टम-अमर० सल्फेट प्रोजैक्ट
69अ	हल्दिया
	सरकारी उद्यम
70.	नौगोंग कागज परियोजना (एच०पी०सी०)
71.	कचार कागज परियोजना (एच०पी०सी०)
72.	तंदूर सीमेंट परियोजना (सी०सी०आई०)

1	2
73.	यात्री कार और हल्की उपयोगी वाहनों का निर्माण (एम०यू०एल०)
	रेलवे
74.	कोरापुट-रायगढा
75.	कलकत्ता भूमिगत (दमदम-टोली गंज)
76.	संकार्य सूचना प्रणाली (सभी रेलवे)
	जल भूतल परिवहन
77.	नवशिवा पत्तन परियोजना (बम्बई)
78.	45 हजार डी डब्लूटी के 12 बल्कवाहकों का अभिग्रहण (एससीआई)
79.	बेड़ा उदलना/बढ़ाना (एअर इंडिया)
80.	इलैक्ट्रानिक स्वीचिंग सिस्टम प्रोजेक्ट मानकपुर (आईटीआई)
	परमाणु ऊर्जा
81.	एनएपीपी-1 और 2
82.	एनएपीपी-1 और 2
83.	थाल हैवी वाटर
84.	मनुगुरु हैवी वाटर
85.	उड़ीसा रेत कॉम्पलैक्स (आईआरई) (कुछ छोटी मद)

संवेदनशील रक्षा जानकारी का भेद खुल जाना

6803. **श्री अमल दत्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि रक्षा उपकरणों के फोटो चित्रों सहित रक्षा अनुसंधान कार्य कलापों के संबंध में कई जानकारियां विदेशी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है जबकि उन्हें इस देश में गुप्त रखा जाता है;

(ख) क्या ऐसी खबरों का प्रकाशन रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की विदेश यात्रा के समय हुआ था; और

(ग) क्या सरकार ने संवेदनशील जानकारी के इस प्रकार भेद खुल जाने की जिम्मेदारी निर्धारित करने के संबंध में कोई जांच की है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) (क) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने फोटों चित्रों पर ऐसी कोई सूचना किसी विदेशी पत्र को नहीं दी है जो कि पहले भारतीय प्रेस में प्रकाशित नहीं हुई हो।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी कर्मचारियों की पूर्ण कार्यक्षमता का उपयोग करने हेतु कदम

6804. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का पता लगाने के लिये कभी सर्वेक्षण किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों के प्रति दिन के कार्य घण्टे कितने हैं और वह प्रतिदिन वास्तव में कितने घण्टे काम करता है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारी प्रति दिन औसतन दो घण्टे से अधिक काम नहीं करता है;

(ग) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिये कि सरकारी कर्मचारियों की पूर्ण कार्य क्षमता का उपयोग हो, कोई ठोस कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब और उसके लिए क्या वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाएगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). प्रशासनिक कार्यालयों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के दैनिक कार्य के घंटे लंच के लिए आधे घण्टे के मध्यावकाश सहित, आठ घण्टे तथा प्रति सप्ताह $37\frac{1}{2}$ घण्टे हैं। अन्य कार्यालयों में कार्य के औसत घण्टे संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं तथा वे संगठन विशेष अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भिन्न-भिन्न होते हैं। यद्यपि कोई सरकारी सर्वेक्षण नहीं किया गया है, फिर भी यह सच नहीं है कि सरकारी कर्मचारी औसतन दो घण्टे से अधिक कार्य नहीं करता है।

(ग) और (घ). सरकार के तंत्र में, जांच तथा प्रति जांच से यह सुनिश्चित हो जाता है कि सरकारी कर्मचारियों की पूरी कार्य-क्षमता का उपयोग किया जाए। पर्यवेक्षी अधिकारियों के कर्तव्यों (ड्यूटियों) का यह एक अंग है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अधीनस्थ कर्मचारी प्रतिदिन निर्धारित कार्य घण्टों के दौरान कार्य करते हैं।

[अनुवाद]

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र द्वारा विस्थापित व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में समझौता

6805. श्री टी० बशीर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के विस्थापित व्यक्तियों और विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के बीच विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में उनकी नियुक्त के बारे में कोई समझौता हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समझौते के अनुसार कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है;

(घ) क्या विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में इस समय नियुक्ति के लिए कोई आवेदन लम्बित पड़े हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन मामलों में विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के अधिकारियों का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) और (ख). विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के लिए अभिग्रहण की गई भूमि से विस्थापित व्यक्तियों और विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के बीच रोजगार देने के बारे में कोई भी औपचारिक समझौता नहीं है। फिर भी, उनके साथ कई बैठकों के बाद कुछ ऐसी सहमति हुई है कि भर्ती करते समय उन्हें प्राथमिकता प्रदान करने पर विचार किया जाए। इसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(1) **विस्थापित श्रेणी**

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र की स्थापना के लिए भूमि के अभिग्रहण के कारण गृहविहीन हुए व्यक्तियों में से जो व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपयुक्ति हैं, उन्हें राजस्व विभाग के अधिकारी से आवश्यक विस्थापन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में पंजीकृत कराना जरूरी है। ऐसे उपयुक्त व्यक्तियों, जो गृहस्थान सहित अपनी भूमि से विस्थापित हुए हैं और मानदण्डों को पूरा करते हैं, के लिए विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र द्वारा पदों की उपलब्धता के आधार पर साक्षात्कार/परीक्षा के बाद समूह "ग" और "घ" के पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द की परिभाषा में केवल पति/पत्नी/बच्चे और पौत्र/पौत्री ही शामिल हैं।

(2) **प्रभावित श्रेणी**

इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों में वे स्थानीय मछुवाहे हैं, जिनकी मत्स्य

पकड़ने की संभावनाएं राकेट प्रमोचनों के कारण प्रभावित हुई थी। राज्य के राजस्व प्राधिकारियों ने ऐसे प्रभावित व्यक्तियों की सूची विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र को प्रदान की है। इस सूची में से मानदण्डों को पूरा करने वाले पात्र व्यक्तियों को, समूह "घ" की श्रेणी में पदों की उपलब्धता के आधार पर अकुशल श्रेणी में नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है। उन्हें दैनिक मजदूरी वाले कार्यों जैसे माल उतारना/माल चढ़ाना आदि में भी रखा जाता है।

उपर्युक्त लाभ प्रत्येक विस्थापित/प्रभावित परिवार में से केवल एक ही व्यक्ति को उपलब्ध हैं।

(ग) अभी तक 240 विस्थापित और 68 प्रभावित व्यक्तियों को ही रोजगार प्रदान किया गया है।

(घ) और (ङ) इस समय 499 विस्थापित व्यक्ति और 524 प्रभावित व्यक्ति रोजगार के लिए विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में पंजीकृत हैं। इनमें से केवल 280 विस्थापित व्यक्ति तथा 85 प्रभावित व्यक्ति ही रोजगार के लिए विचारार्थ पात्र हैं। अन्य व्यक्ति निम्न कारणों से पात्र नहीं हैं :—

(1) परिवार में से एक सदस्य को पहले ही रोजगार दिया जा चुका है। (176); और

(2) मानदण्डों के अनुसार उपयुक्त नहीं (482)

उपयुक्त मामलों (365) पर, उपयुक्त समूह "ग" और समूह "घ" के रिक्त स्थानों पर विभिन्न श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग/सफल प्रशिक्षुओं और विभागीय प्रत्याशियों के लिए सेवाओं में आरक्षण से संबंधित संविधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद मानदण्डों के अनुसार विचार किया जायेगा। विस्थापित और प्रभावित श्रेणियों में से यथासंभव अधिक से अधिक व्यक्तियों को, रिक्त स्थानों के उपलब्ध होने पर भर्ती के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।

देश में आयुध कारखाने

6806. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आयुध कारखानों और रक्षा से संबंधित अन्य उद्योगों की संख्या और नाम क्या हैं और वे कहां कहां पर स्थित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न रक्षा उत्पादन एककों के बिक्री केन्द्रों में निर्यात किये गये हथियारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रक्षा उपकरणों का उत्पादन बढ़ाने के लिये कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) इस समय देश में 34 आयुध निर्माणियों (परियोजना स्तर की दो को छोड़कर) और रक्षा क्षेत्र के 9 सरकारी उपक्रम हैं। आयुध निर्माणियों एवं रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों की यूनिटों के नाम और स्थान संलग्न विवरण में बताए गए हैं।

(ख) नीति के अनुसार मोटेतौर पर हम शस्त्रों का निर्यात करने के खिलाफ हैं। इसमें अपवाद आवश्यक होने पर मित्र देश होते हैं। इस संबंध में ब्यौरे देना लोकहित में नहीं होगा।

(ग) जी, हां।

(घ) इस संबंध में किए गए उपायों में स्थापित क्षमता का उपयुक्त उपयोग, आयुध निर्माणियों एवं सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों में उत्पादन बढ़ाना और नई मदों के उत्पादन के लिए यूनिटों में धन के निवेश में वृद्धि करना शामिल है।

विवरण—1

I—आयुध निर्माणियां

1. अम्युनिशन फैक्ट्री, किरकी (महाराष्ट्र)
2. कोरडाइट फैक्टरी, अरूवनकाड़ (तमिलनाडु)
3. हाई एक्सप्लोसिव फैक्टरी किरकी (महाराष्ट्र)
4. आर्डनेंस फैक्टरी, भंडारा (महाराष्ट्र)
5. आर्डनेंस फैक्टरी, चांदा (महाराष्ट्र)
6. आर्डनेंस फैक्टरी, देहू रोड (महाराष्ट्र)
7. आर्डनेंस फैक्टरी, इटारसी (मध्य प्रदेश)
8. आर्डनेंस फैक्टरी, वारनगांव (महाराष्ट्र)
9. आर्डनेंस फैक्टरी, खपारिया (मध्य प्रदेश)
10. ग्रे आयरन फाउण्ड्री, जबलपुर (मध्य प्रदेश)
11. मशीन टूल्स प्रोटोटाइप फैक्टरी, अम्बरनाथ (महाराष्ट्र)
12. मेटल एण्ड स्टील फैक्ट्री, ईशापुर (पश्चिमी बंगाल)
13. आर्डनेंस फैक्टरी, अम्बाझारी (महाराष्ट्र)
14. आर्डनेंस फैक्टरी, अम्बरनाथ (महाराष्ट्र)

1	2
15.	आर्डनेंस फैक्टरी, भूसावल (महाराष्ट्र)
16.	आर्डनेंस फैक्टरी, दम दम (पश्चिमी बंगाल)
17.	आर्डनेंस केबल फैक्टरी, चण्डीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)
18.	आर्डनेंस फैक्ट्री, कटनी (मध्य प्रदेश)
19.	आर्डनेंस फैक्टरी, देहरादून (उत्तर प्रदेश)
20.	आर्डनेंसफैक्टरी, मुरादनगर (उत्तर प्रदेश)
21.	गन कैरिज फैक्टरी, जबलपुर (मध्य प्रदेश)
22.	फील्ड गन फैक्टरी, कानपुर (उत्तर प्रदेश)
23.	गन एण्ड शैल फैक्टरी, कोसीपुर (पश्चिमी बंगाल)
24.	आर्डनेंस फैक्टरी, कानपुर (उत्तर प्रदेश)
25.	आर्डनेंस फैक्टरी, तिरुचरापल्ली (तमिलनाडु)
26.	राइफल फैक्टरी, इशापुर (पश्चिमी बंगाल)
27.	स्माल आर्मस फैक्टरी, कानपुर (उत्तर प्रदेश)
28.	व्हीकल फैक्ट्री, जबलपुर (मध्य प्रदेश)
29.	हैवी व्हीकल फैक्टरी, आवड़ी (तमिलनाडु)
30.	क्लोदिंग फैक्टरी, आवड़ी (तमिलनाडु)
31.	आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश)
32.	आर्डनेंस इक्विपमेंट फैक्टरी, कानपुर (उत्तर प्रदेश)
33.	आर्डनेंस पैराशूट फैक्टरी, कानपुर (उत्तर प्रदेश)
34.	आर्डनेंस इक्विपमेंट फैक्टरी, हजरतपुर (उत्तर प्रदेश)

II—सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रम

1	2	3
1.	एच ए एल	(क) निगमित कार्यालय---बंगलौर (ख) बंगलौर, हैदराबाद, कोरापुर, नासिक, लखनऊ, कानपुर, कोरवा और बैरकपुर में यूनिटें।

1	2	3
2.	बी ई एल	(क) निगमित कार्यालय—बंगलौर (ख) बंगलौर, गाजियाबाद, पुणे, मच्छलीपत्तनम, तालोजा, पंचकूला, और कोटद्वार में यूनिटें।
3.	बी ई एम एल	(क) निगमित कार्यालय—बंगलौर (ख) बंगलौर कोलार, सोने की खानें (मैसूर) और तारीकेरी (मैसूर) में यूनिटें।
4.	एम डी एल	(क) निगमित कार्यालय—बम्बई (ख) बम्बई, नाहूवा और मंगलौर में यूनिटें।
5.	जी एस एल	(क) वास्को-डे-गामा में निगमित कर्यालय और यूनिट।
6.	जी आर एस ई	(क) निगमित कार्यालय—कलकत्ता (ख) कलकत्ता, बेलूर, रांची और नागपुर में यूनिटें।
7.	पी टी एन	(क) सिकन्दराबाद में निगमित कार्यालय और यूनिट।
8.	बी डी एल	(क) हैदराबाद में निगमित कार्यालय और यूनिट।
9.	मिश्र धातु निगम	(क) हैदराबाद में निगमित कार्यालय और यूनिट।

पेंशन प्राप्तकर्ताओं के जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि के लिए सहायता राशि की अधिकतम सीमा

6807. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को जीवन निर्वाह के व्यय में वृद्धि के लिए दी जाने वाली राहत की अधिकतम सीमा 12·50 रुपये प्रति माह है ;

(ख) यदि हां, तो यह सीमा कब निर्धारित की गई थी ;

(ग) उस समय पेंशन का स्लैब कितना था जब महंगाई भत्त के रूप में 12·50 रुपये की सीमा निर्धारित की गई थी ;

(घ) उस समय सरकारी कर्मचारियों का अधिकतम वेतन स्लैब कितना था जब पेंशन प्राप्तकर्ताओं के लिए 12·50 रुपये का अधिकतम महंगाई भत्ता निर्धारित किया गया था और उसके बाद से कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और अन्तरिम सहायता की कितनी किस्तें दी गई ;

(ङ) क्या महंगाई भत्ते की अधिकतम सीमा में भी छूट दे दी गई है ;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) पेंशन प्राप्त कर्ताओं के लिए 12.50 रुपये के महंगाई भत्ते की ऊपरी सीमा में अभी तक छूट न देने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) (क) से (छ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, 1-8-1973 से पेंशन भोगियों को अखिल भारतीय कर्मचारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीनों की औसत में प्रत्येक 16 प्वाइंटों की वृद्धि होने पर मूल पेंशन के 5 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मंजूर की गई थी जो कम से कम 5/- रुपये और अधिक से अधिक 25/- रुपये प्रतिमास थी। इस प्रकार 25/- रुपये प्रतिमास की अधिकतम मंहगाई राहत 500/- रुपये की मूल पेंशन से सम्बन्धित थी। आयोग की सिफारिशों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 376 स्तर तक राहत की 11 किश्तें मंजूर करने के बाद, सरकार ने 1970-79 के दशक की अत्यधिक मंहगाई को ध्यान में रखते हुए 1-12-1980 से पेंशन भोगियों को उनकी मूल पेंशन के $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत देने का निर्णय किया था जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रत्येक 8 प्वाइंट की वृद्धि होने पर कम से कम 2 रुपये 50 पैसे और अधिक से अधिक 12 रुपये 50 पैसे थी। इस आधार पर 1-1-1986 तक 29 किश्तें और मंजूर की जा चुकी हैं। मंहगाई भत्ता/अतिरिक्त मंहगाई भत्ता मंजूर करने के प्रयोजन के लिए सेवारत कर्मचारियों के वेतन की अधिकतम सीमा 31-7-1973 तक 900/- रुपये थी। 1-8-1973 से 1600/- रुपये तक वेतन ले रहे कर्मचारियों को शामिल कर लिया गया था। 1-10-1973 से 2250/- रुपये तक वेतन पा रहे कर्मचारियों को भी शामिल कर लिया गया। इसके बाद 12-1-1978 से यह वेतन सीमा बढ़ाकर 2251/- रुपये तथा इससे अधिक कर दी गई थी किन्तु उन्हें यह राहत तदर्थ दरों पर मंजूर की गई थी। सेवा कर रहे कर्मचारियों को 1-8-1973 से अब तक मंहगाई भत्ते/अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की पचास किश्तें मंजूर की जा चुकी हैं।

सेवा कर रहे कर्मचारियों को अंतरिम राहत की दो किश्तें मंजूर की गई थीं। पहली किश्त 1-6-1983 से मंजूर की गई थी जिसकी न्यूनतम तथा अधिकतम राशि क्रमशः 50/- रुपये तथा 100/- रुपये प्रतिमास थी। दूसरी किश्त मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से 1-3-1985 से मंजूर की गई थी जो कम से कम 50/- रुपये प्रतिमास थी।

पेंशन भोगियों के लिए 12 रुपसे 50 पैसे प्रतिमास मंहगाई राहत की ऊपरी सीमा में ढील देने के प्रश्न पर चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

रानी खेत छावनी क्षेत्र के लिये पेय जल योजना

6808. **श्री हरीश रावत :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रानी खेत छावनी में सैनिक कर्मचारियों तथा असैनिक जनसंख्या के कुल कितना कितना पानी उपलब्ध है और उसमें से कितना पानी असैनिक जनसंख्या के लिए उपलब्ध है ;

(ख) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि इस क्षेत्र की असैनिक जनसंख्या को गर्मी के मौसम में पेयजल की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(ग) क्या इस छावनी बोर्ड क्षेत्र के लाभ के लिए एक उठाऊ पेयजल योजना मंजूर की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का निर्माण कार्य आरम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और उस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) रानीखेत छावनी की सैनिक और असैनिक जनसंख्या के लिए प्रतिदिन कुल 4.45 लाख गैलन पानी उपलब्ध है। असैनिकों के लिए इसमें से प्रतिदिन 1.0 लाख गैलन पानी उपलब्ध है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). छावनी बोर्ड के लिए 3.09 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक स्वतन्त्र जल सप्लाई योजना सरकार के विचाराधीन है जिससे सेना कार्मिकों एवं सिविलियनों की पानी की जरूरत पूरी हो सकेगी।

उत्तर प्रदेश जनजातीय उप-योजना को मंजूरी देना

6809. **श्री हरीश रावत** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को कुछ जनजातीय उप योजनाओं की मंजूरी हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से कोइ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रस्तावों को आवश्यक मंजूरी दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ). उत्तर प्रदेश की जनजातीय उप-योजना 1986-87 कल्याण मंत्रालय में प्राप्त हो चुकी है। इस पर जनवरी, 1986 के माह में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया। इसकी प्रगति के बारे में राज्य सरकार को सुझाव भेजे जा चुके हैं और संशोधित दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात योजना आयोग में अन्तिम रूप से विचार विमर्श किया जाएगा।

छावनी क्षेत्र, रानीखेत में सड़कों और पटरियों की मरम्मत

6810. **श्री हरीश रावत** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें जानकारी है कि छावनी क्षेत्र, रानी खेत में विभिन्न सड़कों और पटरियों की हालत जीर्ण शीर्ण है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बोर्ड ने इनकी मरम्मत के लिए वर्ष 1984-85 के दौरान कितनी धनराशि की मांग की थी और इस प्रयोजन के लिए उन्हें कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए उन्हें चालू वित्तीय वर्ष में कुछ विशेष अनुदान देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1984-85 के दौरान छावनी बोर्ड द्वारा की गई मांग के अनुरूप उन्हें 2 लाख रुपये आबंटित किए गए थे।

(ग) और (घ). बोर्ड ने 3,84,000 रुपये के विशेष सहायक अनुदान का अनुरोध किया है। निधियों के उपलब्ध होने पर विचार किया जाएगा।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पिथौरागढ़ में बिजली की लाइनें तथा टावर

6811. **श्री हरीश रावत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में बिजली की लाइनों का विस्तार करने तथा टावरों के निर्माण हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) स्वीकृत किये गये तथा अस्वीकृत किये गये ऐसे प्रस्तावों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं; और

(ग) ऐसे प्रस्तावों को अस्वीकृत किये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) चार।

(ख) 11 किलोवाट देसाईथाल से देसाली संचरण लाइन तथा 33 किलोवाट पिथौरागढ़ से लोहाघाट संचरण लाइन नामक दो प्रस्तावों की स्वीकृति दी गयी थी। किसी प्रस्ताव को अस्वीकृत नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिहाड़ी पर कार्यरत लिपिकों की परिलब्धियां

6812. **श्री एच० एम० पटेल** :

श्री थम्पन थामस :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में नई नियुक्तियों पर लगे प्रतिबन्ध में ढील देने का विचार है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनेक विभागों और स्थायी आयोगों में "दिहाड़ी" पर नियुक्त लिपिकों/अवर श्रेणी लिपिकों की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो संघ लोक सेवा आयोग में दिहाड़ी पर काम कर रहे लिपिकों का औसत सेवा काल कितना है; और

(घ) क्या इन दिहाड़ी पर काम करने वाले लिपिकों को उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें दैनिक आधार पर नियुक्त सभी कर्मचारियों को वही वेतन और भत्ते देने के बारे में कहा गया था जो कि नियमित और स्थायी कर्मचारियों को दिए जाते हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध में ढील देने के उद्देश्य से, स्टाफ एसोसिएशनों तथा अलग-अलग व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं तथा इस मामले पर अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

(ख) मंत्रालयों/विभागों तथा स्थायी आयोगों से संबंधित कोई केन्द्रीयकृत सूचना उपलब्ध नहीं है।

संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में दिहाड़ी पर लगाए गए नैमत्तिक लिपिकों की सेवाएं फिलहाल समाप्त नहीं की जा रही हैं।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में नैमत्तिक लिपिक फरवरी, 1983 से जनवरी, 1984 की अवधि के दौरान भर्ती किए गए थे।

(घ) उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पड़ने वाले प्रभावों की शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है।

हांग कांग में भारतीय समुदाय द्वारा देश को छोड़ने की धमकी

6813. **श्री चित्त महाता : क्या विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1997 के बाद राज्य विहीन होने की आशंका से हांग कांग में भारतीय समुदाय ने यदि उन्हें ब्रिटेन में बसने की मंजूरी नहीं दी जाती है, तो उस क्षेत्र को छोड़ देने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितने भारतीयों के प्रभावित होने की संभावना है और इस मामले में भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार ने उनके मामले पर ब्रिटेन की सरकार से बातचीत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) हांग कांग में भारतीय मूल के निवासियों ने जो ब्रिटेन के आश्रित प्रदेश के नागरिक हैं, हांग कांग संबंधी चीन-यू० के० करार के उपबन्धों के अन्तर्गत 1 जुलाई 1997 को हांगकांग पर चीन की प्रभुसत्ता बहाल हो जाने के बाद अपने भावी दर्जे के बारे में कुछ आशंकाएं व्यक्त की हैं।

(ख) से (घ). चीन =यू० के० करार के साथ संलग्न यू० के० सरकार के ज्ञापत के अनुसार उन सभी व्यक्तियों को 1 जुलाई 1997 से ब्रिटिश आश्रित प्रदेश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी जो इस समय ब्रिटिश आश्रित प्रदेश के नागरिक के रूप में हांगकांग में रह रहे हैं। इसके बाद ये व्यक्ति अलग-अलग पासपोर्ट इस्तेमाल करने के हकदार हो जाएंगे, जिन्हें यू० के० की सरकार द्वारा जारी किया जाएगा। किन्तु उन लोगों को ब्रिटेन में रहने का अधिकार नहीं होगा। इन विनियमों से हांगकांग में रहने वाले भारतीय मूल के लगभग 4400 लोग प्रभावित होंगे जिनके पास इस समय ब्रिटिश आश्रित प्रदेश की नागरिकता है।

भारत सरकार का मत यह है कि हांगकांग में भारत मूल के ब्रिटिश आश्रित प्रदेश की नागरिकता वाले लोगों की मुख्य जिम्मेदारी यू० के० की सरकार की है और यू० के० की सरकार को इस बात का सुनिश्चय करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए कि श्रेणी के लोग 1 जुलाई 1997 के बाद राज्यहीन न हो जाएं। भारत सरकार इस मामले में यू० के० की सरकार के साथ निकट सम्पर्क बनाए हुए है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारी जल संयंत्र की स्थापना

6814. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :**

श्री यशवंत राव गंडाख पाटिल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अमोनिया और हाइड्रोजन पर आधारित एक भारी जल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो वह कहां पर स्थापित किया जायेगा, उस पर कितना व्यय आने का अनुमान है और उसके निर्माण का कार्यक्रम क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु उर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। यह निर्णय लिया गया है कि अमोनिया-हाइड्रोजन प्रक्रम पर आधारित जो भारी पानी संयंत्र महाराष्ट्र में थालवैशट में लगाया जा रहा है उसके अलावा एक ऐसा और भारी पानी संयंत्र भी लगाया जाए जो उसी प्रक्रम पर आधारित हो।

(ख) वह संयंत्र गुजरात के सूरत जिले में हजीरा में लगाया जा रहा है। उसकी लागत लगभग 220 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। ऐसी संभावना है कि संयंत्र का काम 1986-87 में शुरू कर दिया जाएगा और लगभग 5 वर्ष की अवधि में पूरा हो जाएगा।

तदर्थ रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा भरना

6815. **श्री अजय मुशरान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्मी आर्डनेंस कोर स्टोर कैडर में श्रेणी "क" और "ख" में पदोन्नति से भरे जाने वाले कितने पद योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण खाली पड़े हैं;

(ख) क्या अतीत में इनमें से कोई पद तदर्द आधार पर भरे गये थे; और

(ग) यदि हां, तो अब ऐसे रिक्त पदों के लिए तदर्थ आधार पर पदोन्नतियां न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) आर्मी आर्डनेंस कोर कैडर में असैनिक कर्मचारियों के लिए मंजूर नियमित पदों में से श्रेणी "क" में 21 पद खाली पड़े हैं और श्रेणी "ख" में कोई पद खाली नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) तदर्थ आधार पर पदोन्नतियां कार्य की अपेक्षाओं एवं सेवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की जाती है। फरवरी, 1986 में समूह "क" में पदोन्नति के लिए मंजूर किए गए पद विभिन्न डिपुओं को आवंटित किए जा रहे हैं और कार्य की अपेक्षाओं के अनुसार उन्हें भरा जाएगा।

[हिन्दी] .

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना

6816. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना कब लागू की गई थी तथा उस समय इस शीर्ष के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रति माह कितनी राशि व्यय की जाती थी;

(ख) क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन अलग-अलग देती हैं;

(ग) यदि हां, तो इस समय केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें अलग-अलग कुल कितने स्वतंत्रता सैनिकों को पेंशन दे रही है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की

संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई है तथा सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष कुल कितनी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ (रजत जयन्ती वर्ष) के दौरान, भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1972 से स्वतंत्रता सैनानियों और उनके परिवारों को केन्द्रीय राजस्व से पेंशन देने की एक केन्द्रीय योजना शुरू की गयी। योजना में जीवित स्वतंत्रता सैनानी को 200 रु० प्रति माहकी पेंशन और मृतक स्वतंत्रता सैनानियों की विधवाओं को 100 रु० से 200 रु० तक की प्रतिमाह पेंशन, जो अविवाहित और बेरोजगार लड़कियों की संख्या पर निर्भर करती थी, देने की व्यवस्था की गई थी। 1-8-1980 से योजना का नाम बदलकर स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना रखा गया। जब से पेंशन की राशि को 200 रु० से बढ़ाकर 300 रु० प्रति माह कर दिया गया। वर्ष 1972-73 के दौरान योजना के कार्यान्वयन के लिए 91.27 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी।

केन्द्रीय स्तर पर स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अलावा कई राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने स्वतंत्रता सैनानियों के लिए अपनी पेंशन योजनाएं तैयार की हैं।

31 मार्च, 1986 तक स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत 1,38,352 व्यक्तियों को पेंशन दी गई है। जो स्वतंत्रता सैनानी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनकी संख्या केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

वित्तीय वर्ष 1983-84, 1984-85, और 1985-86 के दौरान क्रमशः 3,279, 3,458 और 5,493 व्यक्तियों को पेंशन दी गई है। वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान प्रत्येक वर्ष में 33 करोड़ रु० की राशि व्यय की गयी। वर्ष 1985-86 के दौरान व्यय की गई राशि के बारे में अभी तक महालेखाकार से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि 1.6.1985 पेंशन की राशि को बढ़ाकर 500 रु० प्रतिमाह कर देने से वर्ष 1985-86 के दौरान 54 करोड़ रु० का व्यय होने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

मिलिट्री इंजीनियरिंग सेवा के ठेके

6817. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें ठेकेदारों को जारी की गई स्टोर की प्रत्येक वस्तु महानगरों में मिलिट्री इंजीनियरी सेवा के कार्यालयों की वास्तविक आवश्यकता से 10 प्रतिशत अधिक थी;

(ख) क्या ऐसे अतिरिक्त वस्तुओं को बाद में वापस ले लिया गया अथवा उन पर वार्षिक शुल्क लिया गया; और

(ग) इस प्रकार की हानिकर प्रथा का पालन किन परिस्थितियों के अन्तर्गत किया जा रहा है; इस दोष को दूर करने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है।

इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों की अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर सप्लाई

6818. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने प्रस्ताव किया है कि इलेक्ट्रोनिकी पुर्जों के निर्माताओं को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों या उसके आस-पास के मूल्यों पर कच्चा माल उपलब्ध कराया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों या उनके आस-पास के मूल्यों पर ऐसे कलपुर्जे बनवाने का है;

(घ) क्या निर्माता संघों ने इस बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) अगस्त, 1983 को इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग को अनेकों रियायतें दी गई जिसमें विभिन्न प्रकार की कच्ची सामग्रियों तथा इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जा उद्योग द्वारा प्रयुक्त छोटे-छोटे कल-पुर्जों पर आयात शुल्क में कमी शामिल है। किन्तु, यह सूची सर्वव्यापी नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के साथ विस्तार से बातचीत करने के बाद कच्ची सामग्रियों तथा छोटे-छोटे कल-पुर्जों की एक व्यापक एवं परिवर्धित सूची बनाने का कार्य सरकार के विचाराधीन है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों उद्योग के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के उत्पादन (इनपुट) शामिल हैं।

हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग

6819. **श्री चिरंजीलाल शर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में एक इलेक्ट्रॉनिक उपक्रम स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) 1. प्रतिरक्षा तथा संचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों का विनिर्माण करने के लिए पचकूला में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के एक यूनिट की स्थापना की जा रही है।

2. गुड़गांव में एक इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक बस्ती स्थापित करने के संबंध में एक प्रस्ताव हरियाणा सरकार के विचाराधीन है।

3. इसके अतिरक्त वर्ष 1985 में हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक यूनिटों को स्थापना के लिए 8 औद्योगिक लाइसेंस, 26 आशय-पत्र जारी किए गए। हरियाणा में वर्ष 1985 में यूनिटों की स्थापना करने के लिए औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय (एस. आई. ए.) ने 7 यूनिटों को भी पंजीकृत किया। जो वस्तुएं बनाई जाएंगी उनमें दूरदर्शन, ई.पी.ए.बी.एक्स, टेलीफोन, कम्पयूटर, संघटक पुर्जे और उपकरण शामिल हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में "जी टी एक्स" इंजनों के विभिन्न माडलों का प्रदर्शन

6820. **श्री अमल दत्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984 में भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में और नेहरू सेंटर, बम्बई में भी जी टी आर ई, बंगलौर द्वारा विकसित "जी टी एक्स" इंजनों के विभिन्न माडल प्रदर्शित किए गए थे;

(ख) क्या उपकरण तकनीकी ब्यौरा गुप्त रखा जाना है;

(ग) यदि हां, तो वह किस प्रकार इन उपकरणों का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जा सकता है और जानकारी दी जा सकती है; और

(घ) सरकारी गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) गैस टरबाइन इंजन के विकास के क्षेत्र में भारत की क्षमता को दर्शाने के उद्देश्य से भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में और नेहरू सेंटर बम्बई में केवल "जी टी एक्स" के स्वदेशी इंजन के माडल का "प्रदर्शन योग्य माडल" दिखाया गया था। इसके पैरामीटरों के डिजाइन, अपनाई गई प्रौद्योगिकी आदि जैसी "गुप्त" प्रकृति की किसी सूचना को प्रकट नहीं किया गया था।

(ख) प्रदर्शित माडल एवं दिए गए विवरण "गुप्त" नहीं माने गए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने की दिशा में हुई प्रगति

6821. **श्री ब्रजमोहन महन्ती :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की हाल की स्वीडन यात्रा के दौरान विश्व नेताओं तथा विशेषकर तीसरे विश्व के नेताओं के साथ हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी शासन को हटाने के सम्बन्ध में कोई ठोस प्रस्ताव सामने आया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने, जैसा कि गत वार्षिक सम्मेलन में निर्णय किया गया था, की दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में कोई निश्चायक कदम उठाए हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) प्रधानमंत्री की हाल की स्वीडन यात्रा स्वीडन के स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री ओलोफ पाल्मे की अन्त्येष्ठि में भाग लेने के सिलसिले में थी। तथापि इस अवसर पर वे विश्व के विभिन्न नेताओं से भी मिले और उनके साथ उन्होंने जो बातचीत की थी उनमें दक्षिण अफ्रीका का विषय भी सामान्य तौर पर उठाया गया।

(ख) और (ग). यह स्पष्ट नहीं है कि जिस पिछले वार्षिक सम्मेलन का उल्लेख किया गया है वह कौन-सा है। तथापि, राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की 1985 में बहामास में हुई बैठक में अन्य सरकारों से कहा गया था कि वे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाए जैसा कि कई सदस्य देश पहले ही लगा चुके हैं। इन उपायों में दक्षिण अफ्रीका और इसके अभिकरणों को नए सरकारी ऋण देने पर प्रतिबंध लगाना, दक्षिण अफ्रीका में वाणिज्यिक प्रचार तथा दक्षिण अफ्रीकी सेना या सुरक्षा सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कम्प्यूटर उपकरणों की बिक्री में कटौती करना, कुग्रेंड्स के आयात पर प्रतिबंध लगाने की संभावना, दक्षिण अफ्रीका के साथ और सैनिक सहयोग को निरुत्साहित करना, जिसमें हथियारों और गोला बारुद का व्यापार भी शामिल हैं, तथा पैट्रोलियम पदार्थों के व्यापार पर भी प्रतिबन्ध लगाना, नाभिकीय क्षेत्र में नई संविदाओं पर प्रतिबंध लगाना, तथा जातिवादी शासन के साथ सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संबंधों को निरुत्साहित करना शामिल है। पृथगवासन को समाप्त करने के उद्देश्य से राजनैतिक बातचीत की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के वास्ते प्रख्यात व्यक्तियों का एक दल भी गठित किया गया। इस दल ने दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा की और सरकार तथा विपक्ष के अनेक नेताओं तथा सुविख्यात व्यक्तियों से बातचीत की। अफ्रीकी अग्ररेखी राज्यों के साथ भी परामर्श किया गया है। आशा है कि यह दल राष्ट्रमण्डल देशों को अपनी रिपोर्ट जून, 1986 तक प्रस्तुत कर देगा। यदि उस

समय वे सात राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष जिनके प्रतिनिधि इस दल में शामिल थे, इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पृथगवासन को समाप्त करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है तो तब जातिवादी शासन के खिलाफ अतिरिक्त उपायों की सिफारिश की जाएगी। यह उम्मीद की जाती है कि उस समय यू० के० सहित सभी राष्ट्रमंडल सदस्य इन सिफारिशों का पालन करेंगे।

आसाम में भर्ती कार्यालय

6822. **श्री सुदर्शन दास :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीनों सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए आसाम में कितने भर्ती कार्यालय हैं;

(ख) क्या नए बने जिलों के मुख्यालय में भर्ती कार्यालय खोलने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) इनकी संख्या चार है, जो इस प्रकार है—

(i) थलसेना और नौसेना—

1. नारंगी (गुवाहाटी) 2. जोरहाट और 3. सिल्चर।

(ii) वायुसेना—गुवाहाटी

(ख) जी, नहीं।

(ग) लागू नहीं होता।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में कार्य करने वाले वन मजदूरों को नियमित करना

6823. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में 10 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे 663 वन मजदूरों को नियमित करने के प्रस्ताव को सरकार ने रद्द कर दिया है ;

(ख) क्या भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरागांधी ने कमजोर वर्ग के इन लोगों के विशिष्ट मामले को भर्ती पर लगाई गई रोक के कार्य क्षेत्र से बाहर रखने को कहा था;

(ग) यदि हां, तो इन मजदूरों को नियमित न करने के क्या कारण है ;

(घ) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा एक ऐसे ही मामले में कोई नवीन कार्यवाही की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क). जी, हां।

(ख) और (ग). भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने निदेश दिया था कि नैमित्तिक मजदूरों के नियम हेतु नये पदों के सृजन की प्रार्थना की जांच की जाये।

(घ) और (ङ). इस मामले के पुनर्विचार के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

अर्ध सैनिक बलों में भर्ती के लिए उत्तर-पश्चिम पर्वतीय क्षेत्रों के युवकों को छूट देना

6824. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश और उत्तर पश्चिम भारत के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के युवकों को अर्ध सैनिक और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस आदि जैसे सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए ऊंचाई, छाती, वजन आदि के माप में कुछ छूट की अनुमति दी जाती है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरु) : (क) जी हां, श्रीमान्। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की भर्ती के लिए गोरखा, गढ़वाली, कुमायुनी और डोगरों को ऊँचाई में 5 से० मी० तक की छूट की अनुमति दी जाती है। सीमा सुरक्षा बल के लिए हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, कुमायूं और डोगरा लोगों को ऊँचाई में 5 से० मी० तक की छूट की अनुमति दी जाती है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, गढ़वाल और कुमायूँ के पहाड़ी लोगों को ऊंचाई में 7 से० मी० तक की छूट की अनुमति दी जाती है। आसाम राइफल्स की भर्ती के लिए हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, गढ़वाल और कुमायूं के पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को ऊंचाई में 7 से० मी० और वजन में 2 कि० ग्रा० तक की छूट की अनुमति दी जाती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चरस निर्यात करने वाला गिरोह

6825. **श्री आनंद सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चरस निर्यात करने वाला एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा गया है, जैसा कि 21 मार्च, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ हैं;

(ख) यदि हां, तो इस गिरोह के सम्बन्ध में अब तक की गई जाँच के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में गिरफ्तार किए गये व्यक्तियों का ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) स्वापक औषध तथा मनोत्तेजक द्रव्य अधिनियम, 1985 की धारा 21/61/185 के तहत 19-3-1986 को हजरत निजामुद्दीन पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया। कार नं० डी० ई० सी० 2779 का करोल बाग से निजामुद्दीन तक पीछा किया गया और उसमें बड़ी मात्रा में चरस पायी गयी। चालक के बताने पर, उसके फार्म से चरस की और मात्रा बरामद की गयी। इस मामले में बरामद की गयी चरस की कुल मात्रा 1026 650 कि० ग्रा० है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई सूचना के आधार पर भारत सरकार के राजस्व सतर्कता विभाग, ने चालक के एक साथी से तस्करी का वर्जित माल बरामद किया। जांच-पड़ताल के दौरान पता चला कि यह चरस सड़क के रास्ते पर्यटक बसों में नेपाल में लायी गयी थी तथा दिल्ली से कुछ मुख्य निकासी एजेंटों द्वारा हवाई जहाज से हालैण्ड और कनाडा को निर्यात की जानी थी।

(ग) कार के चालक, प्रताप सिंह और उसके साथी फ़ार्म-प्रबन्धक जिलेदार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त प्रताप सिंह से आगे पूछताछ करने पर पटेल नगर के ओम प्रकाश नामक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया।

फैमिली स्टेशन पर तैनात करना

6826. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवारत अधिकारियों और जवानों को प्रति तीन वर्ष या उससे अधिक समय के बाद बारी-बारी से एक बार फैमिली स्टेशन पर तैनात किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इस तरह दो बार तैनात किए जाने के बीच औसत अन्तराल कितना होता है;

(ग) क्या पर्याप्त फैमिली क्वाटरों के अभाव के कारण फैमिली स्टेशनों में तैनात करने में विलम्ब होने से असंतोष फैल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या उपाय कर रही है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख). सेवारत अफसरों और जवानों को परिवार साथ न रखे जा सकने वाले स्टेशनों में सामान्यत: 2 से 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने के बाद परिवार रख सकने वाले स्टेशनों में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कार्यकाल 2 वर्ष है।

सभी अफसरों और जवानों को प्रत्येक 2 से 3 वर्ष में परिवार एवं गैर परिवार स्टेशनों में आवश्यक रूप से स्थानान्तरित नहीं किया जाता। परिवार न रख सकने वाले स्टेशनों की संख्या

परिवार रखे जा सकने वाले स्टेशनों से कम है। इसलिए गैर-परिवार स्टेशनों में उनकी नियुक्ति की अवधि उनकी संबंद्ध सेना/सेनांग के गैर-परिवार/परिवार स्टेशनों के अनुपात में होती है।

(ग) और (घ). अफसरों और अन्य रैंकों की नियुक्ति किसी विशेष स्टेशन में परिवार आवास की उपलब्धता से संबंधित नहीं है। कुछ स्टेशनों में सभी रैंकों के लिए परिवार आवास की कुछ कमी है। ऐसे मामलों में जहां तक संभव होता है इस कमी को दूर करने के लिए निजी आवास किराए पर लिए जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए और अधिक परिवार आवास बनाए जा रहे हैं।

पुर्तगाली सरकार से सोना प्राप्त करना

6827. डा० बी० एल० शैलेश :

श्री एन० वेंकटरत्नम :

श्री के० प्रधानी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लिस्बन में पुर्तगाल के बैंकों में अनुमानतः कितनी धनराशि का सोना जमा था जिसे 1961 में गोवा मुक्ति आंदोलन के बाद पुर्तगाल की सरकार ने जब्त कर दिया था ;

(ख) क्या प्रेसीडेंट सोरस की अध्यक्षता वाली पुर्तगाली सरकार ने गोवा, दमन और दीव की भूतपूर्व पुर्तगाली बस्तियों के भारतीय राष्ट्रिकों के सोने से सम्बन्धित काफी समय से अनिर्णीत पड़े मामले को तय करने की इच्छा प्रकट की थी; और

(ग) यदि हां, तो लिस्बन सरकार से यह सोना प्राप्त करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) लिस्बन स्थित "बैंकों ने सिओबेल अल्ट्रामेरिनो" की अभिरक्षा में जो सोने के जेवर हैं, उनका अनुमानित मूल्य डेढ़ से दो करोड़ रुपये के बीच है।

(ख) और (ग). यह मामला अभी भी पुर्तगाली अधिकारियों के विचाराधीन है सरकार ने हाल ही में यह मामला पुर्तगाल के विदेश मंत्री के साथ उठाया है।

मद्रास परमाणु बिजली संयंत्र के यूनिट-1 का बंद पड़ना

6828. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कल्पाक्कम स्थित मद्रास परमाणु बिजली संयंत्र की एक जेनरेटिंग यूनिट भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल द्वारा सप्लाई किए गए जेनरेटिंग ट्रांसफार्मर में आये दोष के कारण बन्द पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इस दोष के क्या कारण हैं और इस रुग्ण यूनिट को शीघ्र चालू करने के लिए सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है; और

(ग) क्या मद्रास परमाणु बिजली संयंत्र के हितों की सुरक्षा के लिए इस प्रकार के दोष युक्त उपकरणों की सप्लाई के विरुद्ध भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ किए गये समझौते में कोई शास्ति खण्ड रखा गया था ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग की इंसुलेशन ठीक काम नहीं कर रही है। उसकी मरम्मत की कारंवाई शुरू की जा चुकी है। इस बीच, नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना का एक ट्रांसफार्मर कल्पक्कम ले जाया जा रहा है ताकि संयंत्र कम समय के लिए ही बंद रहे।

(ग) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ किए गए करार में दिए जाने वाले उपस्करों के स्वीकार किए जाने से पहले उनकी जांच करने तथा उनके कार्य-निष्पादन की वारंटी संबंधी मानक शर्तें शामिल हैं।

पांचवा दक्षिण-ध्रुवीय अभियान

6829. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांचवां दक्षिण-ध्रुवी अभियान दल अपना कार्य सफलतापूर्वक समाप्त करके अभी-अभी लौटा है;

(ख) यदि हां, तो इस दल को क्या कार्य सौंपा गया था तथा इस यात्रा के दौरान उनके अनुभव क्या हैं; और

(ग) दल का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हाँ, श्रीमान। पांचवां भारतीय अंटार्कटिक अभियान दल 24.3.1986 को लौटा है।

(ख) इस दल को सौंपे गये कार्यों में अंटार्कटिका में पूर्वी वोहलथाट पर्वत श्रेणी के उत्तरोत्तर बड़े-बड़े क्षेत्रों का सर्वेक्षण तथा भूविज्ञान, भूभौतिकी, मौसम विज्ञान और जैविकी के क्षेत्रों में वैज्ञानिक अन्वेषणों से संबंधित कार्य को जारी रखना सम्मिलित है। अन्वेषणों की विस्तृत रिपोर्टों की प्रतीक्षा है।

(ग) इस दल में 88 व्यक्ति थे। दो महिला वैज्ञानिकों को मिलाकर इस दल में वैज्ञानिकों की संख्या 21 थी जिसमें से एक महिला सदस्य दूसरी बार अंटार्कटिका गई थीं। सुप्रचालनिक कार्मिकों की संख्या 67 थी। शीतऋतु का अनुभव प्राप्त करने के लिए 14 सदस्यों का एक दल वहां ठहरा हुआ है जो मार्च, 1987 में लौट आयेगा।

पासपोर्ट कार्यालय में कम्प्यूटर लगाना

6830. **श्री शांताराम नायक** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में किसी पासपोर्ट कार्यालय में कम्प्यूटर लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या गोवा में पास पोर्ट कार्यालय में कम्प्यूटर लगाया जाएगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ((श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां, सरकार का इरादा भारत के 16 पासपोर्ट कार्यालयों में कम्प्यूटर लगाने का है जिनके नाम हैं अहमदाबाद बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता, चन्डीगढ़, कोचीन, दिल्ली, गोहाटी, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, मद्रास, पटना और श्रीनगर। इन 16 कार्यालयों में से 4 पासपोर्ट कार्यालयों यानी बम्बई, मद्रास, कोचीन और दिल्ली में कम्प्यूटर लगाने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं।

(ख) जी नहीं, गोवा स्थिति पासपोर्ट कार्यालय में कम्प्यूटर लगाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

भारी दण्ड दिये जाने पर अर्द्ध सरकारी निकायों के कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुनवाई

6831. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय किया गया है कि कर्मचारियों को भारी दण्ड दिये जाने से पहले व्यक्तिगत रूप से उनकी बात सुनी जाय ;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् आदि जैसा अर्द्ध सरकारी निकायों के कर्मचारियों को भी यह लाभ स्वतः मिल जायगा ;

(ग) क्या उन सरकारी निकायों के मामले में, जिन परन्यायालयों या भारत के राष्ट्रपति को अपील लागू नहीं होती थी, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई कालबाधित सीमाओं को समाप्त किया जायेगा ; और

(घ) क्या व्यक्तिगत रूप से सुनवाई उस विभाग की बजाय, जिसमें कर्मचारी कार्यरत था, कार्मिक मंत्रालय में करने की व्यवस्था की जाएगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जहां तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है भारी शास्ति लगाने की क्रियाविधि अनुशासनिक नियमों के अधीन विर्धारित की गई है जो सांविधिक प्रकृति के है। इन नियमों में संविधान के

अनुच्छेद 311(2) में निर्धारित यह सिद्धांत शामिल है कि किसी भी सिविल सेवक को तब तक न पदच्युत किया जाएगा, न पद से हटाया जाएगा और न पंक्तिच्युत किया जाएगा। जब तक जांच न कर ली गई हो और उसे सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया गया हो। ऐसे मामले जो अनुच्छेद 311(2) के दूसरे परन्तुक के उपबन्धों के अधीन आते हैं इसके अपवाद हैं। ऐसी शास्ति आरोपित किए जाने से क्षुब्ध सरकारी कर्मचारी सक्षम अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है। नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि दी हुई सजा के विरोध में सरकारी कर्मचारी द्वारा दायर की गई अपील पर निर्णय लेने से पहले अपीलीय प्राधिकारी वैक्तिक सुनवाई की अनुमति दे। तथापि, कर्मचारी पक्ष के साथ हुए विचार-विमर्श के आधार पर सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसमें यह व्यवस्था है कि जहां अपील भारी शास्ति दिए जाने से संबंधित आदेश के विरुद्ध हो तथा अपीलकर्ता विशेष अनुरोध करे तो अपीलीय प्राधिकारी मामले के सभी संगत तथ्यों पर विचार करने के बाद अपीलकर्ता को स्वनिर्णय से वैयक्तिगत सुनवाई की अनुमति दे सकता है। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा ऐसी वैयक्तिगत सुनवाई की अनुमति, मामले के सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उसके स्वनिर्णय से दी जाएगी।

(ख) और (ग). उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित आदेश को केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के उपलब्धों के विशेष संदर्भ में जारी किया गया है। अतः ये आदेश ऐसे अर्द्ध-सरकारी तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर स्वतः ही लागू नहीं होते हैं जो इन नियमों के विचार क्षेत्र के भीतर नहीं आते हैं। अपने कर्मचारियों के इसी प्रकार की किसी पद्धति को अपनाने का कार्य उन्हीं स्वायत्त निकायों का है।

(घ) चूंकि अपील अवस्था पर व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति तथा उसका आयोजन विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के उपयुक्त अपील-प्राधिकारियों द्वारा अपने विवेक पर ही किया जाना होता है, इसलिए कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में इसकी व्यवस्था किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

धातु निकालने की नई प्रक्रिया

6832. **श्री एन० डेनिस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में हिन्द महासागर के बहुधातु पिण्डों से धातु निकालने के लिए एक नई प्रक्रिया विकसित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (भुवनेश्वर), राष्ट्रीय धातुकर्मीय प्रयोगशाला (जमशेदपुर) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (उदयपुर), हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (खेत्री और घाटशिला), जैसी भारत की विभिन्न प्रयोगशालाओं में मध्य हिन्द महासागर से एकत्रित किए गए बहुधात्विक पिण्डों से धातुओं के निष्कर्षण के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का अर्ध-प्रायोगिक पैमाने पर परीक्षण किया जा रहा है। ये प्रक्रियाएं जल-धातुकर्मीय एवं ताप-धातुकर्मीय तकनीकों का

अनुसरण करती हैं और ये उनका परिष्कृत रूप हैं जो अन्यत्र प्रयोग में लाए गए हैं। प्रयोगशाला पैमाने पर पिंडों से तांबा, निकल तथा कोबाल्ट का शुद्ध रूप में निष्कर्षण पहले ही किया जा चुका है।

राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता देना

6833. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अगले वर्ष के दौरान राज्यों को अपनी योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए अधिक वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य को चालू वित्तीय वर्ष के लिए कितनी राशि के ऋण और अनुदान मंजूर किए हैं; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के चालू वर्ष के लिए विभिन्न राज्यों का योजना परिव्यय निर्धारित करने के क्या मानदण्ड हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) राज्य योजनाओं के लिए परिव्ययों का सामान्यतः निर्धारण राज्य के अपने संसाधनों के आधार पर और (1) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथा अनुमोदित गाडगिल फार्मूले के आधार पर व (2) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं, जहां कहीं वे शुरू की जाती हैं, के लिए अनुमेय केन्द्रीय सहायता के स्तर पर किया जाता है।

विवरण

राज्य योजनाओं के लिए 1985-86 में वास्तव में दी गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रु०)

क्रम सं०	राज्य का नाम	सामान्य केन्द्रीय सहायता		विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए सहायता	
		ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान
1.	आन्ध्र प्रदेश	22587.600	9680·400	528·626	226·554
2.	असम	26441·800	13792.200	317.982	136·278

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	36725.500	15739.500	1020.327	437.283
4.	गुजरात	11699.800	5014.200	2598.141	1113.489
5.	हरियाणा	9800.000	4200.000	1451.968	622.272
6.	हिमाचल प्रदेश	1654.633	14891.697	44.175	397.575
7.	जम्मू और कश्मीर	21576.600	10865.400	142.338	61.002
8.	कर्नाटक	10234.000	4386.000	3128.776	1340.904
9.	केरल	17781.400	7620.600	1427.377	611.733
10.	मध्य प्रदेश	18036.613	7729.777	4266.647	1828.563
11.	महाराष्ट्र	16156.000	6924.000	6897.576	2956.104
12.	मणिपुर	989.200	8902.800	—	—
13.	मेघालय	643.700	5793 300	—	—
14.	नागालैंड	1233.100	11097.900	—	—
15.	उड़ीसा	11520.453	4937.337	2608.424	1117.896
16.	पंजाब	16643.735	7297.315	893.144	382.776
17.	राजस्थान	14297.500	6127.500	1350.419	578.751
18.	सिक्किम	532.800	4039.200	—	—
19.	तमिलनाडु	18726.390	8099.610	1660.043	711.447
20.	त्रिपुरा	869.300	7910.500	42.672	383.958
21.	उत्तर प्रदेश	40852.946	19689.054	2422.140	1038.060
22.	पश्चिम बंगाल	11866.784	5411.616	1039.010	445.290
		310869.854	190150.106	31839.775	14389.935

राज्यों द्वारा वित्तीय साधन जुटाया जाना

6834. **श्री गुरुदास कामत** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाए; और

(ख) क्या सातवीं योजना के लिए आवंटन करते समय इन राज्यों को प्राथमिकता दी गई है?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) ऐसा अनुमान है कि चार राज्यों अर्थात् कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश ने वर्तमान कीमतों पर अपने जो संसाधन जुटाए हैं वे छठी योजना तैयार करने के समय मूल्यांकित संसाधनों से अधिक हैं।

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित परिशोधित गाडगिल फार्मूले में दिए गए सिद्धान्तों के आधार पर, सातवीं योजना के लिए केन्द्रीय सहायता का आवंटन किया गया है।

खाड़ी के देशों के भारतीय दूतावासों में मलयालम जानने वाले अधिकारी

6835. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि खाड़ी के देशों में काम करने वाले अधिकांश भारतीय केरल के रहने वाले हैं;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि उनमें से अधिकतर पढ़े-लिखे नहीं हैं;

(ग) क्या सरकार को खाड़ी के देशों में काम करने वाले मलयालियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि उन देशों में स्थित भारतीय दूतावासों में कुछ अधिकारी मलयालम जानने वाले होने चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीयों में केरल से आए व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार खाड़ी के अनेक देशों में केरल से आए अधिकांस व्यक्ति थोड़ा-बहुत शिक्षित हैं।

(ग) खाड़ी देशों में कार्य कर रहे भारतीयों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) उन देशों में जहां कहीं भी सम्भव होता है, मलयालम भाषा जानने वाले अधिका

रियों को तैनात किया जाता है। वर्तमान में इन देशों में स्थित सभी मिशनों में मलयालम भाषा जानने वाले अधिकारी हैं।

बंगलादेश और पाकिस्तान के साथ प्रत्यर्पण संधि

6836. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बंगलादेश के कितने राष्ट्रिक भारत में नजरबन्द हैं;

(ख) इस समय कितने पाकिस्तानी राष्ट्रिक भारत में नजरबन्द हैं; और

(ग) क्या उन देशों के साथ, जिनकी भारत के साथ सीमा लगती है, प्रत्यर्पण संधि करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन्) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ग) नेपाल के साथ हमारी प्रत्यर्पण सन्धि है।

1949 की भारत-भूटान सन्धि में अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्पण की व्यवस्था भी निहित है।

बंगलादेश, बर्मा, चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे प्रत्यर्पण संबंधी करार नहीं है। इस प्रकार का कोई करार करने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर सेवा कर चुके अधिकारी

6837. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय में वर्ष 1985 के दौरान विभिन्न अधिकारियों ने सचिव के पद पर कितने-कितने दिन कार्य किया है;

(ख) वर्ष के दौरान प्रत्येक सचिव विदेश में कितने दिन रहा; और

(ग) विदेश के प्रत्येक दौरे में किए गये सरकारी कार्य का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन्) : (क) ये ब्यौरे विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) ये ब्यौरे विवरण—1 में दिए गए हैं।

(ग) ये ब्यौरे विवरण—2 में दिए गए हैं।

विवरण—1

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	कार्यालयों में दिवसों की सं०	विदेश में बिताए दिनों की संख्या
	सर्व श्री		
1.	एम० रसगोत्रा विदेश सचिव	1 माह (31 दिन)	—
2.	रोमेश भण्डारी सचिव (ई. आर) (1.1.85 से 31.12.85 तक) विदेश सचिव (1.2.85 से 31.2.85 तक)	12 महीने (365 दिन)	98
3.	टी० सी० अजमानी (डीन, एफ.एस.टी.आई.)	6 माह और 4 दिन (185 दिन)	—
4.	ए० पी० वेंकटेश्वरन सचिव (पूर्व)	11 माह (334 दिन)	91
5.	एन० पी० जैन सचिव (एफ.एस.टी.आई.) और सचिव (ई.आर.)	5 माह और 27 दिन (180 दिन)	36
6.	जे० एस० तेजा सचिव (पूर्व) और सचिव (पश्चिम)	12 माह (365 दिन)	51

विवरण—2

श्री रोमेश भण्डारी, सचिव (ई० आर०)
(1-1-1985 से 31-1-1985 तक)
विदेश सचिव
(1-2-1985 से 31-12-1985 तक)

क्रम सं०	जिस देश की यात्रा	यात्रा का प्रयोजन
1.	अफगानिस्तान	द्विपक्षीय वार्ता।
2.	अल्जीरिया	प्रधान मंत्री के साथ गए।

3.	बहामास	प्रधान मंत्री के साथ गए।
4.	बंगलादेश	प्रधान मंत्री के विशेष दूत के रूप में।
5.	भूटान	द्विपक्षीय बातचीत। प्रधान मंत्री की यात्रा के लिए तैयारी वार्ता और बाद में प्रधान मंत्री के साथ गए।
6.	क्यूबा	प्रधान मंत्री के साथ गए।
7.	मिश्र	प्रधान मंत्री के साथ गए।
8.	फ्रांस	प्रधान मंत्री के साथ गए।
9.	हालैंड	प्रधान मंत्री के साथ गए।
10.	ईरान	प्रधान मंत्री के विशेष दूत के रूप में।
11.	इराक	प्रधान मंत्री के विशेष दूत के रूप में।
12.	नेपाल	द्विपक्षीय वार्ता।
13.	पाकिस्तान	द्विपक्षीय वार्ता।
14.	श्री लंका	प्रधान मंत्री के विशेष दूत के रूप में।
15.	स्विटजरलैण्ड	प्रधान मंत्री के साथ गए।
16.	यू० के०	द्विपक्षीय वार्ता और प्रधान मंत्री के साथ गए।
17.	संयुक्त राज्य अमरीका	प्रधान मंत्री के साथ गए।
18.	सोवियत संघ	प्रधान मंत्री के साथ गए और व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत-सोवियत संयुक्त आयोग में भाग लेने के लिए।
19.	यूगोस्लाविया	लुआण्डा सम्मेलन के संबंध में द्विपक्षीय विचार-विमर्श के लिए।

श्री ए०पी० वेंकटेश्वरन, सचिव (पूर्व)

(1-2-1985 से 31-12-85 तक)

क्र० सं०	जिस देश की यात्रा की	यात्रा का प्रयोजन
1.	आस्ट्रेलिया	द्विपक्षीय वार्ता के लिए।
2.	क्यूबा	प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान हवाना में उपस्थित रहने के लिए।

3.	फिजी	द्विपक्षीय वार्ता के लिए।
4.	हांगकांग	आपसी हितों के मामलों और गुट निरपेक्ष आन्दोलन के मुद्दों पर विचार-विनिमय के लिए।
5.	इन्डोनेशिया	बांदुंग सम्मेलन के संबंध में।
6.	इराक	प्रधान मंत्री के विशेष दूत के रूप में।
7.	जापान	आपसी हितों के मामलों और गुट मिरपेक्ष आन्दोलन के मुद्दों पर विचार-विनिमय के लिए और प्रधान मंत्री के साथ भी गए।
8.	कोरिया गणराज्य	आपसी हितों के मामलों और गुट निरपेक्ष आन्दोलन के मुद्दों पर विचार-विनिमय विमर्श के लिए।
9.	न्यूजीलैंड	द्विपक्षीय वार्ता के लिए।
10.	थाईलैंड	द्विपक्षीय वार्ता के लिए।
11.	संयुक्त राज्य अमरीका	भारत का उत्सव की प्रसार व्यवस्थाओं के लिए।
12.	वियतनाम-समाजवादी गणराज्य	द्विपक्षीय वार्ता और प्रधान मंत्री के साथ गए।

श्री एन०पी० जैन, सचिव (एफ.एस.टी.आई.) और सचिव (ई.आर.)
(5-7-1985 से 31-12-1985 तक)

क्रम सं०	जिस देश की यात्रा की	यात्रा का प्रयोजन
1.	अल्जीरिया	गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन की तैयारी के संबंध में वार्ता के लिए।
2.	अंगोला	गुट निरपेक्ष आन्दोलन की बैठक में भाग लेने के लिए।
3.	ईथोपिया	रिवोल्यूशनरी कमान्ड काउन्सिल सदस्य और व्यापार मंत्री श्री हसन अली के साथ बातचीत के लिए।
4.	इराक	लुआण्डा में आगामी गुट निरपेक्ष आन्दोलन की मंत्री स्तरीय बैठक के संबंध में।

5.	कुवैत	लुआण्डा में आगामी गुट निरपेक्ष आन्दोलन की मंत्री स्तरीय बैठक के संबंध में।
6.	केन्या	लुआण्डा में आगामी गुट निरपेक्ष आन्दोलन की मंत्री स्तरीय बैठक के संबंध में।
7.	नेपाल	पूर्व पश्चिम हाईवे संबंधी संयुक्त मानीटरिंग समिति की पहली बैठक में भाग लेने के लिए।
8.	ओमान	सरकारी स्तर पर वार्ता के लिए।
9.	यूगोस्लाविया	लुआण्डा में आगामी गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सम्मेलन से सम्बन्धित तैयारो वार्ता के लिए।
10.	जाम्बिया	लुआण्डा में आगामी गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सम्मेलन से संबंधित वार्ता तैयारी के लिए।
11.	जिम्बाबवे	लुआण्डा में आगामी गुट निरपेक्ष आन्दोलन के के सम्मेलन से संबंधित तैयारी वार्ता के लिए।

डा० जे० एस० तेजा, सचिव (पूर्व) और सचिव (पश्चिम)
(1-1-1985 से 31-12-1985 तक)

क्रम सं०	जिस देश की यात्रा की	यात्रा का प्रयोजन
1.	चीन	बीजिंग में भारतीय दूतावास की सम्पत्ति के संबंध में वार्ता के लिए।
2.	क्यूबा	आठवें गुट निरपेक्ष आन्दोलन शिखर सम्मेलन के लिए स्थान के चयन के संबंध में।
3.	गुयाना	आठवें गुट निरपेक्ष आन्दोलन के शिखर सम्मेलन के लिए स्थान के चयन के संबंध में।
4.	ईरान	प्रधान मंत्री के विशेष राजदूत के रूप में।
5.	मारीशस	स्वर्गीय श्री रामगुलाम की अन्तेष्टि में भाग लेने के लिए उप-राष्ट्रपति के साथ गए।
6.	पाकिस्तान	विदेश सेवा निरीक्षकों की यात्रा।

7.	संयुक्त अरब अमीरात	भारत-संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की चौथी बैठक में भाग लेने के लिए।
8.	संयुक्त राज्य अमरीका	संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा संकल्पनाओं पर विशेषज्ञों की संयुक्त राष्ट्र समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए।

कामिनी रिएक्टर का निर्माण

6838. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू-233 ईंधन युक्त न्यूट्रान सोर्स रिएक्टर कामिनी कल्पनाक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र में निर्माणाधीन है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त कामिनी न्यूट्रान सोर्स रिएक्टर में कब तक चालू होने की संभावना है;

(ग) इस न्यूट्रान रिएक्टर का किन-किन विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) सन् 1987 के शुरू में।

(ग) और (घ). इस न्यूट्रान सोर्स रिएक्टर का उपयोग अकिरणित और किरणित फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टरों के ईंधन पिनों की जांच न्यूट्रान रेडियोग्राफी की सहायता से करके फास्ट ब्रीडरों के लिए ईंधन विकसित करने के वास्ते किया जा सकता है। इस रियेक्टर को जिन अन्य कार्यों के लिए योजनानुसार काम में लाया जा सकता है। वे हैं—सामग्री के विकास के लिए न्यूट्रान-अभिप्रेरण विश्लेषण और विकिरण भौतिकी के क्षेत्र में किये जाने वाले अनुसंधान (उदाहरणार्थ विकिरण और शील्डों का अध्ययन, विकिरण मात्रापियों का विकास, आदि)।

असम में 1983 के दंगा पीड़ितों की सहायता और उनका पुनर्वास

6839. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में 1983 के दंगा पीड़ितों को राहत और उनके पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई राशि के लाभार्थियों की शीर्षवार संख्या क्या है; और

(ख) कितने दावे लम्बित पड़े हैं और प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत कुल कितनी राशि के दावे लम्बित हैं?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) असम सरकार ने

जिन 52818 पीड़ित परिवारों का पता लगाया है उन्हें राहत और पुनर्वास सहायता देने के लिए भारत सरकार ने 59.98 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार 6403 और परिवारों को भी सहायता देने की आवश्यकता है।

बताया जाता है कि राज्य सरकार ने 55.31 करोड़ रु० खर्च किए हैं। राज्य सरकार को आगे और धन दिया जाना, व्यय का पूरा ब्यौरा, लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है।

मोटर-स्पिरिट के प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए अध्ययन

6841. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम :**

डा० जी० विजय रामाराव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण विभाग पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ मिलकर मोटर-स्प्रिट के 0.55 ग्राम/लीटर भारतीय मानक संस्थान के वर्तमान स्तर को घटाकर अन्य देशों की तरह 0.15 ग्राम/लीटर करने का प्रयास कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका ने 10 प्रतिशत एलकोहल के प्रतिस्थापन द्वारा मोटर-स्प्रिट प्रमुख प्रदूषण तत्व "ट्रेट्रे लीडन" को बिल्कुल समाप्त कर दिया; और

(घ) यदि हां, तो भारत में इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख). जी, हां। आरम्भ में, खपत के वर्तमान स्तर से अधिक सीसे का प्रयोग न करने पर प्रतिबन्ध लगाना और परिशोधन प्रक्रिया में चरणबद्ध तरीकें से परिवर्तन, सीसे के प्रयोग को कम करने के लिए उठाये गये उपायों में से हैं।

(ग) जी नहीं,

(घ) जहां तक भारत का सम्बन्ध है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों को अनुमति प्रदान करना

6842. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित कितने विधेयक अभी राष्ट्रपति की अनुमति के लिए लम्बित पड़े हैं;

(ख) उन विधेयकों का स्वरूप क्या है; और

(ग) इन विधेयकों पर अनुमति देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

क्रम सं०	विधेयक का नाम	वर्तमान स्थिति
1.	पश्चिम बंगाल मजदूर टिंडल लोडर गोडाउनमैन तथा अन्य कामगार (रोजगार का नियमन तथा कल्याण) विधेयक 1981	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श कर के जांच की जा रही है ।
2.	मजदूर संघ (पिश्चम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1983	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है ।
3.	पश्चिम बंगाल दुकान तथा प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 1984	22-3-85 से राज्य सरकार के पास स्पष्टीकरण के लिए लम्बित है ।
4.	कलकत्ता विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है ।
5.	दण्ड प्रक्रिया संहिता (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1985	3-9-85 से राज्य सरकार के पास स्पष्टीकरण के लिए लम्बित है ।
6.	पश्चिमी बंगाल परिसर किरायेदारी (संशोधन) विधेयक 1986	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है ।

भारत-चैकोस्लोवाकिया के बीच विज्ञान समझौता

6843. **श्री आर० एस० माने :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1986 में भारत और चैकोस्लोवाकिया के बीच एक विज्ञान समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ;

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और चैकोस्लोवाकिया की अकैडमी आफ साइंसिस के बीच वर्ष 1986-88 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग की एक उपसंधि पर 19 मार्च, 1986 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये गये थे।

(ख) दोनों पक्षों ने मौजूदा कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। अब तक प्राप्त परिणामों तथा भविष्य में विकास की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1986-88 के लिए सहयोग के अनेक क्षेत्र अभिनिर्धारित किये गये। सहयोग के अलग-अलग क्षेत्रों के लिए दोनों देशों की ओर से भाग लेने वाली संस्थाओं का भी अभिनिर्धारण किया गया।

कम्प्यूटरों के आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा

6844. **श्री अजित कुमार साह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे कम्प्यूटर अथवा इसके पुर्जों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है; और

(ख) कम्प्यूटर निर्माण कम्पनियों ने वर्ष 1980-85 की अवधि में पूरे कम्प्यूटर अथवा इसके पुर्जों के आयात पर प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार ने वर्ष 1983-85 के दौरान, 249.58 करोड़ रुपये मूल्य की कम्प्यूटर प्रणालियों का पूर्ण रूप से अथवा कल-पुर्जों के रूप में आंशिक रूप से आयात करने की अनुमति दी है, जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

वर्ष	मूल्य करोड़ रुपयों में
1983	18.27
1984	80.31
1985	151.00

(ख) वर्ष 1980-85 के दौरान कल-पुर्जों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का परिव्यय लगभग 121 करोड़ रुपये था।

वर्ष-वार आंकड़े नीचे दिए अनुसार हैं।

वर्ष	मूल्य करोड़ रुपयों में
1980	9.2
1981	10.8
1982	13.9
1983	19.5
1984	21·2
1985	46.5

दिल्ली की कुछ संस्थाओं द्वारा विदेशों से अंशदान प्राप्त किया जाना

6845. **श्री बाजूबन रियान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्नलिखित संस्थाओं को वर्ष 1981 से 1984 तक की अवधि के दौरान विदेशी अभिदाय (विनिमय) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत अंशदान प्राप्त होता रहा है ;

(एक) एसोसिएसन आफ वालिंटियरी एजेंसीज फार रूरल डेवलपमेंट, दिल्ली,

(दो) लोकायन, दिल्ली,

(तीन) सोसाईटी फार पार्टीसिपेशन रिसर्च इन एशिया, दिल्ली,

(चार) पब्लिक एंटरप्राइजिज सेंटर फार कंटीन्युइंग एजुकेशन, दिल्ली,

(ख) यदि हाँ, तो इन संस्थाओं को वर्ष-वार कितनी राशि प्राप्त हुई; और

(ग) यह धन किन-किन देशों से प्राप्त हुआ है और किन-किन संगठनों ने अंशदान दिये हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग). लोकायन, दिल्ली और पब्लिक एंटरप्राइजिज, सेन्टर फार कन्टीन्यूइंग एजूकेशन, दिल्ली ने वर्ष 1981 से 1984 तक की अवधि के दौरान कोई विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की सूचना नहीं दी है । अन्य दो संस्थाओं द्वारा विदेशी अभिदाय प्राप्त किये जाने का विवरण संलग्न है ।

विवरण

उन संस्थाओं के नामों की सूची, वर्ष 1981 से 1984 के दौरान प्राप्त हुए विदेशी अभिदाय की राशि, उन देशों/संस्थाओं के नाम जहां से ये राशियां प्राप्त हुईं

क्रम सं०	संस्था का नाम	प्राप्त राशि (रुपयों में)				दानदाता का नाम और देश
		1981	1982	1983	1984	
1.	एसोसिएशन आफ वालंट्री एजेन्सीज फार रूरल डिवेलपमेंट नई दिल्ली।	33,17,033.67	3,93,986.52	8,23,762.03	6,71,014.51	ई. जैड. ई. बोन, पश्चिम जर्मनी, डे एरिका मैंकर हेन्रीष स्ट्रेसे, पश्चिम जर्मनी।
2.	सोसायटी फार पार्टिसपेट्री रिसर्च इन एशिया, नई दिल्ली	इस वर्ष कोई राशि प्राप्त होने की रिपोर्ट नहीं मिली	1,83,241.55	2,52,283.04	8,14,952.54	ए.एस.पी.बी.ए.ई. पोस्ट बाक्स 1225, केन्बेरा, आस्ट्रेलिया आई.सी.ए.ई. 29, प्रिंस आर्थर एवेन्यू टोरन्टो, कनाडा। हाइलैन्डर रिसर्च सेन्टर टेनीसे 37820 यू.एस.ए.सी०ई०बी०ई०एम०ओ० पोस्टबस 7722340 एबी. ओगस्टजीस्ट, हालैण्ड,आई.डी. आर.सी. 11 जोर बाग,नई दिल्ली।

पश्चिम बंगाल और बम्बई में कतिपय संगठनों द्वारा विदेशी धन प्राप्त किया जाना

6846. **श्री अमल दत्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981 से 1984 तक की अवधि के दौरान विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत;

(1) टैगोर सोसायटी, कलकत्ता,

(2) ग्रामीण विकास एसोसिएशन, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल और

(3) इन्डियन स्कूल फार रिसर्च एण्ड एजूकेशन, बम्बई संगठनों को विदेशी धन प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो उन्हें वर्ष-वार कितनी धनराशि प्राप्त हुई है; और

(ग) किन किन देशों और संगठनों से और किस प्रयोजन के लिए यह धन आया है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग). इण्डियन स्कूल फार रिसर्च एण्ड एजूकेशन, बम्बई ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत किसी विदेशी धन की प्राप्ति की सूचना नहीं भेजी है।

टैंगोर सोसायटी, कलकत्ता और ग्रामीण विकास एसोसिएशन मिदनापुर के बारे में विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1981 से 1984 के दौरान कुछ संस्थाओं के नाम और उनके द्वारा प्राप्त की गयी विदेशी धन राशि और दान दाताओं के नाम और अंशदान का प्रयोजन सम्बन्धी विवरण

क्र०सं० संस्था का नाम	प्राप्त धन राशि (रुपयों में) 1981	1982	1983	1984	दानदाता का नाम	अंशदान का प्रयोजन
1. टैगोर सोसायटी फार रूरल डिवलपमेंट, कलकत्ता	13,60,185,97	20,91,101·87	25,32,863.72	47,64,950·68	ब्रेड फार दी वर्ल्ड (पश्चिम जर्मनी) (ई जैड ई) (प. जर्मनी ई वी फ्रेनवोर-वेट आई डी ई वी. अनमेरी सेफर 6000 फेंकफंट पश्चिम जर्मनी	बिहार में ग्रामीण एवं कृषि विकास और पश्चिम बंगाल में रंग वेलिया परियोजना क्षेत्र में तूफान राहत कार्य के लिए।
2. ग्रामीण विकास एसोसिएशन, जिला मिदनापुर (पश्चिम बंगाल)	1,49,230.00	3,01,400.00	3,40,900·00	4,60,100.00	यूरोप, कलकत्ता कन्सोरटियम, (प. जर्मनी) ब्रेड फार दी वर्ल्ड (पश्चिम जर्मनी) आक्सफोम (इण्डिया) ट्रस्ट।	मिदनापुर जिला (प. बं.) में योजना प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रौढ़ शिक्षा।

हुगली नदी का प्रदूषण रोकने के लिए उपाय

6847. **श्री सनंत कुमार मण्डल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली नदी के पानी में प्रदूषण कम नहीं हुआ है, जिसमें प्रदूषित पानी बहता है और जो स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय स्तर पर इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालल में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों तथा राष्ट्रीय पर्यावरणीय इन्जीनियरिंग अनुसंधान संस्थान द्वारा हुगली में जल की गुणवत्ता के बारे में किए गए अध्ययनों से प्रतीत होता है कि हुगली नदी का प्रदूषण स्तर अत्यधिक है।

(ख) प्रदूषण के मुख्य स्रोत नदी के किनारों पर स्थित शहरों और कस्बों के मलजल तथा औद्योगिक संयन्त्रों से विसर्जन को बताया गया है। केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण ने 133.55 करोड़ रुपये की वैचारिक लागत से पश्चिम बंगाल में प्रदूषण कम करने की स्कीमों के अन्तर्गत बहरामपुर, नवद्वीप, हल्दिया और कलकत्ता महानगर जिले में एक निर्माण कार्यक्रम का अनुमोदन किया है। 6.28 करोड़ रुपये की लागत से वरपेटा, टीटागढ़, चन्दननगर और सिरामपुर में 7 स्कीमों को स्वीकृति प्रदान की गई है और इन स्कीमों के कार्यान्वियन हेतु 31 मार्च, 1986 तक 1 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण

6848. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्याधुनिक शस्त्रों और विशेषकर तोपखाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और अन्य केन्द्रों के रक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में इलैक्ट्रानिक और कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक उपकरण की जानकारी देना शुरू किया गया है;

(ख) क्या ऐसे उपायों के रूप में सरकार का विचार जवानों और अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने का है; और

(ग) क्या पश्चिम देशों की रक्षा प्रौद्योगिकी पूर्वी देशों की रक्षा प्रौद्योगिकी की अपेक्षा बेहतर है और केन्द्रीय सरकार इस पर क्या करना चाहेगी ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं अन्य रक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं में कम्प्यूटरों सहित अन्य अति आधुनिक प्रशिक्षण सहायकों का उपयोग शुरू किया गया है। जहां अपेक्षित होता है नयी इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी की शिक्षा देना प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम का एक अंग है।

(ख) सेना अफसरों को रक्षा क्षेत्र में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के विकास की जानकारी से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजा जाता है।

(ग) सरकार उसी प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देती है जो उचित हो और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो।

उपग्रहों से प्राप्त आकड़ों का वनों के विकास के लिए उपयोग

6849. **श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का वनों के विकास के लिए उपयोग करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) उपग्रह बिम्बावली से लिये गए आकड़ों को, विभिन्न राज्यों के मानचित्रों को तैयार करने के लिए, इसे समय-समय पर प्रबोधन हेतु तथा वन ससाधन सर्वेक्षण को सरल बनाने के लिए प्रयोग किया जायेगा।

कोर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की भूमि पर मकानों का निर्माण

6850. **श्री सुरेश कुरूप :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काबट राष्ट्रीय उद्यान के बहुत बड़े क्षेत्र को अस्थायी तौर पर राम गंगा पन-बिजली परियोजना के कर्मकारों के लिए मकान बनाने के लिए दे दिया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का इस भूमि को उक्त राष्ट्रीय उद्यान को वापस दिलाने हेतु कोई उपाय करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित/जनजातियों की सूची में सारा जाति को शामिल करना

6851. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (संशोधन) आदेश में 'शाबर', 'सौरा' 'सावार' तथा 'सहारा' जातियों को शामिल किया गया है। उड़ीसा में उसी जाति को उड़िया में 'सारा' शब्दों के रूप में उच्चरित किया जाता है;

(ख) क्या उड़ीसा की सूची में इस 'सारा' शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है और उड़ीसा के पुरी तथा कटक जिले में इस जनजाति के लगभग 40,000 लोग उन सुविधाओं से वंचित हैं जो उन्हें उपर्युक्त जनजातियों के रूप में प्राप्त हैं;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार से इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश प्राप्त हुई है, और यदि हां, तो कब; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार 'सौरा', 'सावार', 'सौरा' तथा 'सहारा' की उड़ीसा सूची में 'सारा' को जोड़ने का विचार है, क्योंकि 'सहारा' को स्थानीय बोली में 'सारा' बोला जाता है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). समय-समय पर संशोधित संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के अनुसार सौरा, सावार, सौरा, सहारा समुदायों को उड़ीसा में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इन समुदायों से संबंधित व्यक्ति अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। 'सारा' समुदाय, जिसको उड़ीसा की अनुसूचित जनजातियों की सूची में स्थान नहीं मिला है, से सम्बन्धित व्यक्ति तब तक अनुसूचित जनजातियों के लाभों को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक इस समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं किया जाता है।

(ग) उड़ीसा सरकार से प्राप्त टिप्पणियों को लोकहित में नहीं बताया जा सकता है।

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रस्तावित विस्तृत संशोधन के संदर्भ में इसी प्रकार के अन्य प्रस्तावों सहित उक्त प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की विद्यमान सूचियों में कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (2) तथा 342 (2) को ध्यान में रखते हुए संसद में अधिनियम पारित करके ही किया जा सकता है।

कतिपय समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना

6852. **श्री चरणजीत सिंह वालिया** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राय सिख, बाजीगर, सिकलीगर, सांसी, बावरिया, भेड़कुट, गडरिया, नायक और अन्य तप्रिवास और विमुक्त जातियों तथा समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए सरकार का विचार एक विधान लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचितजन-जातियों की सूचियों में प्रस्तावित विस्तृत संशोधन के संदर्भ में इसी प्रकार के अन्य प्रस्तावों सहित राय सिख, बाजीगर, सिकलीगर, सांसी, बावरिया, भेड़कुट, गडरिया,

नायक को अनुसूचित जन-जातियों की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की विद्यमान सूचियों में कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (2) तथा 342 (2) को ध्यान में रखते हुए संसद में अधिनियम पारित करके ही किया जा सकता है।

कर्नाटक में वानिका परियोजना

6853. **श्री बी० एस० कृष्ण ग्रय्यर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र द्वारा दी गई धनराशि से कर्नाटक में कोई वानिकी परियोजना शुरू की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना कब शुरू की जाएगी;

(ग) कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी; और

(घ) उक्त परियोजना के कार्यान्वियन से क्या लाभ होगा ?

पर्यावरण ग्रौर वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सरकार ने कर्नाटक राज्य में कोई वानिकी परियोजना शुरू करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र को प्रस्ताव नहीं किया है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नही उठते।

जल निगरानी केन्द्र

6854. **श्री बी० बी० पाटिल :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योगों और शहरों के अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के द्वारा नदियों, सोतों और समुद्र तट क्षेत्रों को प्रदूषित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो जल की शुद्धता बनाए रखने के लिए देश में कितने केन्द्रों द्वारा निगरानी रखी जा रही है ?

पर्यावरण ग्रौर वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान ग्रन्सारी) (क) जी, हां।

(ख) देश में, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सुवर्ण रेखा, ब्रह्मणी, वैतरणी, माही, साबरमती, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, पेरियर तथा चालियर नदियों के फैलावों में जल गुणवत्ता के प्रबोधन के लिए 194 जल प्रबोधन स्टेशन हैं।

अधिक जीवन वाले पोधों का रोपण

6855. **श्री बी० के० गढवी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि वनरोपण कार्यक्रमों में अधिकतर शीघ्र बढ़ने वाले पौधे लगाए जाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का न पनपने का अनुपात अधिक है और इसलिए वनरोपण का लाभ नाममात्र का ही है;

(ग) क्या सरकार का विचार अधिक जीवन और अधिक छाया वाले पेड़ों के रोपण पर अधिक बल देने का है ताकि पर्यावरणीय स्थिति में सुधार हो सके; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सरकार को पता है कि आरम्भ के वर्षों में वनरोपण कार्यक्रमों में शीघ्र बढ़ने वाली प्रजातियों के पौधे लगाये गये थे।

(ख) न पनपने का अनुपात वृक्ष के वृद्धि दर से सम्बन्धित नहीं है लेकिन मृदा की गुणवत्ता, वर्षा की मात्रा तथा वितरण, आग और चराई पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ). सरकार ने मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं कि स्थानीय महत्व तथा उपयोग की वृक्ष प्रजातियों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा एकधान्य कृषि को भी दूर किया जाना चाहिए।

अण्डमान वन विभाग से खरीदी गई लकड़ी के लिए पारगमन-पत्र

6856. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि कोई संघ शासित क्षेत्र दिल्ली और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किसी लकड़ी विक्रेता/आरा मशीन से लकड़ी खरीदता है तो उसे सम्बन्धित वन विभाग से पारगमन-पत्र लेना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इमारती लकड़ी के लाने-ले जाने के लिए पारगमन-पत्र लेने की आवश्यकता होती है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में इसकी आवश्यकता नहीं है।

(ख) भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 41 (1) के तहत बनाए गए समय-समय पर संशोधित अण्डमान वन उत्पाद पारगमन नियम 1966 के अनुसार पारगमन-पत्र जारी किए जाते हैं।

भारतीय नागरिकता प्रदान करना

6857. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने व्यक्तियों ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिये आवेदन किया है;

(ख) उनमें कितने व्यक्तियों को इस बीच भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई है; और

(ग) उस तारीख तक भारतीय नागरिकता के लिए लम्बित पड़े शेष मामलों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार को प्राप्त आवेदन पत्रों के बारे में सूचना देने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) लम्बित आवेदन पत्रों पर निर्णय राज्य प्राधिकारियों के जरिये आवेदकों से मांगी गई अतिरिक्त सूचना अथवा दस्तावेजों के प्राप्त होने पर ही किया जाएगा।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त कुल आवेदन पत्रों की संख्या।	स्वीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या और औपचारिकता पूरी होने पर जारी किए गए प्रमाण-पत्रों की संख्या — स्वीकृत	जारी किए गए प्रमाण पत्र	आवेदकों से दस्तावेज न मिलने के कारण लम्बित	अस्वीकृत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	33	8	9	6	10	—
2.	असम	9	3	2	4	—	—
3.	बिहार	6	2	1	3	—	—
4.	गुजरात	117	44	61	3	9	—
5.	हरियाणा	1	1	—	—	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	3	2	1	—	—	—
7.	जम्मू और काश्मीर	4	2	1	—	—	—
8.	कर्नाटक	39	20	10	3	6	—
9.	केरल	31	6	19	1	5	—
10.	मध्य प्रदेश	28	14	7	1	6	—

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	महाराष्ट्र	389	168	140	45	36	—
12.	मणिपुर	1	—	—	1	—	—
13.	मेघालय	10	4	1	2	3	—
14.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	9	2	2	3	2	—
16.	पंजाब	5	1	4	—	—	—
17.	राजस्थान	19	11	6	1	1	—
18.	सिक्किम	1	—	—	—	1	—
19.	तमिलनाडु	44	3	32	6	3	—
20.	त्रिपुरा	5	1	4	—	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	37	13	7	11	6	—
22.	प० बंगाल	203	45	112	22	24	—
	संघ शासित क्षेत्र						
1.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
2.	अ० और नि० द्वीप समूह	3	1	1	—	1	—
3.	चण्डीगढ़	4	2	1	1	—	—

4.	दिल्ली	99	28	47	13	11	—
5.	गोवा, दमण और दीव	46	11	30	2	3	—
6.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
7.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—
8.	पाण्डिचेरी	—	—	—	—	—	—
9.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के वन और रोपण विकास निगम के स्वीकृति के लिए लम्बित प्रस्ताव

6858. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के वन और रोपण विकास निगम के विस्तार आदि से सम्बन्धित कुछ प्रस्ताव स्वीकृति के लिए सरकार के पास लंबित पड़े हैं और ये कब से लंबित पड़े हैं; और

(ख) क्या इन प्रस्तावों को यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इन दूर-दराज के द्वीपों में विकास कार्य में कुछ प्रगति हो सके ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कम्प्यूटर उपयोग केन्द्र

6859. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां कम्प्यूटर उपयोग केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या उड़ीसा में एक कम्प्यूटर उपयोग केन्द्र स्थापित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में स्थापित किए गए कम्प्यूटर उपयोग केन्द्र को केन्द्र द्वारा कितने कम्प्यूटर सप्लाई किए गए हैं;

(घ) उड़ीसा को कम्प्यूटर उपयोग केन्द्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये अब तक कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) निम्नलिखित राज्यों में कम्प्यूटर अनुप्रयोग केन्द्र स्थापित किए गए हैं :

(1) उड़ीसा (2) उत्तर प्रदेश (3) मध्य प्रदेश (4) गुजरात (5) कर्नाटक

(ख) जी, हां। उड़ीसा में एक कम्प्यूटर अनुप्रयोग केन्द्र स्थापित किया गया है।

(ग) इस केन्द्र ने कम्प्यूटरों पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए दो माइक्रो कम्प्यूटर खरीदने के लिए उड़ीसा कम्प्यूटर अनुप्रयोग केन्द्र को सहायता दी है।

(घ) उड़ीसा के कम्प्यूटर अनुप्रयोग केन्द्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए 7.64 लाख रुपये की सहायता दी है।

(ङ) इन कार्यक्रमों में विभिन्न स्तरों पर कम्प्यूटरों का प्रशिक्षण शामिल है, जैसे कि :

(क) कम्प्यूटर अनुप्रयोग पाठ्यक्रम

(ख) प्रोग्रामन भाषा पाठ्यक्रम, खासकर कोबाल पर

(ग) प्रणाली विश्लेषण और डिजाइन पाठ्यक्रम

(घ) प्रबन्ध सूचना प्रणालियां

(ङ) निर्यात आदि के लिए अनुप्रयोग साफ्टवेयर।

अण्डमान और निकोबार वन विकास और रोपण निगम का गठन

6860. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और आर्थिक विकास के उद्देश्य से लकड़ी पर आधारित उद्योगों के विकास वनों के पुनः रोपण और वाणिज्यिक वनरोपण को बढ़ाने हेतु अण्डमान और निकोबार वन विकास और रोपण निगम का गठन किया था, यदि हां, तो निगम का गठन होने के बाद इसने क्या कार्य किए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के किसी स्थायी निवासी को निदेशक मण्डल में सम्मिलित किया गया है; और

(ग) क्या भविष्य में "रेड ऑयल पाम प्लांटेशन" जिसकी बाड़ी द्वीप समूह में अच्छी संम्भावनाएं हैं, के विस्तार को रोक दिया गया है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) यह सच है कि अण्डमान तथा निकोबार वन विकास तथा पौधरोपण निगम की स्थापना लकड़ी पर आधारित उद्योगों के विकास, वनों के पुन: रोपण और वाणिज्यिक पौधरोपण बढ़ाने के लिए की गई है। इसके गठन से ही निगम ने वनों की पैदावार और पुन: रोपण, वन आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और वाणिज्यिक फसलों की पौधरोपण से संबंधित क्रियाकलाप आरम्भ किए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस द्वीप में रेड ऑयल पाम की और पौधरोपण को 400 हेक्टेयर के क्षेत्र में या पहले ही कटाई किए गए क्षेत्र में, जो भी कम हो, अनुमति दी गई है।

"साफ्टवेयर" के आयात में खर्च हुई विदेशी मुद्रा

6861. श्री अजित कुमार साहा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-85 की अवधि के दौरान कम्प्यूटरों, "डेटाबेस मैनेजमेंट" अथवा "वर्ड प्रोसेसिंग", अथवा इसी तरह के पैकेजों के लिए "साफ्टवेयर" के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ख) क्या "क्लास डेटाबेस" अथवा "वर्ड प्रोसेसिंग" अथवा इसी तरह के पैकेजों के "साफ्टवेयर" विकसित किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनके ब्रांड नाम क्या है और इन्हें किन बाजारों में और किस मूल्य पर बेचा गया है तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जहां तक आंकड़ा बैंक प्रबंध अथवा शब्द-संसाधन अथवा ऐसे ही अन्य पैकेजों के लिए कम्प्यूटरों के सॉफ्टवेयरों का संबंध है, वर्ष 1980-85 के दौरान 1732 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च होने के बारे में रिपोर्ट मिली है।

(ख) जी, हां। क्लास आंकडा बैंक प्रबन्ध, शब्द संसाधन अथवा ऐसे ही पैकेजों के लिए माइक्रोप्रोसेसर प्रणालियों पर सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं।

(ग) आंकड़ा बैंक प्रबंध के लिए जिन सॉफ्टवेयरों का विकास किया गया है, उनके कुछ लोक प्रिय ब्रांड नाम "इम्प्रेस", सॉफ्ट क्रो" तथा सॉफ्ट पेरा" हैं और शब्द-संसाधन के लिए विकसित सॉफ्टवेयरों के ब्रांड नाम "सॉफ्ट क्रो", "सॉफ्ट वर्ड," "वर्ड लार्ड" तथा "शब्द माला" हैं।

इन सॉटवेयरों को स्वदेशी प्रणालियों के साथ देश भर में बाजार में प्रस्तुत किया गया है।

माइक्रो कम्प्यूटर प्रणालियों पर आंकड़ा बैंक सॉफ्टवेयर का औसत मूल्य लगभग 2000 रु० है और शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर का औसत मूल्य लगभग 1200 रुपये है।

इन स्वदेशी उत्पादों का अभी तक विदेशी बाजारों में प्रवेश नहीं हो पाया है।

माइक्रो-कम्प्यूटरों की बिक्री

6862. श्री अजित कुमार साहा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-85 की अवधि के दौरान देश में निर्माताओं द्वारा कितने माइक्रो-कम्प्यूटर और इसी प्रकार के छोटे कम्प्यूटर बेचे गये हैं, उनका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : वर्ष 1980-85 के दौरान

जिन सूक्ष्म कम्प्यूटरों (माइक्रो-कम्प्यूटरों) तथा अन्य लघु कम्प्यूटरों को बेचा गया उनका वर्ष-वार विवरण नीचे संक्षेप में दिया गया है :—

वर्ष	मात्रा
1980	365
1981	751
1982	1198
1983	1279
1984	3385
1985	7185

बंगलौर, बिहार और गोवा में कुछ संस्थाओं द्वारा विदेशी अंशदान प्राप्त करना

6863. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्नलिखित संस्थान विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 1976 के अन्तर्गत वर्ष 1981 से 1983 की अवधि के दौरान विदेशी अंशदान प्राप्त करते रहे हैं;

(एक) रूरल स्टडी एण्ड ट्रांसफार्मेशन सोसाइटी गोवा।

(दो) सेन्टर फार ट्राइबल कांसाइनटाइमेशन चाइबासा, बिहार।

(तीन) सी.आई.ई.डी.एस. बंगलौर।

(चार) अरबन इंडस्ट्रीयल रूरल मिशन, बंगलौर।

(ख) यदि हां, तो इन संस्थानों द्वारा वर्ष-वार कितनी धनराशि प्राप्त की गई; और

(ग) धन वाले देशों के नाम क्या हैं और अंशदान करने वाले संगठनों/व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) चार संस्थानों में से किसी ने भी 1981 से 1983 के दौरान कोई विदेशी अंशदान प्राप्त करने की कोई सूचना नहीं दी है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली के कुछ संगठनों द्वारा विदेशों से धन प्राप्त करना

6864. श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (एक) फाउंडेशन टू एड इंडस्ट्रियल रिकवरी, दिल्ली

(दो) बन्धुवा मुक्ति मोर्चा दिल्ली

(तीन) भारतीय सामाजिक संस्थान, दिल्ली

(चार) क्रिस्चियन इस्ट्यूट फार स्टडी आफ रिलीजन एण्ड सोसाइटी दिल्ली और बंगलौर नामक संगठनों ने वर्ष 1981 से 1984 तक की अवधि के दौरान विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत विदेशी धन प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों को वर्ष-वार कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ग) किन-किन देशों और संगठनों से यह धनराशि प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यह धन राशि किस उद्देश्य के लिए दी गई है?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ). बंधुआ मुक्ति मोर्चा, दिल्ली और क्रिश्चियन इंस्टीटयूट फार स्टडी आफ रिलीजन एण्ड सोसाइटी, दिल्ली ने वर्ष 1981 से 1984 तक की अवधि के दौरान कोई विदेशी अभिदाय प्राप्त होने की सूचना नहीं दी है ।

अन्य तीन संस्थाओं द्वारा प्राप्त किए गए विदेशी अभिदाय के बारे में विवरण संलग्न है ।

विवरण

उन संस्थाओं के नामों की सूची, वर्ष 1981 से 1984 तक के दौरान प्राप्त किए विदेशी अभिदाय की राशि, उन देशों और संगठनों के नाम जहां से यह राशि प्राप्त हुई और वे प्रयोजन जिनके लिए राशियां दी गईं

क्रम सं०	संस्था का नाम	प्राप्त राशि (रुपयों) 1981	1982	1983	1984	दानदाता का नाम और देश	अभिदाय का प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	फाउंडेशन टू एड इंडस्ट्रियल रिकवरी नई दिल्ली।	इन दो वर्षों में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।		1,81,650.00	27,002.00	ओ एक्स एफ ए.एम, 274 बेनबरी रोड, यू०के०	प्रशिक्षण देने और हस्तशिल्प मद्‌दों के प्रोटोटाइप उपलब्ध कराने के लिए संबल सेवाओं के लिए।
2.	भारतीय सामाजिक संस्थान, लोदी रोड, नई दिल्ली	14,69,847·78	19,73,662·59	1043,014·10	48,86,655·83	रसकब फाउंडेशन फार कैथोलिक एक्टीविजीट डेलाबाड़ा नीदरलैंड कमेटी बूरकिंडर सी.ई.बी.ई.एम.ओ. हालैंड पोस्ट बेगलेश हालैंड आई.जी.जी.एस एस. नई दिल्ली स्विस डिवलेपमेंट कारपोरेशन बर्न। सेन्टर मिसी कमीसरिएट हालैंड, फिडल गोऐट्रज स्टीफटंग वडुज	भारत में गरीबों का सामाजिक आर्थिक विकास। आई. एस. आई 1980 द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का भुगतान कार्यचालन खर्च। विकास, परिवार कल्याण और महिला विकास कार्यक्रमों के लिए अनुदान

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	क्रिस्चियन इंस्टीच्यूट फार स्टेडी आफ रिलीजन एण्ड सो साय बंगलौर	42,54,622.00	13,84,717.00	58,20,209.00	45,80,995.00	यूनाइटेड सोसाईटी फार दी प्रोपेगेशन आफ गोस्पल, इंगलैंड, यू० के० क्रिस्चियन कानफ्रैंस एशिया, हांगकांग ब्रेड फौर दी वर्ल्ड, पश्चिम जर्मनी, वर्ल्ड कौंसिल आफ चर्चेज, स्वीटजरलैंड एल्जमीन डियाकनल ब्यूरो निदरलैंड, मैथोडिस्ट चर्च, इंगलैंड चर्च आफ स्वीडन मिशन स्वीडन, एसोसिएसन आफ चर्चेज इन एस. जर्मनी वैस्ट जर्मनी ।	भवन निधि, उत्तर भारत केन्द्र कार्यक्रम संचार कार्यक्रम संयुक्त महिला कार्यक्रम और ब्रह्म वैज्ञानिक विकास को संभालने के लिए सामान्य अनुदान ।

उड़ीसा में विदेशी मिशनों द्वारा चलाए जाने वाले संस्थान

6865. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में कितनी विदेशी मशीनरी है और उनके द्वारा कितने स्कूल, कालेज, अस्पताल और औषधालय तथा अन्य सेवा केन्द्र चलाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों और औषधियों के रूप में कुछ वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पाकिस्तानी जेलों से भारतीयों की रिहाई के लिए अभ्यावेदन

6866. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक भारतीय राष्ट्रिक, जो इस समय पाकिस्तानी जेलों में बन्द हैं; भूख हड़ताल पर हैं;

(ख) क्या सरकार को पाकिस्तान की जेलों में बन्द ऐसे भारतीय राष्ट्रिकों के परिवारों से उसकी रिहाई सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन्) : (क) सरकार ने इस बारे में भारतीय और पाकिस्तानी अखबारों में रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) इस मामले को तत्काल पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाया गया था ताकि इसका ब्यौरा प्राप्त किया जा सके और अपने कौंसुली अधिकारियों को इस बात की इजाजत दिलवाई जा सके कि वे जेलों में भारतीय बन्दियों से मिल सकें।

राष्ट्रपति की अनुमति के लिए लम्बित पड़े राज्यों द्वारा पारित विधेयक

6867. **श्री सी० जंगा रेड्डी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास राष्ट्रपति की अनुमति के लिये प्रत्येक राज्यसंघ राज्य क्षेत्र द्वारा पारित कौन-कौन से विधेयक लम्बित पड़े हैं और प्रत्येक विधेयक इस प्रयोजन के लिये किस किस तारीख को प्राप्त हुआ था और विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ख) इस बारे में दिशा निर्देश क्या हैं; और

(ग) राष्ट्रपति की अनुमति के लिये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त विधेयकों को शीघ्रता से अनुमति देने के उद्देश्य से प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) विधेयकों पर संविधान के उपबन्धों के अनुसार विचार किया जाता है और ऐसे कोई दिशा निर्देश निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(ग) विधेयकों पर विचार करने के लिए अपनायी गयी प्रिक्रिया से सन्तोषजनक ढंग से काम हुआ है और केवल कुछ ही मामलों जिनके मुद्दों को केन्द्र सरकार के सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों और सम्बन्धित राज्य सरकार से परामर्श करके हल करना होता है, समय लगता है। राज्य सरकारें भी प्रशासनिक स्वीकृति के लिए, विधेयकों को भेजने का सहारा ले रही हैं ताकि राज्य की विधान सभा में विधेयक प्रस्तुत किये जाने से पहले सभी निहित मुद्दे हल कर लिये जायें। विधेयकों को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए सभी प्रयास किये जाते हैं और जटिल मामलों में निहित मुद्दों को मंत्रालयी स्तर की बैठकों का आयोजन करके भी हल किया जाता है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र विधान मंडलों द्वारा पारित तथा 14-4-86 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लम्बित विधेयकों के ब्यौरों का विवरण

क्र० सं	प्राप्ति की तारीख	विधेयक का नाम	वर्तमान स्थिति
		आन्ध्र प्रदेश (1)	
1.	18-10-1985	हिन्दू उत्तराधिकार (आन्ध्र प्रदेश) संशोधन विधेयक, 1985	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है।
		असम (5)	
2.	16-5-1984	असम सिंचाई विधेयक, 1985	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है।
3.	14-5-1985	असम लोकायुक्त और उप लोकायुक्त विधेयक, 1985	18-11-1985 से राज्य सरकार के पास लम्बित है।
4.	8-10-1985	गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 1985	7-3 1986 से राज्य सरकार के पास लम्बित है।
5.	8-10-1985	असम शहर जल आपूर्ति और मल निकास बोर्ड विधेयक 1985.	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है।
6.	17-2-1986	असम निरसन विधेयक, 1986	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है।

1	2	3	4
		बिहार (4)	
7.	21-4-1982	बिहार होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा संस्थान (नियंत्रण का विनियमन) विधेयक, 1982	17-2-1986 से राज्य सरकार के पास लंबित है।
8.	16-8-1982	दण्ड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक 1982	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है।
9.	12-8-1983	बिहार विर्निर्दिष्ट आचरण निवारण विधेयक, 1983	29-10-1985 से राज्य सरकार के पास लम्बित है।
10.	16-8-1983	बिहार शस्त्र पुलिस विधेयक, 1983	12-7-1985 से राज्य सरकार के पास लंबित है।
		गुजरात (1)	
11.	5-5-1984	गुजरात विश्वविद्यालय सेवा न्यायाधिकरण विधेयक, 1983	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है।
		हिमाचल प्रदेश (1)	
12.	26-12-1983	हिमाचल प्रदेश खनिज (अधिकार प्रदान करना) विधेयक, 1983	28-6-1985 से राज्य सरकार के पास लंबित है।
		कर्नाटक (3)	
13.	1-9-1982	कर्नाटक ठेका ढुलाई (अधिग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 1982	30-6-1984 से राज्य सरकार के पास लंबित है।

14.	7-6-1984	विद्युत आपूर्ति (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 1980	15-2-1985 से राज्य सरकार के पास लंबित है।
15.	16-7-1984	कर्नाटक शिक्षा विधेयक, 1983	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है।
		केरल (1)	
16.	11-10-1977	केरल नैमित्तिक, अस्थायी और बदली कामगार (मजदूरी) विधयक 1977	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है।
		मणिपुर (1)	
17.	1-5-1985	मणिपुर राइफल पुलिस बल विधेयक, 1984	19-9-1985 से राज्य सरकार के पास लंबित है।
		मध्य प्रदेश (1)	
18.	5-2-1986	भारतीय स्टैंप (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है।
		महाराष्ट्र (6)	
19.	9-5-1979	बम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1979	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है।
20.	14-5-1984	महाराष्ट्र कामगार न्यूनतम गृह किराया भत्ता विधेयक, 1983	18-11-1985 से राज्य सरकार के पास लंबित है।

1	2	3	4
21.	17-12-1984	महाराष्ट्र बागवानी विकास निगम विधेयक, 1984	29-8-1985 से राज्य सरकार के पास लंबित है।
22.	30-8-1985	होम्योपैथिक तथा बायोकैमिक प्रैक्टीशनरस (संशोधन) विधेयक, 1985	28-11-1985 से राज्य सरकार के पास लंबित है।
23.	5-2-1986	महाराष्ट्र सहकारी समितियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1986	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है।
24.	5-2-1986	बम्बई शहर दीवानी अदालत तथा बम्बई लघु विवाद न्यायालय (धन संबंधी क्षेत्राधिकार की वृद्धि तथा संशोधन) विधेयक, 1986	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागें से परामर्श करके जांच की जा रही है।
		मेघालय (2)	
25.	25-7-1980	मेघालय रोजगार का विनियमन विधेयक, 1980	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है।
26.	8-81985	मेघालय स्वयं अर्जित सम्पत्ति का उत्तराधिकार (खासी तथा जैन्तिया विशेष उपबन्ध) विधेयक 1984	7-3-1986 से राज्य सरकार के पास लंबित है।
		उड़ीसा (1)	
27.	2-4-1986	उड़ीसा सम्पदा उन्मूलन (संशोधन) विधेयक	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है।

		राजस्थान (1)	
28.	23-5-1984	जोधपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन तथा संशोधन) विधेयक, 1984	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है।
		त्रिपुरा (1)	
29.	20-3-1983	औद्योगिक विवाद (त्रिपुरा संशोधन) विधेयक, 1982	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है।
		तमिलनाडु (10)	
30.	16-6-1981	औद्योगिक विवाद (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 1981	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श [illegible] की जा रही है।
31.	29-9-1981	तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक तथा चेरीटेबल दान (संशोधन) विधेयक, 1981	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है।
32.	16-2-1983	तमिलनाडु रेकोगनिशन आफ स्टेट रजिस्टर आफ प्रैक्टीशनर्स आफ इण्डियन मैडिसिन्स विधेयक, 1983	9-6-1983 से राज्य सरकार के पास लंबित है।
33.	17-5-1983	तमिलनाडु सामान के प्रवेश पर कर विधेयक, 1983	23-6-1983 से राज्य सरकार के पास लंबित है।
34.	12-12-1983	ग्रेच्युटि की अदायगी (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 1983	29-5-1984 से राज्य सरकार के पास लंबित है।
35.	14-11-1984	तमिलनाडु भवन तथा निर्माण कामगार (रोजगार की स्थिति तथा विविध उपबन्ध) विधेयक, 1984	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है।

1	2	3	4
36.	2-8-1985	तमिलनाडु शहरी भूमि (उच्चतम सीमा तथा विनियमन संशोधन, 1985	20-11-1985 से राज्य सरकार के पास लंबित है।
37.	2-8-1985	तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण) विधेयक, 1985	31-12-1985 से राज्य सरकार के पास लंबित है।
38.	26-2-1986	तमिलनाडु औषध तथा अन्य वस्तुएं (गैर कानूनी कब्जा) विधेयक, 1986	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है।
39.	26-2-1986	वेतन का भुगतान (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 1986	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है।
		पश्चिम बंगाल (6)	
40.	24-11-1981	पश्चिम बंगाल, मजदूर, टिंडल लोडर, गोडाउनमैन तथा अन्य कामगार (रोजगार का विनियमन तथा कल्याण) विधेयक, 1981	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के परामर्श करके जांच की जा रही है।
41.	22-11-1983	मजदूर संघ (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1983	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है।
42.	26-4-1984	पश्चिम बंगाल दुकान तथा प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक 1984	22-3-1985 से राज्य सरकार के पास लंबित है।

43.	21-5-1984	कलकत्ता विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है।
44.	19-6-1985	दण्ड प्रक्रिया संहिता (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1985	3-9-1985 से राज्य सरकार के पास लंबित है।
45.	10-4-1986	पश्चिमी बंगाल परिसर किरायेदारी (संशोधन) विधेयक 1986	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है।
		संघ शासित क्षेत्र	
46.	9-6-1978	गोवा, दमण तथा दीव कृषि काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1978	संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के पास लंबित है।
47.	1-6-1983	गोवा, दमण तथा दीव भूमि संरक्षण विधेयक, 1982	संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के पास लंबित है।
48.	29-1-1986	मिजोरम होम गार्डस विधेयक, 1985	भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

राज्यों में होम गार्डों के लिए अधिक धनराशि

6868. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों में होम गार्डों की व्यवस्था बनाये रखने के लिए पर्याप्त धनराशि मंजूर करने का है ताकि राज्य सरकार उन्हें स्थानीय पुलिस कान्स्टेबलों के बराबर वेतन दे सकें; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख). होमगार्ड, स्वयं सेवक हैं जिनमें राज्य होमगार्ड अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत भर्ती हुए नियोजित, स्वयं नियोजित और बेरोजगार व्यक्ति होते हैं, जो अपने साम्राज्य उप-व्यवसाय करने के अतिरिक्त, अपना खाली समय, प्राधिकारियों को सौंप देते हैं। ये वेतन भोगी सरकारी कर्मचारी नहीं है लेकिन जब उन्हें ड्यूटी पर बुलाया जाता है तो जेब खर्च के लिए भत्ता दिया जाता है। अत: राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय पुलिस कान्स्टेबलों के समान होमगार्डों को वेतन देने का प्रश्न नहीं उठता है। भारत सरकार अधिकृत मदों पर अर्थात् होमगार्डों का गठन, प्रशिक्षण और शस्त्र सुसज्जित करने के व्यय की 50% प्रतिपूर्ति करती है। तथापि लोकसभा/विधानसभा के आम चुनावों के दौरान जब उन्हें कानून और व्यवस्था की ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है तो इस ड्यूटी को छोड़कर राज्य सरकारों द्वारा होमगार्डों को ड्यूटी भत्ता दिया जाता है। पहली अवस्था में, भारत सरकार राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय की 50% प्रतिपूर्ति करती है। अत: होम-गार्डों को स्थानीय पुलिस कान्स्टेबलों के समान वेतन देने के उद्देश्य से पर्याप्त धन स्वीकृत करने का प्रश्न नहीं उठता है।

कुडुम्बी समुदाय को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना

6869. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कुडुम्बी समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुडुम्बी समुदाय 'अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों (संशोधन आदेश विधेयक, 1970, 'जो संसद् में पुर:स्थापित किया गया था परन्तु पारित नहीं किया जा सका, में अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो कुडुम्बी समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) कुडुम्बी समुदाय को राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए केरल सरकार से प्राप्त हुई टिप्पणियों को लोकहित में नहीं बताया जा सकता।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रस्तावित विस्तृत संशोधन के संदर्भ में इसी प्रकार के अन्य प्रस्तावों सहित उक्त प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की विद्यमान सूचियों में कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (2) तथा 342 (2) को ध्यान में रखते हुए संसद में अधिनियम पारित करके ही किया जा सकता है ।

उत्तर-पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्रों के नौजवानों के लिए शारीरिक माप में छूट

6870. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश और भारत के उत्तर-पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्रों के ऐसे नौजवानों, जो देश की सशस्त्र सेना में भर्ती होने के इच्छुक हैं, की उंचाई|छाती, भार आदि के बारे में कोई छूट दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में वास्तव में कितनी छूट दी जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग). हिमाचल प्रदेश राज्य और उत्तर-पश्चिम भारत के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के जो नौजवान सेना में भर्ती होना चाहते हैं उन्हें ऊंचाई में 7 से. मी. और वजन में 2 कि. ग्रा. की छूट दी जाती है । इन क्षेत्रों के लिए निर्धारित शारीरिक मापदण्ड इस प्रकार है :—

ऊंचाई	वजन
160 से. मी.	48 कि. ग्रा.

नौ सेना में गढ़वालियों को ऊंचाई में 5 से. मी. और वजन में 6 कि. ग्रा. की छूट दी जाती है । जहां तक वायु सेना का सम्बन्ध है उसमें शारीरिक मापदण्डों में क्षेत्रीय आधार पर छूट देना जरूरी समझा गया है ।

"तमंग" समुदाय को अनुसूचित जन-जातियों की सूची में शामिल करना

6871. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सिक्किम, मेघालय, पश्चिमी बंगाल तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले 'तमंग' समुदाय के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की मांग के बारे में 1986 में कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग). अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रस्तावित विस्तृत संशोधन के संदर्भ में इसी प्रकार के अन्य प्रस्तावों सहित सिक्किम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और असम की अनुसूचित जनजातियों की सूची में तमंग को शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

चूंकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की विद्यमान सूचियों में कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (2) 342 (2) को ध्यान में रखते हुए संनद में अधिनियम पारित करके ही किया जा सकता है, अत: इसके लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती।

मेंढकों को पकड़ना

6872. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में मेंढकों को पकड़े जाने में संकटासन्न जीवों के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय संधि के बारे में बोइनस आयर्स में हुए सम्मेलन में निर्धारित किए गए मानदण्डों का उल्लंघन किया जाता है; और

(ख) इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख). वन्य प्राणीजात एवं वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तराष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय, वन्य जानवरों तथा पादपों तथा इनके उत्पादों की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन का काम करता है। इस अभिसमय के अन्तर्गत, प्रत्येक देश को जहां से अभिसमय के परिशिष्टों में सूचीबद्ध प्रजातियों के किसी प्रेषित माल को भेजा जा रहा है, उस देश को प्रेषित माल की उपलब्धता की वैधता से अपने आपको संतुष्ट करने के बाद ही निर्यात अनुमति पत्र जारी करना है। स्वच्छ जल के मेंढकों की रानाटिगरीना तथा राना हैक्सा-डैक्टाइला दो प्रजातियां, सी० आई० टी० ई० एस० के परिशिष्ट-II में सूचीबद्ध हैं। भारत में मेंढकों का पकड़ा जाना, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 एवं, इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है।

[हिन्दी]

राजस्थान में वनों के विकास के लिए सहायता

6873. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 के दौरान केन्द्रीय सरकार का राजस्थान सरकार को वनों के विकास के लिए कितनी सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : 1986-87 के

दौरान राजस्थान सरकार को वनों के विकास हेतु निम्नलिखित स्कीमों के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव है।

(1) ग्रामीण ईंधन की पौधरोपण सहित सामाजिक वानिकी ।

(2) राष्ट्रीय उद्यानों के विकास के लिए सहायता।

(3) अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता।

(4) चिड़ियाघरों के विकास और आदर्श चिड़ियाघरों की स्थापना के लिए सहायता।

(5) बाघ परियोजना।

(6) हिमालय के अतिरिक्त, पारिस्थितिकी रूप से संवेदी क्षेत्रों में वनरोपण।

(7) सिल्वी-पैस्चुरल फार्मों की स्थापना।

(8) जैविक हस्तक्षेप से वनों की सुरक्षा के लिए आधारभूत ढांचे का विकास।

(9) आदिवासी विकास के लिए लाभभोगी उन्मुख स्कीमे।

(10) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम ।

(11) मरुभूमि विकास कार्यक्रम ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन०आर०ई०पी) तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०) की स्कीमों के अन्तर्गत भी, राजस्थान सरकार को 1986-87 के दौरान सामाजिक वानिकी के लिए 631.10 लाख रुपये की सहायता (खाद्यान्नों के मूल्य सहित) मुहैया करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

स्कूलों और कालिजों के छात्रों को एन० सी० सी० जैसे सैन्य प्रशिक्षण अवसर

6874. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 18-21 आयु वर्ग के स्कूलों और कालिजों के सभी छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए एन० सी०सी० जैसे सैन्य प्रशिक्षण की वर्तमान सुविधाओं का और विस्तार किया जाएगा ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

इलैक्ट्रानिक शस्त्रों का निर्माण

6875. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम देशों द्वारा इलैक्ट्रानिक शस्त्रों के निर्माण के क्षेत्रों में की

गई प्रगति तक पहुंचने के लिए सरकार भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए ऐसे इलेक्ट्रानिक शस्त्रों के निर्माण के लिए गैर-सरकारी अथवा सरकारी क्षेत्र के संगठनों को शामिल करने पर विचार करेगी; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख). संभवत: इलैक्ट्रानिक शस्त्रों से माननीय सदस्य का आशय रडार संचार प्रणालियों और इलैक्ट्रानिकी युद्ध पद्धति के उपस्करों जैसे इलैक्ट्रानिकी उपकरणों से है जो शस्त्र प्रणालियों में इस्तेमाल होते हैं। इन उपस्करों की मांगों की पूर्ति सामान्यत: सरकारी क्षेत्र की रक्षा इकाईयों से की जाती है।

2. फिर भी, जहां आवश्यक हो, मुख्य उपस्कर की सुरक्षा को खतरे में डाले बिना, कतिपय उप प्रणालियों और माडलों के उप ठेके देकर सरकारी क्षेत्र की रक्षा इकाईयों द्वारा सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में उपलब्ध क्षमता तथा विशेषता का भी समय-समय पर उपयोग किया जाता है।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण में नियुक्ति संबंधी अर्हता

6876 **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक न्यायाधीकरण के गठन में उसमें नियुक्ति सम्बन्धी अर्हता के सम्बन्ध में असन्तोष है; और

(ख) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न्यायाधिकरण में अधिकांश अपीलें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों से उत्पन्न मामलों पर की जाती है इसलिए क्या सरकार केवल सेशन और उच्च न्यायालयों की न्यायायिक सेवाओं तथा बार काउंसिल के वरिष्ठ तथा प्रतिष्ठित सदस्यों में से प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्यों को नियुक्त करेगी, जिससे कि काफी लम्बे समय से पीड़ित कर्मचारियों के मन में पूर्ण विश्वास की भावना फिर से पैदा की जा सके ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रशानिक अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्तियां केवल न्यायपालिका अथवा बार से लिए जाने का प्रश्न इस बात को ध्यान में रखते हुए नहीं उठता कि उच्चतम न्यायालय ने इस आशय के विशिष्ट निर्देश दिए हैं कि अधिकरण की प्रत्येक न्यायपीठ में एक न्यायिक सदस्य तथा एक प्रशासनिक सदस्य होना चाहिए। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 को भी प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1986 द्वारा संशोधित किया गया है जिससे कि अधिकरण की प्रत्येक पीठ के गठन की तदनुसार व्यवस्था की जा सके।

बक्रेश्वर ताप परियोजना

6878. **श्री गदाधर साहा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सातवीं योजना में राज्य क्षेत्र में बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या परियोजना निर्माण के लिए योजना आयोग से इस विद्युत परियोजना को औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है; और

(घ) इस परियोजना कार्य की स्थापना के लिए पूंजी निवेश की वर्तमान स्थिति क्या है और इस बारे में सरकार ने कितनी सहायता दी है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के०पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). इस परियोजना का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई, 1985 में तकनीकी-आर्थिक रूप से अनुमोदन किया गया था और विद्युत विभाग द्वारा जुलाई, 1985 में इसकी योजना आयोग को सिफारिश भी की गई थी। क्योंकि राज्य सरकार इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए सातवीं योजना और वार्षिक योजनाओं में पर्याप्त धनराशियों की व्यवस्था नहीं कर सकी है, इसलिए, इसके संबंध में, योजना आयोग के लिए निवेश अनुमोदन जारी करना संभव नहीं हुआ है। राज्य सरकार को इस परियोजना के लिए विदेशी सहायता के कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन्हें उन्होंने भारत सरकार को प्रस्तुत किया है।

आयुध कारखानों में आधुनिकतम हथियारों का उत्पादन

6879. **श्री एन. टोम्बी सिंह :**

श्री आर० एस० माने :

डा० गोरी शंकर राजहंस :

क्या रक्षा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के आयुध कारखानों में आधुनिकतम हथियारों का उत्पादन तेजी से परन्तु नियमित रूप से किया जा रहा है जैसाकि 24 मार्च 1986 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार भी प्रकाशित हुए हैं कि चीन आधुनिकतम हथियारों और उनकी कार्यकुशलता में सुधार करने में पाकिस्तान की सहायता कर रहा है;

(ग) क्या सरकार को अपने आयुध कारखानों द्वारा प्राप्त किए गये आधुनिकतमता के स्तर से संतोष है; और

(घ) भारत में उत्पादन स्तर बढ़ाने और अग्नेयास्त्रों कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए विदेशी सहयोग आमंत्रित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने पाकिस्तानी आयुध कारखानों द्वारा आधुनिकतम हथियारों का उत्पादन स्तर बढ़ाए जाने के बारे में प्रकाशित रिपोर्ट देखी हैं। पता चला है कि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में कुछ देशों से सहायता प्राप्त की है।

(ग) रक्षा उत्पादन को आधुनिकतम बनाना एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है।

(घ) जहां आवश्यक होता है प्रौद्योगिकी में सुधार लाने एवं स्वदेशी अनुसंधान तथा विकास कार्यों की प्रतिपूर्ति के लिए विदेशी सहयोग लिया जाता है।

पंजाब के सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लोगों को पहचान-पत्र जारी करना

6880. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का पाकिस्तान से आ रहे आतंकवादियों के प्रवेश पर रोक लगाने की दृष्टि से पंजाब के सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लोगों को पहचान-पत्र जारी करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब से कार्यान्वित किया जा रहा है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

देश के सीमावर्ती जिलों में नागरिकों को पहचान-पत्र जारी करना

6881. **डा० ए० के० पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सीमावर्ती जिलों में विदेशियों पर निगरानी रखने के लिये स्थानीय लोगों को पहचान पत्र जारी करने अथवा एक राष्ट्रीय रजिस्टर रखने का विचार हैं; और

(ख) इस संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख). कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में पहचान पत्र शुरू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीक वन अनुसंधान और विकास संस्थान की स्थापना

6882. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि क्या देश में एक राष्ट्रीय वन अनुसंधान और विकास संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : देश में "राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास संस्थान" के नाम से कोई संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पेंशन

6883. **श्री प्रभूलाल रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान पेंशन नियमों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, उनके वेतन जमा महंगाई भत्ता जमा अतिरिक्त महंगाई भत्ते के अनुसार श्रेणीवार/ग्रेडवार दी जा रही है पेंशन का प्रतिशत मूल्य कितना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : कम से कम 33 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी की पेंशन निम्नलिखित ढंग से निर्धारित की जाती है :—

	औसत परिलब्धियां	मासिक पेंशन की राशि
(i)	पहले 1000/—रुपये तक	औसत परिलब्धियों का 50%
(ii)	अगले 500/—रुपये तक	औसत परिलब्धियों का 45%
(iii)	बकाया	औसत परिलब्धियों का 40%

औसत परिलब्धियों की गणना के लिए निम्नलिखित मदों को हिसाब में जोड़ा जाएगा :—

(क) मूल नियमों के नियम 9(21) में यथा परिभाषित वेतन जिसमें विदेश (ओवरसीज) वेतन, विशेष वेतन, वैयक्तिगत वेतन तथा अन्य परिलब्धियां जो विशेष रूप से श्रेणीबद्ध की गई है, शामिल है;

(ख) महगाई भत्ता, अतिरिक्त महगाई भत्ता 668 स्तर तक के औसत स्वकांक तक का तदर्थ महगाई भत्ता; तथा

(ग) अन्तरिम राहत।

औसत परिलब्धियों का निर्धारण सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा के अन्तिम 10 मास के दौरान ली गई परिलब्धियों के संदर्भ में किया जायेगा।

जब कोई सरकारी कर्मचारी 33 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने से पहले, किन्तु 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् सेवानिवृत्त होता है तो पेंशन की राशि ऊपर उल्लिखित प्रकार से निर्धारित राशि के अनुपात में होगी।

ठक्कर आयोग का प्रतिवेदन

6884. श्री एस० जी० घोलप :

डा० ए० के० पटेल :

श्री प्रकाश वी० पाटिल :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

श्री भट्टम श्री राम मूर्ति :

श्री शरद दिघे :

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

श्री इ० अय्यपू रेड्डी :

श्री एस० एम० गुरड्डी :

श्री एस० एम० पटेल :

श्री मानिक रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या की जांच करने के लिए गठित ठक्कर आयोग ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या यह प्रतिवेदन लोक सभा के पटल पर रखा जायेगा; और

(घ) आयोग के निष्कर्षों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या किये जाने का विचार है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

विचारण न्यायालय में मामलों की सुनवाई का स्थगित किया जाना

6885. श्री अताउर्रहमान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसी मामले की सुनवाई की ऐसी तीन तारीखों पर किसी पक्ष की अनुपस्थिति के पश्चात एक पक्षीय विचारण जारी रखने के दृष्टिकोण से उपयुक्त विधान बनाने का है; क्योंकि गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की वर्तमान व्यवस्था कारगर साबित नहीं हुई है;

(ख) क्या विधि आयोग ने इस संबंध में कोई व्यावहारिक सुझाव दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) सरकार को ऐसे कोई सुझाव की जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बंजारा समुदाय के कल्याण के लिए योजना

6886. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में जीवन यापन करने वाला बंजारा समुदाय यायावर कबीलों के अन्तर्गत आता है;

(ख) क्या इस समुदाय के कल्याण के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना लागू की गई है; और

(ग) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उनके लिए स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और मध्य प्रदेश में रहने वाले इस समुदाय के कल्याण के लिये कौन-कौन सी योजनायें कार्यान्वित की गई हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) यह सच है कि देश में रह रहा बंजारा समुदाय यायावर/अर्ध यायावर और विमुक्त समुदायों के अन्तर्गत आता है।

(ख) कुछ राज्यों में यह समुदाय अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित है और कुछ अन्य राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित हैं और कुछ अन्य राज्यों में "अन्य पिछड़ी जातियों" की सूची में सम्मिलित हैं। जो समुदाय अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित हैं वे राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करते हैं। जो अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में सम्मिलित हैं उनके लिए सिर्फ अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कल्याण योजनायें बनाई जाती हैं। "अन्य पिछड़ी जातियों" के रूप में अधिसूचित व्यक्तियों की सूची केवल अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा रखी जाती है। अतः इन व्यक्तियों के उत्थान के लिए किसी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के शुरू किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मध्य प्रदेश के विशेष संघटक योजना (1986-87) के मसौदे में उपलब्ध सूचना के अनुसार इस राज्य में बंजारा समुदाय को विमुक्त जनजातियों की सूची में सम्मिलित किया गया है। जैसा कि ऊपर उल्लिखित विशेष संघटक योजना दस्तावेज से पता चलता है, मध्य

प्रदेश सरकार ने तारीख 21-9 1963 के अपने आदेश के तहत भारत सरकार के मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों और कल्याण कार्यक्रमों के उद्देश्य से पूरे राज्य के लिए बंजारा समुदाय को विमुक्त जनजातियों के रूप में घोषित किया है। छठी योजना में स्वीकृति राशि का विवरण और मध्य प्रदेश में रह रहे इस समुदाय के कल्याण के लिए कार्यान्वित की गयी योजनाओं के बारे में सूचना सुलभ नहीं है। तथापि यायावर, अर्ध यायावर और विमुक्त समुदायों के लिए छठी योजना के दौरान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी विभिन्न योजनायें और इनके अन्तर्गत स्वीकृति राशियां के विशेष संघटक योजना (1985-86) में दी गयी हैं। इसे संलग्न विवरण से देखा जा सकता है।

विवरण

यायावर, अर्ध यायावर और विमुक्त समुदायों के विकास के लिए योजनाएं

(रु० लाखों में)

क्रम सं०	योजना का नाम	छठी योजना के अन्तर्गत प्रावधान			
		राज्य योजना	एस सी ए	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3			
1.	मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां	6.40	—	4.000 (छात्र)	1.400
2.	मैरिट छात्रवृत्तियां	1.10	—	56 (छात्र)	143
3.	आश्रम, स्कूल और छात्रावास	2.50	—	1 आश्रम	1
4.	आर्थिक कार्यक्रम	31.40	—	—	—
5.	आवास	—	—	—	—
6.	विमुक्त जाति के लिए रोजगार योजना	—	—	—	—
7.	बनचदा और बेदिया के साथ जाति विवाह	—	—	—	=
8.	बनचदो और बेदिया की वृद्ध आयु पेंशन	—	—	—	—

1	2	3			
9.	बनचदो और बेदिया की महिलाओं के लिए सिलाई केन्द्र	—	—	—	—
10.	यायवर, अर्ध यायावर और अनुसूचित जनजातियों में विमुक्त जनजातियों का सामाजिक आर्थिक विकास	—	141.00	—	—
11.	यायावर/अर्ध यायावार और विमुक्त जनजातियों के विशेष प्राधिकारियों को सहायतानुदान।	—	25.00	—	—
जोड़ :	यायावर, अर्ध यायवर और विमुक्त समुदाय :	41.40	166.00	—	—

भारत का सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल राष्ट्रीय आय

6887. **श्री ए० के पटेल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय आय क्या है; और

(ख) दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की तुलना में इसकी क्या स्थिति है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) अन्तिम दो वर्षों का भारत का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद (बाजार भावों के आधार पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन) और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय निम्नलिखित प्रकार है।—

	1983-84	1984-85
प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पादन (रुपये)	2664	2872
प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (रुपये)	2365	2550

स्रोत :—राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (जनवरी, 1986, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन)

(ख) विश्व बैंक एटलस में उपलब्ध दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और भारत के अद्यतम उपलब्ध वर्ष अर्थात् 1983-84 के प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पादन के अनुमान नीचे प्रस्तुत किये गये हैं :—

देश	अमरीकी डालरों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद (अनन्तिम अनुमान)
भारत	260
बस्ती	21140
बर्मा	180
कम्पूचिया गणतंत्र	उपलब्ध नहीं
इंडोनेशिया	560
लाओ लोक गणतंत्र गणराज्य	उपलब्ध नहीं
मलेशिया	1870
फिलीपाइन्स	760
सिंगापुर	6620
थाइलैंड	810
वियतनाम	उपलब्ध नहीं

स्रोत :—विश्व बैंक एटलस, 1985-विश्व बैंक, वाशिंगटन, डी. सी.

नोट :—साधन लागत के आधार पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अनुमान उक्त प्रकाशन में उपलब्धनहीं है।

पंजाब समझौते के बारे में नए पैनल का गठन

6888. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री अमर राय प्रधान :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब समझौते के बारे में एक नया पैनल गठित किया गया है;

(ख) किन कारणों से नये पैनल के गठन की आवश्यकता हुई; और

(ग) नये पैनल की शक्तियां, उद्देश्य और कार्य इससे पहले गठित किए गये मैथ्यू आयोग से किस प्रकार भिन्न है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी हां, श्रीमान्। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री इ० एस० वेंकटरमैया की अध्यक्षता में 2-4-86 को एक आयोग का गठन किया गया।

(ख) मैथ्यू आयोग, जिसका गठन पंजाब के उन विशिष्ट हिन्दी-भाषी क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए किया गया था, जो समझौते का ज्ञापन के पैरा 7.2 में निर्धारित सिद्धान्तों का प्रयोग करते हुए चण्डीगढ़ के बदले हरियाणा को जाने चाहिए, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आयोग पंजाब के अबोहर फाजिलका क्षेत्र में अपने द्वारा पता लगाए गए हिन्दी-भाषी क्षेत्रों को चण्डीगढ़ के बदले हरियाणा को हस्तांतरित करने की सिफारिश नहीं कर सकता, क्योंकि सानिध्यता का मानदण्ड पूरा नहीं होता। उस आयोग ने यह भी कहा कि यह भारत सरकार का ही काम है कि वह ऐसे उपयुक्त उपाय करें जिन्हें वह उचित समझती हो, इन उपायों में किसी आयोग की नियुक्ति करना भी शामिल है।

(ग) नया आयोग न्यायमूर्ति श्री के० के० मैथ्यू की रिपोर्ट को ध्यान में रखेगा और पंजाब के ऐसे अन्य हिन्दी-भाषी क्षेत्रों को निर्धारित करेगा और निर्दिष्ट करेगा जो चण्डीगढ़ के बदले हरियाणा को जाएंगे। आयोग समझौते का ज्ञापन के पैरा 7.2 में निर्धारित सिद्धान्तों का पालन करेगा।

[हिन्दी]

निर्जन द्वीपसमूहों में भूतपूर्व सैनिकों और युवाओं का पुनर्वास

6889. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने द्वीप समूह हैं, जहां कोई मानव नहीं रहता है और अन्डमान निकोबार तथा लक्ष्यद्वीप में, अलग-अलग, ऐसे कितने द्वीप-समूह हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस द्वीप समूहों का विकास करने की दृष्टि से वहां भूतपूर्व सैनिकों और अन्य प्रगतिशील बेरोजगारों युवाओं का पुनर्वास करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार ऐसे द्वीपों की संख्या जहां कोई मानव नहीं रहता, 150 है। वर्ष 1981 की जनगणना में अण्डमान निकोबार और लक्ष्यद्वीप समूहों में निर्जन द्वीपों की संख्या नहीं दी गई थी। अण्डमान और निकोबार और लक्ष्यद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार नामित निर्जन द्वीपों/द्वीपकों की संख्या अण्डमान और निकोबार में 153 और लक्ष्यद्वीप में 17 है।

(ख) इस समय इन द्वीप समूहों में भूतपूर्व सैनिकों और अन्य प्रगतिशील बेरोजगार का पुनर्वास करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुसंधान पोतों की समुद्र यात्रा

6890. **श्री शांताराम नायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "सागर कन्या" द्वारा इसे खरीदे जाने से अब तक कितनी समुद्र यात्राएं की गयीं और क्या महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र किए गए;

(ख) क्या उनके मंत्रालय की कोई और नये अनुसंधान पोत खरीदने की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो नए पोत से क्या प्रयोजन सिद्ध होने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सागर कन्या ने हिन्द महासागर में अब तक 24 समुद्री यात्राएं पूर्ण कर ली हैं। इन समुद्री यात्राओं के दौरान मानसून गतिकी, महासागरीय संचरण, ऊष्मा संतुलन एवं अनन्य आर्थिक क्षेत्र की उर्वरता पर महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त की गई है तथा भारत के आसपास के समुद्रों में सजीव और निर्जीव संसाधनों की उपलब्धता के साथ इनका सह-संबंध स्थापित किया जा रहा है। इस जहाज ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की ज्वारीय विद्युत परियोजना के लिए गहरे समुद्र में ज्वारीय मापन भी किए हैं और अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में प्रदूषण की मानटरिंग की है। मध्य हिन्द महासागर में पिंडों के सर्वेक्षण के अतिरिक्त अपतट तेल-क्षेत्र से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग एवं नौसेना के लिए वैज्ञानिक आंकड़े प्राप्त किए गए।

(ख) जी हां, श्रीमान ! डेनिश सहायता से एक तटीय अनुसंधान जलयान खरीदने की योजना बनाई जा रही है।

(ग) इस जलयान का प्रयोग (क) अनुगंभीर सर्वेक्षणों, धाराओं, लहरों एवं ज्वार-भाटाओं के मापन, (ख) तटों तथा मुहानों के पास पर्यावरणीय मानीटरिंग और समुद्री प्रदूषण की मानीटरिंग से सम्बन्धित एक प्रभावी तटीय प्रबंध कार्यक्रम को विकसित करने के लिए किया जाएगा। इस जलयान का प्रयोग देश के विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान और विकास संस्थाओं में समुद्री वैज्ञानिकों के शिपबोर्ड प्रशिक्षण को कार्यान्वित किए जाने के लिए भी किया जाएगा।

खतरनाक पदार्थों के सम्बन्ध में विधान

6891. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग में त्रुटियों को दूर करने तथा देश में इस उद्योग में संलग्न 25,000

मजदूरों तथा बड़ी संख्या में किसानों की कठिनाई दूर करने के लिए खतरनाक पदार्थों के निर्माण, आयात, वितरण और निपटान के सम्बन्ध में व्यापक विधान तैयार किया जाता था; और

(ख) यदि हां, तो यह विधान संसद के समक्ष कब तक लाया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख). औद्योगिक सुरक्षा एवं खतरनाक पदार्थों की व्यवस्था सम्बन्धी विधान संसद के इस सत्र में पेश किये जाने की आशा की जाती है। प्रस्तावित विधान में अन्य बातों के साथ-साथ, खतरनाक पदार्थों के उत्पादन तथा व्यवस्थापन से संबंधित पहलू शामिल होंगे। औद्योगिक मजदूरों की सुरक्षा, फैक्टरी अधिनियम, 1948 के तहत आता है। कीटनाशियों से मानव के लिए होने वाले जोखिमों को रोकने की दृष्टि से कीटनाशी अधिनियम 1968 बनाया गया था।

———

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं आप सभी को अवसर दूंगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : महोदय जी, आप हमारे नेता को बुलाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे निदेश नहीं दे सकते। मैं उन्हें बुलाऊंगा। चिन्ता न करें। कृपया बैठ जाइए। कृपया आप सभी बैठ जाइए। मैं आप सभी को बुलाऊंगा। प्रो० तिवारी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने प्रो० तिवारी को बोलने के लिए कहा है।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यन्त गम्भीर मामले पर सभा का ध्यान दिलाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पूरी सभा का ध्यान आकृष्ट क्यों कर रहे हैं। मुझे बताइये क्या मामला है ?

प्रो० के० के० तिवारी : पाकिस्तान में लोकतन्त्र के लिए गंभीर संघर्ष चल रहा है तथा जिन लोगों ने श्री भुट्टो को फांसी दिलाने का षडयंत्र किया था वही लोग कुमारी भुट्टो की हत्या की चेष्टा कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

प्रो० के०के० तिवारी : मैं सभा से आग्रह करता हूं कि वह पाकिस्तान की लोकतंत्रीय लड़ाई के साथ अपनी हमदर्दी व्यक्त करें।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, प्रो० तिवारी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

प्रो० के० के० तिवारी : यह अत्यन्त गंभीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम श्री तिवारी से सहमत हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : यह अत्यन्त गंभीर मामला है तथा सभा को लोगों के शान्तिपूर्ण संघर्ष के साथ हमदर्दी व्यक्त करनी चाहिये। एक लोकतंत्रीय देश के नाते हमें पूरा अधिकार है कि लोकतंत्रीय संस्थाओं के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को समर्थन दें।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह पूरे सदन की भावना है। कृपया इसका उल्लेख करें।

प्रो के० के० तिवारी : पूरी सभा इससे सहमत है। प्रो० दण्डवते भी बेनजीर के साथ हैं जिया के साथ नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

प्रो० मधु दण्डवते : चाहे यह सुझाव प्रो० तिवारी ने दिया है। यह फिर भी मुझे मान्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी, आप इस मामले के बारे में नोटिस दे सकते हैं। भारत सदा लोकतन्त्र का पक्ष लेता रहा है। हम सदा लोकतंत्र का समर्थन करते रहे हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है। अतः हम देखेंगे।

प्रो० के० के० तिवारी : सभा को इस पर अपनी चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए .. ..

उपाध्यक्ष महोदय : हम किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, हम सदा लोकतन्त्र के पक्ष में रहे हैं। चिन्ता न करें। कृपया बैठ जायें। आप नोटिस दीजिये, हम देखेंगे।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, स्थगन प्रस्ताव को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय (घोषी): 10 अप्रैल 1986 से बोट क्लब पर डी.डी.ए. वर्कर्स एसोसिएशन के 7 आदमी और एक महिला आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उसमें से एक की हालत बहुत चिंताजनक है। इसके पहले भी प्रेम कुमार के काले कारनामों के बारे में माननीय मंत्री जी और लेफ्टीनेंट गवर्नर से कहा जा चुका है, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस कारण अब सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

(व्यवधान)

श्री० एस० जयपाल रेड्डी : स्थगत प्रस्ताव ....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी बातों को लूंगा। मैंने स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है।

(व्यवधान)

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझार पुर) बंगला देश में दक्षिण त्रिपुरा के निकट भारत बंगला देश सीमा पर अर्द्ध सैनिक बलों का भारी जमाव है। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है और सरकार को इस पर एक वक्तव्य देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जब पूछ रहा हूं तो सभी यही कह रहे हैं कि उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : हमने स्थगत प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी को बुला रहा हूं। दो मिनट प्रतीक्षा करने से कुछ भी नहीं हो रहा। मैं सभी को बुला रहा हूं।

श्री हरुभाई मेहता (अहमदाबाद) : महोदय, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षक संघ आह्वान पर हजारों...........

उपाध्यक्ष महोदय : शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। कृपया बैठ जाइए।

अब प्रो० कुरियन।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : यह अत्यन्त गंभीर मामला है। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस बारे में ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : भारी मात्रा में केसरी दाल अन्य दालों में मिलाकर बाजार में बेची जाती है। समाचार पत्रों में भी छपा है......

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन, कृपया बैठ जाइए। यदि आपने नोटिस दिया है तो मैं उस पर ध्यान दूंगा।

(व्यवधान)

शान्त रहिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह समाचार पत्रों में छपा है। क्या आप वाद-विवाद की अनुमति देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपने नोटिस दिया है तो मैं देखूंगा। इस मामले पर हम तथ्य प्राप्त कर रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, मैं चाहती हूं कि वित्त मन्त्री महोदय, पियरलैस बीमा कर्मचारियों, फील्ड कर्मचारियों तथा आम लोगों के हितों के संरक्षण के बारे में एक वक्तव्य दें। यह कम्पनी बंद होने जा रही है। 4000 कर्मचारी तथा 4 लाख फील्ड कर्मचारी बेकार हो गए हैं तथा 2.65 करोड़ जमाकर्ता चिन्तित हैं। वे चिन्तापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं इसलिए हम चाहते हैं कि वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह एक वक्तव्य दें जिससे उनके हितों का संरक्षण हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले को उनके पास भेज दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया मेरी बात ध्यान से सुने।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सुनना नहीं चाहता।

प्रो० मधु दण्डवते : जब प्रधान मंत्री कर्नाटक के सूखाग्रस्त क्षेत्र के सरकारी दौरे पर गये थे..................(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : समाचार पत्र में छपी खबर का प्रेस द्वारा पहले ही खण्डन किया जा चुका है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी बैठ जाइए। किसी बात को भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उसी समाचार पत्र में छपा है कि प्रधान मंत्री जी ने इस तथ्य का खण्डन किया है; उन्होंने यह बात कभी नहीं कही।

(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी बात को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : किसी बात को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि पहले वे अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, किसी बात को रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। आपका कहना है कि यह समाचार पत्र में छपा इस प्रकार था।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपके द्वारा उठाया गया मामला समाचार पत्रों में छपा है। उसी समाचार पत्र में अगले दिन उसका खण्डन कर दिया गया। इसलिए मैं उसकी अनुमति नहीं देता।

(व्यवधान)*

इस समय पर श्री सी० माधव रेड्डी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

———

12.10 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरे वार मांगें

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : मैं 1986-87 की सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2499/86]

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

योजना मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : मैं वर्ष 1986-87 की योजना मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2500/86]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (नवां संशोधन) नियम, 1986

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : मैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (नवां संशोधन) नियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 3 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 579 (अ) में प्रकाशित हुये थे, सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2501/86]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं वर्ष 1986-87 की कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2502/86]

———

12.11 म० प०

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

(छठा प्रतिवेदन)

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

12.11½ म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। श्री मधु दण्डवते जी ने जो कुछ कहा वह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं होगा। यह मैंने प्रारम्भ में ही कह दिया था। कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में नहीं जायेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

(एक) मध्य प्रदेश में सतना को भारत के अन्य महत्वपूर्ण नगरों से एस०टी०डी० द्वारा जोड़ने के लिये धनराशि देने की आवश्यकता

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के सतना जिला मुख्यालय को देश के अन्य भागों से एस०टी०डी० टेलीफोन द्वारा जोड़ने का काम पिछले कई वर्षों से चल रहा है। केन्द्र सरकार का लाखों रुपया खर्च होने के बाद और बार-बार जनता द्वारा जोरदार मांग करने के बावजूद भी आज तक यह कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इसके अलावा सतना में टेलीफोन कनेक्शन देने के मामले में भी वहां के अधिकारियों द्वारा उचित रूप से कार्यवाई करने में पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जनता के लोगों को, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहे हैं और उन्हें अनेकक ठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे सतना लोक सभा क्षेत्र में किसी भी जन-कार्य से अगर टेलीफोन मिलाना हो तो आसानी से बात होना सम्भव नहीं है। केमोर, महियर, चित्रकूट और सतना जैसे महत्वपूर्ण स्थानों में दिल्ली से बात नहीं हो पाती, जिसके कारण बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे लोक सभा में उठाए नहीं जा सकते।

केन्द्र सरकार विशेष वित्तीय सहायता देकर आदेश दे कि सतना नगर को भारत के अन्य नगरों से एस०टी०डी० टेलीफोन से जोड़ दिया जाए और वहां के टेलीफोन विभाग की कार्य-प्रणाली में जबर्दस्त परिवर्तन और सुधार किया जाये और साथ ही तमाम उचित आवेदकों को तुरन्त टेलीफोन कनेक्शन भी प्रदान किये जायें।

(दो) महाराष्ट्र में किसानों से कपास खरीदने के लिये महाराष्ट्र काटन फैडरेशन को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा चौधरी (अमरावती) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में महाराष्ट्र कपास उत्पादन में एक अग्रसर प्रान्त है। यहां के किसान, खासकर विदर्भ के किसानों का जीवन कपास के धागे से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में काटन मानोपोली स्कीम किसानों की भलाई की योजना मानी गई है।

[श्रीमती ऊषा चौधरी]

उसके कारण मार्केटिंग फेडरेशन के जरिए किसानों के कपास की खरीदी की जानी है। इस साल वहाँ कपास का उत्पादन भी बढ़ा और दूसरे प्रान्तों से वहाँ कपास का भाव अधिक होने से बाहर से कुछ तादाद में कपास भी वहां आयी। नजदीक के कपास उत्पादकों प्रान्तों में काटन मोनोपोली स्कीम न होने के कारण यह हमेशा होती रहती है, जिससे इतनी अच्छी योजना ठीक तरह से अमल नहीं हो पाती। इस साल फेडरेशन की ओर से ज्यादा कपास खरीदने का बोझ पड़ा और उसकी कीमत अदा करने के लिए पैसे की कमी रही। रिज़र्व बैंक से फेडरेशन को जो कैश-क्रेडिट मिलता है वह इस वर्ष ज्यादा कपास की खरीदी को ध्यान में रखते हुए, ज्यादा मिलना चाहिए ताकि सहकारी बैंकों से तथा अन्य व्यवस्था फेडरेशन को ज्यादा लोन मिल सके।

नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन के पास महाराष्ट्र के किसानों के 20 करोड़ रु० पड़े हुए हैं। यदि वह पैसा फेडरेशन को दिया जाये तो कपास बेचने के बाद तीन-चार महीने से जिन गरीब किसानों को अपनी फसल का दाम नहीं मिल पाया है, उन्हें वह तुरन्त मिल जायेगा। इसके लिए महाराष्ट्र शासन ने केन्द्र से अपील भी की है।

यदि केन्द्र शासन इस मामले को गम्भीरता से लेकर महाराष्ट्र काटन फेडरेशन को आर्थिक मदद तथा उनके कारोबार में पूरा ध्यान देकर किसानों को पूरा न्याय नहीं देगा तो भविष्य में महाराष्ट्र, खासकर विदर्भ, मराठवाड़ा के किसानों द्वारा कपास का उत्पादन करने की सम्भावना कम है।

अन्त में मैं मांग करती हूं कि महाराष्ट्र में किसानों को बोई हुई कपास का दाम तुरन्त देने के लिए काटन फेडरेशन को किसी भी तरह आर्थिक सहायता दिलाई जाये।

(तीन) भारतीय खाद्य निगम द्वारा उसके विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से किसानों से खरीदे गये उनके उत्पादन के लिए उन्हें पर्याप्त और शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री हाफिज मौहम्मद सिद्दीक (मुरादाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य निगम स्वयं तथा अनेक एजेंसियों के माध्यम से खरीद करता है। खाद्य निगम की खरीद पर तो किसान को भुगतान शीघ्र हो जाता है, भले ही भाव के मामले में किसान को कुछ हानि व परेशानी हो जाती है, पर पी.सी.एफ., सहकारी समितियों के माध्यम से जो खरीद करता है उनके द्वारा न तो किसान को उचित मूल्य मिलता है और न समय पर। सहकारी समितियां खरीद में व्यर्थ के बहाने बनाकर किसान को बिचोलियों के हाथों में जाने को मजबूर करती है, जो कम भाव पर तुरन्त भुगतान के नाम पर माल खरीदते हैं। बिचौलियों द्वारा किसान को घटिया गेहूं बताकर कम मूल्य दिया जाता है। इनका एक कारण खाद्य निगम में अनाज का ग्रेड पास कराने के लिए पैसा देना है। इस प्रकार किसान का दोहरा शोषण होता है। पीसीएफ सहकारी समितियों को रुपया माल वसूल करने के बाद ही देता है। इसलिए सहकारी समिति प्राय: पांच दिन के बाद भुगतान दे पाती है। किसान को तुरन्त पैसे की जरूरत होती है। इसलिए उसे बिचौलियों को माल देने पर मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद केन्द्रों द्वारा वही अनाज बढ़े मूल्य पर बिचौलियों से खरीद लिया जाता है और अन्तर को दोनों मिल बांट कर खाते हैं।

गेहूं की खरीद का काम शीघ्र आरम्भ होने वाला है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस ओर तुरन्त ध्यान देकर किसान को शोषण से बचाया जाये।

(चार) उत्तर प्रदेश के उत्तरकाशी और टिहरी जिलों के खाई जौनपुर क्षेत्रों को आदिवासी क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता

श्री ब्रह्मदत्त (टिहरी गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, यमुना घाटी में उत्तरकाशी और टिहरी जिलों के 6 विकासखंडों में रवाॅल्टा जनजाति रहती है। यह यमुना नदी के बायें तट पर है। दक्षिणी तट पर जौनसार बाबर का क्षेत्र है, जिसमें दो विकासखंड देहरादून जिले के आते हैं। दोनों तटों के क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक व भौगोलिक परिस्थितियां एक सी हैं।

यहां प्रारम्भ से ही इसको जनजाति क्षेत्र घोषित करने की मांग रही है। जौनसार बाबर जनजाति क्षेत्र घोषित किया जा चुका है परन्तु उत्तरकाशी और टिहरी के खाई जौनपुर का इलाका जनजाति क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने 22.4.84 को केन्द्र सरकार से संस्तुति भी की है और तब से स्थानीय जन प्रतिनिधि निरन्तर प्रयास करते रहे है कि टिहरी और उत्तरकाशी के 6 विकासखंडों को, जिनमें रवाॅल्टा जनजाति के लोग हैं, जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाए, परन्तु अभी तक यह मामला विचाराधीन है। इस दौरान इस संबंध में आन्दोलन व भूख हड़ताल इत्यादि होते रहे हैं और फिर स्थानीय लोगों ने यह निर्णय किया है कि एक मई से आन्दोलन किया जाए, जिसमें वहां के प्रधान व ब्लाक प्रमुख आदि अपने पदों से त्यागपत्र दें।

अतः मैं गृह विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस संबंध में यथाशीघ्र उत्तर प्रदेश सरकार की संस्तुति के आधार पर निर्णय किया जाए।

(पांच) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले की वनभूमि में बसे आदिवासियों को वहां से निकाले जाने को रोकने की आवश्यकता

श्री मानकूराम सोडी (बस्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में वन-भूमि के अन्दर अतिक्रमण किए हैं, जिसका स्थानीय जन प्रतिनिधि और मंत्रियों को लगातार आवेदन देते आ रहे हैं और उनके आवेदन में यही शिकायत है कि हमने 10-15 वर्ष से भूमि को खेती योग्य बनाकर परिवार का भरण पोषण इसी खेती से करते आ रहे हैं। उक्त भूमि का पट्टा नहीं मिलने से वन विभाग के कर्मचारी बेदखल करने की कार्यवाही कर रहे हैं और हमेशा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। बहुत जगह उनके पूर्वज का बिरान गांव जमीन बताकर रह रहे हैं और अपने को उस जगह की देवी-देवताओं से संबंध जोड़ रहे हैं। अतिक्रमण होने से बेदखल की कार्यवाही से उनके मकान आदि जला दिये जाते हैं। जिसमें कार्यवाही का उत्तेजित वातावरण निर्मित होता है और आदिवासियों की भावना में शासन के प्रति बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

अतः केन्द्र शासन से अनुरोध है कि इसके लिए एक निश्चित सीमा अवधि में पुनः एक बार जांच हेतु राज्य शासन को निर्देश दें जो व्यक्ति पात्रता रखते हों उन्हें उस भूमि को, उनके नाम पर व्यवस्थापन किया जाए। वर्तमान में कुछ स्वार्थी तत्व आदिवासियों को भड़काकर

[श्री मानकूराम सोढी]

अतिक्रमण करा रहे हैं और शासन के विरुद्ध उन्हें उकसा रहे हैं। इस तरह की गतिविधियों को भविष्य में शक्ति से रोका जाए।

(छः) दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय को हटाकर बिहार में मैथान ले जाने की आवश्यकता

श्री सरफराज अहमद (गिरिडीह) : उपाध्यक्ष महोदय, दामोदर वेली कारपोरेशन की स्थापना के पीछे सरकार की मंशा थी कि बिहार और पश्चिम बंगाल में बिजली की आपूर्ति हो सके तथा बिहार के पिछड़े क्षेत्र छोटा नागपुर एवं संथाल परगना तथा पश्चिम बंगाल के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। इसी उद्देश्य से पहले बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, चन्द्रपुरा पावर स्टेशन, दुर्गापुर पावर स्टेशन तथा अन्य थर्मल पावर स्टेशनों का निर्माण किया गया। दामोदर वैली कारपोरेशन का अधिकांश कार्यक्षेत्र बिहार राज्य है किन्तु इसका मुख्यालय कलकत्ता में है, जिसके कारण बहाली एवं प्रोमोशन में पश्चिमी बंगाल का ही वर्चस्व है और बिहार के लोगों की उपेक्षा की जा रही है। इस कारण बिहार के पिछड़े क्षेत्र छोटा नागपुर एवं संथाल परगना के लोगों में क्षोभ तथा असंतोष व्याप्त है। सरकार की नीति भी है कि जहां कार्यक्षेत्र रहता है, वहीं मुख्यालय भी रखा जाना चाहिए।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि दामोदर वैली कारपोरेशन का मुख्यालय मैथन स्थानान्तरित किया जावे तथा कोई ऐसा रास्ता निकाला जावे जिससे बिहार के छोटा नागपुर एवं संथाल परगना जैसे पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को रोजगार एवं पदोन्नति में उपयुक्त हिस्सा मिल सके।

(सात) भारत के पूर्वोत्तर भागों में रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के उत्तरी पूर्वी प्रदेश एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में क्षेत्र के विकास के लिए निश्चित एवं स्वीकृत रेलवे विस्तार की परियोजनायें धन के अभाव एवं निर्माण सम्बन्धी अधिकारियों की कार्य अकुशलता के कारण अधूरी पड़ी हुई हैं। देश के विभाजन के बाद से ही त्रिपुरा भारतीय रेलवे के नक्शे से बाहर था। सबसे पहले 1964 में प्रयास किया गया कि इस क्षेत्र को रेलवे द्वारा परस्पर जोड़ा जाये। कालीघाट से धरम नगर तक 33 कि०मी० रेल लाइन बिछाने की योजना थी जिसे कुमरा घाट तक बढ़ाने का राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव किया गया था। इस परियोजना पर 30 करोड़ रुपये व्यय होना था किन्तु अभी तक 16 करोड़ ही व्यय हुआ है। नोलपारा (असम) से मालिक योग (अरुणाचल) के बीच 31·46 कि० मी० रेल लाइन परियोजना पर अभी तक केवल 1.63 करोड़ ही व्यय हो सका है। लाला बाजार-लालाघाट-मेरावल रेल परियोजना, जो 49 कि० मी० लम्बी है जिसकी लागत 26 करोड़ है, अभी तक इस योजना के अन्तर्गत 10 करोड़ ही व्यय किया गया है। इकलाही से मालदा तक की एक अन्य योजना पर जो 42 करोड़ की लागत से बनाने वाली है, इस वर्ष तक केवल 50 लाख ही खर्च हो कर अधूरी पड़ी है। इस क्षेत्र के लिए बनी प्रायः सभी रेलवे विकास योजनायें अधूरी पड़ी हैं। यातायात की सुलभता के अभाव में इस क्षेत्र में अनेकों अवांछनीय घटनायें आज देखने में आ रही हैं जो यहां के समाज को शंकित एवं भयावह कर रही हैं। समय रहते यदि इस क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये समस्यायें जो आज कुछ छोटी दीख रही हैं कल बड़ी दिखाई देंगी और सारे देश को ही प्रभावित करेंगी। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि वह इस ओर विशेष ध्यान देकर विकास कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करे।

[अनुवाद]

(आठ) आन्ध्र प्रदेश में काकीनाडा के छोटे मछुआरों को रियायती दरों पर डीजल तेल उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री गोपाल कृष्ण थोटा (काकीनाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही खेद की बात है कि हाई स्पीड डीज़ल तेल के मामले में जिसके दाम काफी मात्रा में बढ़ गए हैं राज सहायता देने के मामले में बड़े ट्राउलरों से मछली पकड़ने वालों और छोटे ट्राउलरों से मछली पकड़ने वालों के बीच सरकार भेदभाव कर रही है।

मैं यह बता दूं कि इस समय लगभग 900 छोटे मछुआरे मछली एवं अन्य समुद्री उत्पाद एकत्र करने के मामले में मशीनी नावों का इस्तेमाल कर रहे हैं। निस्संदेह सरकार इस बात से अवगत है कि एच० एस० डी० तेल की कीमत 1975 से लगातार बढ़ती जा रही है तथा छोटे मछुआरे जोकि मशीनी नावों का उपयोग करते हैं उन्हें एच० एस० डी० तेल की कीमत में वृद्धि अखरने लगी है तथा वे लोग इस तेल को रियायती दरों पर दिलाने का अनुरोध कर रहे हैं। छोटे मछुआरों को इसकी ज्यादा जरूरत है क्योंकि उनकी जीविका का साधन सिर्फ यही एकमात्र व्यवसाय है। ये लोग बड़े मछुआरों से स्पर्धा नहीं कर सकते। बड़े मछुआरों को अन्य लाभ होने के साथ-साथ एच० एस० डी० तेल भी रियायती दरों पर मिलता है। मछुआरों ने कई अभ्यावेदन भी दिये हैं। यदि इन मछुआरों की मदद की जाए तो यह ज्यादा काम कर सकते हैं तथा ज्यादा निर्यात करके विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह काकीनाड़ा के छोटे मछली पकड़ने वालों की सहायता करें और उनको राज सहायता प्राप्त दरों पर डीजल तेल प्रदान करें।

12.25 म० प०

अनुदानों की मागें (सामान्य), 1986-87—[जारी]

गृह मंत्रालय—[जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन गृह मंत्रालय के लिए अनुदानों की मांगों पर और आगे चर्चा एवं मतदान करेगा। गृह मंत्री जी बोलेंगे।

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में बावन माननीय सदस्यों ने भाग लिया तथा जितना समय इसके लिए निर्धारित किया गया था इससे दोगुना इसमें लगा। अतः मैं कहूंगा कि यह चर्चा विस्तृत रही। इतने ही विस्तार के साथ मेरे दो सहयोगियों के हस्तक्षेप भी किया। जितने भी मुद्दे उठाए गए अधिकांश का उत्तर दे दिया गया है।

अत: महोदय मैं बहुत ही संक्षिप्त बात कहूंगा। क्योंकि मैं अपने सहयोगियों द्वारा दिए गए उत्तर को दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं सिर्फ कुछ ही मुद्दों के बारे में जानकारी दूंगा जोकि माननीय सदस्यों ने जाननी चाही थी।

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

महोदय, राज्यों में पुलिस प्रशासन के आधुनिकीकरण के बारे में एक मुद्दा उठाया गया था। हम सभी जानते हैं कि यह कितना महत्त्वपूर्ण है। अपराध करने वाले व्यक्ति जिस अत्याधुनिक तरीकों को बाहर से प्राप्त कर अपना रहे हैं वही आधुनिक एवं उतने ही प्रभावी एवं आधुनिक उपकरण हमारी पुलिस के पास भी हैं। इस कार्य के लिए केन्द्र सरकार प्रत्येक वर्ष राज्यों को 10 करोड़ रुपये तक की राशि देती है।

महोदय हम सभी लोग किसी न किसी राज्य एवं गांव के हैं तथा हम जानते हैं कि पुलिस कर्मियों के लिए आवास की समस्या कितनी अधिक है। हम लोगों की आवास सुविधा के लिए 204 करोड़ रुपये दिए गए हैं। नये पुलिस स्टेशन बनाने के लिए 21·5 करोड़ रुपये तथा पुलिस स्टेशनों की इमारतों का निर्माण करने के लिए 27 करोड़ रुपये दिये गए हैं। जो कुछ भी किया जा रहा है वह उपयोगी होगा। मैं जानता हूं कि पुलिस बल में वृद्धि होने के कारण यह पर्याप्त नहीं हैं। उनकी जरूरतों को बड़े स्तर पर पूरा किया जाने की आवश्यकता है परन्तु मैं सदन में बताना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार इस दिशा में अपनी भरपूर कोशिश कर रही है। बात यह है कि ये सभी मद गैर-नियोजित क्षेत्र में आते हैं तथा यह रवैया है कि गैर-नियोजित क्षेत्र को प्राथमिकता क्षेत्र में नहीं लेना है। हमारी हर वक्त यही कोशिश रहती है कि नियोजित क्षेत्र को गैर-नियोजित क्षेत्र की अपेक्षा प्राथमिकता मिले तथा जब कभी भी अर्थ-व्यवस्था के लिए व्ययों में कटौती करनी होती है तो उसके लिये गैर-नियोजित क्षेत्र को ही चुना जाता है। परन्तु इस मामले में हमें मालूम है कि यह गैर-नियोजित क्षेत्र में आता है लेकिन इसे नियोजित क्षेत्र के बराबर ही समझा जाना चाहिये। क्योंकि इस क्षेत्र पर ध्यान दिये बिना, कानून एवं व्यवस्था पर ठीक से ध्यान न दिये जाने पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। सभी तरह के विकास कार्यक्रम रुक जायेंगे तथा इससे नियोजित क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ेगा। अतः हम इस क्षेत्र पर काफी ध्यान देते हैं यद्यपि तकनीकी रूप में हम इसे नियोजित क्षेत्र में नहीं डाल सकते। मेरे सहयोगी आन्तरिक सुरक्षा राज्य मंत्री ने मेरे विचार से सदन को बताया है कि एक योजना है—हम उसे योजना की तरह ही मान रहे हैं, पंचवर्षीय योजना—जिसके तहत कुछ कार्यों को किया जाना है तथा हम उसके लिये धन की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। हम राज्य सरकारों से ऐसा ही करने की अपील करेंगे। यह भी मुमकिन है कि राज्य सरकारों के स्तर पर कतिपय योजनाओं, पुलिस कर्मियों से संबंधित आवास योजना एव अन्य बातों में कटौती की जाये क्योंकि तकनीकी तौर पर यह गैर-नियोजित क्षेत्र में आते हैं। तथा उनके वित्त विभाग यह भी कह सकते हैं कि इन्हें प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिये। परन्तु मैं कहूंगा कि इस बात पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के स्तर पर सर्वसहमति है। यह संयुक्त सर्वसहमति होनी चाहिए कि इस मद के लिये तकनीकी रवैया नहीं अपनाएंगे चूंकि यह गैर-नियोजित क्षेत्र में हैं इसलिए इसके लिये जो धन की आवश्यकता है वह इसे नहीं मिलेगी। अतः तकनीकी रूप में चाहे हम इसे गैर-नियोजित या नियोजित कहें सच तो यह है कि आधुनिकीकरण, पुलिस आवास व्यवस्था, पुलिस स्टेशनों के निर्माण एवं उनकी सुख-सुविधा के लिये जिस भी धन की आवश्यकता है हमें वह देना होगा। तो इस बारे में मैं सदन को सूचित करना चाहता था।

दूसरा प्रश्न राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बारे में उठाया गया है। लगभग 500 सिफारिशें हैं जिनमें से अधिकतर राज्यों से संबंधित हैं। 500 में से 85 केन्द्र

सरकार से संबंधित है। 85 में से 82 का निपटान कर दिया गया है और अन्तिम निर्णय ले लिया गया है। केवल तीन के बारे में निर्णय लेना बाकी है। इन तीन पर राज्यों के साथ विचार विमर्श करके विचार किया जा रहा है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये सेवा शर्तों के बारे में हैं। स्वाभाविक है कि सेवा शर्तों पर वित्तीय परिव्यय और सभी बातों को ध्यान में रखकर विचार करने की जरूरत है। इसलिए इसमें थोड़ा समय लग सकता है। फिर भी मैं उन सदस्यों को, जिन्होंने मामले को उठाया है, और सामान्य रूप से सदन को आश्वासन देता हूं कि हम मामले में देरी नहीं कर रहे हैं। हम शीघ्र निर्णय ले रहे हैं और कार्यवाही कर रहे हैं।

महोदय, शस्त्र अधिनियम के बारे में कुछ सदस्यों ने यह भय व्यक्त किया है कि राज्य सरकारों के स्तर पर हथियारों के लाइसेंस देने में कुछ अनुचित नरमी बरती जा रही है। अब शस्त्र अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है और पुलिस जांच अनिवार्य कर दी गई है। अगर ऐसा है तो, इसे कार्यान्वित करने की जरूरत है, अर्थात् तथाकथित नरमी की जांच की जानी चाहिए और ऐसे नियम बनाने चाहिए जो पिछले नियमों से कुछ अधिक कड़े हों और पुलिस से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त होने पर ही हथियारों के लिए अनुरोध पर विचार किया जाना चाहिए। हमने राज्य सरकारों को सूचित कर दिया है कि अर्ध-स्वाचलित हथियारों और कारबाइन आदि के लाइसेंस नहीं दिए जाने चाहिए, लाइसेंस की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो, इन हथियारों के लिए लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबंध है। मेरे ख्याल से इन उपायों से काफी हद तक माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किया गया भय दूर हो गया होगा।

कुछ सदस्यों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में भी कुछ सवाल उठाए हैं। हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशेष समस्याएं हैं दूरी की समस्याएं हैं, विकास की समस्याएं हैं और समस्या यह है कि अधिकतर राज्यों को योजना कार्य में बाद में शामिल किया गया है इसलिए वे कुछ इकठ्टी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन बातों की जानकारी है और मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि विशेष उपाय किए जा रहे हैं उस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और केन्द्रीय मंत्रियों की एक समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करेंगे और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी जिसके सदस्य होंगे और पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भी इसमें आमन्त्रित किया गया है। उक्त समिति का गठन मुख्य केन्द्रीय परियोजनाओं की कार्यान्विति पर नजर रखने और राज्य परियोजनाओं अगर वे केन्द्र के पास विचाराधीन पड़ी हों जैसे वन सम्बन्धी अनापत्ति आदि को लागू करने में पेश आने वाली कठिनाइयों यदि कोई हों, को दूर करने के लिए किया गया है। बहुत से मामलों में केन्द्र सरकार को राज्य परियोजनाओं पर मंजूरी देने के लिए तेजी से निर्णय लेने पड़ते हैं। यह समिति इन सभी मामलों पर विचार करेगी। मैं समझता हूं कि समिति की बैठक शीघ्र ही होगी और शायद पहली ही बैठक में हमें स्पष्ट पता चल जाएगा कि कौन से सवाल, मसले और निर्णय हैं। मुझे विश्वास है कि यह समिति इन सभी मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए यथासम्भव प्रयास करेगी। हाल ही में पहली बार सचिवों का एक दल अरुणाचल प्रदेश भेजा गया। समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से देखना उनके लिए एक अनुभव रहा। उन्होंने हमें बताया कि यह अनुभव बहुत उपयोगी रहा है और वे चाहते हैं कि इस तरह के और दल सभी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जाएं ताकि समस्याओं से अवगत हुआ जा सके और इन समस्याओं से सम्बन्धित मामलों में शीघ्र निर्णय लेने के लिए यथासम्भव प्रयास किया जा सके। मैं दोहराऊंगा कि इस पद्धति को जारी रखा जाएगा और उन्हें चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अन्य राज्यों का

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

दौरा करने के लिए कहा जाएगा। यहां इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं की हमें पूरी जानकारी है और ऐसे सभी उपाय किए जा रहे हैं जिनसे ये समस्याएं अन्दर ही अन्दर बढ़ती न रहें और परिणामस्वरूप अवांछित परिणाम न निकलें। हम इन समस्याओं का समय पर और कारगर ढंग से निपटान कर रहे हैं।

एक सदस्य ने जेल प्रशासन के बारे में मुद्दा उठाया है। यह एक व्यापक विषय है। इस उत्तर के दौरान इसका जवाब देना सम्भव नहीं है पर मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि जेल प्रशासन स्वयं राज्य प्रशासन का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। व्यक्तिगत तौर पर इस बारे में मैं थोड़ा अधिक जानता हूं क्योंकि अपने राज्य में मैं पांच साल तक जेलों का इंचार्ज रह चुका हूं और जानता हूं कि वास्तविक कठिनाइयां क्या हैं। जेलों की सुरक्षा मुख्य सवाल है। वैसे बहुत से ऐसे सवाल हैं जो इससे भी महत्वपूर्ण हैं जैसे कैदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, कैदियों की प्रतिक्रिया को कैसे लिया जाए पर हम इन सवालों पर विचार नहीं करेंगे। बहुत सी बातों को राज्य स्तर पर सम्बन्धित मंत्री देख रहे होंगे लेकिन इस स्तर पर तो मामला जेल से भागने के कारण उठा है। बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि एक समिति का गठन किया गया है। आन्तरिक सुरक्षा राज्य मंत्री ने सदन को बताया ही होगा। हमने जेलों की सुरक्षा के पहलू की जोकि एक अति महत्वपूर्ण पहलू है, जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। हवाई अड्डों को भी शामिल किया गया है। उन सभी कारणों की जिनसे कैदियों के जेल से भागने की घटनाएं होती हैं, एक साथ मिलाकर यह समिति जांच करेगी।

डकैत-बहुल क्षेत्रों के बारे में सवाल है। यह बहुत उपयुक्त और सही सवाल है। ऐसा हो रहा है। तीन से अधिक दशकों से हम इसका सामना कर रहे हैं। तंग खड्ड वाले क्षेत्रों में जहां कुछ गज की दूरी पर ही एक व्यक्ति दूसरे को नहीं देख पाता सुरक्षा, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना या पकड़ना एकदम असम्भव है। इन क्षेत्रों का अब विकास किया जाएगा। 641 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। केन्द्र 240 करोड़ रुपये और संबंधित राज्य अर्थात् उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान 399 करोड़ देंगे। इस धनराशि से जिन योजनाओं को कार्यान्वित किया जाएगा वे हैं संचार साधनों में सुधार और तंग खड्ड वाली भूमि का उद्धार। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि अधिक कुछ किया गया है।

यह तो शुरूआत मात्र है। लेकिन माननीय सदस्य सहायता कर सकते हैं कि तंग खड्ड वाली भूमि का उद्धार जिसके लिए बहुत अधिक विशेषज्ञता की जरूरत है, एक नया कार्यक्रम है। एक ऐसे क्षेत्र का सुधार करना आसान काम नहीं जहां इतनी बुरी तरह भूमि-कटाव हुआ हो कि वह तंग घाटियों मे परिवर्तित हो गयी हो। छुपने के अलावा किसी और कार्य के लिए इस क्षेत्र का कैसे उपयोग किया जा सकता है, इस मामले में कुछ विशेषज्ञता की जरूरत है। हम इस कार्यक्रम की प्रगति पर नजर रखेंगे और अगर सदस्य चाहते हैं तो हम सदन को समय-समय पर सूचित करते रहेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं। यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जब तक इसे शुरू नहीं किया जाता तब तक उस सवाल को हम वास्तव में कारगर ढंग से हल नहीं कर सकते जो हमें बहुत समय से परेशान कर रहा है।

एक सवाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के बारे में उठाया गया है। मान-

नीय सदस्यों ने वक्तव्य दिया है। उनका ऐसा कहना ठीक नहीं है, कि केवल अवांछित अधिकारियों को ही वहां भेजा जाता है। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि अवांछित अधिकारियों के लिए कोई चिह्नित क्षेत्र नहीं है। वे तो सभी जगह हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अवांछित जगहें या अवांछित अधिकारी ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : दूसरी ओर, प्रयास किए जा रहे हैं कि इन स्थानों को अधिक आकर्षक बनाया जाए ताकि तैनाती होने पर अधिकारी वहां जाएं। आप देखिए केवल दूरी की बात है : बस ! यह पुराने समय का काला पानी नहीं है। संभवत: हमारे दिलो-दिमाग में यह बात घर कर गई है कि अंडमान और निकोबार द्वीप पुराने काला-पानी का विस्तार मात्र है। ऐसा नहीं है। जो लोग वहां गए हैं वे इस बात का प्रमाण दे सकते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि इसके एकदम विपरीत है।

एम माननीय सदस्य : अब वह पर्यटन स्थल बन गया है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जी हां, पर हम इसे पर्यटन स्थल बनाने के अधिक पक्षधर नहीं हैं। सवाल यह है कि क्या हम इन सभी द्वीप-समूहों में से दो-तीन द्वीप-समूहों का विकास कर सकते हैं क्योंकि पर्यटन को सुरक्षा से अधिक प्राथमिकता नहीं दे सकते। इस मामले पर विचार किया गया है। जब मैं रक्षा मंत्रालय में था तो हमने इस पर विस्तार से विचार किया था। एक-दो द्वीप-समूहों में पर्यटन के लिए कुछ किया गया होगा लेकिन जहां तक मुझे मालूम है इससे अधिक कुछ नहीं। वैसे ये द्वीप-समूह सुन्दर हैं। ये द्वीप-समूह वैसे प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं रह गए हैं, जैसा हम सोचा करते थे।

एक माननीय सदस्य : वे धरती पर स्वर्ग बन गए हैं।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : इस टिप्पणी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पर साथ-साथ हमारी सहायता भी करिए।

श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी) : अधिकारी वहां जाना नहीं चाहते जिसका एक कारण यह है कि वहां शिक्षा सुविधाएं नहीं हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह बात मैं समझता हूं। पर उन्हें अवांछित अधिकारी मत कहिये। इन अधिकारियों को चुना जाता है।

श्री दिनेश गोस्वामी : दूसरे वे महसूस करते हैं कि वहां शहरी जीवन नहीं है।

श्री पी०एम० सईद (लक्षद्वीप) : महोदय, 15-20% आबंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया जा रहा और उसे लौटाया जा रहा है। कृपया इस पर विचार करें।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : ऐसा उन स्थानों पर हो रहा है जो दिल्ली-हैदराबाद या नागपुर के पास है। राज्य में धनराशि का उपयोग न होना, ऐसा अंडमान और निकोबार या लक्षद्वीप में ही नहीं है। हो सकता है इस मामले में कारण कुछ और हों। हम धनराशि व्ययगत हो जाने के सवाल पर विचार कर सकते हैं। हो सकता है हमे सारी बात की अधिक कारगर ढंग से

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

निगरानी करनी पड़े। हमें देखना होगा कि अनुवर्ती कार्यवाही की जाए।

श्री पी० एम० सईद : महोदय, 50 प्रतिशत से अधिक धनराशि व्ययगत हो जाती है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं यह समझता हूं। मैं मानता हूं कि धनराशि का उपयोग न करने के मामले पर ज्यादा विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। पर ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वहां भेजे जाने वाले व्यक्ति अच्छे नहीं हैं। मैं संक्षेप में यही कहने का प्रयास कर रहा हूं।

श्री पी० एम० सईद : ऐसा सोचने के लिए मेरे पास ठोस कारण हैं। पहले 1982-83 और 1983-84 में, तीन साल तक एक पैसा तक वापिस नहीं किया गया। लेकिन अब क्यों ऐसा हो रहा है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : उन्होंने स्वयं कहा है कि दो साल पहले कोई धनराशि व्ययगत नहीं हुई और इस साल धनराशि व्ययगत हुई है। अगले साल भी कोई धनराशि व्ययगत नहीं होगी। तो, उतार-चढ़ाव आता रहेगा। हम इस तरह के मामले को तूल क्यों दें ?

कुछ और मुद्दे उठाए गए हैं। लेकिन मैं एक दो सामान्य मुद्दों को उठाना चाहूंगा जो गृह मंत्रालय के संदर्भ में महत्व रखते हैं और कुछ उपायों पर विचार किया जा रहा है।

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : कानून और व्यवस्था प्रशासन एक महत्वपूर्ण बात है। पुलिस को शान्तिपूर्ण तालाबंदियों और हड़तालों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हम किसी भी तालाबंदी या हड़ताल में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। क्या हम हस्तक्षेप कर रहे हैं ?

डा० दत्ता सामंत : मालिक श्रमिकों के विरुद्ध पुलिस का प्रयोग करते हैं। आपके राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के कारण मुझे स्वयं दो या तीन बार गिरफ्तार किया गया था। हमें कैसे पता चले कि इस अधिनियम का कैसे प्रयोग किया जाएगा ? मेरे 40 सक्रिय लोगों को कपड़ा मिल कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। मैंने इस महत्वपूर्ण बात को पहले भी उठाया था। इस सभा को आश्वासन दिया गया था कि इस अधिनियम को श्रमिकों के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जाएगा··· **(व्यवधान)**

श्री पी० वी० नरसिंह राव : अब मुझे शिकायत मिली है। परन्तु मैं नहीं जानता कि मेरा इससे क्या सम्बन्ध है क्योंकि यह एक स्थानीय मामला है। पुलिस को किसी खास क्षेत्र में किसी खास मामले में किसी खास स्थिति को देखते हुए क्या करना है एक ऐसा मामला है जिस पर वास्तव में हम यहां से अन्तिम फैसला नहीं कर सकते।

डा० दत्ता सामंत : सरकार इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है......

(व्यवधान)

अकबर होटल में लोग अपनी नौकरी से हाथ धो रहे हैं तथा पुलिस ने उन पर लाठी-चार्ज किया है। सरकार को इस मामले पर कुछ निर्देश देने चाहिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : वह पुलिस वर्ग के चरित्र का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : पुलिस कोई वर्ग नहीं है।

भाषण समाप्त करने से पहले मैं एक या दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाना चाहूंगा जिन पर मैं सदस्यों से अपना दिमाग लगाने के लिए कहूंगा, ताकि किसी उपयुक्त समय पर हम सभा के अन्दर या बाहर उन पर विचार सकें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामले हैं।

40 वर्ष पहले, एक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक था, शायद आज भारत का नागरिक नहीं है। वह पाकिस्तान या बंगला देश का नागरिक है। यह विभाजन का परिणाम है। आज हम यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि कौन भारतीय है, और कौन भारतीय नहीं हैं क्योंकि हमने अब तक महत्वपूर्ण सांख्यिकी कार्यक्रम, नागरिकता पंजीकरण कार्यक्रम में सुधार करने के लिए समुचित कदम नहीं उठाए हैं और जो घुसपैठ हुई हैं, और जिस स्तर पर यह हुई है, उससे समस्यायें उत्पन्न हुई हैं जो विख्यात हैं। अब, उस पीढ़ी के लिए, उस पीढ़ी के लिए जो 1940 या 1946 या 1945 में भारतीय थी परन्तु आज भारतीय नहीं है, उनकी राष्ट्रीयता भिन्न है। उनकी समस्यायें भिन्न थीं। उनकी भावनायें भिन्न थी। और उनका दृष्टिकोण भिन्न था। अब, उन दृष्टिकोणों को जारी रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चालीस वर्षों के बाद हमें अपने नागरिकता प्रबन्धों को पक्का करना है। मैंने एक व्यापक शब्द 'प्रबंध' प्रयोग किया है क्योंकि इसमें बहुत सी बातें शामिल हैं। भारत के एक गांव में, महत्वपूर्ण आंकड़ों को कौन रखता है – या तो पटवारी, अगर उस स्तर पर कोई व्यक्ति ऐसा है जो रजिस्टर में लिखने में रुचि नहीं रखता, चाहे कोई बच्चा पैदा हो या कोई व्यक्ति मरे, उसे किसी बच्चे के जन्म होने में या किसी व्यक्ति के मरने से कुछ नहीं प्राप्त होता। अतः उसकी रुचि नहीं है। आज, हमारे महत्वपूर्ण आंकड़े विश्वास योग्य नही हैं और इन आंकड़ों के आधार पर हम अपनी कई योजनायें बना रहे हैं। अतः, मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि हमें एक संसद सदस्य के नाते, जन नेता के नाते, जनता के कार्यकर्त्ता के नाते इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम को शुरू करना चाहिए। केन्द्रीय सरकार, गृह मंत्रालय कार्य कर रहा है। हमें उपबंधों को पक्का बनाना होगा, न केवल कानूनी उपबंधों बल्कि आप सभी कानूनी को पारित कर सकते हैं। हमें कहना चाहिए कि नागरिकता कानून को फिर से बनाया जाए, परन्तु कहानी यहीं समाप्त नहीं हो जाती, क्योंकि यह कहानी की शुरूआत है। इसे कैसे लागू किया जाए, अगर आप इसे निश्चित रूप से तथा ठीक से सबसे निचले स्तर से लागू नहीं करते तो कुछ भी नहीं होने वाला है।

असम समस्या। मुझे उन सभी समस्याओं का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है जिन पर पहले ही चर्चा हो चुकी हैं या होने वाली है। अतः महत्वपूर्ण सांख्यिकी कार्यक्रम को पक्का बनाने की जरूरत है, उसे नया रूप प्रदान करने की जरूरत है। इसी पर हम विचार कर रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरा पहलू दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जांच-पड़ताल तथा अभियोजन की व्यवस्थाओं से संबंधित है। अब, हम देखते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कतिपय

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

अन्तर हैं, जिसे **प्रमाणक शक्ति** माना जाता है वह भिन्न है, हो सकता है अगर आप एक भिन्न **दंड कानून के अनुसार** चलें तो **प्रमाणक शक्ति** भिन्न होगी। अतः हम भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता तथा साक्ष्य अधिनियम में निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। अब कठिनाई यह है कि कार्य और मामलों की संख्या इतनी बढ़ गई हैं कि जांच पड़ताल की गुणवन्ता को गत कुछ दशकों में नुकसान पहुंचा है।

अपने युवा काल में हम बहुत ही मशहूर जांचकर्त्ताओं, सब-इन्सपैक्टरों, उप-अधीक्षकों के बारे में भी, जो बहुत कठिन कार्य करते थे, कठिन जाँचों को सफलतापूर्वक करते थे, सुना करते थे, अब, आजकल भी, ऐसा हो रहा होगा, परन्तु सामान्य तौर पर यह ख्याल है कि जांच-पड़ताल में कार्य कुशलता-स्तर गिर गया है। हम इन मामलों पर विचार कर रहे हैं। इन मामलों पर हमें और भी अधिक सावधानी से विचार करना होगा, क्योंकि जब तक जांच-पड़ताल का स्तर ठीक और कार्य कुशल नहीं होगा, कुछ भी नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि एक व्यक्ति ने गांव में हत्या की है। आप किसी ग्रामीण से पूछें, वह आपको बताएगा, परन्तु व्यक्ति साफ-साफ कानूनी पंजे से बच जाता है। क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, हम अदालत के सामने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकें, और अदालत जिसका मार्ग-दर्शन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार होना है, कहना पड़ता हैं कि यह साबित नहीं किया जा सका। यह नहीं कि हत्या नहीं हुई है। हत्या हुई है यह सिद्ध नहीं हो सका। अतः, यह शरीफ व्यक्ति अथवा इसके विपरीत जिसने हत्या का जुर्म किया है, वापिस गांव आ जाता है। हमारे गांवों में प्रतिदिन यह हो रहा है। वहां पर हत्याएं बहुत होती है। एक व्यक्ति जो सजा काट रहा है, पैरोल पर छूट जाता है, कई और हत्याएं करता हैं, और वापस चला जाता है—पूछताछ और जांच-पड़ताल की इन सब त्रुटियों के कारण वास्तव में अभियोजन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। हम नहीं चाहते कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। हम नहीं चाहते कि किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा मिले, परन्तु साथ ही हमें यह भी देखना है कि कोई दोषी व्यक्ति भी न बच पाए, आसानी से बच निकले, जैसा कि आजकल देखने में आ रहा है। अतः............

श्री अताउर्रहमान (बारापेट) : हस्तक्षेप के लिए माफ करें। क्या जांच-पड़ताल को कानून और व्यवस्था से अलग करने के लिए कोई कदम उठाया गया है ? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह एक ऐसा मामला है जिस पर हमें बहुत सावधानीपूर्वक ध्यान देना होगा। इसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू हैं। मैं आपको बताऊं : इसमें अच्छे और बुरे दोनों पहलू हैं; परंतु हमें इस पर कोई रुख अपनाना होगा।

अब, सबसे पहले करने वाला कार्य, मामले का अध्ययन करना है। यह सिर्फ मामला उठाने या उत्तर देने या प्रश्न पूछने की बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। यह ऐसी बात है जो पर्दे के पीछे करने की है। कुछ लोगों को इस पर लगाना होगा। एक मामले का अध्ययन किस प्रकार से एक खास मामला असफल हो गया, किस स्तर पर यह असफल हुआ; किन कारणों की वजह से यह असफल हुआ, और क्या आप इसका सामान्यकरण करके इससे निष्कर्ष

निकाल सकते हैं, जो जांचकर्त्ताओं के लिए लाभप्रद हों, जो अभियोजकों के लिए लाभप्रद हों और जो पुलिस प्रशासन के लिए लाभप्रद हो, इन सब बातों पर गौर करना होगा।

फिर, आधुनिक जांच-पड़ताल के तरीकों और कानून पर निर्भर करने वाले मुकद्दमे जो दशकों से एकत्रित्र हो रहे हैं, के बारे में हमें फील्ड स्तर पर इन मामलों के साथ निपटने वाले कार्मिकों को नयी हिदायतें देने के बारे में सोचना पड़ेगा। इन सब मामलों पर गौर करना होगा। यह सिर्फ जैसे ही मामला उठे, जैसे ही समस्या पैदा हो उसे निपटाने, अर्थात् 'फायर इंजिन' पहलू का प्रश्न नहीं है। यह है; यह बहुत महत्वपूर्ण है। परन्तु इसके पीछे, काफी काम है जिसे करने की आवश्यकता है और मैं सभा को बताना चाहूंगा कि गृह मंत्रालय ने इन मामलों को गंभीरता से लिया है; और कुछ समय में हम पुलिस प्रशासन के इन सब पहलुओं को मजबूत बनायेंगे, और हम संपूर्ण प्रशासन में, प्रशासन के सभी पहलुओं में वास्तव में काफी सुधार लायेंगे। यही मैं सभा को सूचित करना चाहता था।

डा० दत्ता सामंत : यह किस चरण में है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : बात यह है; यह एक परियोजना नहीं है। यह एक परियोजना नहीं हो सकती। यह एक सतत प्रक्रिया है, परन्तु यह शाश्वत नहीं रह सकती। जब हम इसे एक सतत प्रक्रिया कहते हैं, तो हम यह नहीं कह सकते कि हम इसे हमेशा करते रहेंगे। नहीं; इसे चरणों में करना होगा। आप देखते हैं कि इसे शुरू करना होगा...(**व्यवधान**) विशेष रूप से, व्यवस्थित करने की दशा में। यदि आप जांच-पड़ताल की बात करते हैं तो आप अन्य बातों को जांच के साथ नहीं मिला सकते। इसके लिए भिन्न स्तर, भिन्न व्यक्ति तथा भिन्न कुशलता की आवश्यकता होती है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नालगोंडा) : आसूचना विभागों को शक्तिशाली बनाने के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मेरे ख्याल से राज्य मंत्री ने यह बता दिया होगा। फिर भी, इसके बारे में अधिक नहीं बोला गया; क्या ऐसा नहीं है ? (**व्यवधान**) अतः ये ठोस और शायद स्थायी पहलू हैं जिन पर हमें विचार करना है; और मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि हम इन मामलों पर विचार कर रहे हैं।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस परियोजना को हम इतने समय में पूरा करेंगे, परन्तु बात यह है : जैसे-जैसे हम साथ चलेंगे, इस पर सावधानीपूर्वक ध्यान देना होगा। मैं आशा करता हूं, मैंने··· (**व्यवधान**)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है.........(**व्यवधान**)**

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं दूसरों को अनुमति नहीं दूंगा। (**व्यवधान**)** यह वाद-विवाद नहीं है।

(**व्यवधान**)**

**कार्यवाही—वृत्तान्त में सम्मिलत नहीं किया गया।

[उपाध्यक्ष महोदय]

अपने स्थानों पर बैठ जाइए। आप सभी बैठ जाइए। महोदया, बैठ जाइये।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित करने की स्वीकृति नहीं दूंगा।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैंने सोचा कि मिर्धा जी ने इसके बारे में पहले ही बता दिय होगा। (व्यवधान)**

1.00 म० प०

श्री दिनेश गोस्वामी : हमने एक बात कही थी कि असम आन्दोलन के दौरान केन्द्रीय तथा अर्द्ध-केन्द्रीय क्षेत्र के जिन लगभग 75 कर्मचारियों को परेशान किया गया था उन्हें कोई राहत नहीं दी गई है तथा असम समझौते का पालन नहीं किया गया है, जिससे राज्य में काफी असन्तोष है। क्या आप इस पर कुछ कहेंगे ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इस सभा में आपने इस बात को उठाया है। हम इस पर गौर करेंगे और अगर कुछ किया जा सकता होगा तो किया जाएगा।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : मैंने जम्मू और कश्मीर में चुनावों के बारे में बात उठायी है क्योंकि वहां पर राज्यपाल का शासन लागू कर दिया गया है। लोगों की इच्छा है कि शीघ्र ही चुनाव होने चाहिए। लोग जम्मू-कश्मीर राज्य में लोकतन्त्र को बहाल करना चाहते हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हमें आपके विचारों की जानकारी है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या हमें आपके विचारों को जानकारी नहीं होनी चाहिए ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हमारे विचारों का हमारी कार्यों से पता चलता है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : आपको हमारे मामले का समर्थन करना चाहिए। हम वहां पर लोकतन्त्र को बहाल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वहां चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदान की माँगों से सम्बन्धित सभी कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखता हूं, जब तक कि कोई माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्तावों को अलग से रखने के लिए आग्रह नहीं करता।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

**कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं गृह मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांगें मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में गृह मंत्रालय से सम्बन्धित संख्या 47 से 56 और 56क के सामने दिखाए गए भाग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदाएगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों में अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1986-87 के लिए गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	13 मार्च, 1986 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3	4	5	6
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	गृह मंत्रालय				
47.	गृह मंत्रालय	1,31,79,000	...	6,58,92,000	...
48.	मंत्रिमंडल	1,49,91,000	...	7,49,52,000	...
49.	पुलिस	1,10,60,16,000	7,01,50,000	5,53,00,81,000	35,07,50,000
50.	अन्य प्रशासनिक तथा सामान्य सेवाएं	53,20,90,000	8,77,37,000	2,66,04,48,000	43,86,87,000
51.	पुनर्वास	9,85,37,000	1,80,60,000	49,26,83,000	9,02,98,000
52.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	45,97,14,000	35,72,32,000	2,29,85,70,000	1,78,61,60,000

53.	दिल्ली	78,91,60,000	67,14,36,000	3,94,58,02,000	3,35,71,82,000
54.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	11,76,34,000	12,35,82,000	58,81,68,000	61,79,08,000
55.	दादरा और नगर हवेली	1,67,22,000	93,83,000	8,36,12,000	4,69,15,000
56.	लक्षद्वीप	3,47,26,000	60,35,000	17,36,32,000	3,01,76,000
56-क	चण्डीगढ़	12,69,77,000	5,45,44,000	25,39,55,000	10,90,87,000

अनुदान की मांगें--(सामान्य), 1986-87--[जारी]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 42 और 43 पर चर्चा करेगी और इन पर मतदान कराया जाएगा। इस कार्य के लिए छ: घंटे का समय निश्चित किया गया है।

सदन में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के अनुदानों की मांगों सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं वे, यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा-पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची तुरन्त सूचना-पट्ट पर लगा दी जाएगी। यदि किसी सदस्य को इस सूची में कोई गलती मिले तो उसकी सूचना अविलम्ब सभा-पटल पर कार्यरत अधिकारी को देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 42 से 43 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1986-87 के लिए खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगे

मांग संख्या	मांग का नाम	13 मार्च, 1986 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय				
42.	खाद्य विभाग	3,07,78,33,000	18,96,29,000	15,39,01,69,000	94,81,44,000
43.	नागरिक पूर्ति विभाग	3,91,08,000	1,75,84,000	19,55,42,000	8,79,17,000

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : हमारे सामने पेश खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय को अनुदान की मांगे हैं, उनके संबंध में मैं कुछ टिपणियां करना चाहता हूं। जब हम इस मंत्रालय के बारे में सोचते हैं, तो हम सबके दिमाग मे सबसे पहले भारतीय खाद्य निगम की याद आती है, जोकि अब सफेद हाथी बन गया है। मुझे इस सभा में इस विषय पर उठाए गए प्रश्नों और मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तरों की याद आ रही है। हाल ही में, जब कई आरोप लगाए गये थे तो कार्यवाही वृत्तांत में यह बात रिकार्ड है कि मंत्री महोदय ने कहा था कि वे खुद भी निगम के कार्य से खुश नहीं हैं। यह खेद का विषय है कि सरकार ने सभा में निगम को समर्थन दिये जाने के बावजूद निगम ने अच्छा कार्य नहीं दिया है। हाल ही में हमने इसकी अधिकृत पूंजी को 450 करोड़ रु० से बढ़ाकर 1000 करोड़ रु० कर दिया है। इसके 330 करोड़ रु० के ऋण को शेयरों में बदल दिया गया है। हमने निगम को बहुत सी रियायतें दी हैं, जिनमें इसे बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक से बाजार भाव $17\frac{1}{2}\%$ की दर की बजाय 14% की दर से सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध हो सकता है। हाल ही में हमने इसके भारक्षित भंडार को घटाकर 10 मिलियन टन कर दिया है, जिससे इसकी भंडारन समस्या हल हो गई है। इन सब रियायतों के बावजूद, निगम का कार्यकरण देश में खाद्यान्न के प्रबन्धक के रूप में उतना अच्छा नहीं है, जितना होना चाहिए।

माननीय मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि गत पांच वर्षों के दौरान यातायात और भंडारण के कारण इस निगम को 600 करोड़ रुपये की हानि हुई।

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिकपूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : छः सौ करोड़ रु०?

श्री सी० माधव रेड्डी : हां, पांच वर्षों के दौरान। 1980-81 में 100 करोड़ रु० का घाटा था, 1981-82 में यह घाटा 116 करोड़ रु० था, 1982-83 के दौरान 143 करोड़ रु०, 1983-84 में 140 करोड़ रु० और 1984-85 के दौरान यह घाटा 122 करोड़ रु० का था।

इसी प्रकार खाद्यान्न की बरबादी और नुकसान से निगम को 1980-81 के दौरान 6.43 लाख टन, 1981-82 के दौरान 6.53 लाख टन, 1982-83 में 7.40 लाख टन 1983-84 के दौरान 6.74 लाख टन और 1984-85 में 5.72 लाख टन खाद्यान्न का नुकसान हुआ।

निगम का कार्य इस प्रकार है। इस निगम को देश के लोगों की सेवा करने की जिम्मेदारी है। इस पर पूरे देश में सार्वजनिक वितरण का कार्य करे और देश में खाद्यानों को खरीदने और लोगों में उसके वितरण की भारी जिम्मेदारी को निभाए।

जैसा कि हम सब जानते हैं, इस निगम का मुख्य कार्य खाद्यान्न खरीद कर राज्य सरकारों को निर्गम मूल्य पर सप्लाई करना है। कुछ मदों का निर्गम मूल्य खरीद मूल्य से अधिक है, अतः इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार निगम को वित्तीय सहायता देती है। इस वर्ष इस राजसहायता की राशि 1650 करोड़ रु० है जबकि इस मद पर अगले वर्ष के लिए 1750 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है। निगम की अकुशलता के कारण राजसहायता की राशि में वृद्धि होती जा रही है। मुझे डर है कि शायद सस्ती दरों पर खाद्यान्न पूर्ति के लिए ही राजसहायता नहीं

जारी रखनी पड़ेगी, बल्कि निगम की अकुशलता के कारण भी अधिक राज सहायता देनी पड़ेगी।

श्रीमन, इस निगम और इस मंत्रालय का अन्य महत्वपूर्ण कार्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। आज देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की हालत, कार्य निष्पादन की स्थिति क्या है? सार्वजनिक वितरण व्यवस्था जिसे देश में 30 से 35 साल हो गये हैं केवल एक वितरण व्यवस्था तक सीमित रह गई है। यह सोचा गया था कि यह व्यवस्था निर्धनता उन्मूलन में बहुत प्रभावशाली साधन सिद्ध होगी। किस सीमा तक इस अभिष्ट की पूर्ति की गयी है? देश में खाद्य पदार्थों की खरीद और वितरण में इस व्यवस्था को किस सीमा तक नव आयाम प्रदान किया गया है? इस सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के लिए क्या किया गया है? यह एक बड़ा मनोरंजक अध्ययन है।

महोदय, अपने देश की तुलना में, दूसरे देशों में, सार्वजनिक वितरण की लागत क्या है; इस विषय पर मैंने उन देशों से कुछ आंकड़ों का अध्ययन किया था। एक प्रश्न के उत्तर में, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि उनके पास दूसरे देशों के कोई आंकड़े नहीं हैं और सरकार के लिए यह तुलना करना बहुत कठिन है कि हमारे देश में सार्वजनिक वितरण की क्या लागत है और दूसरे देशों में क्या है। मैंने आंकड़ों की जांच पड़ताल की और आश्चर्यजनक रूप से पाया कि इस देश में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की लागत बहुत अधिक है, वास्तव में सारे विश्व में सबसे अधिक एफ.सी.आई. के प्रबंध निदेशक ने स्वयं मुझे इन आंकड़ों का विवरण दिया है और वे आंकड़े सारा भेद खोलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक लागत 6% भाड़ा 25%, बोरों की लागत 10%, कानूनी शुल्क 9% तथा भंडारण क्षति 2% है। यदि हम इन आंकड़ों को सही मान भी ले, मैं जानता हूं कि इनमें से कुछ आंकड़े गुमराह करने वाले हैं, खासकर भंडारण क्षति संबंधी आंकड़े यह सब मिलाकर 71% बनती है। 71% एक बहुत ऊँचा आंकड़ा है। ऐसी स्थिति में, उन वस्तुओं के मूल्य जिन्हें एफ.सी.आई. वितरण करने जा रही है, निश्चित तौर पर बढ़ जायेंगे और हमें इस पर अधिक सब्सिडी देनी पड़ेगी। उन्होंने वक्तव्य 15-2-86 को दिया था। पूर्व वर्षों की तुलना में पिछले तीन सालों से लागत बहुत अधिक बढ़ रही है। उस दिन उन्होंने और आंकड़े दिए कि लदान-उतार लागत जो कि 1981 में 9.54 रुपये प्रति क्विंटल थी 1984-85 में बढ़कर 17.57 करोड़ हो गयी—यानी 76% प्रतिशत की वृद्धि 1981-82 में वितरण लागत प्रति क्विन्टल 37.87 रुपये से बढ़कर 1984-85 में प्रति क्विंटल 48.34 रुपये हो गयी अर्थात 28% की वृद्धि। दूसरे प्रशासनिक व्यय 1984-85 में 11.33 करोड़ रुपये से बढ़कर 15.31 करोड़ हो गया अर्थात 36% की वृद्धि। वेतन बिल 92.58 करोड़ रुपये से बढ़कर 150.75 करोड़ रुपये हो गया। अर्थात 63% की वृद्धि। रेल विलंब शुल्क 6 करोड़ से बढ़कर 7.5 करोड़ हो गया अर्थात 26% की वृद्धि हुयी। मैं नहीं समझता कि इतने अधिक विलंब शुल्क का कोई औचित्य है इस तथ्य के बावजूद कि एफ०सी०आई० और रेलवे दोनों ही केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित है सार्वजनिक वितरण की इस अधिक लागत के कारण हमें प्रत्येक उस चीज पर सब्सिडी देनी पड़ेगी जिसे एफ०सी०आई० भारी कीमत पर राज्यों को आपूर्ति करने जा रही है।

सब्सिडी देने के बावजूद, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था कहां तक सफल रही है? आज

[श्री सी० माधव रेड्डी]

हम कहां है ? कुछ वस्तुओं को छोड़कर जैसे चीनी और आयातित खाद्य तेल, क्योंकि ऐसा करना सरकार के लिए आवश्यक हो गया था, इस व्यवस्था में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। यह बताया गया था कि उसने कुछ साल पहले दुकानों की संख्या 2.75 लाख से बढ़ाकर 3.45 लाख कर दी थी। निश्चित तौर पर आपने दुकानों की संख्या बढ़ाई है।

श्री पी० शिवशंकर : यह राज्यों का कार्य है।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं जानता हूं। मैं सामान्यतः वितरण व्यवस्था की बात कर रहा हूं लेकिन केवल दुकानों की संख्या बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। आप राज्यों को क्या देने जा रहे हैं ? आप इन दुकानों के माध्यम से क्या वितरण करने जा रहे हैं ? यह दावा किया गया है कि वितरण में वृद्धि हुई है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान बिक्री की राशि में बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन बिक्री राशि क्या है ? इसमें वृद्धि क्यों हुई है किस कारण से ? यह बिक्री में वृद्धि मुख्यतः नयी उपभोग वस्तुओं— एक या दो वर्ष से दिये जा रहे आयातित खाद्य तेल एवं चीनी के कारण हुई हैं और इस तथ्य के कारण भी कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने दो रुपये प्रति किलो ग्राम चावल की योजना शुरू की है। उससे कुल बिक्री में एक तिहाई की वृद्धि हुई है। कुल चावल की मात्रा जो सारे देश में वितरित किया जा रहा है, मोटे अनुमान के अनुसार लगभग 60 लाख टन है।

श्री के० एस० राव (मछलीपतनम) : आन्ध्रप्रदेश में ?

श्री सी० माधव रेड्डी : भारत के सभी राज्यों को कुल 60 लाख टन चावल बांटा गया है जिसमें 20 लाख टन अकेले आन्ध्र प्रदेश में बांटा गया है।

श्री के० एस० राव : यह कुल आपूर्ति का एक तिहाई कैसे हो सकता है ? इसमें न केवल चावल बल्कि अन्य चीजें भी शामिल हैं।

श्री सी० माधव० रेड्डी : मैं आपको बताऊंगा। यह इस सत्य के कारण है कि आंध्र ही एक ऐसा राज्य है जहां 60 प्रतिशत जनता की पूरी जरूरत चावल की आपूर्ति द्वारा पूरी की जा रही है। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था खाद्य पदार्थों के वितरण को एक नवीन दिशा प्रदान करने में असफल हो चुकी है, विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों की जरूरतें पूरी करने में। ऐसे में, आंध्र प्रदेश में क्या स्थिति है? मुझे उस विवाद के लिए खेद है जो शुरू किया है, और जो प्रेस में छप चुका है। मैं इस मामले में नहीं जाना चाहता क्योंकि किसी भी प्रकार के विवाद में लिप्त होना न इस सदन की नियति है और न राज्य या केन्द्र सरकार की। तथापि हम जो भी करें जनता की भलाई के लिए करें, कमजोर लोगों की मदद करने के लिए करें। अतएव किसी प्रकार का विवाद क्यों होना चाहिए ? हमने कभी नहीं कहा कि केन्द्र सरकार खाद्य पदार्थों, चावल पर सब्सिडी नहीं दे रही है।

श्री पी० शिवशंकर : मैं इस वक्तव्य से प्रसन्न हूं।

श्री सी० माधव रेड्डी : निश्चित रूप से यह तथ्य है। हरेक जानता है।

श्री पी० शिव शंकर : नेता ने, कम से कम इसे अभी कहा है।

श्री माधव रेड्डी : हां, मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों को इस वर्ष विभिन्न उपभोग वस्तुओं पर 1650 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने जा रही हैं। लेकिन हम भी सब्सिडी दे रहे हैं।

श्री पी० शिवशंकर : लेकिन किसी ने इंकार तो नहीं किया।

श्री सी० माधव रेड्डी : हो सकता है कि आप कहें कि आप 67 पैसे प्रति किलो सब्सिडी दे रहे हैं हमारा भी कहना है कि हम भी 79 पैसे प्रति किलो सब्सिडी दे रहे हैं। मैं आंकड़ों पर झगड़ना नहीं चाहता। आप सही हो सकते हैं। यह आपकी गणना पर निर्भर करता है। लेकिन मुद्दा यह है कि राज्य और केन्द्र सरकार दोनों ही सब्सिडी दे रही हैं। केवल यही एक वस्तु है जिस पर दोनों केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा एक साथ भारी सब्सिडी दी जा रही है। इसी कारण राज्य सरकार के लिए बड़े पैमाने पर योजना शुरू करना और गरीब लोगों की पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने की सीमा तक चावल सप्लाई करना संभव हो पाया है······ **(व्यवधान)**

श्री पी० शिवशंकर : एक मिनट व्यवधान डालने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तेलगू देशम के नेता को मैं बताना चाहता हूं कि यही हमने लोगों को बताया है और ऐसा हम करते रहेंगे। जब यह कहा गया कि केन्द्र इस बारे में सौतेला व्यवहार कर रहा है, तो तथ्य बताना आवश्यक हो गया। वह अपनी जगह ठीक है। मैं बार बार बता चुका हूं कि राज्य और केन्द्र दोनों धन दे रहे हैं। राज्य जो गलती कर रहा है वह यह है कि वह यह सत्य उजागर नहीं कर रहा है कि केन्द्र धन दे रहा है। मैं अब तक इसी बात को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा था।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं नहीं जानता कि क्या यह सच है कि राज्य इस तथ्य को छिपा रहा है या उजागर कर रहा है कि केन्द्र भी सब्सिडी दे रहा है। वास्तव में यह बात सभी को विदित है कि केन्द्र रियायती मूल्य पर चावल दे रहा है और सभी राज्यों को दे रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यही कहा था कि "आप केवल हमारे राज्य को ही यह आर्थिक सहायता नहीं दे रहे बल्कि सभी राज्यों को दे रहे हैं।" अपने प्यारे मित्र, माननीय मंत्री महोदय को मैं यह याद दिलाना चाहता हूं यह विवाद उनके दल ने आरम्भ किया था न कि मुख्य मंत्री ने और मुख्य मंत्री ने वही बात कही थी; जो आपने उत्तर में कहा था। जो भी हो, आप लोगों को यह याद दिलाना चाहते हैं कि "आप भी दे रहे हैं।" महोदय, मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि आपने यह महसूस तो किया कि यह एक अच्छी योजना है और इसीलिये आप भी इसका श्रेय लेना चाहते थे। इसका श्रेय आपको और हमें दोनों को ही मिलना चाहिये। इस बात से कोई इनकार नहीं है। मुझे इस बात की बहुत अधिक प्रसन्नता है मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई इसका श्रेय लेना चाहता है। इसका अर्थ है कि यह योजना बहुत अच्छी है। महोदय, पहली बार इस बात को स्वीकार किया गया है कि यह योजना बहुत अच्छी है। किन्तु गत दो वर्षों तक यह विवाद उठता रहा कि यह राज्य सहायता क्यों दी जाती है? विकास परियोजनाओं में धन लगाने के बजाये रुपया क्यों बांटा जा रहा है? आप हर वर्ष 170 करोड़ रुपया क्यों व्यय करेंगे और यह रुपया है कहां? सातवीं योजना के

[श्री सी० माधव रेड्डी]

वित्त पोषण के लिये राज्यों के पास धन नहीं है। इसी प्रकार की अनेक बातें चल रही थीं और अनेक विवाद उठ खड़े हुये थे। मुझे इस बात की वास्तव में अपार प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने यह महसूस कर लिया है कि यह बहुत ही क्रांतिकारी योजना है और इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जाये। मुझे इस बात की भी वास्तव में अत्यधिक प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने इस योजना को जनजाति क्षेत्र में भी लागू करने का निर्णय लिया है।

इसके अतिरिक्त, जब हम यह कह सकते हैं कि हम गरीबों को राजसहायता दे रहे —सस्ते मूल्य पर चावल दे रहे हैं और हम 170 करोड़ रुपया व्यय कर रहे हैं, तो प्रश्न यह है कि हम किसका रुपया व्यय कर रहे हैं ? आज देश में सबसे अधिक कर इस देश के निर्धनतम लोगों को देने पड़ते हैं। मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूं। इस देश का निर्धनतम व्यक्ति राजस्व में सबसे अधिक धन देता है चाहे वह भारत की निधि में जाता हो अथवा राज्य की समेकित निधि में। इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। एक श्रमिक दिन भर काम करने के बाद कुछ पीता है। अपने वेतन की 50 प्रतिशत राशि केवल पीने पर खर्च कर देता है। वह प्रतिदिन जो 10 रुपये कमाता है उसमें से 5 रुपये उस पर खर्च कर देता है। क्या वह हमें कर अदा नहीं कर रहा है ? इसमें क्या बुराई है, यदि हम सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न देकर उस पर कुछ राशि व्यय कर देते हैं; जिसे हम उसे लूट कर ले रहे हैं ?

श्री के० एस० राव : ऐसा कौन कहता है? हम तो नहीं कहते कि यह नहीं दिया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी : अब राज्य द्वारा किये गये अनुरोध की बात ली जाये जिसके बारे में मंत्री महोदय को पता है। गत तीन वर्षों से हम केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करते आ रहे थे कि इस अच्छी योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं; जिसके बारे में आपने स्वयं ही कहा था.........

श्री पी० शिवशंकर : यदि आप यहां इस मामले को उठायेंगे तो मुझे इसका उत्तर भी देना होगा। मैं उत्तर देने को तैयार हूं। किन्तु हम इसके बारे में किसी और अलग मंचों पर चर्चा कर रहे हैं। क्या इस प्रयोजन के लिये आप संसदीय मंच का उपयोग करना चाहते हैं ?

श्री सी० माधव रेड्डी : यह मामला वहां पहले से ही है...

श्री पी० शिवशंकर : जो भी हो, मैं इसे आपके निर्णय पर छोड़ता हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : किन्तु दूसरा कौन सा मंच है ?

श्री पी० शिवशंकर : इस मामले को प्रशासनिक ढंग से निपटाया जाना चाहिये। किन्तु यदि आप इसे उठायेंगे तो मैं उत्तर दूंगा। **(व्यवधान)**

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ।

श्री पी० शिवशंकर : आप शुरूआत कीजिये। आपकी बातों में व्यवधान डालने का मुझे खेद है।

श्री सी० माधव रेड्डी : आप बहुत ही योग्य वकील हैं। आप तथ्यों को तोड़-मरोड़ सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री पी० शिवशंकर : मुझे यह कहते हुए खेद है। वकीलों के प्रति यह कपटपूर्ण उक्ति है कि वे तथ्यों को तोड़-मरोड़ सकते हैं। यह एक कपटपूर्ण उक्ति है। मुझे खेद है कि मेरे मित्र ने कैसा गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दिया है।

[श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुई]

1.24 म० प०

श्री सी० माधव रेड्डी : आप एक योग्य वकील हैं। आप किसी भी मामले पर अच्छी बहस कर सकते हैं।

श्री के० एस० राव : तोड़-मरोड़ नहीं।

श्री सी० माधव रेड्डी : जब कोई मामला ही नहीं है·······

श्री के० एस राव : वकील के व्यवसाय का अनादर न करें।

श्री सी० माधव रेड्डी : आप कोई मामला न होने पर भी किसी मामले पर बहस कर सकते हैं। और इसके साथ किसी भी जोरदार मामले को आप बेकार सिद्ध कर सकते हैं। फिर भी यह आपका विशेषाधिकार है।

श्री पी० शिवशंकर : यह तो ब्यास स्तुति है।

श्री सी० माधव रेड्डी : जी हां, आप बधाई के पात्र हैं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदया : श्री माधव रेड्डी, कृपया काम की बात कीजिये।

श्री सी० माधव रेड्डी : इसलिए, मेरा मुद्दा यह है कि राज्य सरकार केन्द्र से यह कहकर अनुरोध करता रहा है कि हम लोग इतनी अच्छी योजना कार्यान्वित कर रहे हैं और इस योजना की इसलिए प्रशंसा की जाती रही है कि इस योजना के तीन प्रमुख लक्ष्य रहे हैं जिन्हें इन वर्षों के दौरान दर्शाया जाता रहा है—एक उद्देश्य यह है कि आप किस ग्रुप को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, साथ ही प्रभावी वितरण प्रणाली हो और अन्तरीय मूल्य निर्धारण किए जाएं। हमने तीनों सिद्धांतों को मान लिया है और हम उन्हें कार्यान्वित कर रहे हैं तथा हम आप से केवल इतना ही चाहते हैं कि आप हमें उसी मूल्य पर 12 लाख टन चावल खरीदने की अनुमति दे दें जिस मूल्य पर भारत सरकार आन्ध्र प्रदेश से खरीद रहा है। हम पंजाब या अन्य किसी स्थान से चावल नहीं

[श्री सी० माधव रेड्डी]

चाहते हैं। हमारे पास फालतू चावल है तथा हमारे राज्य में पर्याप्त चावल है। हम केवल इतना ही चाहते हैं कि हमें 12 लाख टन चावल खरीदने की अनुमति दे दी जाए। भारतीय खाद्य निगम ने जो 15 लाख टन की खरीद की है; उसमें से 10 लाख टन आप हमें दे रहे हैं और 5 लाख टन को आप केन्द्रीय पूल के लिए ले जा रहे हैं। और चूंकि हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए इतना चावल पर्याप्त नहीं है क्योंकि हमें 22 लाख टन की आवश्यकता पड़ती हैं, इसलिए हमें मोल-तोल के भाव पर 12 लाख टन और खरीदना पड़ेगा।

अब मोल-तोल के भाव पर की गई खरीददारी निश्चित रूप से भारतीय खाद्य निगम के खरीद मूल्य से थोड़ी मंहगी होगी। यदि हमें भारत सरकार की ओर से खरीदने की अनुमति दे दी जाए तो हमें लगभग 20 करोड़ रुपये की बचत होगी। अन्ततोगत्वा किसके रुपये की बचत होगी। चाहे हमारा रुपया बचे अथवा भारत सरकार का, इसमें कोई अन्तर तो नहीं है। स्पष्ट रूप से हमें जो 170 रुपये व्यय करने पड़ते हैं; उनमें से राजसहायता के रूप में लगभग 20 करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी और हमारा यह अनुरोध बहुत ही उचित है तथा इसके बारे में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किन्तु इसके बारे में भारत सरकार की ओर से तीन आपत्तियां उठाई गई हैं। मैंने इन आपत्तियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है कि भारत सरकार इस बात की अनुमति क्यों नहीं दे रही है। एक आपत्ति यह है कि यदि आप इसकी खरीद करेंगे तो आपको हमें अतिरिक्त राजसहायता देनी होगी। हमने कभी भी किसी प्रकार की राज सहायता नहीं मांगी, हम इस बारे में किसी प्रकार की राजसहायता चाहते भी नहीं हैं। आप हमें 10 लाख टन सस्ते मूल्य पर दे रहे हैं। हम संतुष्ट हैं। इसके अतिरिक्त मात्रा में हमें खरीद करनी है, उस पर हम कोई राज सहायता नहीं चाहते। उसकी ढुलाई की लागत भी हम सहन करने को तैयार हैं। इस बात को समझिए। इस पर भारत सरकार को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको केवल हमें खरीददारी करने की अनुमति देनी है और कानून अथवा विनियमन बनाना होगा। इसके सम्बन्ध में हम आप-से यह चाहते हैं कि रिजर्व बैंक अथवा कोन्सोर्टियम बैंक हमें नगद राशि उधार दे दे जिससे कि हम खरीददारी कर सकें। यह ठीक है कि हमें ऋण तो मिल रहा है किन्तु हमें यह ऋण 17½ प्रतिशत की दर से ब्याज पर मिलता है। मिल वालों से चावल खरीदने के लिए हमें रिजर्व बैंक से 17½ प्रतिशत के ब्याज पर 150 करोड़ मिला है। भारतीय खाद्य निगम को 14 प्रतिशत पर ऋण प्राप्त करने की सुविधा है। हम इतना ही चाहते है कि हमें भी यही सुविधा दी जाए।

भारत सरकार की दूसरी आपत्ति यह थी कि यदि आन्ध्र प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर खरीददारी की जाएगी; तो अन्य दक्षिणी राज्यों को देने के लिए अधिक भण्डार नहीं बचेगा। महोदया अब खरीदारी तो की ही जा रही है। इसके अतिरिक्त और अधिक खरीददारी हमें करनी नहीं है। हमारे 12 टन की अतिरिक्त खरीददारी करने के बाद भी दक्षिणी राज्यों में भण्डार दिया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि दक्षिणी राज्यों के लिए किसी प्रकार की कमी पड़ेगी, बल्कि आंकड़ों से तो यही पता चलता है कि 2 रु० प्रति किलों की प्रणाली लागू करने के बाद हाल ही में दक्षिणी राज्यों को आंध्र प्रदेश से अधिक भण्डार प्राप्त हो रहा है।

तीसरी आपत्ति यह है कि यदि इतनी भारी मात्रा में खरीददारी की जाएगी तो कमी

वाले अपने ही जिलों के लिए चावल की पर्याप्त मात्रा नहीं बचेगी। पुनः वही तर्क—पुनः हम चावल तो खरीद ही रहे हैं, अतिरिक्त या फालतू चावल खरीदने का कोई प्रश्न ही नहीं है तथा जो चावल खरीदा जा रहा है, उसके बाद हमें पता चला कि उसके मूल्य बढ़ गए हैं। इसलिए, ये तर्क आज तर्कहीन हो गए हैं। क्योंकि देश में तथा आपके भण्डारों में पर्याप्त चावल भरा पड़ा है। उस समय भारत सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम की यह समस्या है कि भण्डार किस प्रकार खरीदा जाएं और उसे कहां रखा जाएं। आपके पास गोदामों की सुविधा नहीं और राज्य सरकारें यदि आज भण्डार खरीदने को तैयार हैं; तथा यदि आप उन्हें अनुमति देने का विचार कर रहे हैं; तो कृपा करके हमें अनुमति दे दीजिए। हम इतना ही चाहते हैं। मेरा अनुरोध है कि इस बात पर आप राजनैतिक दृष्टि कोण से विचार न करें। बल्कि आप इस दृष्टिकोण से विचार करें कि आप एक अच्छे प्रशासक हैं और आप हमारे राज्य से ही हैं तथा राज्य को आपकी जो सेवायें प्राप्त हुई हैं; वह किसी अन्य नेता की सेवा से कम नहीं हैं। आप इस बात पर निश्चित रूप से विचार करें तथा इस बात का ध्यान रखें कि हमें न्याय प्रदान किया जाए। इस विशेष योजना का बहुत बड़ा औचित्य है और यह योजना समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए लाभकारी है।

श्री चिंगवांग कोनयाक (नागालैंड) : सभापति महोदय, मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है गरीब लोग, चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी, उन्हें यह चिंता रहती है कि उन्हें आवश्यक वस्तुएं सस्ती दर पर मिलें। यदि उन्हें आवश्यक वस्तुएं सस्ती दर पर प्राप्त होती हैं तो वे प्रसन्न रहते हैं और कहते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है। किन्तु यदि उन्हें ये वस्तुएं सस्ती नहीं मिलती तो वे सरकार से विद्रोह करते हैं, आन्दोलन करते हैं और सत्तारूढ़ दल को दोष देते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने जनजातीय व्यक्तियों तथा पिछड़े लोगों के लिए सस्ती दर पर गेहूं और चावल देने की घोषणा की है। किन्तु मुझे अफसोस है कि मेरे राज्य नागालैंड में जहां 90 से 99 प्रतिशत जनजातीय लोग रहते हैं, इस कार्यक्रम का कार्यान्वियन नहीं किया गया। हाल ही में मैं अपने जिला मुख्यालय मोन में गया तो पाया कि वहां चावल की आम किस्म 2·50 प्रति किलो और बढ़िया किस्म 2·85 प्रति किलो बिक रही है। नागालैंड में कहीं भी इस कार्यक्रम का कार्यान्वियन नहीं किया गया है। अतः मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले की जांच करें। मैं कहना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम मुख्यतः जनजातीय लोगों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनाया गया है।

एक अन्य बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि मेरे राज्य में अभाव है। यहां लोग अधिकतर एफ० सी० आई० से प्राप्त चावल पर निर्भर करते हैं। आप जानते हैं हम अधिकतर चावल खाते हैं। बरसात के मौसम में कभी-कभी पहाड़ी क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि आवागमन व्यवस्था की खराबी के कारण उन्हें चावल नहीं मिलता। अतः मैं यह सुझाव देता हूं कि बरसातें शुरू होने से पहले एफ० सी० आई० राज्य में उचित स्टॉक की व्यवस्था करें।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राज्य की जनसंख्या को देखते हुए केन्द्र सरकार वहां 50000 क्विंटल चावल दे रही है। किंतु इसमें से केवल 50 प्रतिशत चावल उचित दर की दुकानों

[श्री चिंगवांग कोनयाक]

अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली या जिसे हम सी० पी० ओ० केन्द्र कहते हैं उनके माध्यम से दिया जाता है। शेष 40 से 50 प्रतिशत चावल कुछ व्यक्तियों के नाम पर दे दिया जाता है जिसमें 500 क्विटल, 1000 क्विटल, और 5000 क्विटल आदि मात्रा होती है। और यह चावल दीमापुर रेल हैड से अन्य राज्यों में जाता है। आप पूर्ति निदेशालय से इन लोगों के नाम भी पता लगा सकते हैं। गांवों में रहने वाले लोग मार्केट से 4,5 या 6 रुपये प्रति किलो खरीद रहे हैं जबकि सरकार द्वारा दिया गया चावल कुछ लोगों द्वारा अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि अब से नागालैंड के लिए आवंटित चावल किसी व्यक्ति के नाम पर न दिया जाए। उचित दर दुकानों को चावल देना एक अलग बात है किन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर 500 या 1000 क्विटल चावल देना जो उचित दर दुकान का मालिक नहीं है, आगे से बन्द कर दिया जाए।

दीमापुर में रेलहैड है। किन्तु यदि मेरी जानकारी सही है तो कुछ मात्रा में चावल गोहाटी से ही उठाने को कहा जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि गोहाटी से चावल कभी भी नागालैंड नहीं पहुंचेगा। यह बंगला देश या कहीं और पहुंच जाएगा। इस तरीके को रोका जाना चाहिए। नागालैंड के लिए आवंटित चावल पूरी मात्रा में दीमापुर में दिया जाना चाहिए।

एक और बात यह है कि जब तक हमारे सभी जिला मुख्यालयों में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम नहीं होंगे मुझे लोगों तक चावल के पहुंचने में संदेह है और लोग कष्ट सहते रहेंगे।

ये बातें अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। मेरे राज्य में वास्तव में यह हो रहा है। मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री जी से इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करने का आग्रह करता हूं।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार की नीति अधिक उचित दर दुकानें खोलने की है। हमारे पास न केवल जिला मुख्यालय है बल्कि जो लोग नागालैंड गए हैं उन्होंने देखा होगा, कि बड़े गांव भी हैं जिनमें 3000, 5000 आदि तक जनसंख्या हैं। न केवल जिला मुख्यालयों में बल्कि बड़े गांवों में भी उचित दर दुकानें खोलने को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। आज हमारे यहां कुछ उचित दर दुकानें हैं और वहां भी आवश्यक वस्तुएं नहीं मिलती। मेरे विचार में एक कस्बे में उचित दर दुकान खोलने के लिए 2500 और बड़े गांव में 5000 रुपये जमा कराने पड़ते हैं। यदि ये रुपये जमा कराने के बाद उसे सरकार द्वारा या सी० पी० ओ० केन्द्र द्वारा चावल अथवा गेहूं और खाद्य तेल या अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं कराई जाती तो उचित दर दुकान चलाने में उसकी रुचि समाप्त हो जाती है। जमा रुपया अवरुद्ध हो जाता है। यह चाहे 2500 हो या 5000, एक छोटे व्यापारी के लिए यह बड़ी राशि है और वे सरकार से आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति न मिलने पर उचित दर दुकान नहीं चलाना चाहेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि नागालैंड में अधिक व्यक्ति उचित दर दुकान चलाने के लिए उत्साह नहीं दिखाते।

इसलिए नागालैंड सरकार तथा पूर्ति विभाग को यह निदेश दिए जाने चाहिएं कि वे आवश्यक मात्रा में चावल या गेहूं उचित दर दुकानों पर बिक्री के लिए नियमित रूप से सप्लाई करें।

महोदय, जैसा कि मैंने कहा है, हम लोग अधिकतर चावल खाते हैं। हालांकि हमें गेहूं और

खाद्य तेल का कोटा भी मिलता है, किन्तु इसमें लोगों की कम रुचि है। शहरों को छोड़कर अधिकांश लोग खाद्य तेलों का इस्तेमाल नहीं करते। अतः मैं इन बातों पर अधिक समय नहीं लेना चाहता।

मैंने कुछ ऐसी बातें कहीं हैं जो अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं और मेरे राज्य में हो रही हैं। मैं ये बातें आपकी जानकारी में ला रहा हूं और आशा करता हूं कि आप निश्चित ही इनके सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

डा० डी० एन० रेड्डी (कड़प्पा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[भारतीय खाद्य नियम, खाद्य पोषाहार बोर्ड और मिलटन और राष्ट्रीय चीनी संस्थान के प्रशासन को सक्रिय बनाने की आवश्यकता।] (2)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[फल उत्पादन नियंत्रण आदेश को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता।] (3)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[विभिन्न भंडारण कार्यक्रमों की विफलता।](4)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[चावल मिलों विशेषरूप से चावल की भूसी के खाद्य तेल मिलों का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता।](5)

"कि नागरिक पूर्ति विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[उपभोक्ताओं को संरक्षण देने और उन्हें वस्तुओं की सप्लाई बनाए रखने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता।] (10)

"कि नागरिक पूर्ति विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[उपभोक्ता सहकारी समितियों, सुपर बाजारों आदि को बढ़ावा देने के लिए व्यवहारिक अनुदान ग्राही दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता।] (11)

"कि नागरिक पूर्ति विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[तोल ल और माप निदेशालय का अकुशल प्रशासन।] (12)

"कि नागरिक पूर्ति विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[खाद्य तेलों की कम कीमत पर पैकिंग करने, हाइड्रोजिनीकरण का निरन्तर आश्रय लेने की

आवश्यकता और उपभोक्ताओं तथा राष्ट्रीय हित की रक्षा करने में भारतीय मानक संस्थान की असफलता।] (13)

श्री गोपाल कृष्ण थोटा (काकीनाडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[गोदामों ने भण्डारण सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार लाने की आवश्यकता।] (6)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[भारतीय खाद्य निगम को बन्द करने की आवश्यकता।] (7)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[भारतीय खाद्य निगम को दी जा रही राज सहायता बन्द करने की आवश्यकता।] (8)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[फसल की कटाई के समय किसानों की उपज खरीदने की आवश्यकता।] (9)

"कि नागरिक पूर्ति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[उपभोक्ताओं को वितरण करने हेतु व्यापारियों को सप्लाई किए जा रहे माल की किस्म में सुधार लाने की आवश्यकता।] (14)

"कि नागरिक पूर्ति विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[व्यापार करने वाले व्यवहारी एजेंसियों केवल शिक्षित बेरोजगारों को आबंटित करने की आवश्यकता।] (15)

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग को घटाकर 1 रुपया किया जाए।"

[खाद्यान्नों का बफर स्टाक रखने की नीति की समीक्षा की आवश्यकता।] (16)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग को घटाकर 1 रुपया किया जाए।"

[खुले स्थानों में भण्डारण के कारण भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों का सड़ना तथा उनकी बरबादी।] (17)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग को घटाकर 1 रुपया किया जाए।"

[भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण की जांच करने तथा बफर स्टाक के बारे में निर्णय करने के लिए एक तकनीकी समिति नियुक्त करने में असफलता।] (18)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग को घटाकर 1 रुपया किया जाए।"

[भारतीय खाद्य निगम को 1960 करोड़ रुपये के आवंटन को 50 प्रतिशत कम करने के उपाय करने में असफलता।] (19)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए जाने वाले भारी उपरि व्यय को कम करने की आवश्यकता।] (20)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद के मूल्यों तथा उनकी बिक्री के मूल्यों में भारी अन्तर को कम करने की आवश्यकता।] (21)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद के समय उनकी किस्म का निर्धारण करने तथा ढुलाई आदि में की जाने वाली हेराफेरी को रोकने की आवश्यकता।] (22)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[भारतीय खाद्य निगम में होने वाली खाद्यान्नों की भारी क्षति के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता।] (23)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[भारतीय खाद्य निगम की लापरवाही के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्नों को सड़ने से बचाने के उपाय करने की आवश्यकता।] (24)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद भण्डारण और वितरण के लिए निर्धारित माप-दण्डों में संशोधन की आवश्यकता।] (25)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[आन्ध्र प्रदेश के लिए कम गेहूं तथा अधिक चावल आवंटित करने की आवश्यकता।] (26)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के रख-रखाव आदि पर किए जाने वाले अत्यधिक खर्च को कम करने की आवश्यकता।] (27)

[श्री के० रामचन्द्र रेड्डी]

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[गरीबों को भारी मात्रा में मोटे अनाज वितरित करने तथा खरीदने की आवश्यकता ।] (28)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[खाद्यान्नों, चीनी और मूंगफली के खरीद मूल्य को बढ़ाने की आवश्यकता ।] (29)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों के अनियमित वितरण को रोकने की आवश्यकता ।] (30)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[आन्ध्र प्रदेश में किसानों द्वारा खाद्यान्नों को मजबूरन सस्ती दरों पर बेचे जाने को रोकने की आवश्यकता ।] (31)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता ।] (32)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए आन्ध्र प्रदेश में गुटकल और गोदाम बनाने की आवश्यकता ।] (33)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[आन्ध्र प्रदेश के लिए और चावल तथा खाद्य तेल आवंटित करने की आवश्यकता ।] (34)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा चावल की खरीद पर लगाए गए प्रतिबन्ध हटाने की आवश्यकता ।] (35)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[खाद्यान्न, खाद्य तेल और चीनी का आयात पूर्णतः बन्द करने की आवश्यकता ।] (36)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[खाद्यान्नों तथा मूंगफली को एक-दूसरे राज्य में जाने पर लगे प्रतिबंध को हटाने की आवश्यकता ।] (37)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[खुले स्थानों में खाद्यान्नों के भंडारण से होने वाली भारी क्षति से बचने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा और गोदाम बनाने की आवश्यकता।] (38)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखे जाने वाले भारी बफर स्टाक को कम करने की आवश्यकता।] (39)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्नों में मिलावट को रोकने की आवश्यकता।] (40)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[भारतीय खाद्य निगम द्वारा रेलवे को भारी मात्रा में डेमरेज देने से बचाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता।] (41)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[भारतीय खाद्य निगम द्वारा भंडारण तथा खाद्यान्नों के परिवहन के दौरान होने वाली क्षति को रोकने की आवश्यकता।] (42)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[भारतीय खाद्य निगम को क्षति-पूर्ति करने के लिए 1900 करोड़ रुपये की भारी राज-सहायता को कम करने की आवश्यकता। (43)

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यों को घटिया किस्म का खाद्यान्न देने की जांच करने की आवश्यकता।] (44)

"कि नागरिक पूर्ति विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।"

[सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता।] (45)

***श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालघाट) : महोदय, मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के सम्बन्ध में रखी गई मांगों का समर्थन करता हूं। इस मंत्रालय का काम पूरे देश

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण

[श्री वी०एस० विजयराघवन]

में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा वितरित करने के लिए खाद्यान्नों की सप्लाई करना है। मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में प्रंशसनीय कार्य किया है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री महोदय श्री शिव शंकर और श्री अजीत पांजा को बधाई देता हूं। यह नीति सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए अपनाई गई है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे अपने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण सूत्र के रूप में माना था। यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए गए कि लाखों गरीब लोगों को विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सप्लाई की जाए। जिन क्षेत्रों में ये लोग रहते हैं वहां भी बड़ी संख्या में उचित दर की दुकानें खोलने के लिए कदम उठाए गए। इनके परिणामस्वरूप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को उचित मूल्यों पर खाद्यान्न मिलने लगे। इस तरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंग के रूप में शुरू की गई। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं। तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में शिकायतें मिली हैं। कई बार ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि उचित दर की दुकानों पर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होते। ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित की जाने वाली सभी वस्तुएं एक ही समय पर उपलब्ध नहीं होतीं। इस स्थिति का मुख्य कारण भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की अकुशलता है। इसी तरह, परचून विक्रेता भी ये शिकायत करते हैं कि जब तक भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को घूस नहीं मिलती बढ़िया किस्म का चावल या गेहूं सप्लाई नहीं किया जाता। यह इस तथ्य का प्रतीक है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में कुछ गंभीर कमियां हैं। यह प्रणाली मूल्य नियन्त्रण और खाद्यान्नों को सुगमता से उपलब्ध कराने के दोहरे उद्देश्य से शुरू की गई थी। अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इन कमियों को दूर करें और इस प्रणाली के कार्यकरण को सरल और कारगर बनाए।

इतना कहने के बाद मैं अपने राज्य केरल की कुछ समस्याओं के बारे में कहूंगा। केरल में सांविधिक रूप से राशन की व्यवस्था है। इस राज्य के कोने-कोने में उचित दर की दुकानें हैं। वहां मवेली भण्डार भी है। मंत्री महोदय ने कुछ समय पूर्व सदन में कहा था कि केरल की सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत में सब से अच्छी है। महोदय, यह कहना अतिशोक्ति नहीं होगा कि केरल की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूर्णतया केन्द्र द्वारा सप्लाई किए गए चावल पर निर्भर करती है। केरल में अनाज की हमेशा कमी रही है और केन्द्र की यह जिम्मेदारी है कि वह हमें पर्याप्त मात्रा में चावल उपलब्ध कराएं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमें हमेशा केन्द्र सरकार से अपेक्षित मात्रा में चावल नहीं मिलता। केरल में प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति के 320 ग्राम के चावल के हिसाब से प्रतिमाह 2.10 लाख टन चावल की जरूरत होती है। लेकिन केवल 1.25 लाख टन चावल मिल रहा है। प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 220 ग्राम चावल भी नहीं मिलते। इसके अलावा केरल में राशन कार्डों की कुल संख्या 43 लाख से बढ़कर 48 लाख हो गई है। लेकिन केन्द्र द्वारा उतनी ही मात्रा में चावल की सप्लाई की जा रही है। अतः केरल में अधिक मात्रा में चावल सप्लाई किया जाना चाहिए। केरल सरकार ने इस बारे में कई बार अभ्यावेदन दिए हैं। केरल सरकार ने यह मांग की है कि प्रतिमाह 1.50 लाख टन चावल सप्लाई किए जाएं। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि केरल की जरूरतों के प्रति और सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया जाए। मैं इस मांग को दोहराता हूं कि केरल को प्रतिमाह 1.50 लाख टन चावल सप्लाई किया जाए।

दूसरा मुद्दा भारतीय खाद्य निगम द्वारा केरल को सप्लाई किए जाने वाले चावलों की किस्म के बारे में हैं। इस बारे में कई शिकायतें हैं। केरल सरकार के अधिकारियों ने भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के समक्ष यह मामला रखा किन्तु इस स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अच्छी किस्म के चावल प्राप्त करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को घूस देनी पड़ती है। इस स्थिति को बदला जाना चाहिए। केरल की जनता अच्छी किस्म के चावल खाने की आदी है। इसलिए केरल को आंध्र प्रदेश से अच्छी क़िस्म के चावल, विशेष से सेला चावल सप्लाई किया जाना चाहिए। अब मैं केरल को सप्लाई की जाने वाली चीनी के बारे में कहूंगा। इस राज्य में 450 ग्राम चीनी प्रति व्यस्क की दर से 15 लाख मीट्रिक टन चीनी की आवश्यकता होती है। केन्द्र से हमें केवल 11 लाख मीट्रिक टन चीनी मिलती है। इस तरह 4 लाख मीट्रिक टन चीनी कम मिलती है। इसे पूरा किया जाना चाहिए। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां 15 लाख मीट्रिक टन चीनी सप्लाई की जानी चाहिए। इसी तरह मेरा यह भी अनुरोध है कि चीनी की ढुलाई के भाड़े में भी वृद्धि की जानी चाहिए।

केरल को सप्लाई किए जाने वाले मिट्टी के तेल की मात्रा भी घटा दी गई है जिसके कारण बाजार में इसकी कमी हो गई है। केरल को 17250 मीट्रिक टन मिट्टी का का तेल सप्लाई किया जाता था जिसे कम करके 14250 मीट्रिक टन कर दिया गया है। घरेलू वस्तुओं के अलावा मछली पालन क्षेत्र में इसकी कमी महसूस की गई है। अत: सरकार को केरल को सप्लाई किए जाने वाले मिट्टी में तेल की मात्रा बढ़ानी चाहिए।

अब मैं केरल सिविल सप्लाई कारपोरेशन की एक समस्या का जिक्र करना चाहता हूं। यह निगम केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य के सभी ताल्लुकों में इसके कार्यालय हैं। कुछ वर्ष पूर्व निमम ने गोदामों के निर्माण के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी और इसे वित्तीय सहायता के लिए केन्द्र सरकार के पास भेजा था। लेकिन केन्द्र सरकार ने उस योजना को स्वीकृति नहीं दी है। खाद्यान्नों के भंडारण के लिए गोदामों का निर्माण करना बड़ा महत्वपूर्ण है। राज्य क कोने-कोने में खाद्यान्नों की सप्लाई करने की जिम्मेदारी निगम पर है। प्रत्येक ताल्लुक मुख्यालय में गोदाम बनाने की योजना स्वागत योग्य है। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में निर्णय लें।

महोदय, दिल्ली में माडर्न फूड निगम लिमिटेड के नाम से एक संयंत्र है जो 'रसिका' नामक फलों का रस तैयार करता है। कई वर्षों से यह फलों का रस बहुत लोकप्रिय हो गया है किन्तु इसके प्रबन्धकों की अक्षमता के कारण इस लोकप्रिय पेय की बिक्री में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। इसका प्रचार करने वाला विंग बहुत कमजोर है। यह कम्पनी रेडियो और टेलिविजन में अपने प्रचार विज्ञापन देती थी। लेकिन अब इसे बन्द कर दिया गया है। मुझे समझ नहीं आता कि इसका क्या कारण है। इसी तरह वितरकों को दिए जाने वाले कमीशन की दर और अन्य सुविधाएं भी बहुत कम हैं। इसके लिए उपयुक्त विपणन नीति बनाई जानी चाहिए ताकि यह कम्पनी पेय जल तैयार करने वाली अन्य कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। वर्तमान स्थिति का कारण यह है कि इस कम्पनी की विपणन नीति ठीक नहीं है। मेरा सुझाव है कि सरकार इस सम्बन्ध में इस कम्पनी को उचित दिशा-निर्देश दे। महोदय, देश के विभिन्न भागों में ऐसे और संयन्त्र खोले जाने चाहिए।

[श्री वी०एस० विजयराघवन]

विशेष रूप से मैं सुझाव दूंगा कि इस प्रकार का एक संयन्त्र केरल में लगाया जाना चाहिए। केरल में विभिन्न किस्मों के फल काफी मात्रा में मिलते हैं। यदि इस प्रकार का एक संयन्त्र लगाया जाता है तो हम फलों के रस का उत्पादन कर पायेंगे जो कि विदेशों को भी निर्यात किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस प्रस्ताव पर कुछ विचार करेगी।

महोदय, मैंने अपने राज्य की कुछ समस्यायें माननीय मन्त्री महोदय के समक्ष रखी हैं, और मैं आशा करता हूं कि सरकार उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। खाद्य पदार्थों के मामले में केरल की सहायता करना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। मैं आशा करता हूं कि सरकार उस जिम्मेदारी को निभायेगी। मैं एक बार फिर मांगों का समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अनूपचन्द शाह (बम्बई नार्थ) : सभापति महोदया, फूड एवं सिविल सप्लाईज की डिमांड्ज सदन के सामने रखी गई हैं, उनका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले मैं इस देश के फार्मर्स और कल्टीवेटर्स, जिन्होंने इस देश को फूड के बारे में सैल्फ सफीशिएंट बनाया है, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारा देश जिस ढंग से फूड के बारे में सैल्फ सफीशिएंट हुआ, यह हमारी सरकार की फूड के बारे में जो पालिसी रही और फार्मर्स और कल्टीवेटर्स को जिस ढंग से हमने वाटम के भाव दिए, उसकी वजह से उन्होंने प्रोडक्सन बढ़ाया और देश को इस बारे में सैल्फ सफीशिएंट बनाया।

इन डिमांडज के बारे में और आगे जाने से पहले मैं फूड कार्पोरेशन आफ इंडियां के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। मैंने देखा है कि जो कट मोशन्ज वगैरह दिए गए हैं, उनके द्वारा अगर सबसे ज्यादा किसी को क्रिटीसाइज किया गया है तो वह फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया के बारे में कहा गया है।

हमने इस देश में फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया की स्थापना 1960 में इसलिए की थी हमारे यहां फूड के प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज तथा उसके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की जो पालिसी है, वह उसको इम्पलीमैंट कर सके। इस तरह एफ०सी०आई० सरकार की पालिसी के अनुसार काम करने लगी।

आज हो सकता है कि फूड कार्पोरेशन का मैनीफोल्ड वर्क है, उनका नाम बहुत बढ़ा है। उनके फिगर्स देखने से मालूम पड़ता है कि फूड कार्पोरेशन का टर्न ओवर आज करीब-करीब 8,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो गया है और उनका फूड का हैंडलिंग शायद 400 मिलियन टन से भी ज्यादा हो गया है। इतना बड़ा काम संभालने के लिए फूड कार्पोरेशन का जो विशाल क्षेत्र है, उसमें जहां-जहाँ दिक्कतें आती हैं, कम्पलेंट्स आती हैं, उसको दूर करने के लिए सरकार को सही कदम उठाने चाहिएं।

आज इस देश में पी०डी०एस० का सिस्टम चल रहा है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट फूड एलाट करती है। 2, 4 दिन पहले हमारे सम्मानीय मंत्री जी ने बताया था कि इस में दो पालिसी हैं। केरल और वैस्ट बंगाल के लिए कुछ सेपरेट पालिसी है, यहां से इनको डायरेक्ट माल सप्लाई होता है और बाकी स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू पी०डी०एस० हैंडिल किया जाता है। इस देश में जब एक ही पालिसी नहीं हो सकती है तो कुछ न कुछ कम्पलेंट्स कुछ स्टेट्स से आने लगी हैं। एफ०सी०आई० जैसे बाकी स्टेट्स को माल देती है, स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू पी०डी०एस० हैंडिल करती है, उसी तरह से हमारे देश के जितने प्रान्त हैं, सभी के लिए एक पालिसी होनी चाहिए और सभी को स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू पी०डी०एस० में माल दिया जाना चाहिए।

हमारी यह भी पालिसी रही है कि हर स्टेट में स्टेट फूड कार्पोरेश क्रीएट करना। अगर यह हो गया तो हमारी बहुत सी दिक्कतें हल हो सकती हैं। कुछ स्टेट में स्टेट फूड कार्पोरेशन बने हैं और कुछ में अभी तक नहीं बने हैं। उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए।

फूड कार्पोरेशन का एक प्राबलम यह भी है कि जितना फूड प्रोक्योर करते हैं, उसके स्टोरेज के लिए उस हिसाब से गोदाम कम हैं। हमने एक नई पालिसी एडाप्ट की है कि प्राइवेट सैक्टर को प्रोत्साहन देकर उनको बैंकों से कुछ लोन दिलाकर कुछ गोदाम बनाना चाहते हैं। हम उनको 5 साल की गारन्टी और कुछ रैंट देना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि 5 साल की गारन्टी और कुछ रैंट से प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आयेंगे।

साथ ही साथ आज पूरी दुनिया के अन्दर जो एक नया सिस्टम आ गया है और जिसे सभी देशों ने स्वीकार किया है वह है स्टील सैलो सिस्टम। इस सिस्टम से बहुत कम समय में गोदाम हो सकता है। इतना जरूर है कि इनीशियल स्टेज में काफी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन उसके अन्दर फूड का प्रिजर्वेशन भी अच्छी तरह से होता है। इसके ऊपर सरकार को अवश्य सोचना चाहिए।

जहां तक पी० डी० एस० का सवाल है, वह हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम का सबसे बड़ा प्रोग्राम रहा है। इसके द्वारा चीजों का प्राइस कन्ट्रोल और उनकी रेगुलर सप्लाई होती है। मेरा निवेदन है कि कुछ और असेंशल गुड्स को पी० डी० एस० में कवर करना चाहिए। हम इस सिस्टम के द्वारा फेयर प्राइस शॉप्स में भी असेंशल आइटम्स रखते हैं। इसमें मेरा एक सुझाव है कि अगर इनकम ग्रुप के हिसाब से राशन गरीबों तक पहुंचायेंगे तो इसका बेनिफिट सबको मिल पाएगा। आज जो राशन कार्ड इशू होते हैं अगर वह इनकम ग्रुप के आधार पर इशू होंगे तो सामान्य और गरीब आदमी को उसका पूरा बेनिफिट मिल पायेगा। मेरे ख्याल में गुजरात और बंगाल में यह सिस्टम शुरू किया जा चुका है। अगर यह सिस्टम सभी जगह पर शुरू हो जायेगा तो काफी अच्छा होगा।

हमारे पी० डी० एस० अच्छी तरह से चलें उसके लिए हर जगह पर विजिलेंस कमेटियां बनी हैं। इन कमेटीज में तरह-तरह के लोगों को एपॉयंट किया हुआ है, लेकिन वह कमेटियां सिर्फ पेपर में ही हैं। उनका इफेक्टीव वर्किंग इसलिए सक्सेजफुल नहीं हो पाता है क्योंकि विजिलेंस कमेटियां स्टेट द्वारा बनायी जाती हैं और उस कमेटी को ज्यादा अधिकार और सुविधायें नहीं मिली हैं। मेरा सुझाव है कि विजिलेंस कमेटियां पूरे देश के अन्दर अच्छे ढंग से काम करें और उन्हें पूरी सुविधायें मिलें। इसके लिए आप प्रयत्न करें।

[श्री अनूपचन्द शाह]

आज शूगर डिस्ट्रीब्यूशन सारी स्टेट्स के अन्दर किस तरह से होता है, यह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, वहां रिटेलर्स का शूगर डिस्ट्रीब्यूशन का मार्जिन है वह 1970 में 5 रुपए एक बोरे के ऊपर फिक्स किया था। उस समय बोरे की कीमत 150 रुपये थी। आज जब उसकी कीमत 440 रुपये हो गयी है तब भी उसको 5 रुपये का मार्जिन देते हैं। हमने कई बार फूड और सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट और मार्जिन कमेटी के सामने इस मैटर को मूव किया है, लेकिन जवाब मिलता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मार्जिन देते हैं। 5 रुपये के मार्जिन के साथ ही आपके डिपार्टमेंट ने एम्पटी गनी बैग की जो कास्ट लगाई है, मैं उसके विवाद में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वह कास्ट सही नहीं है। अगर आप यह तय कर लें कि जिनके द्वारा शक्कर सप्लाई करते हैं और जो गन्नी बैग की कास्ट फिक्स करते हैं अगर वही कीमत गन्नी बैग रिटेलर्स ले लें तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। आपने 12 रुपये गन्नी बैग के लिए तय किये हैं, लेकिन देखने पर पता चलता है कि 6·7 रुपये गन्नी बैग की कास्ट है। जो टोटल कास्ट है, जो ग्रॉस प्राफीट होता है वह 12 रुपये ही होता है 12 रुपये का ग्रॉस प्राफीट होने के बाद इनका 440 रुपये का टर्नओवर है और वह 100 किलो शक्कर 30-40 कस्टमर्स को किलो, दो किलो आदि के हिसाब से बेचता है जिसमें उसकी शार्टेज भी होती है। उसको मिलाने के बाद उसका एवरेज मार्जिन 2% से ज्यादा नहीं बैठता है।

2.00 म० प०

आप कहेंगे कि फेयर प्राइस आप शक्कर बेचता है। मैं कहना चाहता हूं कि आज भी पी० डी० एस० के रिटेलर्स शक्कर वेचना नहीं चाहते हैं। पिछले 15-16 साल के अन्दर होल-सेल्स का मार्जिन तीन बार बढ़ा है क्योंकि उनकी काफी बड़ी लाबी है और उनके पास ताकत है। जबकि रिटेलर्स का मार्जिन 1970 में जो था उतना ही आज है। इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए।

आज एन० सी० सी० एफ० एक एपेक्स बाडी है। उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि इस देश के अन्दर जितनी भी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं सब को उसका फायदा मिले, लेकिन आज इस देश में और नई-नई सोसाइटियां बन रही हैं और नये-नये सिस्टम बन रहे हैं। एन० सी० सी० एफ० ने अपनी मेम्बरशिप दिसम्बर 1985 में बंद कर दी थी क्योंकि उनका कहना है कि इससे अधिक मैम्बरों की सेवा करने की उनकी कैपेसिटी नहीं है। मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि मैम्बरशिप बंद करनी ही है तो फिर नई सोसाइटी बनाने की परमिशन क्यों देते है। एन० सी० सी० एफ० के अन्दर आज बहुत ही मानोपली है। आज आप कांस्फीक्टिड सब-गुड्स आप इस सोसाइटी को दे रहे हैं। एन० सी० सी० एफ० वह गुड्स अपनी सोसाइटी को नहीं देती है। वह सोसायटी सिर्फ पेपर में ही रहती है। सब माल एन० सी० सी० एफ० के चेयरमैन और आफिसर मिलकर ब्लैक में सारा माल बेच रहे हैं।

शूगर पालिसी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आप इस बारे में कुछ महीनों से नई पालिसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस पालिसी को और अच्छे ढंग से बनाये तो

अच्छा होगा। जिस जगह में, जिस राज्य में, जिस प्रान्त में ज्यादा गन्ना होता है वहां नई फैक्ट्री बनाने के लाइसेंस दें। ऐसा करने से ही इस देश में शूगर समस्या हल हो सकती है। किसी स्थान में गन्ने की पैदावार नहीं है तो वहां शक्कर की फैक्ट्री कैसे सफल हो सकती है। इस पर भी आप अवश्य विचार करें।

आज हम देखते हैं कि फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के अन्दर जो कारपोरेशन बने हैं, उसमें नॉन-आफिशियल डायरेक्टर्स पिछले कई सालों से एपायन्ट नहीं हुए हैं। इसमें एम० पी० और एम० एल० भी आते हैं। साथ ही साथ नॉन-आफिसियल डायरेक्टर्स वही होने चाहिए जिस को उस विभाग का नालेज हो। आज हम देखते हैं कि जहां-जहां पर हमारे बोर्ड आफ डायरेक्टर्स हैं वह ब्यूरोक्रेट्स के हाथों चल रहे हैं। इसको भी आपको देखना होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन डिमांड्स का समर्थन करता हूं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : मैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाई की डिमांड्स का विरोध करता हूं। आप ने रिपोर्ट में काफी अच्छी-अच्छी बातें लिखी हैं लेकिन हकीकत में वह बात सही नहीं है। चैप्टर 5 में आप ने कहा है कि :

[अनुवाद]

आपने वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 16 में कहा है कि :

"सात मुख्य आवश्यक वस्तुओं अर्थात् गेहूं, चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिट्टी के तेल, साफ्ट कोक तथा नियंत्रित कपड़े की अधिप्राप्ति तथा आपूर्ति का दायित्व केन्द्रीय सरकार का है।"

[हिन्दी]

चेप्टर 1 में आपने कहा है :

[अनुवाद]

"दुबारा आपने पृष्ठ 1 में कहा है, "सरकारी नीति में मुख्य बल विभिन्न आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने और उनके आपूर्ति प्रबन्ध में सुधार लाने पर देना जारी रहा। तदनुसार, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने, उनकी उपलभ्यता में सुधार लाने, उनके आपूर्ति प्रबन्ध को मजबूत करने तथा उनके मूल्यों को नियन्त्रण में रखने के लिए कई उपाय किए गए।"

[हिन्दी]

लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है ? प्रोडक्शन के बारे में मैं कहूं तो फूडग्रेन्स का प्रोडक्शन 82-83 में रेकार्ड प्रोडक्शन हुआ था 152.87 मिलियन मैट्रिक टन और 84-85 में वह 4 परसेंट लेस हो गया। प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो आप के उस तरफ के मेम्बरान कहते हैं कि जो हमारे लीडर की लीडरशिप है उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा है और जब घटता है तो कहते हैं

[श्री सैयद मसूदल हुसेन]

मानसून की वजह से घटा है...(व्यवधान)... प्रोडक्शन आफ सीरियल्स 83-84 में 139.47 मिलियन मैट्रिक टन था और 84-85 में 134 मिलियन मैट्रिक टन रह गया। यह भी घट गया। पलसैंज का प्रोडक्शन भी घट गया। शुगर का प्रोडक्शन 81-82 में 84.83 लाख मैट्रिक टन था यह घट कर 83-84 में 59.16 लाख मैट्रिक हो गया। 84-85 में 61.44 लाख मैट्रिक टन हो गया।

इसी तरह एडिबल आयल की क्या पोजीशन है ? आप की रिपोर्ट में इसके बारे में तो आप ने दिया ही नहीं है। सिर्फ इतना ही कहा है कि इम्पोर्टेड एडिबल आयल पहले से कम ला रहे हैं। एडिबल आयल का इम्पोर्ट कुछ घटा है। यानी इसमें कुछ पोजीशन बेटर हुई होगी। लेकिन आप की रिपोर्ट में एडिबल आयल का इंडिजिनस प्रोडक्शन क्या है इसके बारे में कुछ नहीं कहा है।

आपका 20 सूत्री कार्यक्रम जो है उसमें आपने लिखा है कि गांव-गांव में सस्ते गल्ले की दुकान खोलेंगे। हां, मैं मानता हूं कि आपने फेयर प्राइस शाप्स कुछ बढ़ाई हैं लेकिन वह सस्ता तो नहीं है। सस्ता इसलिए नहीं है कि तीन मर्तबा इसकी कीमत आपने बढ़ाई और प्रोक्योरमेंट प्राइस आपने बढ़ाई हैं सिर्फ 5 रुपये। 84-85 में कामन वेराइटी राइस का प्रोक्योरमेंट प्राइस 137 था जो 142 हो गया। फाइन वेराइटी 141 से 146 हो गया और शुगर में 145 से 150 हो गया। व्हीट में सिर्फ 5 रुपये बढ़ाए। लेकिन ईस्यू प्राइस की फिगर जरा देखिए—16-1-84 को आप की ईस्यू प्राइस 208 रुपये थी, 10-10-85 को 217 रुपये हो गई और 1-2-86 को 231 हो गई कामन वेराइटी की। इसी तरह से फाइन, सुपर फाइन सबका बढ़ाया है। इश्यू प्राइस बढ़ा देते हैं 18-20 और किसान को जो मिनियम सपोर्ट प्राइस देते हैं वह पांच रुपया बढ़ाते हैं। उस तरफ आप किसान का शोषण करते हैं और दूसरी तरफ कन्ज्यूमर्स का। शुगर की फर्स्ट अप्रैल 85 को प्राइस थी सिर्फ 4 रुपये और आज है 4 रुपये 80 पैसे।

केरोसिन आयल की कीमत भी आपने बढ़ाई है। आपने 11 परसेन्ट प्राइस रेज करने की कोशिश की थी, उसका एनाउन्समेंट भी कर दिया था लेकिन जब चारों तरफ से बहुत हल्ला मचा तो आपने उसको घटाया और सिर्फ 15 पैसे पर-लीटर कीमत आपने बढ़ाई। नतीजा यह हो रहा है कि प्राइस इंडेक्स दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।

आपने सात एसेंशियल कमाडिटीज सप्लाई करने का जिम्मा लिया था। दूसरी स्टेट्स के बारे में तो मुझे नहीं मालूम है लेकिन मैं अपनी स्टेट के बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगा। वेस्ट बंगाल में हर महीने राइस की डिमाण्ड है डेढ़ लाख मी० टन और गेहूं की डिमाण्ड है दो लाख मी० टन लेकिन जो आप सप्लाई करते हैं वह जरूरत से बहुत कम है। आप कहेंगे कि दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में वेस्ट बंगाल की डिमाण्ड बहुत है। यह बात सही भी है कि वेस्ट बंगाल की डिमाण्ड दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में ज्यादा है। आपको मालूम है कि देश का बंटवारा होने के बाद जूट-ग्रोइंग एरिया पूर्वी पाकिस्तान (जो अब बंगला देश है) में चला गया लेकिन जितनी जूट मिलें थीं वह वैस्ट बंगाल में ही रह गईं। उन जूट मिलों की जरूरत को पूरा करने के लिए वेस्ट बंगाल की पैडी लैण्ड को जूट लैण्ड में कन्वर्ट

करना पड़ा। उस वक्त पं० जवाहर लाल नेहरू ने एश्योरेन्स दिया था कि वेस्ट बंगाल जितना जूट देगा उससे डबल पैडी उसको दी जायेगी। वेस्ट बंगाल जूट और टी में सबसे ज्यादा फारेन एक्सचज देता है। इसके कारण चावल और गेहूं की जो वहां पर कमी हो जाती है उसके बारे में आपको ध्यान देना ही पड़ेगा।

इसी तरह से शुगर की ईयरली डिमाण्ड 4.80 लाख मी० टन की है लेकिन यह भी आप नहीं देते हैं। जो आप एलाट करते हैं शुगर वह एलाटेड माल भी पूरा नहीं पहुंचता है। 1983 में आपका एलोकेशन था 2.88 लाख मी० टन लेकिन मिला सिर्फ 2.85 लाख मी० टन। 1984 में जो एलोकेशन था 2.95 लाख मी० टन वह तो पूरा मिल गया। सन 1985 में आपका एलोकेशन था 3.14 लाख मी० टन लेकिन उसकी जगह पर मिला 3.03 लाख मी० टन।

इसी तरह से एडिबल आयल की हमारी डिमाण्ड भी 1.80 लाख मी० टन पर ईयर है लेकिन आपका जो एलोकेशन होता है उससे भी कम हमको मिल रहा है। आपकी सप्लाई की पोजीशन ठीक नहीं है। केरोसीन आयल की डिमाण्ड तो हर रोज बढ़ती ही जा रही है। 1983 में आपका एलोकेशन 6 लाख मी० टन था लेकिन मिला सिर्फ 4.76 लाख मी० टन। 1984 में एलोकेशन था 8.40 लाख मी० टन और मिला सिर्फ 5.27 लाख मी० टन। 1985 में एलोकेशन था 9.60 लाख मी० टन लेकिन आपने दिया सिर्फ 5.60 लाख मी० टन। दूसरी कमाडिटीज के बारे में भी यही हालत है, अगर आप चाहें तो उनकी फीगर्स भी मैं दे सकता हूं। आपका बीस-सूत्री कार्यक्रम गांव-गांव में चल रहा है। रूरल डवेलपमेंट का काम तो आपके पास नहीं है। लेकिन आपकी रिपोर्ट से मालूम होता है कि एन०आर०ई०पी० और ई०जी०एस० व आर०एल०ई०जी०पी० आदि कार्यक्रमों में आपकी सप्लाई जरूरत से बहुत कम है। गांव-गांव में बेकारी है। मंहगाई बढ़ रही है। इस बारे में आप सोचें।

एफ०सी०आई० सरकार की तरफ से काम कर रहा है। एफ०सी०आई० का सिस्टम अजीब सा सिस्टम है। एफ०सी०आई० वाले जो माल प्रोक्योर करते हैं, उनको सरकारी गोडाउनस में रखना ज्यादा पसन्द नहीं है। सरकारी गोडाउन्स में रखने से ज्यादा मजा उनको कवर एण्ड प्लिन्थ में आता है और इससे ज्यादा मजा उनको प्राइवेट गोडाउनस में रखने में आता है। कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि पचास आफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। यह सिलसिला चलता रहेगा। रिश्वत लेते हुए यदि कोई अधिकारी पकड़ा जाता है, तो रिश्वत देकर वह अधिकारी छूट जाता है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। माल स्टोर में सड़ाते हैं, बर्बाद करते हैं, नुकसान करते हैं, उससे उन्हें फायदा मिलता है। कुछ दिन पहले अखबार में खबर आई थी कि 623 करोड़ रुपए का फूटग्रेन्स बर्बाद हो गया। दूसरी धांधलेबाजी हैंडलिंग शार्टेज के कारण होती है। इसको हर कोई व्यक्ति जानता है। पश्चिम बंगाल में अगर प्रोक्योर होगा, तो उसको पंजाब भेजेंगे और पंजाब का माल आन्ध्र प्रदेश में और आन्ध्र प्रदेश का माल असम भेजेंगे, जितनी दफा गोडाउन बदली कर सकेंगे, उतनी दफा उनको हैंडलिंग शार्टेज मिलेगा। उससे उनको भी फायदा है और कान्ट्रैक्टर को भी फायदा। इसके बारे में आपको ध्यान देना है। इसके साथ-साथ जितना माल आप एलॉट करते हैं, उतना माल डैस्टिनेशन पर नहीं पहुंचता है। जब इस बारे में कहा जाता है, तो कह दिया जाता है, रेल से वैगन नहीं मिल रहे हैं और रेल विभाग वाले कहते हैं हमें कोयला नहीं मिल रहा है। प्रापर टाइम पर प्रापर जगह पर माल नहीं पहुंचा है,

[श्री सैयद मसूदल हुसैन]

इस बारे में भी आपको ध्यान देना है। अनकवर्ड कोच में माल जो भेजते हैं, उससे काफी नुकसान होता है।

आपने कन्ज्युमर को-आपरेटिव सिस्टम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर देने की कोशिश की है। कन्ज्युमर को-आपरेटिव सिस्टम होना चाहिए कन्ज्युमर प्रोडक्शन के लिए। इस बारे में मुझे अपने स्टेट वैस्ट बंगाल के बारे में जानकारी है। वहां पर टॉप में है, एन० सी०सी०एफ०, उसके बाद स्टेट फैडरेशन, उसके बाद होलसेल कन्ज्युमर को-आपरेटिव सोसायटीज और उसके बाद प्राइमरी को-आपरेटिव स्टोर—इस प्रकार पर चार टायर सिस्टम है, जिनकी अपनी-अपनी एस्टीमेटेड कॉस्ट है। इसको मीट करने के लिए कुछ-न-कुछ मुनाफा तो खुद रखते हैं। एन०एम० सी०आई० पर बहुत भारी दबाव है। एन०सी०आई० कान्फिसकेटेड गुड्स, जहां जिसका डिमाण्ड नहीं है, ऐसी-ऐसी चीजें होलसैल में ज्यादा से ज्यादा कान्फिसकेटेड गुड्स को लाद देते हैं।

आप दिल्ली के सुपर मार्केट में चले जाइए। कई साल पहले यहां जो इलेक्ट्रोनिक्स गुड्स दिया था एन० सी० सी० एफ० ने, वह अभी तक पड़ा हुआ है और उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यहां का जो कर्मचारी है, उसके बारे में आप को सोचना है। काओपरेटिव सोसाइटीज का जो कर्मचारी है, उस के बारे में लोग कह सकते हैं कि सब चोर हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि सब दूध के धुले हैं लेकिन उनकी जो सर्विस कंडिशन्स हैं, उनको और आप इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो आपका सिस्टम बिलकुल बरबाद हो जाएगा। यहां का जो एम्पलाई है, उसकी न स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और न सेन्ट्रल गवर्नमेंट की और कोआपरेटिव सोसाइटी से जो पैसा मिलता है, उस में ही उसको गुजारा करना पड़ता है। उसको आफ्टर रिटायरमेंट कोई बैनीफिट नहीं मिलता है और इसका पे-स्केल बहुत कम है। मेरे अपने प्रान्त मालदा जिले में वहां के कर्मचारी को 200-250 रुपये तन्ख्वाह मिलती है और उसी में उसे सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक काम करना पड़ता है। इस बारे में आपको सोचना होगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव सिस्टम में कर्मचारियों का रेप्रेजेन्टेटिव मैनेजमेंट में होना चाहिए। कर्मचारियों की तरफ से रेप्रेजेन्टेटिव न होने के कारण, उनका हाल और हकीकत बताने का मौका उनको नहीं मिल रहा है। इस तरह से जो आप का कोआपरेटिव सिस्टम है, वह खत्म हो जाएगा। यह जो 4 टियर सिस्टम है, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा।

एक चीज मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली में एस० टी० सी० जो माल सप्लाई करता है, उसके माल का अगर पैकेट फट जाए, तो वह रिप्लेस नहीं करता है जबकि बाहर से बनिया से अगर माल खरीदें और माल को किसी तरह का नुकसान पहुंच जाए या पैकेट फट जाए, तो वह रिप्लेस कर देता है लेकिन एस० टी० सी० रिप्लेस नहीं करता है और उसकी सारी जिम्मेवारी, उसकी पूरी लाइबिलिटी वहां का जो कर्मचारी होता है, उसके कन्धे पर रहती है। इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। आप उनकी सर्विस कंडीशन्स के बारे में सोचिए। एफ०सी० आई० के अन्दर जो करप्शन है, उसको आप रोकिए। अगर आप ने उसको नहीं रोका, तो आप का सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट बिलकुल खत्म हो जाएगा और सिविल सप्लाईज, सिविल सप्लाईज नहीं रहेगा।

इतना कहते हुए, यह जो सिविल सप्लाईज मिनिस्ट्री की डिमान्ड्स हैं, उनका मैं विरोध करता हूं, और अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री हाफिज मौहम्मद सिद्दीक (मुरादाबाद) : माननीय सभापति महोदया, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे इस विभाग की अनुदान की मांगों पर बोलने का अवसर दिया। जैसा कि मुझ से पूर्व मेरे साथी ने कहा कि यह विभाग देश के खाद्य व पूर्ति पर अपना नियन्त्रण रखता है और उसको सप्लाई करने का कार्य करता है। इस में शक नहीं है कि इसने बहुत ही सराहनीय काम किया है। हमारे देश के किसानों ने हमको अनाज देकर आत्म-निर्भर बनाया है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विभाग में कुछ सुधार की आवश्यकता है। आज हम यह देखते हैं कि इस देश के ग़रीब लोग अपनी खाद्य की वस्तुओं के बारे में दूर-दूर गांवों में गल्ले की दुकानों से उनको लेने के लिए परेशान रहते हैं।

हमारी जो सिविल सप्लाई की वस्तुएं होती हैं, उनके लिए उन्हें कठिनाई होती है। जैसे कि मिट्टी का तेल है, वह उनको उनकी जरूरत के मुताबिक नहीं मिलता है। इसी तरह से हमारे गरीब लोगों को गेंहू भी समय पर नहीं मिलता है। इसकी सब से बड़ी वजह यह है कि ये जो सस्ते गल्ले की दुकानें हैं वे तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर दूर होती हैं और बिचारे मजदूर अपनी मजदूरी छोड़कर सुबह से शाम तक इन दुकानों के चक्कर लगाया करते हैं। सुबह तो उन्हें दुकान बन्द मिलती हैं और और वे निराश होकर लौट आते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन दुकानों के लिए कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे कि गरीब लोगों को उनकी जरूरत की वस्तुएं उनकी जरूरत के मुताबिक उनके वक्त पर मिल सकें।

इसी के साथ-साथ हमारा एफ० सी० आई० खाद्य वस्तुओं का स्टाक करता है। हम यह देखते हैं कि एफ० सी० आई के पास काफी गोदाम नहीं हैं जिनकी वजह से हमारा बहुत सा अनाज खराब हो जाता है। इसके कारण हमें जो हानि होती है वह देश के गरीब लोगों पर भी पड़ती है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जहां जहां भी हमारे भण्डारों और गोदामों की कमियां है उनको शीघ्र से शीघ्र दूर किया जाए।

हमारे यहां सीमेंट के वितरण के दो तरीके हैं। एक फ्री सेल में सीमेंट बिकती है। उसके साथ-साथ कण्ट्रोल वाली सीमेंट भी मिलती है। लेकिन जो कण्ट्रोल वाली सीमेंट होती है वह उन लोगों को मिलने में परेशानी होती है जिन लोगों के लिए कन्ट्रोल वाली सीमेंट की स्कीम बनायी गयी है। जिस सीमा तक गरीब लोगों को कण्ट्रोल वाली सीमेंट चाहिए उस सीमा तक तो वह मिलती ही नहीं। कण्ट्रोल वाली सीमेंट छोटे और गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिलनी चाहिए क्योंकि उनके लिए ही इसका बन्दोबस्त किया गया है। इस पर भी आप ध्यान देने की कृपा करें।

हमारी जो सस्ते गल्ले की दुकानें है, इनको जो लोग लेते हैं उनके लिए हमने जो कमीशन रखा है वह तीन रुपये या साढ़े तीने रुपये बोरी रखा है। यह कमीशन आज के जमाने में बहुत कम है। इसकी बजह से ही खाद्य वस्तुओं का घोटाला होता है, ब्लैक होता है। इस कमीशन में भी वृद्धि करने की जरूरत है जिससे कि हमारा वह मकसद पूरा हो सके जिस मकसद के लिए हमने सस्ते गल्ले की दुकानें खोली हैं। इन दुकानों को खोलने का हमारा मकसद यही है कि गरीब और छोटे लोगों को सस्ते दाम पर उनकी जरूरत की चीजें मिल जाएं। सस्ते गल्ले की दुकानों के

[श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक]

दुकानदार आजकल क्या करते हैं कि जहां पर हमारे सस्ते गल्ले के गोदाम वगैरह: होते हैं वहीं पर वे गल्ले को ब्लैक में बेच देते हैं। अगर हम इन दुकानदारों का कमीशन बढ़ा दें तो हम इस चीज से बच सकते हैं।

इसके साथ-साथ गेंहू की जो वसूली की जाती उसमें भी हमारे गरीब किसान भाइयों को बहुत परेशान किया जाता है। चूंकि खरीदारी का काम शुरू होने वाला है इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा वे इस चीज को अभी से देखें। हमारे किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए हमने एफ० सी० आई० द्वारा गल्ले की खरीदारी का काम शुरू किया किया है जिससे कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके। हमारी एफ० सी० आई० या उसके मातहत जो बोडीज है उनमें जो धांधलियां होती हैं, जिस तरह से वहां किसानों को परेशान किया जाता है, वह न किया जाए, इस पर मंत्री जी ध्यान दें और ऐसी हिदायतें सम्बन्धित अधिकारियों को दें। इससे भी हमारे किसानों को सहूलियतें मिलने में मदद मिलेगी।

जो हम गल्ले का रेट तय करते हैं, चाहे वह अनाज का तय करें या चावल का तय करें उसको खरीदारी शुरू करने से पहले ही तय करें। जिससे उसका सही फायदा कास्तकारों को पहुंच सके। उससे फायदा यह होगा कि कास्तकारों में एक तरक्की की भावना, एक जजबा जागेगा, वे अच्छा काम करेंगे, अगर उनको मालूम होगा कि उनको अच्छा रेट मिलने वाला है तो किसान अच्छे ढंग से कार्य करेंगे और अच्छा उत्पादन करेंगे। जैसा कि पिछले दिनों गन्ने का मामला सामने आया। गन्ने की कमी के बावजूद रेट कम था और रेट कम होने की वजह से हमारे यहां की मिलें बन्द हुई। बाद में रेट बढ़ाया गया और बाद में क्रेशर वालों ने 40 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना खरीद कर लाभ उठाया और सरकार को नुक्सान हुआ। मैं चाहूंगा कि किसानों को पहले पता लग जाना चाहिए कि क्या कीमत तय की जा रही है, उससे यह फायदा होगा कि किसान अच्छी पैदावार करेंगे। शक्कर का जहां तक मामला है, आज हम शक्कर इंपोर्ट करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इंपोर्ट न करें और ज्यादा कीमत किसानों को दें और खाद आदि के रूप से किसानों को सहायता दें। इससे किसानों को भी फायदा होगा और वे गन्ने की फसल अच्छी पैदा कर सकेंगे, गन्ना अधिक आएगा तो शक्कर का उत्पादन भी अधिक होगा।

इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे यहां सस्ते गल्ले की दुकानों से लोगों को सही समय पर सामान उपलब्ध नहीं होता और उनको परेशानियां होती हैं। जब ब्याह-शादी होती है तो वहां पर शक्कर नहीं होती, तेल नहीं होता, इसलिए आप फूड एण्ड सिविल सप्लाई विभाग को हिदायत दें कि वे तमाम वस्तुएं सही समय पर पहुंचाएं, जिससे लोगों को परेशानी न हो। इन शब्दों के साथ में आपका आभार प्रकट करता हूं और विभाग की मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० के० वी० थामस (एरणा कुलम) : सभापति महोदय, मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। यह प्रत्येक नागरिक का वैधानिक अधिकार

है कि उसे आवश्यक वस्तुयें उचित मूल्य पर मिलें। जब हमने स्वतन्त्रता प्राप्त की तब हमारी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था बहुत खराब थी। इससे केवल बिचौलियों को ही फायदा मिलता था। अब हमारी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था बहुत सुधर गयी है। परन्तु अभी भी कुछ राज्य हैं, जहां हमारी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है। हम आवश्यक वस्तुओं जैसे चावल, गेहूं, वनस्पति तेल और अन्य वस्तुओं के वितरण के लिए उचित दर की दुकानों का प्रयोग कर रहे हैं। परन्तु ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत इन उचित दर की दुकानों के कार्य करने के तरीकों पर निगरानी की जाती है? उपभोक्ताओं द्वारा इन उचित दर की दुकानों के कार्य को नियंत्रित करने में क्या भूमिका निभायी जाती है? यहां बांटे गये पर्चों में यह कहा गया है कि विभिन्न राज्यों में सलाहकार और सतर्कता समितियां स्थापित की गयीं हैं। परन्तु जब मैं अपने राज्य केरल की बात करता हूं तो यह कहा जाता है कि सतर्कता समितियां राज्य, जिला, तालुक और पंचायत स्तर पर बनाई गयी हैं। परन्तु मैं जानता हूं कि कम-से-कम जिला स्तर पर, या तालुक स्तर पर और पंचायत स्तर पर ऐसी कोई प्रभावी सतर्कता समिति नहीं है। यह बिल्कुल भी प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रही है। यदि केरल राज्य में, जहां हमारी एक अच्छी और प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इस प्रकार की स्थिति है तो मैं नहीं जानता कि अन्य राज्यों में क्या स्थिति होगी।

इसी तरह, यदि आप यह देखें कि क्या-क्या वस्तुएं वितरित की जाती हैं तो आप यह पायेंगे कि ये अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं। पश्चिम बंगाल में 18 मदें हैं। केरल में 6 मदें हैं। हिमाचल प्रदेश में 50 मदें हैं। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि सभी आवश्यक वस्तुयें जिनकी आम आदमी को जरूरत है। इन उचित दर की दुकानों द्वारा वितरित की जानी चाहिए।

इसी तरह से यह कहा गया है कि 1979 में वहां 2.39 लाख उचित दर की दुकानें थी। अब इनकी संख्या बढ़कर 3.2 लाख हो गयीं हैं। उचित दर की दुकानों में हुई यह बढ़ोत्तरी वास्तव में कहां गयी है? मैं समझता हूं कि ज्यादा उचित दर की दुकानें शहरी क्षेत्रों में खुलीं है न कि ग्रामीण क्षेत्रों में। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मछुआरों के गांवों में हरिजनों और गिरिजन क्षेत्रों में उचित दर की दुकानें खोली जानी चाहिए।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर विचार किया जाना चाहिए, वह उपभोक्ता सहकारी समितियों की भूमिका से सम्बन्धित है। बहुत ही कम उचित दर की दुकानें उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। जब तक कम से कम 50% तक उचित दर की दुकानें उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा नियंत्रित नहीं की जातीं तब तक बिचौलियों द्वारा लोगों को धोखा दिया जाता रहेगा। विभिन्न एजेन्सियां जो कि आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी, भंडारण और वितरण करती हैं, के मध्य प्रभावी रूप से समन्वय होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रो में हमारे यहां नागरिक आपूर्ति निगम है। परन्तु यह कहते हुए मुझे बहुत खेद है कि समस्त देश के केवल 12 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में केवल दिल्ली ही ऐसा क्षेत्र है जहां प्रभावी नागरिक आपूर्ति निगम हैं। हमें ग्रामवासियों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए गाड़ियों में चलती-फिरती दुकानों का प्रयोग करना चाहिए।

[प्रो० के० वी० थामस]

हम देखते हैं कि लगभग सभी विज्ञापन भ्रामक हैं। उदाहरण के लिए शिशु आहार के विज्ञापनों को ही देखिए। ये विज्ञापन बच्चे को मां के दूध से वंचित रखने के कारणों में से एक हैं। आपको इन भ्रामक विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम बनाने चाहिए।

समुचित तौल और माप को सुनिश्चित करने से सम्बन्धित क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। यह कहा गया है कि माप-तौल में एक प्रतिशत की चूक से किसानों और उपभोक्ताओं को पांच सालों में 1500 रुपये का नुकसान होता है। यदि हम इन माप और तौल की अनियमितताओं को रोकने का प्रयास करेंगे तो हमें बहुत आश्चर्यजनक आंकड़े मिलेंगे। बहुत सी चीजों का भार उनके तले को घिस कर या बाटों के नीचे छेद करके कम किया जाता है। इसी प्रकार कुछ रद्दी माल के व्यापारी जो पुराने अखबार और अन्य वस्तुयें खरीदते हैं, बाटों में शीशा भरकर भार बढ़ा देते हैं और उपभोक्ता को धोखा देते हैं। हमारे यहां तौल और माप की इन अनियमितताओं को रोकने के कोई कारगर उपाय नहीं हैं। कुछ निरीक्षक हैं परन्तु उनका कार्य प्रभावी नहीं है। (**व्यवधान**)।

जहां तक मिलावट का सम्बन्ध है यह हमारे देश में एक आम कला और उन्मत विज्ञान के रूप में है। यदि आप एक किलो चावल खरीदते हैं तो इसमें निश्चित रूप से 100 ग्राम कंकड़-पत्थर होंगे। यदि आप चीनी खरीदें तो इसमें रवा मिला होता है। यदि आप काली मिर्च खरीदें तो इसमें लकड़ी की कतरनें मिली होंगी। यदि आप हल्दी खरीदें तो इसमें एक क्रोमेट नाम का खराब जहरीला पदार्थ मिला होता है। इसलिए यह एक कला बन गयी है। और क्या प्रभावी उपाय किये गये हैं? निरीक्षक को जो कि खाद्य पदार्थों का निरीक्षण करने जा रहा है, दुकानदारों को कहना चाहिए कि "मैं आपकी दुकान और खाद्य पदार्थों का निरीक्षण करने आ रहा हूं, मैं अमुक समय पर आऊंगा।" क्या ऐसा कोई दुकानदार है जो इस प्रकार से निरीक्षक का इन्तजार करेगा? मुझे बताया गया है कि दिल्ली में दुकानदार निरीक्षक की गाड़ी को जिसमें वह आता है पहचानते हैं। इन सभी पदार्थों के विश्लेषण का कार्य स्वयंसेवी संगठनों को दे दिया जाना चाहिए। निःसंदेह मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनकी जांच ही अन्तिम होनी चाहिए। परन्तु स्वयंसेवी संगठनों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कहा जा सकता है। अब इससे किसका नुकसान होता है? इसमें उपभोक्ता का नुकसान है। इसके लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए ताकि उपभोक्ता को या तो निर्माता या व्यापारी द्वारा मुआवजा दिया जाये। आखिर उपभोक्ता ही ऐसा आदमी है जो नुकसान उठाता है। इसलिए उपभोक्ता, जिसे खाद्य पदार्थों में मिलावट या आवश्यक वस्तुओं में मिलावट से नुकसान उठाना पड़ता है, को ही मुआवजा दिया जाना चाहिए।

दूसरी महत्वपूर्ण बात आवश्यक शिक्षा और प्रचार के बारे में है। आम आदमी को यह पता नहीं होता कि इसके लिए उसे कहां जाना है। गांवों में जब आवश्यक वस्तुयें मापी जाती हैं तो उसमें शिकायत हो सकती है। परन्तु आम आदमी कहां जायेगा, किसान कहां जायेगा? और वह कौन व्यक्ति है जो इतना धन एकत्र करता है? जो व्यापारी मिठाई बेचते हैं, उन्हें ही देखिए। हम क्या देखते हैं कि ये मिठाइयां किसी गत्ते के डिब्बे में रखी जाती हैं और डिब्बे सहित ही तोली जाती हैं जिसका वजन कम-से-कम 100 ग्राम होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि मिठाइयों

की कीमत 10 रुपये है तो यह व्यक्ति कम-से-कम 30 से 40 रुपये प्राप्त करता है। इसलिए मिठाई बेचने वाले लोग जो कि 50 से 100 किलो ग्राम के लगभग बेचते हैं, कम-से-कम 100 रुपये से 150 रुपये तक कुल मुनाफा कमाते हैं। यह बड़ी धनराशि है। आप उन्हें क्या दण्ड देंगे ? आप उन्हें पहली बार पकड़े जाने पर अधिकतम 5000 रुपये का जुर्माना दण्ड स्वरूप देंगे। और यदि आप उसे दूसरी बार पकड़ते हैं तो 5000 रुपये के जुर्माने का दण्ड और 5 वर्ष की कैद की सजा देंगे। मैं कैद के बारे में नहीं कह रहा हूं। यह दण्ड कभी कभी दिया जाता है। न्यायिक प्रक्रिया में कई वर्ष लग जाते हैं। जो मामले हो चुके हैं, उन्हें ही देखिए। इसलिए लोगों को जो कानून को नजरों से बचाना चाहते हैं आसानी हो जाती है। क्योकि बचने के बहुत से रास्ते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कानूनी प्रक्रिया को सख्त किया जाना चाहिए और विशेष अदालतों की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कि मिलावट करने वालों से सख्ती से निपटा जा सके और तुरंत पकड़ा जा सके। आम आदमी तथा हमारे सामाजिक संगठनों को मिलावट के मामलों से अच्छी तरह निपटने की अनुमति दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदया, मैं फूड एण्ड सिविल सप्लाइज मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और इस से सम्बन्धित कुछ मुख्य बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। अभी कुछ समय पहले हमारे मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के एक भाई बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे यहां जिस साल फूडग्रेन्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है तो उसका श्रेय सरकार लेना चाहती है और कहती है कि यह हमने किया परन्तु जिस वर्ष फूडग्रेन्स का प्रोडक्शन कम होता है तो कह दिया जाता है कि मौसम प्रतिकूल था और इसीलिए प्रोडक्शन कम हुआ। दरअसल में, यह बात सही नहीं है। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट ने कुछ इस तरीके की कारगुजारी की है जिसकी वजह से हमारे देश में उत्पादन बढ़ा है। यदि आप आजादी के बाद उत्पादन में हुई वृद्धि को देखें तो उस समय के मुकाबले आज हम तिगुना उत्पादन कर रहे हैं। यह ग्रीन रिवोल्यूशन यूं ही नहीं आ गया या हमारे मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के बयानों की वजह से ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं आ गया बल्कि कृषि विभाग की कारगुजारियों की वजह से उसमें वृद्धि हुई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : राजस्थान में क्या हुआ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : राजस्थान में भी प्रोडक्शन बढ़ा है। यदि वहां राजस्थान कैनाल का काम पूरा हो जाए तो निश्चित रूप से राजस्थान में ग्रीन रिवोल्यूशन आ जाएगा। किसी एक अनाज का ही उत्पादन हमारे देश में नहीं बढ़ा है, बल्कि गेहूं, चावल या जितने दूसरे अनाज हैं, सब की पैदावार बढ़ी है परन्तु यह बात सही है कि जितना हमारे यहां गेहूं का उत्पादन बढ़ा, उस अनुपात में चावल का उत्पादन नहीं बढ़ा और उसके लिए आवश्यकता है कोशिश करने की, ताकि चावल का उत्पादन भी हम उसी तरह बढ़ा सकें। यहां हमारे कई नेता बैठे हुए हैं, उनके साथ कई दूसरे भाइयों ने भी कहा कि हमने अपने यहां पटसन का उत्पादन बढ़ाया है, टी का उत्पादन बढ़ाया है। चूंकि हम फौरेन एक्सचेंज कमाते हैं इसलिए हमें अनाज की पैदावार को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह उनकी गलत-बयानी है। पूरे बंगाल में कितने करोड़

[श्री गिरधारीलाल व्यास]

लोग रहते हैं, यदि वे केवल पटसन और टी के उत्पादन पर ही जोर देंगे तो वहां के लोगों को क्या खिलायेंगे। यह जिम्मेदारी सारे देश के लोगों की है कि हर चीज़ का उत्पादन बढ़े और इसमें वैस्ट बगाल के लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी दूसरे प्रान्तों की है या हरियाणा और पंजाब की है। उनको भी इसी तरीके से कोशिश करनी चाहिए जैसे दूसरे करते हैं यह नहीं कि बदनामी का ठोकरा भारत सरकार के माथे पर कस दिया और अपने आप फ्री हो गए। फिर मांग बहुत करते हैं जब कि कमाते कुछ भी नहीं। न राइस का प्रोडक्शन करते हैं और न व्हीट का प्रोडक्शन करते हैं बल्कि कहते हैं कि हमें इतना गेहूं दो और इतना चावल दो, इतनी शुगर मिलनी चाहिए। यदि नहीं मिलता है तो सरकार को कोसते हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री, राव बीरेन्द्र सिंह ने बताया था कि पश्चिमी बंगाल सरकार की हालत क्या है। हम उनको जितनी एलॉटमैंट करते हैं उसको वे उठाते तक नहीं। वह सारा अनाज पड़ा रहता है। जब आपकी सरकार की यह हालत है तो आप केन्द्रीय सरकार को किसलिए दोष देते हो। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब गलत बातें उन्होंने बोलीं तभी तो हट गए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मिनिस्टर लोग तो आते-जाते रहते हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। यह कोई परमानेंट जगह नहीं है बल्कि जो व्यक्ति प्रधान मंत्री जी को ठीक जंचता है, उसको रख लेते हैं, जो ठीक नहीं जंचता है उसको नहीं रखते हैं और मिनिस्टरों का तो बदलते रहना ही अच्छा रहता है। उसमें कोई खराबी नहीं है।

इसलिए सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मोटे तौर से इसमें हमारे एफ०सी०आई० का नुकसान हो रहा है। मैं यहां केवल एक ही प्वाइंट कहूंगा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और मुझे पता है कि आप भी जल्दी से घण्टी बजा देंगी, क्योंकि यह बहुत बड़ा मामला है जिस को आप हजारों करोड़ रुपया सब्सिडी देते हैं। कन्ज्यूमर्स से कितना पैसा किस तरह से लेते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपने अब की बार 5 रु० गेहूं की कीमत बढ़ा दी। चावल का भी थोड़ा सा बढ़ा दिया है, लेकिन जो बेचने की प्राइस, इश्यू प्राइस है, वह आपने कितनी बढ़ाई है ? क्या एफ०सी०आई० का जितना लॉस है, वह इन्हीं के मत्थे है ? उसके बाद भी आप दो हजार करोड़ रुपया सबसिडी देते हैं। मगर जो ये घोटाले एफ०सी०आई० के अंदर चल रहे हैं, उनकी तरफ तवज्जुह देने की बहुत जरूरत है।

आप डिपार्टमेंट और कांट्रेक्ट वर्कर्स और लेबर्स में फर्क देखिए। आपकी एक कल्याणी डिपो, वेस्ट बंगाल में है। वहां पर डिपार्टमेंटल लोग काम करते हैं। वहां पर ट्रांजिट में, स्टोरेज में और वेमेंट में कितने लोसेस हैं और कितना प्रॉफिट है, यह देखिए और जहां पर आपकी कांट्रेक्ट लेबर काम कर रही है, वहां पर देखिए कि कितना ज्यादा लॉस ट्रांजिट, स्टोरेज और वेमेंट के अन्दर है। अगर इन दोनों की आप तुलना करेंगे, तो आप पायेंगे कि जहां आपके डिपार्टमेंट वर्कर्स काम करते है वहां लॉस बहुत कम है और जहां पर आपके कांट्रेक्टर्स हैं वहां पर ट्रांजिट, स्टोरेज, वेइंग में बहुत ज्यादा लॉस होता है फ्राडुलेण्ट केसेस भी बहुत ज्यादा हैं। बेईमानी भी बहुत होती है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप सबसे पहला काम तो करिये कि

कांट्रेक्ट लेबर सिस्टम को समाप्त करिए और सब जगह डिपार्टमेंटल वर्कर्स की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि कांट्रेक्टर जहां भी फसेगा वह बेईमानी करेगा और अफसरों को भी बेइमान बनाएगा। उनको परसेंटेज देगा, उनको कमीशन देगा और इस प्रकार से धांधली और चोरी करेगा जिससे लॉस ही होगा। इसलिए इस व्यवस्था को आप माकूल बनाइए। आज सरकार को दो हजार करोड़ रुपये की सबसिडी देनी पड़ रही है, यदि यह व्यवस्था माकूल हो गई, तो वह सबसिडी भी नहीं देनी पड़ेगी और लोगों को काम मिलेगा, उनका लाभ होगा, वे आपको दुआएं देंगे। जो मजदूर आज मारे-मारे फिर रहे हैं, उनको इससे काम मिलेगा। इस प्रकार से बेकारी की समस्या को समाप्त करने में भी थोड़ा प्रयास हो सकेगा। क्योंकि आज कांट्रेक्टर लेबर को पूरा पैसा नहीं देता है, वह उसके पैसे को खा जाता है और बेइमानी लेबर को करनी पड़ती है। इस हालत से उसको मुक्त कीजिए। वह गरीब मजदूर आपको दुआएं देगा। इस व्यवस्था को आप अवश्य बनाइए ताकि देश का और आपका ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके।

[अनुवाद]

"यह माना गया है कि भारतीय खाद्य निगम प्रत्येक वर्ष भंडारण तथा ढुलाई घाटों के कारण भारी वित्तीय नुकसान दिखा रहा है और इसे एक साधारण घाटे के रूप में स्वीकार किया गया है। किन्तु दुर्भाग्यवश वास्तव में ऐसा नहीं है। और ढुलाई घाटे तथा भंडारण घाटे की शब्दावली नकली है। सच्चाई यह है कि ढुलाई और भंडारण घाटे के बहाने विभिन्न राज्यों में भारतीय खाद्य निगम के भिन्न-भिन्न भंडारों से इसके भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा भारी मात्रा में खाद्यान्न खुले बाजार में बेचा जा रहा है।"

इस प्रकार के हालात हैं। जो एफ०सी०आई० के कर्मचारी और अधिकारी हैं, वे इन ट्रांजिट, स्टोरेज के लॉसेस में दिखाए गए माल को इस प्रकार से बेच करके लाखों रुपये का घोटाला अलग-अलग तरीके से कर रहे हैं। कोई कांट्रेक्टर के जरिए से ट्रक के अंदर कम माल भरकर और पूरा दिखाकर बेच रहा है, तो कोई और किसी जरिए से बेच रहा है। इस प्रकार से आपको पता लग जाएगा कि कितना घोटाला ये लोग इस एफ०सी०आई० के अंदर कर रहे हैं। इसको आप अब तक नहीं रोक पाए हैं। पिछले मंत्री महोदय ने, जिनके लिए ये कह रहे हैं कि वे चले गए, उन्होंने भी हमारे निवेदन करने के उपरान्त यह कहा था कि नहीं ऐसा एफ०सी०आई० में नहीं है, एफ०सी०आई० के अफसर तो बहुत ईमानदार और दूध के धुले हुए हैं। उन्होंने कहा था कि नहीं, इस प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है।

श्री पी० शिवशंकर : हम एक्शन ले रहे हैं। अगर कोई स्पेसिफिक केस हो, तो आप हमें बताइए ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : बहुत सारे स्पेसिफिक केसेस हैं।

[अनुवाद]

श्री पी० शिवशंकर : विशेष मामला।

सभापति महोदय : कृपया कागजात आगे बढ़ायें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : दस पृष्ठ ।

श्री पी० शिवशंकर : उन्होंने आपसे परामर्श किया है ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : दूसरा मेरा निवेदन वेमेंट के बारे में है । जो वेमेंट की जाती है, ट्रक लोड किया जाता है, उसके बारे भी आपको खास ध्यान देने की आवश्यकता है ।

[अनुवाद]

> " ···भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ढुलाई तथा भण्डारण में इस हद तक हुए नुकसान की तथा उसके बाद खाद्यान्न बोरियों को प्राप्त करते समय उनके तोल में 10% की चली आ रही प्रथा की बिल्कुल उपेक्षा की गई है ।"

[हिन्दी]

यानी आपके यहां कायदा है कि 10 परसेंट वैग्ज को वे (तोल) करके मालूम करते हैं कि वेमैंट पूरा है या नहीं है । आजकल जहां कांट्रेक्ट लेबर काम करता है, वहां वेमैंट ही नहीं होता । उनको भी साथ में मिला लिया जाता है और उनकी मर्जी पर छोड़ दिया जाता है । सारा का सारा वेमैंट के वगैर, 100 की जगह 200 रख दो, 500 रख दो, इसकी किसी को चिंता नहीं है, क्योंकि अरबों खरबों का माल है, अगर थोड़ा बहुत चला भी जाये तो किसी को इस बात की चिन्ता नहीं । इस बात का ख्याल रखना चाहिए ।

आपके यहां कायदा है कि 2 परसेंट कमी होती है, लासेज होते हैं । यह एक मामूली बात है, रोजमर्रा की बात है, लेकिन अगर आप जांच करायेंगे को 3 परसेंट का लास हुआ है, इसमें एक परसेंट ज्यादा लास हुआ है । आप जांच करायें कि यह 3 परसेंट लास क्यों हुआ और किस की वजह से हुआ ? इस पर खास ध्यान रखने की आवश्यकता है ।

आपने मंत्री महोदय कहा था, इस लिए मैं स्पैसेफिक बात बताता हूं । बिहार में

[अनुवाद]

> "बिहार में वालुई गुलबाग में भारतीय खाद्य निगम के सहायक अधीक्षक खाद्यान्नों की बिक्री करता रहा है············

[हिन्दी]

श्री पी० शिवशंकर : व्यास जी, मेरी गुजारिश है कि आप यह इंस्टासेज मेरे पास पहुंचा दीजिए । मैं इन्वैस्टीगेज कराऊंगा और ईन्क्वायरी कराकर आपको जबाव भी दे दूंगा ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : ठीक है, लेकिन क्या इसको यहां नहीं बताना है ?

श्री पी० शिवशंकर: वह आदमी यहां है नहीं।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: कृपया वो कागजात आप इन्हें दे दें। वे इन्हें देखेंगे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास: एक तो बिहार के डिपो में गड़बड़ है और वहां पर 70 ट्रक फूडग्रेन्स के कांट्रेक्टर के जरिये यों ही भरवा दिये गये।

मुंगेर बिहार में है, वहां पर

[अनुवाद]

"ऐसा सुना गया है कि कथित डिपो के सहायक डिपो अधीक्षक ने खुद के फायदे के लिये 25-2-86 को डिपो से चीनी की 130 बोरियां बाहरी पार्टियों को बेच दी हैं।"

[हिन्दी]

गोपालगंज में एफ०सी०आई० के डिपो के अन्दर फूडग्रेन्स को बेच दिया।

[अनुवाद]

"यहां पर यह बताया जा सकता है कि गोपाल गंज में भारतीय खाद्य निगम के सहायक डिपो अधीक्षक द्वारा जारी किये गये आदेशों के बावजूद·········

[हिन्दी]

इस अधिकारी का 4 बार ट्रांसफर हुआ लेकिन उसके बावजूद भी कुछ न कुछ कह-सुनकर, दे-लेकर वापिस आ जाता है। इस आदमी ने लाखों रुपये की प्रापर्टी, जमीन-जायदाद और बंगले वहां पर बना लिये हैं जो कि उसके हिसाब से बहुत ज्यादा हैं। क्या आप इसकी जांच करायेंगे कि इस अधिकारी ने कहां से पैसा कमाया? इस तरह के अधिकारी के खिलाफ जब तक कार्यवाही नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। हालांकि कुछ कार्यवाही भारत सरकार ने की है, बहुत से अधिकारियों के यहां छापे मारे हैं, लेकिन इन एफ०सी०आई० के अधिकारियों के यहां छापे नहीं मारे गये हैं।

श्री पी० शिवशंकर: हाल में ही आपने पढ़ा होगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास: अगर छापे पड़े हैं तो अच्छी बात है। मेरा कहना यह है कि इन तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये ताकि फूडग्रेन में जो बेईमानी कर रहे हैं, उसमें गड़गड़ ठीक हो जाये।

इसी तरीके से जहां जहां आपका स्टाफ 10-10, 12-12 और 15-15 साल से बैठा हुआ

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

है, उन अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आपको तबदील करना चाहिये। क्योंकि ये लोग वहां के व्यापारियों से मिक्स-अप हो जाते हैं, उनसे कमीशन लेते हैं, कांट्रेक्टर्स से कमीशन लेते हैं और इस तरह से बहुत बड़ा मुनाफा ये कमाते हैं। जहां जहां 12—12 साल से अधिकारी और कर्मचारी बैठे हुए हैं उनकी प्रापर्टी की आप जांच करायें तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनकी प्रापर्टी कितनी बढ़ गई है। इससे आपको पता लगेगा कि एफ०सी०आई० में किस तरह से घुन लगा हुआ है और किस तरह से ये लोग एफ०सी०आई० को खा रहे हैं। इनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करने की जरूरत है।

हमारे साथी कह रहे हैं कि जितना अन्न का उत्पादन हुआ है, उससे कहीं ज्यादा इनकी आय बढ़ी है। उत्पादन तो 3 गुना ही बढ़ा है, लेकिन इन लोगों की आमदनी 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है।

श्री रणबीर सिंह : मंत्री जी, स्पैसेफिक केसेज आपके पास बहुत पहुंच चुके हैं, और केसेज भेजने से क्या होगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : एक हीराकुड का डिपो है, वहां पर क्या होता है? वहां पर घटिया टाइप का चावल अच्छे चावल में मिला दिया जाता है। जो थोड़े दिन के बाद बर्बाद हो जाता है, उसका वेट भी ज्यादा होता है। अच्छे चावल में उसको मिलाकर लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, बाद में वह चूरा-चूरा हो जाता है और सारा चावल बेकार हो जाता है।

हीराकुड में इस तरह से मिक्सिग होता है और लाखों रुपये की वहां पर कांट्रेक्टर्स और आफिसर्स की कमाई है। उनके खिलाफ आप जांच करा के कार्यवाही करेंगे तो निश्चित तरीके से आपको मालूम पड़ेगा कि एफ०सी०आई० में किस प्रकार से लोग गड़बड़ कर रहे हैं।

3.00 म०प०

इस तरह से बहुत से मामले हैं जिनको आपको देखना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। वैस्ट बंगाल में सामान रखने का गोदाम पुराना होकर बरबाद हो गया। इस कारण उसको हटाने की बात हुई। वहां पर करीब 14 लाख रुपये का सामान था जो कि केवल 4 लाख रुपये में बेच दिया।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : किसने वह सामान बेचा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : एफ०सी०आई० वालों ने बेच दिया। वैसे भी यह वैस्ट बंगाल का मामला है। इस कारण आप इसे अच्छी तरह से जानते होंगे।

सभापति महोदया, इस तरीके का गड़बड़ घोटाला किया जाता है। आप इसको जरूर देखें।

[अनुवाद]

"खालीघाट भारतीय खाद्य निगम रेलवे साईडिंग (प० बंगाल) में ठेकेदार संबंधित ट्रक की पूर्ण मात्रा की प्राप्ति की रसीद लेकर प्रत्येक खाद्यान्न से भरे हुए ट्रक से 50 क्विंटल खाद्यान्न उतार लेता है। यह मामला भारतीय खाद्य निगम कलकत्ता के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक के ध्यान में लाया गया था किन्तु अभी तक इसका कोई भी परिणाम सामने नहीं आया है..."

[हिन्दी]

इससे आपको पता चल सकता है कि कितनी अधिक मात्रा में माल निकाल लिया जाता है। इस पर भी आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए। मैं आपको एक और उदाहरण दूं।

[अनुवाद]

"यह सूचना दी गई है कि भारतीय खाद्य निगम एफ०एस०डी०, डिक्काम (असम) से 28-2-1986 को किसी बाहरी व्यक्ति को खाद्यान्न का एक ट्रक बेच दिया गया था। किन्तु डिपो के श्रमिकों ने इस ट्रक को पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया........"

[हिन्दी]

पुलिस अधिकारी, सरकारी अफसर और एफ०सी०आई० के लोगों ने मिलकर यह गड़बड़ की, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। इस तरह के हालात हों तो आपको उस पर अवश्य गंभीरता से विचार करना चाहिए।

[अनुवाद]

"यह पता चला है कि हाल ही में भारतीय खाद्य निगम के स्थानीय कर्मचारियों का एक दल उड़ीसा में इसके खुरदा एफ०एस०डी० डिपो का निरीक्षण करने के लिए गया था। किन्तु कथित दल ने इस डिपो के उन कर्मचारियों से अनुचित लाभ स्वीकार किया है जो इस डिपो के खाद्यान्नों को हड़पने के संलिप्त हैं और जिन्होंने स्टाफ का वास्तविक निरीक्षण किए बगैर नाममात्र औपचारिक निरीक्षण पूरा कर दिया है।"...

[हिन्दी]

इस प्रकार से वैरिफिकेशन के मामले में गड़बड़ है। जो अधिकारी लोग जाते हैं वह सामान की वैरिफिकेशन नहीं करते हैं। झूठ-सच लिखकर भेज देते हैं। ऊपर से नीचे तक सब लोग उसमें मिले हुए हैं और सब उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं।

जब कोई सामान पंजाब, असम, बंगाल या कहीं और जाता है तो वैदर के हिसाब से उसका वजन बढ़ जाता है। आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग कह देते हैं कि लॉस हो गया है। वह लॉस नहीं होता है बल्कि सामान एक्सैस हो जाता है। फिर उस एक्सैस सामान को

[श्री गिरिधारी लाल व्यास]

वह अलग से बेच देते हैं और वह पैसा खुद खा जाते हैं। इस पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। आप यह सब जानकारी नहीं कर पाते हैं, मगर हमारे ट्रेड यूनियन के लोगों ने हमको यह जानकारी दी है।

आपको यह भी पता होगा कि कांट्रैक्ट लेबर को रखने का क्या फायदा है और डिपार्टमेंट के लोगों को रखने का क्या फायदा है। आपके अधिकारी लोग बताते हैं कि सरकारीकरण करने में बहुत नुकसान होगा और कांट्रैक्ट लेबर रखने से सरकार को फायदा नहीं होगा।

[अनुवाद]

"भारतीय खाद्य निगम का प्रशासन यह मिथ्या प्रचार करता रहा है कि खाद्यान्नों को विभाग द्वारा संभालने का खर्च ठेकेदारी श्रम के तहत हो रहे खर्च की तुलना में अधिक होगा। किन्तु हमारे अनुसार स्थिति बिल्कुल इसके उल्ट है। मैं यहां पश्चिमी बंगाल में एफ०सी०डी० गोदामों से सम्बन्धित एक विवरण पेश कर रहा हूं जो स्थिति को स्पष्ट करेगा : ठेकेदारी श्रम के अन्तर्गत गोदामों में भंडारण तथा ढुलाई नुकसान प्रति मीट्रिक टन 74 रुपये 24 पैसे है। जबकि विभागीय गोदामों में यह नुकसान 29 रुपए 63 पैसे है। और विभागीय गोदामों में खाद्यान्नों को संभालने की लागत प्रति 100 बोरियों पर 50 रुपए है जबकि ठेकेदारी श्रम के गोदामों में यह लागत प्रति 100 बोरी 70 रुपए 80 पैसे है। इस प्रकार वह देखा गया है कि विभागीय गोदामों में खाद्यान्नों के भंडारण एवं ढुलाई और संभाल के नुकसान पर क्रमशः प्रति मीट्रिक टन 20 रुपए 80 पैसे और प्रति 100 बोरियों पर 34 रुपए 61 पैसे शुद्ध बचत है।"

[हिन्दी]

इस तरीके से आप सारे लेबर को डिपार्टमेंटलाइज कर दीजिए तो एफ०सी०आई का यह सारा काम ठीक हो जायगा और सारी चोरियां बन्द हो जाएंगी। आपका हजारों करोड़ रुपया जो नुकसान हो रहा है वह नुकसान नहीं होगा और ये जो आप के अधिकारी वहां बैठकर यह सारा रुपया खा रहे हैं वह बन्द हो जाएगा। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वह जांच कराएंगे तो ये पेपर्स उनके पास भेज रहा हूं ताकि वह ठीक तरह से इस की जांच कराएं।

इन शब्दों के साथ में आप की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदय, मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं। जो रिपोर्ट हमें मिली है, उसमें यह कहा गया है कि हमारी खाद्यान्न भण्डारण की स्थिति बहुत संतोषजनक है।

3.08 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

श्रीमान्, मैं माननीय मंत्री से हमारे देश में खाद्यान्नों की मांग के बारे में जानना चाहता

हूं। इस सदन में 7 मार्च 1978 को एक तारांकित प्रश्न का उत्तर दिया गया था। यह भारत में खाद्यान्नों के कुल वार्षिक उत्पादन तथा कुल वार्षिक मांग से सम्बन्धित है। उत्तर इस प्रकार है :

> "देश में खाद्यान्नों की मांग भिन्न-भिन्न तत्वों पर निर्भर करती है जैसे जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण की सीमा, आपके स्तर, वैकल्पिक खाद्यान्नों की कीमतें, इत्यादि। देश में खाद्यान्नों के कुल उपभोग और मांग के बारे में निश्चित अनुमान उपलब्ध नहीं है।"

आप हमारी मांग के बारे में नहीं जानते, किन्तु इसके साथ-साथ यह कहते हैं कि हम आत्म-निर्भर हैं, जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध हैं हमारी स्थिति संतोषजनक है और हम निर्यात करने की स्थिति में भी है। मैं मानता हूं कि यह सच है कि आपके सारे गोदाम खाद्यान्नों से भरे हुए हैं। किंतु असलीयत क्या है ? यह बात जरूरी है। यह सभी जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 40 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे है; और सरकार के द्वारा दिया गया आंकड़ा भी 40 प्रतिशत का ही है। माननीय मंत्री इसका जवाब दें कि हमारे देश में कितने लोगों को दो वक्त का भोजन मिलता है। क्या आप सोचते हैं कि यदि प्रत्येक व्यक्ति को मेरी तरह या श्री शिव शंकर या श्री पांजा की तरह भोजन करना पड़े तो जो उत्पादन हम कर रहे हैं वह सम्पूर्ण जन-संख्या के लिए पर्याप्त है। हम, संसद के सदस्य, दिन में दो बार भोजन करते हैं। लेकिन कितने लोगों को यह नही मिलता है ? मेरे से ज्यादा, श्री शिव शंकर इस बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जब ऐसी स्थिति है तो आपने इसके लिए क्या किया है ? आपके पास खाद्यान्नों का भंडार क्यों है ? यह इसलिए है क्योंकि लोगों के पास क्रय-शक्ति नहीं है। अगर आप उनको क्रय-शक्ति प्रदान करते हैं तो आपके पास भंडारित अनाज का एक भी दाना नहीं बचेगा।

अब जनसंख्या 80 करोड़ है और यह परिवार नियोजन प्रचार के बावजूद बढ़ रही है। इसलिए यह कहना गलत है कि भारतीय खाद्य निगम के भंडार में वृद्धि हो रही है। निस्सन्देह, आंकड़े यह दर्शाते हैं कि खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ रहा है। पिछले 10-15 सालों से खाद्यान्न उत्पादन में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; किन्तु इसके साथ-साथ जनसंख्या भी बढ़ रही है और लोगों की क्रय शक्ति कम हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी यह कम हुई है।

आगे, आप आग में घी डालने वाला कार्य कर रहे हैं। आपने इसके लिए क्या किया है ? बजट वाले दिन आपने क्या किया है ? खाद्यान्नों की सरकारी कीमतें बढ़ाना सरकार के लिए शर्मनाक है। खरीद मूल्य देने के नाम पर आपने चावल की 14 रुपए तथा गेहूं की 10 रुपए प्रति क्विंटल निर्गम कीमतें बढ़ा दी हैं। उत्पादकों को आपने क्या दिया है ? आप सिर्फ 5 रुपए दे रहे हैं। इसलिए, मुझे कहना चाहिए कि आपने लोगों के साथ धोखा किया है।

संशोधन से पहले की कीमतों पर भी वे खाद्यान्न खरीदने के योग्य नहीं थे। फिर, आप कैसे यह अपेक्षा करते हैं कि निर्गम कीमतों की बढ़ौतरी के बाद वे इन पदार्थों को खरीद सकेंगे ? यह उन गरीब लोगों के लिए और भी अधिक मुश्किल है जिनकी आमदनी सीमित होती है। मैंने कई बार इस सदन में यह कहा है और कई माननीय सदस्य उससे अवगत हैं कि इस बजट के

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

बाद, विशेषतया पेट्रोलियम पदार्थों तथा खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि के बाद, एक मध्यम वर्गीय परिवार के बजट में खासतौर पर बंगलौर जैसी जगह पर, प्रति मास का खर्चा कम से कम एक सौ रुपए बढ़ गया है। और वह भी हल्के स्तर पर। दिल्ली में यह और भी ज्यादा है क्योंकि दिल्ली परिवहन निगम के भाड़े में 100 से 150 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

इस प्रकार, मैं नहीं समझता कि हमारी सरकार विश्व भर में कैसे यह गुहार मार रही है कि हमारी खाद्यान्न स्थिति बहुत संतोषजनक है और हमारे सभी लोग खुश हैं। अगर हम ऐसा कहते हैं तो यह अपने-आप को धोखा देना होगा। इसलिए, मैं माननीय खाद्य मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि वे इस दिशा में एक निर्भीक कदम उठाएं। मुझे यह जानकर बड़ा खेद हुआ कि उनके पास इस विभाग की अतिरिक्त जिम्मेवारी है; मैं चाहता हूं कि उनके पास यह स्थायी रूप से होता क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। निस्सन्देह उनके पास एक अच्छा सहायक भी है। कृपया यह ध्यान दें कि किसी भी हालत में भविष्य में खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि नहीं होगी। निस्सन्देह, आप सभी 80 करोड़ लोगों को 1800 रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दे रहे हैं। किन्तु गरीब लोगों को क्या दे रहे हो ? इसलिए मैं जोर देकर श्री शिव शंकर से अनुरोध करता हूं कि वे इस विषय पर ध्यान दें और यह देखें कि जो जन जातीय लोगों के संबंध में किया गया है—आप उनको बहुत कम कीमतों पर खाद्यान्न पदार्थ मुहैया करा रहे हैं—उसका विस्तार उन सभी लोगों तक होना चाहिए जो गरीबी रेखा से नीचे हैं।

इस सम्बन्ध में मैं इस सदन को यह सूचना देना चाहता हूं—वास्तव में, सदन इससे अवगत है—कि कर्नाटक सरकार लगभग 60 प्रतिशत लोगों को, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, 4 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल देती रही है। इसलिए भारत सरकार को भी एक सराहनीय कदम उठाना चाहिए और गरीबी की रेखा से नीचे सभी लोगों को एक विशेष कम कीमत पर खाद्यान्न मुहैया कराना चाहिए।

वितरण कीमतों की बढ़ोत्तरी से कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ? हम, भारत सरकार द्वारा चावल तथा गेहूं पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता के अतिरिक्त, 60 प्रतिशत लोगों को कम कीमतों पर भी खाद्यान्नों की आपूर्ति कर रहे हैं। निर्गम कीमतों में बढ़ोतरी तथा संशोधन के कारण, राज्यों की अर्थ-व्यवस्था, खासकर कर्नाटक की अर्थ-व्यवस्था पर प्रति वर्ष 30 से 35 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ा है।

जब आपने सरकारी कीमतें बढ़ाई तो राज्य सरकारों से इस मामले में परामर्श नहीं किया गया। आपने उनको विश्वास में नहीं लिया। इसी तरह तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इसलिए, मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। मुझे पक्का विश्वास है कि, श्री शिव शंकर यह देखने के लिए कुछ रचनात्मक कदम उठाएंगे कि जो कीमतें विशेष रूप से जन जातीय लोगों के लिए कम की गई हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी की जाएंगी।

महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में, मैं जानता हूं कि इस प्रणाली के अधीन उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए अर्थ-व्यवस्था के स्थायी अंग के रूप

में मान्यता दी गई हैं। पूरे देश में लगभग 3.00 लाख उचित दर दुकानें हैं। यदि आप अच्छी किस्म का अनाज उचित मूल्यों पर पाने में, लोगों की सहायता करना चाहते हैं तो आपको इस प्रणाली को शक्तिशाली बनाना चाहिए। किस्म और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास बहुत से नियम हैं दुर्भाग्य से राज्य सरकारें इन कानूनों को लागू नहीं कर रही हैं। हमारे यहाँ आवश्यक वस्तु अधिनियम और कालाबाजारी निवारण अधिनियम है परन्तु अब भी हम देखते हैं कि कालाबाजारी व सट्टेबाजी के बहुत से उदाहरण हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि कितने कालाबाजारी करने वाले व सट्टेबाजों के विरुद्ध, इन सभी वर्षों में कार्यवाही की गई है। आपको राज्यों के खाद्य मंत्रियों की एक बैठक बुलानी चाहिए और उन्हें यह बताना चाहिए कि काला-बाजारी व सट्टेबाजी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें।

मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक कानून है कि खाद्य वस्तुएं जब पैकटों में बेची जाती है तो कीमतें पैकट पर छपी हुई होती हैं। आप जानते हैं वे क्या करते हैं। वे कीमत छाप देते हैं और लिख देते हैं स्थानीय कर अतिरिक्त। ये स्थानीय कर 5 या 6 प्रतिशत हो सकते हैं परन्तु व्यापारी अधिक लेते हैं और उपभोक्ता का शोषण करते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि एक संशोधन होना चाहिए ताकि स्थानीय करों को भी छापा जा सके और यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसे हाथ से लिखा जा सकता है।

इससे आगे, महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की तरह ही उपभोक्ता सुरक्षा आन्दोलन भी महत्वपूर्ण है। सरकार इस आन्दोलन के लिए झूठी सहानुभूति प्रकट करती रही है। आपको राज्य सरकारों को कहना चाहिए कि उनके प्रत्येक जिले व तहसील में एक उपभोक्ता सुरक्षा आन्दोलन होना चाहिए। इसे अवश्य ही शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है वरना लोगों को धोखा दिया जायेगा। विशेषकर अनपढ़ व निर्दोष लोगों के साथ धोखा होता रहेगा।

अन्त में, मैं मिट्टी के तेल के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। मिट्टी का तेल एक बहुत ही आवश्यक वस्तु है जिनकी बिक्री राष्ट्रीयकृत है। आपको मिट्टी का तेल केवल उचित दर दुकान से ही मिल सकता है। आपको अन्य जगहों से यह नहीं मिल सकता। अन्य वस्तुओं के लिए दोहरी प्रणाली है परन्तु मिट्टी का तेल केवल उचित दर की दुकानों पर उपलब्ध है और यदि थोड़े समय के लिए भी पूर्ति नहीं की जाती तो समस्या खड़ी हो जाती है। मेरे चुनाव क्षेत्र में हमारा अनुभव है कि प्रायः मिट्टी के तेल की कमी रहती है। मैं मन्त्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि वे इसकी जांच करें कि मिट्टी का तेल राज्यों को काफी पहले मिल सके ताकि उपभोक्ताओं को एक मिनट के लिए भी असुविधा न हो।

इन शब्दों के साथ मुझे आशा है कि जब हम अगली रिपोर्ट पढ़ेंगे तो हमारे देश में खाद्यान्नों की स्थिति का असली चित्र हमारे सामने आयेगा।

सभापति महोदय : अब श्री राजकुमार राय......राय महोदय, आप जो आरोप लगाना चाहते हैं उनका पूरा उत्तरदायित्व आपको लेना होगा।

श्री राज कुमार राय (घोषी) : महोदय, सचिवालय ने कुछ आपत्तियां की हैं...

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको सन्देश का उल्लेख नहीं करना चाहिए।

श्री राज कुमार राय : जब कोई व्यक्ति सदन में कागजों को उद्धृत करता है तो वह उत्तरदायित्व भी लेता है।

सभापति महोदय : नियमानुसार आप नहीं कर सकते।

श्री राज कुमार राय : उन्होंने अपने सन्देश में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि सदन को कितने घण्टे पहले मुझे यह देना चाहिए था।

[हिन्दी]

अधिष्ठाता जी, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे फूड एण्ड सिविल सप्लाईज मिनस्ट्री की डिमाइन्ड्स पर बोलने का अवसर दिया। मैं उनका समर्थन करता हूं।

यह विभाग सामानों के रख-रखाव, उनके उधाने और उनके वितरण के लिए पूरा पूरा जिम्मेवार है और इसलिए इस देश के लोगों के जनजीवन में इसका बड़ा महत्व है। हमारे अन्नदाता किसान ने अथक परिश्रम के बाद और हमारी सरकार की अच्छी नीतियों के कारण हरित क्रान्ति को सफल बनाया है और इस देश में खाद्यान्न और दूसरी चीजों की पैदावार इतनी बढ़ी कि आज हम दुनियां के सामने सिर उठाकर खड़े हैं। हम सारे मामलों में सैल्फ सफीसियेंट हैं लेकिन मान्यवर, आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है लगभग पौने दो प्रतिशत के हिसाब से वह बढ़ रही है और हमारे नेता राजीव गांधी ने जिस साहस का परिचय दिया है कि दुनिया की दौड़ में 21 वीं शताब्दी में हम तेजी से जायेंगे, अनाज की पैदावार चाहे हम जितनी भी बढ़ा लें, अगर डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोक्योरमेंट सही नहीं हुआ, तो निश्चय ही 21 वीं शताब्दी में और दूसरी प्राब्लम्स का हमें सामना करना पड़ सकता है। मान्यवर, मैं अपने प्रबुद्ध मंत्री श्री पंजा से कई बार मिला और मुझे यह लगा कि वे सक्षम मंत्री हैं और उनमें बहुत साहस है। जो कुछ भी परिस्थितियां इस विभाग में है, उनसे संघर्ष करने का, उनका समाधान करने का और जनता तक बहुत सारी सहूलियतें पहुंचाने का उनमें साहस है।

मान्यवर, जब हम इस विभाग की बात करते हैं, तो सहज ही सबसे पहले हमारा दिमाग़ जाता है एफ०सी०आई० की ओर। एफ०सी०आई० एक ऐसा विभाग है, इतनी बड़ी एम्पायर है, इतनी पैंचदगियों और ऐसे लोगों से भरा पड़ा है कि उसके बारे में चाहे इस माननीय सदन में कितनी ही बहस कर लें और कितने भी सुझाव आएं और माननीय पंजा जी जैसे साहसी और सक्षम मंत्री क्यों न हों, लगता है कि उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, कोई शिकन पड़ने वाली नहीं है और उनकी सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आप मंत्री जी को चुनौती दे रहे हैं।

श्री राज कुमार राय : मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं, मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं और इसके पहले भी सुझाव दे चुका हूं और माननीय मंत्री श्री पी० शिव शंकर को भी सुझाव दे चुका हूं लेकिन मुझे दुःख है कि उनका बहुत असर नहीं पड़ सका है और परिस्थितियां जैसी की तैसी हैं।

मैं आपको बताऊं कि अभी एक मामला प्रकाश में आया था, जिसमें एक टी०एल० बली, भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ ने बहुत ही हिम्मत के साथ, एफ०सी०आई० के मिसमेनेजमेंट, करप्शन और कुछ अफ़सरों के बारे में सरकार को रिपोर्ट दी थी मेरे माध्यम से, पत्रों के माध्यम से और दूसरे माननीय सांसदों के माध्यम से, लेकिन उसमें हुआ क्या ? कहां तक उस मामले में जांच होती है ? उसमें कुछ नहीं हुआ। चार्जेज़ यों थे। कहा यह जा रहा था कि एफ०सी०आई में वाइन्स पर बैन है। शराब का खर्चा नही होगा क्योंकि सरकार 250 करोड़ रुपये, 200 करोड़ रुपये और 300 करोड़ रुपये सब्सीडाइज्ड करती है ताकि उपभोक्ताओं को सस्ते से सस्ता अनाज मिले फेयरप्राइस शाप्स से और दूसरे तरीकों से। इसलिए सरकार पब्लिक एक्सचेकर का इतना सारा रुपया, सब्सिडी के रूप में एफ०सी०आई० को देती है और उससे उम्मीद करती है कि वह नाजायज खर्चे शराब पर न करे, ढुलाई पर नाजायज खर्चे न करे। सरकार शराब पर प्रतिबंध और पाबंदी लगाती है जिससे कि भ्रष्टाचार कम हो, फिजूलखर्ची कम हो और कुछ खर्चों को रोका जाए। यह इसलिए करती है कि इसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। लेकिन इन फिजूल के खर्चों से सरकार को मजबूर हो कर दाम बढ़ाना पड़ता है और उससे उपभोक्ता रोता है क्योंकि उसकी रोटी पर चार्ज पड़ता है।

लेकिन मान्यवर, एफ०सी०आई० के ये अधिकारी जिनके बारे में मैंने अभी सदन में होटल कनिष्क का बिल दिया था, दूसरे होटल का, अशोक होटल का बिल दिया था जिनके अनुसार एफ०सी०आई० के अधिकारियों ने लाखों, हजारों की रकम शराब और होटलबाजी पर खर्च की। इस बात की सूचना दी गयी और इसका नतीजा यह हुआ कि जिसने यह सूचना दी थी वह पनिश हुआ, परेशान हुआ और वे अधिकारी मौज-मस्ती ले रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे हैं ये लोग, सदन में बहस करते हैं, उनके कहने का क्या होता है, बहस से आये और बहस करके चले गये और हम जैसे, जैसे के तैसे चलते रहेंगे। मान्यवर यह स्थिति है।

मान्यवर, हमने ये कागजात भी अभी माननीय सदन को दिये थे जिनको देने की हमें अनुमति नहीं मिल रही है। इन कागजातों की मैं सौ प्रतिशत जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर कोई गल्ती हो तो उसकी पूरी जवाबदेही मेरे ऊपर आ सकती है। किस तरह से गलत तरीकों से, गलत गलत जगहों पर भाड़े वसूल किए गए, लाखों-लाखों रुपये के किये गये। कहीं ढुलाई नहीं की। अधिकारियों ने यह लिख-लिख कर दिया कि हमने कोई ढुलाई नहीं की। इस तरह से लाखों-लाखों रुपये का हुआ है।

मान्यवर, आपके समक्ष हिन्दुस्तान टाइम्स का यह समाचार है जो 19 मार्च को छपा था·········

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप सारी जानकारी हिम्मत से दीजिए।

श्री राज कुमार राय : दंडवते जी बड़ी हिम्मत के साथ लिखकर दिया लेकिन थोड़ा टेक्नीकल ग्राऊंड पर अनुमति नहीं मिली। मैं रूल्स से वैल-वर्स्ड नहीं हूं इसलिए इसके लिए जो समय स्पेसिफिक है जिसके अन्दर कि लिखकर दिया जाना चाहिए था, वह नहीं दिया जा सका। इसी कारण से अनुमति नहीं मिली।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपके कागजों की प्रतियां मंत्री महोदय को दे दी गई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री जी कार्यवाही करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : व्यवस्था का प्रश्न है जहां तक प्रक्रिया का सम्बंध हैं; कोई भी सदस्य जो कोई विशेष आरोप लगाना चाहता है यदि वह उसकी लिखित प्रति दे देता है और पूरा उत्तर-दायित्व लेता है तो चाहे मंत्री जी इसे पसन्द करें या न करें, चाहे उन्होंने उसकी जांच की हो या नहीं, उसे उन कागजों को इस सदन में प्रदर्शित करने का पूरा अधिकार है। कोई प्रतिबन्ध नहीं है कृपया करके उन्हें बताइये कि उन्हें यह स्वतन्त्रता है। उसे यह गलतफहमी है कि स्वतन्त्रता नहीं है।

सभापति महोदय : बिना पढे ही वह यह सब कह रहा है। उन्होंने यह भी कहा है। उन्होंने यह हिन्दी में कहा हैं। मैं हिन्दी नहीं समझता। मैं व्याख्या सुन रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : अभी उन्होंने यह कहा कि क्योंकि उन्होंने कागज देरी से दिये हैं इस-लिए वह उन्हें प्रकट नहीं कर सकता।

सभापति महोदय : वह ऐसा कह सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो० मधु दण्डवते : चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि आप इस पर कह सकते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जब भी कभी भ्रष्टाचार होता है तो यह माननीय सदस्यों की जिम्मेवारी है कि वे उसके बारे में आवाज उठायें। मैं इस पर अवश्य ही सहमत हूं। कृपया आप जारी रखें।

श्री राम कुमार राय : मैं 19 मार्च 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" से उद्धृत करना चाहूंगा।

"आज केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने दिल्ली दूर दर्शन के कार्यक्रम नियन्त्रक (वाणिज्यिक) श्री सतीशचन्द गर्ग व एक भारतीय खाद्य निगम के स्थानीय प्रबन्धक श्री ऐ०के० सिन्हा के आवास पर छापा मारा। ये छापे सी०बी०आई० के भ्रष्टाचार-निरोधक-आन्दोलन के अंग थे।"

उच्च स्तरीय सी०बी०आई० के स्त्रोतों से पता चला है कि आय से अधिक सम्पत्ति रखने के कारण श्री गर्ग के विरुद्ध एक मुकद्दमा दायर किया गया था। विवरण के अनुसार श्री गर्ग ने बसन्त एन्कलेव में स्वयं-वित्तपोषित डी०डी०ऐ फ्लैट खरीदा था जिसके लिए उन्होंने 2.5 लाख रुपये की अदायगी की थी। इसके लिए उन्होंने कहीं से कोई ऋण भी नहीं लिया था। सक्षम अधिकारियों को उन्होंने सूचित भी नहीं किया या जैसा कि सरकारी नौकर के लिए

आवश्यक है यदि वह 2,000 रुपये से अधिक की अदायगी करता है तो उसे कार्यालय को सूचित करना चाहिए।

डा० सिन्हा के पास जोकि हरियाणा संवर्ग के आई०ए०एस० अधिकारी हैं उनके पास बहुत सी कारें, एक फार्म हाऊस, फलोद्यान, औद्योगिक भूमि, गोली-बन्दूक और उनकी पत्नि के नाम एक इलेक्ट्रोनिक कारखाना है। वे एफ०सी०आई० के वरिष्ठ मध्यम व कनिष्ठ स्तर के 18 अधिकारियों में से एक हैं जिनके विरुद्ध सी०बी०आई० ने मुकद्दमे दायर किए हैं। सी०बी०आई० के अनुसार इसके साथ-साथ पूरे देश में एफ०सी०आई० के व्यक्तियों के यहाँ छापे पड़े हैं व तलाशी ली गई है। जोकि सुबह शुरू की गई थी और शाम तक देर को चलती रही।

इन मुकद्दमों के सम्बन्ध में 45 जगहों पर सरकारी नौकरों व निजी व्यक्तियों के आवास पर छापे पड़े हैं। देश के विभिन्न भागों में पंजीकृत 10 अन्य मुकद्दमों में भी तलाशी ली गई थी जिनमें से चार बम्बई में थे, दो जयपुर में थे और एक-एक कोचीन, हैदराबाद, मद्रास व दिल्ली में से थे.......

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह उनके पूर्वजों की सम्पत्ति भी हो सकती है।

श्री राज कुमार राय : इस प्रकार के बहाने गढे भी गये होंगे। स्वभाविक रूप से वे इस तरह के मामले तैयार किए जा सकते हैं और उन्हें स्वीकार भी किया जा सकता है।

[हिन्दी]

मैं कह रहा था कि इतना कुछ हुआ, लेकिन परिणाम अभी कुछ नहीं निकला। होता यह है कि जहाँ पर सारी चीजें होती हैं, जिनके पास अपार सम्पत्ति, भारी सम्पत्ति मिलती है, बेनामी सम्पत्ति मिलती है, क्रिथ एण्ड किन्स के नाम से और दूसरे लोगों के नाम से सम्पत्ति मिलती है, उनके केस को फिर सी०बी०आई० में भेज दिया जाता है, अपनी चमड़ी बचाने के लिए खुद अपने लोगों से जाँच कराई जाती है, यह कितनी विडंबना है। जो चोर है, जिस पर चोरी का आरोप है, उसका केस भी वहीं भेज दिया जाता है। वह अपनी जांच किस तरह से करेगा, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि वह जांच करेगा। इससे बड़ी भूल, इससे बड़ी विडंबना, इससे बड़ी विसंगति इस देश में और क्या हो सकती है। इसलिए मैं माननीय पंजा जी से निवेदन करूंगा कि उनके रहते हुए इस किस्म की चीजें नहीं होनी चाहिए।

मान्यवर, एफ०सी०आई० के करप्शन के बारे में जितने घंटे बहस की जाए थोड़ी है। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि यह इतना महत्वपूर्ण विभाग है कि उन्हें प्रत्येक माननीय सदस्य को बुलाकर उनकी शिकायतें सुननी चाहिएं और उनकी जांच करवानी चाहिए। इसमें अगर माननीय मंत्री जी सफल हो गए तो मैं समझूंगा कि एफ०सी०आई० ठीक हो गया है, इस तरह से पूरा विभाग हर तरह से ठीक हो जाएगा और इस देश की अर्थ-व्यवस्था पर उसका अच्छा असर पड़ेगा।

मान्यवर मैंने आपका समय लिया, लेकिन अभी कुछ बातें कहनी हैं। जैसा कि मेरे मित्र कह रहे हैं कि यह सफेद हाथी है, मैं उनकी बात से पूरा इत्तफाक करता हूं।

[श्री राजकुमार राय]

मान्यवर कुछ, जगहों पर बहुत कुछ करने की जरूरत है। माडर्न फूड इंडस्ट्री ने वर्ष 1985-86 में अच्छा काम किया है, उसकी सराहना होनी चाहिए। पूरे देश में हर चीज की कीमतें बढी हैं, लेकिन माडर्न फूड इंडस्ट्री ने मार्डन ब्रेड, रसिका, टिन-फूड इत्यादि की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, इसके लिए वे धन्यवाद, साधुवाद के पात्र हैं। ऐसे समय में जब कि विवश होकर हम हर चीज के दाम बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनका दाम न बढ़ाना जनता की सेवा और काम करने के नियम का द्योतक है। इस वित्तीय वर्ष में कंपनी ने अच्छा लाभांश कमाया और कीमतें नहीं बढ़ाई। (व्यवधान)

जब किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको परितोषिक नहीं तो सराहना तो करनी ही चाहिए, केवल आलोचना ही नहीं करनी चाहिए।

मान्यवर इस देश में खाद्यान्नों का बहुत नुक्सान हो रहा है, इसलिए सरकार को माडंन फूड बेकरीज को कम से कम 50 लाख रुपया टिन फूड के प्लांट के लिए, ट्राइबल एरिया में, रूरल एरिया में लगाने के लिए देना चाहिए। उन्होंने बहुत सी चीजों की अनुमति चाही है। मैं मान-नीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके बारे में विचार करें। ताकि यह काम अच्छी तरह से हो सके। मान्यवर रसिका का रस सभी ने लिया है, यह एक अच्छा पेय पदार्थ है। इस उद्योग को देश के हर जोन में सरकार को बढ़ाना चाहिए और इस पब्लिक सेक्टर के लिए जो भी सरकार को करना पड़े वह करना चाहिए, जिससे प्राइवेट सेक्टर में पेय-पदार्थ बनाकर लोग फायदा न कमा सकें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सभी जोन्स में रसिका प्लान्ट लगाने के लिए सैंक्शन मिलनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि इसको प्रोत्साहन दे क्योंकि यह एक लाभदायी कंपनी है। फेयर प्राइस शाप्स की दशा हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ही खराब है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिलों में कोआपरेटिव्ज को ये शाप्स दे दी गई हैं। माननीय पांडे जी हमारे नेता हैं, इनके जिले में तो फिर से प्राईवेट डीलर्स को दे दी गई हैं। जब किसी व्यक्ति के पास वह शाप होती है तो उसकी जिम्मेदारी होती है वह डरता है, उस पर मुकदमा भी चलता है और वह पकड़ा भी जाता है, लेकिन को-आपरेटिव्ज को देने से ऐसी स्थिति नहीं है। को-आपरेटिव्ज को दे देने से हालत बहुत ही खराब हो गई है। माननीय पंजा जी, उनके सुधार के लिए कोई रास्ता निकालें ताकि कंज्युमर्स को फेयर प्राइस शाप्स से खाद्यान्न मिल सके। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में एफ० सी० आइ० के प्राईवेट गोदाम खोलें जाएं। मैं आपका पुन: आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री राम प्यारे सुमन (अकबर पुर) : माननीय अधिष्ठाता जी, मैं खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी सरकार ने काफी कुछ करने का निश्चय किया है और उस दिशा में काफी परिपत्र भी जारी किए जाते रहे हैं। सरकार इससे और सजग भी है। इस मंत्रालय के अधीन जो भी आवश्यक बातें हैं उस दिशा में सरकार जागरूक है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हमारे साथी श्री राजकुमार राय जी ने अभी बताया था, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मैं उनकी बात की पूरी तरह से ताईद करता हूं। एक-एक लफ्ज उन्होंने सही कहा है। एफ० सी० आई० के बारे में उन्होंने बहुत थोड़ी सी जानकारी दी। अगर एफ० सी० आई० पर ही चर्चा की जाए

तो मेरे ख्याल से पूरे दिन भर आप कहते रहेंगे तो तब भी इनके काले-कारनामों का शायद ही पर्दाफास हो सके।..........(व्यवधान) यह इतना विशाल हाथी है कि रोज करोड़ों डकार लेता है। हम यहां कुछ भी कहें, सरकार कुछ भी निर्देश दे लेकिन इनके अधिकारियों पर जूं नहीं रेंगती। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अब समय आ गया है और गेहूं की खरीद शुरू होने वाली है। यह काम बहुत जोर-शोर के साथ एफ० सी० आई० भी करता है। मैं खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात बता देना चाहता हूं कि कितने व्यापक पैमाने पर इसके द्वारा खरीद से लेकर गोडाउन तक घपेलबाजी की जाती है। आप ताज्जुब करेंगे कि एक ट्रक गेहूं अगर लदकर गोडाउन तक पहुंचा तो गोडाउन के गेट से लेकर जब तक कमरे में वह बोरा नहीं चला जायेगा तब तक कम से कम उस व्यक्ति को डेढ़-पौने दो सौ रुपए देने पड़ेंगे। डेढ़ सौ रुपए पर-ट्रक जब तक वह व्यक्ति नहीं देगा तब तक वह दिन भर लाईन में खड़ा रहेगा और उसका गेहूं नहीं उतारा जायेगा। जब तक पांच-दस रुपये वह गेट-कीपर को नहीं देगा तब तक वह ट्रक नहीं जा सकता। जो व्यक्ति परखी बोरे में लगाकर गेहूं देखता है, जब तक वह पैसा नहीं पायेगा तब तक वह पास नहीं करेगा। मैं बड़े अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि मैंने तो ऐसे परखी लगाने वाले लोग देखें हैं जो अपनी जेब में खराब किस्म के गेहूं रखते हैं। अगर रुपया उनको नहीं मिलता तो परखी लगाकर खराब गेहूं डाल देते हैं और कह देते हैं कि सारा गेहूं खराब है, इसको कहां पर रखें। इस तरह से शोषण और परेशान किया जा रहा है। मुझे जहां तक स्मरण है, कई बार इस मामले में रेड हुआ है और इस विभाग के लोगों ने हड़ताल भी कर दी। हड़ताल इसलिए कर दी कि उनके काले-कारनामों का भण्डाफोड़ किया जा रहा था। अगर सरकार उनकी मनमानी पर छोड़ देती है तो वे गेहूं खरीद कर रख लेते हैं।

अगर मंत्री जी उनकी लूटने की नीति में रोड़ा अटकायेंगे या इसके लिए कोई आदेश जारी करेंगे तो वह आदेश विभाग में ही पड़ा रहेगा और उनका काम धड़ल्ले से जारी रहेगा। मैं कहना चाहता हूं सरकार को इस विभाग में तत्परता के साथ, ईमानदारी के साथ ऐसे भ्रष्ट विभाग पर अंकुश लगाना चाहिए और सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। वह कार्यवाही चाहे सी० बी० आई० के माध्यम से हो, चाहे किसी और के माध्यम से हो वहां छापे डलवाकर ऐसे मामलों को पकड़वाना जरूरी है जिससे इनकी चोरी कम हो सके।

श्री मूलचन्द डागा : वहां विजिलेन्स डिपार्टमेंट है।

श्री राम प्यारे सुमन : मैंने संक्षेप में एक पाइंट रेज किया है, क्योंकि हमारे कई साथियों ने इस पर काफी कुछ कहा है।

जहां तक खरीद का सवाल है। खरीद के मामले में कितनी धांधली है, किसानों का कितना शोषण होता है, किसान पता नहीं कितने रोज तक अपना गल्ला लिए पड़ा रहता है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक वह वहां दो रुपये, चार रुपये, पांच रुपये प्रति बोरे के हिसाब से दाम तय नहीं होगा तब तक खरीद नहीं हो सकती। जब किसान मजबूर हो जाएगा तो वह अपना गेहूं बनिये को बेच देगा और वह बनिया वहीं पर लेकर, गल्ले को, बेच देगा।

श्री मूलचन्द डागा : बनियों को क्यों बदनाम कर रहे हो।

श्री राम प्यारे सुमन : जो गल्ला खरीदने वाला है वह बनिया है। मेरा किसी जात विशेष से तात्पर्य नहीं है जो आदमी घांधली करता है उससे मतलब है।

जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सवाल है, यह भी इसके जिम्मे है। इसके दोष क्या हैं, इसके बारे में कितने शब्दों में, कितनी बातें कही जायें, आज जो इसकी स्थिति है, अभी हमारे साथियों ने संक्षेप में इसके बारे में बताया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा ग्रामीण अंचलों में सामान मुहैया होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। गांवों में जो दुकानदार वितरण का कार्य कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियां भी यह काम कर रही हैं···

श्री मूलचन्द डागा : 3 लाख 20 हजार हैं।

श्री राम प्यारे सुमन : पहले तो जो दुकानदार होते थे वह वहीं के रहने वाले होते थे और कुछ डर की वजह से चीनी दिया करते थे। जब से यह कार्य सहकारी समितियों के हाथों चला गया तब से यह चीनी गोदामों में ही पड़ी रहती है, वह लाते नहीं और लोगों तक नहीं पहुंच पाती। इसी प्रकार गांवों में न तेल पहुंच रहा है और न चीनी पहुंच रही है। आपने जो आंकड़ों में दे रखा है कि टायर, ट्यूब भेज रहे हैं। साबुन-तेल भेज रहे हैं, यह सारी चीजें देहातों में किसी भी दुकान पर देखने को नहीं मिल रही हैं।

मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर सख्ती से कार्यवाही करे और जो भी हम यहां से समान देने की बात कर रहे हैं। वह सामान ग्रामीण इलाकों में पहुंच रहा है या नहीं यह देखें, अगर नहीं पहुंच रहा है तो इस पर सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। और यह सामान वहां पहुंचाया जाना चाहिए।

अभी कुछ दिनों पहले यह बात चली थी और अब उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में शुरू हो गया है कि सहकारी समितियों के अलावा हर ग्राम पंचायत में एक दुकान प्राइवेट दुकानदारों को देने की बात कही जा रही है ताकि दोनों में काम्पीटिशन बना रहे और काम चलता रहे।

(व्यवधान)

पहले भी कर रहे थे अब भी करेंगे। मैं मंत्री जी को इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो चीनी दुकानदार को वितरण करने के लिए दी जाती है वह अगर पूरी चीनी को ईमानदारी के साथ बेचे तो उसको मात्र 2 रुपये प्रति बोरा चीनी पर, साथ में खाली बोरा मिल रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है···

श्री मूलचन्द डागा : बोरा भी नहीं मिलता है, केवल दो रुपये मिलते हैं।

श्री राम प्यारे सुमन : यह जो भ्रष्टाचार का मामला है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको अपना भाषण दो या तीन मिनट में समाप्त करना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे सुमन : वहां पर जो सामान दिया जाता है वह नहीं पहुंच पाता है तो

इसको देखने की बात है। इस सम्बन्ध में एक विस्तृत जानकारी करके एक नीति बनाई जाए जिसके माध्यम से वह ईमानदारी से काम कर सके.........

क्यों कि उनकी जो अपनी दिक्कत है, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें उनके मामले को भी देखना है और यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यक कागजात जिस कार्यालय में जमा करने हैं, उन पर समय के अन्दर आदेश पारित होकर, वे कागजात वहां पर पहुंच जाएं और उनको हर काउन्टर पर जाने की आवश्यकता न पड़े। वर्ना हर काउन्टर पर उनको 10 रु० 20 रु० 2 रु० या 100 रु० देने पड़ते हैं और जब उनको इतनी राशि का भुगतान करना पड़ता है तो वे चीनी को बाजार में ब्लैक में बेचते हैं। इसीलिए तमाम वितरण प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता है। यदि हम सुधार की ओर ध्यान नहीं देंगे तो स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी।

महोदय, यह बहुत बड़ा विभाग है जिसमें काफी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं लेकिन मैं मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है: प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों श्रेणियों में कुछ न कुछ कहीं बैकलॉग रहता है और केवल चतुर्थ श्रेणी में ही कहने के लिए आरक्षण पूरा कर दिया गया है क्योंकि उसमें गल्ला सफाई करने वालों को भी शामिल कर लिया गया है और इस तरह कुल मिलाकर करीब 18 या 19 परसेन्ट आरक्षण पूरा हो जाता है। शेष प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणियों में आरक्षण पूरा नहीं है। मैं चाहता हूं कि जब हम लोगों ने अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है तो उसका पालन भी किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस ओर ध्यान देकर आवश्यक कार्यवाही करें और बैकलॉग पूरा किया जाए।

एक निवेदन मैं पदोन्नति के बारे में करना चाहता हूं। इस विभाग में जितनी प्रोमेशन्स की जाती हैं, उनमें व्यापक पैमाने पर धांधली की जाती है और खास तौर से गरीब तबके के लोगों, अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के साथ व्यापक भेदभाव बरता जाता है। जब भी उनकी प्रोमाशन्स ड्यू होती है तो उसको किसी न किसी बहाने से, एन्ट्री करके, उनका नाम पीछे कर दिया जाता है और उनसे पीछे वाले दर्जनों लोगों को प्रोमेशन दे दी जाती है। वे लोग चिल्लाते रहते हैं, कहते रहते हैं लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि जहां कहीं इस प्रकार का भेदभाव होता है, वहां सरकार यह सुनिश्चित करे कि इन लोगों को मिलने वाला आरक्षण पूरा किया जाए।

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और इस विभाग के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व भी है। यह विभाग जनता के काफी निकट है और इसके जरिए जनता को राहत पहुंचाने का प्रश्न जुड़ा हुआ है इसलिए इन सारी बातों को देखते हुए, इस विभाग में जितना करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसको दूर करने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए ताकि आम जनता को हम जो राहत पहुंचाना चाहते हैं, उसमें कामयाब हो सकें, और हमें पूरी तत्परता के साथ, मुस्तैदी के साथ, और चुस्ती के साथ इसमें काम करना है ताकि सही तरीके से लोगों को राहत मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : माननीय सभापति जी, मैं फूड एण्ड सिविल सप्लाइज मंत्रालय से सम्बन्धित मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं माननीय फूड एण्ड सिविल सप्लाइज मिनिस्टर को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे देश में फूडग्रेन्स के उत्पादन में उत्तरोत्तर संतोषजनक ढंग से वृद्धि हो रही है। यदि आप इस मंत्रालय से सम्बन्धित वर्ष 1985-86 की रिपोर्ट को देखें तो उसमें पृष्ठ 8 पर कुछ फिगर्स दिए हुए हैं उसमें कहा गया है कि जहां 1980-81 में हमारे देश में फूडग्रेन्स का टोटल प्रोडेक्शन 129.59 मिलियन टन था, वर्ष 1984-85 में वह बढ़कर 146.22 मिलियन टन तक पहुंच गया। हमें उम्मीद है कि इस साल पहले की अपेक्षा फसल काफी अच्छी रहेगी और हमारा फूडग्रेन्स का उत्पादन और ज्यादा बढ़ेगा। इसके साथ-साथ मैं कुछ रचनात्मक टिप्पणी भी करना चाहता हूं।

जहां हम इस महकमे की चर्चा करते हैं तो हमें मालूम होता है विभिन्न जिन्सों की कीमत निश्चित करने का काम जहां पहले एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के द्वारा किया जाता था, अब उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है और उसके बीच में "कास्ट" शब्द डाल दिया गया है। अब उसका क्षेत्र व्यापक बना दिया गया है और अब वह यह भी देखेगा कि किसी क्षेत्र में, किसी जिन्स को पैदा करने में कितना खर्च करना पड़ता है। नाम बदलने के पीछे मंशा यही थी कि किसान के खर्च का भी ध्यान रखा जाए और उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही किसी जिन्स की कीमत निर्धारित की जाए। लेकिन सही मायने में खाली नाम की तब्दीली हुई है और जो उसके पीछे असली मंशा थी वह अभी भी पूरी नहीं हुई है। आप किसी भी चीज को ले लें सभी की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। आप एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स को ले लें, उनकी कीमत बहुत बढ़ी हैं लेकिन किसान की पैदावार की कीमत बहुत कम बढ़ी है। 1947 और 1986 का मुकाबला करें, तो आपको मालूम होगा जिस ट्रैक्टर की कीमत 1947 में आठ हजार रुपये थी वह 1986 में एक लाख रुपये हो गई है। मुलाजिम की उस टाइम जो तनख्वाह थी वह बढ़कर अब चौदह, पंद्रह और सोलह गुनी तक हो गई है, लेकिन हमारे फूडग्रेन्स को कीमत, जिसे किसान पैदा करता है ज्यादा से ज्यादा सात-आठ गुनी ही बढ़ी है। इसलिए एक तो मेरी यह गुजारिश है कि खाली नाम की तब्दीली से किसान को कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए नाम के साथ-साथ काम भी होना चाहिए। किसान जो पैदावार करता है, उस पर उसकी बहुत मेहनत होती है। उसका तमाम जीवन पैदावार में लग जाता है, लेकिन उसको उचित लाभ नहीं मिलता है। जितना लाभ उसको उसकी पैदावार का मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। कई किस्म की प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करके वह अपनी फसल उगाता है। ओलावृष्टि, तूफान, बाढ़ और सूखा, हर प्रकार की आपदाएं उस पर आती हैं और उसके बाद भी उसको संतोषजनक कीमत न मिले, तो इससे बड़ा दुख उसके लिए और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि उसको अपनी पैदावार की संतोषजनक कीमत मिलनी चाहिए।

महोदय, मैं एक बात फेयर प्राइस शॉप के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने इस पर काफी टिप्पणी की है। मैंने हरियाणा में खुद देखा है फेयर प्राइस शाप पर आम तौर पर चीनी, गेहूं और चावल ही ज्यादातर लाए जाते हैं, लेकिन बाकी एसेंश्यल कमोडिटीज और भी रह जाती हैं, वे नहीं भेजी जाती हैं। इस बारे में मेरी गुजारिश यह है कि तमाम चीजें जो देहात और शहर के अन्दर आमतौर पर परिवारों में इस्तेमाल की जाती हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, वे सभी चीजें इन फेयर प्राइस शॉप पर भेजी जानी चाहिएं। इस प्रकार

का प्रावधान करना चाहिए। क्योंकि फेयर प्राइस शॉप का मतलब ही यह है कि लोगों को ठीक कीमत पर सही चीज मिलें। इन सभी चीजों के फेयर प्राइस शॉप पर न आने से फेयर प्राइस शॉप का मतलब ही कोई नहीं रह जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो कमीशन दी जाती है वह बहुत थोड़ी दी जाती है। जो चीनी फेयर प्राइस शॉप पर भेजी जाती है, उसके सम्बन्ध में अगर आप आंकड़े उठाकर देखें, तो आपको पता चलेगा कि फेयर प्राइज शॉप और कोआपरेटिव सोसायटियों द्वारा चलाई जा रही फेयर प्राइस शॉप के लिए जो कमीशन मिलता है वह बहुत ही कम है। मात्र खाली बोरी ही कमीशन के तौर पर फेयर प्राइस शॉप वालों को बचती है। एक खाली बोरी की कीमत मात्र चार रुपये होती है। अब आप खुद ही सोचिए कि मात्र चार रुपये उसे बचें और हम यह तवक्कु करें कि वह इसके वितरण में ईमानदारी दिखाएगा, यह कैसे सम्भव है? एक बोरी के साथ मान्यवर उस फेयर प्राइस शॉप वाले को दस-पन्द्रह रुपए तो महकमे के अधिकारी को देने पड़ते हैं। फिर चीनी को वहां से उठाकर गांव में ले जाने का कैरिएज भी उसको देना पड़ता है। मेरे कहना का तात्पर्य यह है कि अगर उसको दस बोरी का परमिट मिलता है, तो दस बोरी चीनी को अपने गांव तक ले जाने में उसके लगभग दो सौ रुपए तो खर्च ही हो गए और उस पर उसको मात्र चालीस रुपया कमीशन मिलता है, तो आप स्वयं अन्दाजा लगाइए कि ऐसा कौनसा दुकानदार होगा जो एक सौ साठ रुपया अपना नुकसान करेगा और फेयर प्राइस शॉप को चलाएगा। उससे आप क्या ईमानदार रहने की तवक्कु कर सकते हैं।

3.54 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि फेयर प्राइस शॉप पर इतना कमीशन जरूर दिया जाए जिससे वह अपने परिवार को चला सके। अपने परिवार के लोगों की रोजी-रोटी उससे चल सके जिससे वह ठीक कीमत पर चीज दे सके। वरना एक प्रेक्टीकल चीज जिसको हम समझते हैं कि उसको बचता तो कुछ है नहीं और उससे हम यह तवक्कु करें कि वह अपने घर से पैसे लगाकर लोगों को सही चीज देगा, यह मुमकिन नहीं है। चाहे वह बनिया हो, चाहे किसान हो, कोई भी नहीं कर पाएगा।

अध्यक्ष महोदय : आपके मांगे हुए टाइम से डबल हो गया है। इसलिए अब आप कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

एक माननीय सदस्य : यह तो आपके आने के बाद शुरू हागा।

अध्यक्ष महोदय : यह गिनती कब से शुरू की है?

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : एक चीज मैं किसान के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। पीछे मेरा एक स्टार्ड क्वेश्चन था कि हरियाणा, पंजाब और यू० पी० में पिछले साल के व्हीट और चावल के प्रोक्योरमैंट के वक्त फसल के समय में उसे रिजैक्ट कर दिया जाता है। एफ० सी० आई० और हैफेड का महकमा किसान के माल को रिजैक्ट कर देते हैं। उसकी माल को अगले दिन बिचौलिया खरीद लेता है, चाहे वह किसी भी कास्ट की बात हो, मेरे से पहले यह बात आई है।

अध्यक्ष महोदय : पीछे की बात पीछे कर चुके, आगे की बात करो, फसल आ रही है, गड़बड़ न हो।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : मैंने मिसाल के तौर पर बताया कि पिछले साल बोलते हुए जब मैंने कहा था तो उस समय के फूड और सिविल सप्लाई मंत्री राव बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा था कि मेरे पास ऐसा कोई इंस्टांस नहीं है। इस तरह के इंस्टांसेज मैं इस सदन में कहता हूं कि रोजाना हर मंडी में यह होता है कि गेहूं को बिचौलिया खरीद लेता है, वह एफ० सी० आई० वालों से उस माल को रिजेक्ट करा लेता है और अगले दिन उसी गेहूं को एफ० सी० आई० वालों से मिलकर बेच देता है। इस तरह से जो लाभ सही मायनों में किसान को मिलना चाहिए था, वह लाभ उसे नहीं मिलता और उस लाभ को बिचौलिया ले जाता है। किसान के दिल में इससे इतना दर्द होता है कि कह नहीं सकते और सरकार पर से उसका विश्वास भी उठ जाता है। सरकार कहती है कि हमने व्हीट और राइस के प्रोक्योरमेंट के लिये प्राइस फिक्स किये हैं, लेकिन सही मायनों में उसका फायदा उसको नहीं मिलता। मेरी गुजारिश है कि मार्केटिंग के लिए किसान के जो भी जिन्स हैं, उनकी खरीद का बाकायदा ढंग से प्रबन्ध किया जाये और उसकी चैकिंग के लिए इन्सपैक्टर और दूसरे ईमानदार आदमी लगाये जायें ताकि किसान के साथ शोषण न हो और किसान को उसकी पैदावार की पूरी कीमत मिलें।

इसके बाद मैं एग्रीकल्चरल इम्पीलीमेंट्स के बारे में कहना चाहता हूं कि उसकी कीमत कम की जाये।

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इन डिमांड्ज का समर्थन करता हूं।

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी बारी हमेशा अन्त में ही आती है।

अध्यक्ष महोदय : आगे और पीछे को अगर गोल करो तो 1 नम्बर मिल जाता है।

डा० गौरीशंकर राजहंस : मैं बहुत सी बातें कहना चाहता था, लेकिन क्या कहूं?

प्रो० मधु दंडवते : अभी पैर पर खड़े रहोगे तो कल तक खड़े रह सकोगे।

अध्यक्ष महोदय : दरवाजे वालों की बात सुन लें।

डा० गौरीशंकर राजहंस : मेरे कहने का अर्थ यह है कि आपने इस रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ में लिखा है—

[अनुवाद]

"सरकार की नीति का प्रमुख बल विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई प्रबन्ध में सुधार तथा उत्पादन वृद्धि पर रहा है। इसी प्रकार उत्पादन बढ़ाने के लिए उपलब्धता में सुधार

करने, सप्लाई प्रबन्ध को मजबूत बनाने और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियन्त्रण रखने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं।"

[हिन्दी]

मैं कहना चाहता हूं कि इसमें से कोई भी बात दुरुस्त नहीं है। यह एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि अपने देश में एग्रीकल्चरिस्ट्स को, कृषक को, जो दाम मिलते हैं वह उनकी इन-पुट्स के बराबर भी दाम नहीं मिल पाते। जब कंज्यूमर, उपभोक्ता उसी वस्तु को खरीदता है तो मंहगाई से त्रस्त हो जाता है।

आप अपनी रिपोर्ट में चाहे जो कहिए, सच यह है कि एक तरफ किसान रो रहा है, बुरी तरह रो रहा है, उसको उसकी पैदावार का कास्ट प्राइस नहीं मिल रहा है और दूसरी तरह उपभोक्ता मर रहा है, क्योंकि मंहगाई बहुत बढ़ गई है। आपने इस रिपोर्ट में कहा है कि यह बड़ी खुशी की बात है कि होलसेल प्राइस कम हो रहा है।

हो रहा होगा, होलसेल प्राइस कम, लेकिन कंज्यूमर जो दाम बाजार में देता है, क्या वह होलसेल प्राइस से गाइडेड होता है? आप कहते हैं कि चीजों के दाम कम हो गये, लेकिन जब मैं बाजार में जाता हूं, मुझे जब खरीदना पड़ता है तो मुझे मंहगी चीज खरीदनी पड़ती है। मैं कैसे कहूंगा कि मंहगाई बहुत कम हो गई है? आदमी को इसकी रियलिस्टिक पिक्चर लेनी चाहिए और इस बात को देखने का प्रयास करना चाहिए।

4.0θ म० प०

अमरीकी विमानों द्वारा त्रिपोली और बेंगाजी पर हाल ही में की गई बमबारी के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करेंगे। प्रो० मधु दण्डवते। प्रो० साहिब के भाषण शुरू करने से पहले मैं यह निवेदन करता हूं कि सभा उस संबंध में एकमत है। हमारे पास दो घन्टे का समय है। अतः अपने भाषण को सीमित रखिये ताकि हम चर्चायें दो घंटे में ही समाप्त कर सकें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, क्या हम एक संकल्प रखने जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : जैसा आप उचित समझें।. यदि आप सामूहिक संकल्प तैयार कर सकें तो मुझे खुशी होगी...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदय मैं आपके सेवक के रूप में आपके अति आज्ञाकारी सेवक के रूप

[अध्यक्ष महोदय]

में आपकी सेवा में हूं । कोई समस्या नहीं हैं । आपस में विचार विमर्श कीजिए । सभा जो कुछ भी सुनिश्चित करती है......

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हां, हम एक संकल्प पारित कर सकते हैं ।

एक माननीय सदस्य : हमेशा इसी प्रकार कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : हमेशा ऐसा ही कीजिए । कभी विसम्मति नहीं होनी चाहिए । अस्थिर विचारधारा भी कोई विचारधारा है । मैं कभी विचलित नहीं होता । मैं जो भी निश्चय करता हूं वह पक्का होता है ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, क्या हम लीबिया पर चर्चा कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हाँ, हम कर सकते हैं और उन्हें हमारे दृष्टिकोण के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए...।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : कृषि रत्न अध्यक्ष महोदय । मैं यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं... (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बकसर) : आपने ऐसा क्यों कहा ?

प्रो० मधु दण्डवते : आज उन्हें 'कृषि रत्न' का पुरस्कार दिया गया है । यह मैंने नहीं दिया है परन्तु किसी प्रसिद्ध संस्था द्वारा दिया गया है ।

प्रो० के० के० तिवारी : कौन सी संस्था है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : तिवारी महोदय द्वारा नहीं दिया गया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं माननीय विदेश मंत्री महोदय द्वारा लीबिया पर अमरीकी सेनाओं द्वारा बम गिराने के सम्बन्ध में दिये गए वक्तव्य पर चर्चा आरम्भ करने के लिए खड़ा हुआ हूं । संसद के जीवनकाल में ऐसे भी अवसर आते हैं जब समस्त सभा एक-जुट होकर राष्ट्र की आवाज बुलन्द करती है । मेरे विचार में यह वही अवसर है । और मुझे यह कहने की अनुमति दीजिए कि आज सभा में मैं जिन भावों की अभिव्यक्ति करूंगा उनसे सभा में असहमति नहीं होगी, उन भावों से सभा एकमत होगी और अमरीका निवासियों को इस देश की प्रभुसत्ता सम्पन्न संसद के माध्यम से राष्ट्र के एकमत से अवगत कराएंगी ।

हम गुटनिरपेक्षता के सिद्धान्त के प्रति वचनबद्ध हैं जिसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है । प्रारम्भ में ही मुझे यह कहने की अनुमति दीजिए कि गुटनिरपेक्षता के हमारे सिद्धान्त का अर्थ न तो तटस्थता है और न ही तटस्थतावाद

है। मूलत: इसका अभिप्राय यह है कि हमारा देश प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय घटना को उसके गुणों के आधार पर आंकने के लिए स्वतन्त्र है और उसके सम्बन्ध में साम्राज्यवाद विरोधी, उपनिवेशवाद विरोधी, जातिवाद विरोधी, राष्ट्रों की शान्ति एवं स्वतन्त्रता सम्बन्धी हमारे स्वीकृत सिद्धान्तों पर आधारित एक अन्तर्राष्ट्रीय रुख एवं नीति अपना सकता है। और यदि पिछले रोज हमारी सभा ने लीबिया पर अमरीकी हमले की भर्त्सना की है तो यह केवल इन्हीं स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुरूप है जो समस्त राष्ट्र द्वारा स्वीकार किए गए हैं और इसलिए हमने लीबिया पर अमरीकी हमले की भर्त्सना की है।

हमले की इस विशेष कार्यवाही को इक्की-दुक्की घटना नहीं समझना चाहिए परन्तु इस विशेष कार्यवाही ने बहुत से महत्वपूर्ण सिद्धान्तों और संस्थाओं का उल्लंघन किया है जो अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। लीबिया पर केवल बम ही नहीं गिराया गया है परन्तु बहुत सी बातों का उल्लंघन किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र की पवित्रता का उल्लंघन किया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान का उल्लंघन किया गया है और गुटनिरपेक्षता तथा अहस्तक्षेप के आधारभूत सिद्धान्तों का उल्लंघन किया गया है। इस देश पर प्रत्यक्ष हमले से भी अधिक महत्वपूर्ण इस महत्वपूर्ण, पवित्र सिद्धान्तों पर किया हमला, अमरीका द्वारा किया गया बहुत बड़ा उल्लंघन है और यही कारण है कि चाहे सम्बन्धित राष्ट्रों की कोई भी विचारधाराएं हों, अमरीका द्वारा हमले की इस विशेष कार्यवाही की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भर्त्सना की गई है।

हाल ही में हमारे साथी श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक ज्ञापन-पत्र तैयार किया है जिसे दिल्ली में स्थित अमरीकी दूतावास के माध्यम से राष्ट्रपति रीगन को भेजा जाना है। वास्तव में जब मसविदा तैयार किया गया था तो उन्होंने 'खुला आक्रमण' शब्द का प्रयोग किया था। कुछ साथियों ने कहा : आप 'खुला' शब्द को छोड़ दीजिये। मैं स्वीकार करता हूं। आप 'खुला' शब्द को छोड़ दीजिये। परन्तु फिर भी आप आक्रमण पर परदा डालना चाहते हैं आक्रमण सदा आक्रमण ही होता है। और इसलिए अमरीका द्वारा हमले की यह विशेष कार्यवाही अमरीका द्वारा उठाए गए घृणित कदमों में से एक है।

एक और पहलू भी है जिसका जिक्र मैं सभा में आपके द्वारा करना चाहता हूं। यह एक छोटा राष्ट्र नहीं है जिसने हमले की कार्यवाही की है। महोदय बहुत से देश हैं। दुर्भाग्यवश, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी एक अन्तर्राष्ट्रीय जाति प्रथा है। कुछ देश हैं जिनके पास वीटो हैं; वहां महाशक्तियां और छोटे राष्ट्र हैं। कुछ देश हैं जिनको सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता प्राप्त हैं। और अमरीका को सुरक्षा परिषद में उसी स्थाई सदस्यता का अधिकार प्राप्त है। और यहां तक कि इतनी जिम्मेदारी होते हुए भी उन्होंने बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से कार्यवाही की है। और इसलिये यह हमला और भी निन्दनीय हो जाता है क्योंकि सुरक्षा परिषद का एक स्थाई सदस्य हमले की इस कार्यवाही में शामिल हैं।

हमले में हुई कार्यवाही का वर्णन विदेश मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य में बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। इस हमले के कई पहलू बहुत महत्वपूर्ण हैं इस हमले और बमबारी में उन्होंने दो विमान वाहकों का प्रयोग किया है; सोलह युद्ध पोतों का प्रयोग किया है; कई परमाणु

[प्रो० मधु दण्डवते]

पनडुब्बियों का प्रयोग किया है; उन्होंने ब्रिटेन में स्थितअमरीकी सैनिक अड्डों से अठारह एफ०बी० बम वर्षकों का प्रयोग किया है और इसके साथ-साथ नौसेना कार्य बल के लड़ाकू विमान का प्रयोग किया गया है—यह अति महत्वपूर्ण बात है।

इसके साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि उनको यह घुमावदार यात्रा करनी पड़ी। भगवान का शुक्र है कि फ्रांस और स्पेन जैसे देश अपने देशों के ऊपर से उड़ान भरने की सुविधा देने के लिये सहमत नहीं हुये। और यही कारण है कि उनको घुमावदार रास्ता अपनाना पड़ा। यह आक्रमण अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक ब्लैकमेल के सिवाय कुछ भी नहीं है। परन्तु अमरीका निवासियों को यह बता दिया जाना चाहिये कि छोटे राष्ट्रों को ब्लैकमेल करने की चाहे उनकी कितनी क्षमता क्यों न हो, जब तक लीबिया के साथ अन्तर्राष्ट्रीय जनमत है, तब तक परमाणु बम तथा अणु बम तक भी लीबिया की प्रभुसत्ता को समाप्त नहीं कर पायेंगे। यही वह चेतावनी है जो इस सभा में चर्चा द्वारा व्यक्त करनी है।

महोदय अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता खतरे में है। बहुत सी विडम्बनायें हैं तथा बहुत सी असंगतियां हैं। महोदय, यदि आप एक छोटी-सी चीज की चोरी करते हैं तो आपको एक चोर माना जायेगा। यदि आप किसी बड़ी सम्पत्ति पर विद्रोह पूर्वक कब्जा करते है तो आपको एक लुटेरा कहा जायेगा। यदि आप अपनी सेना को सीमा के पार भेजते हैं तो आप सीमावर्ती मुठभेड़ों के लिये उत्तरदायी हैं। यदि आप एक छोटे से देश पर बम डालते हैं तो आप एक आक्रमण-कारी हैं। यदि आप विद्युत गति से एक देश के बाद दूसरे देश पर बम वर्षा करते जाते हैं और उन देशों पर कब्जा कर लेते हैं तो आपको विश्व विजेता कहा जायेगा। यदि आप अपनी सेना को क्रान्तिकारी नारे लगाते हुये दूसरे देशों में भेजते हैं तो आपको मुक्तिदाता कहा जायेगा। दुर्भाग्यवश ये अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता की विडम्बनायें और असंगतियां हैं और आज हमने इस अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता की विडम्बना का एक और चित्र देख लिया है। अमरीका द्वारा इस विशेष आक्रमण का क्या कारण है। इसके पीछे उनका क्या औचित्य है ? महोदय हमें यह बताया गया है कि यह बमबारी, लीबिया के शासकों की मौन सहमति से फैले आतंकवाद के कार्यों का प्रतिशोध लेने के सिवाय कुछ भी नहीं है। यह बात हमें बताई गई है। महोदय, आतंकवाद की छुट-पुट घटनाए, चाहे वे जितनी भी घृणित हों, क्या उनका जवाब अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के रूप में दिया जाना चाहिए ? यह मूल प्रश्न है जिसका जवाब अमरीका को देना पड़ेगा और यह प्रश्न जो अमरीका को भेजा जा रहा है, यदि इस प्रश्न का जवाब वे विवेकपूर्ण ढंग से नहीं देते हैं तो शायद उनका भी यही हश्र होगा क्योंकि जहां तक आतंकवादी गतिविधियों का संबंध है, उनके हाथ भी बहुत उजले नहीं हैं।

महोदय, क्या आतंकवाद के इतिहास को, राज्य परिवर्तन के इतिहास को, छोटे राष्ट्रों की अस्थिरता के इतिहास को, सी०आई०ए० जैसी संस्थाओं द्वारा करायी जाने वाली राजनैतिक हत्याओं के इतिहास को विश्व भुला सकता है ? और चाहे वे उन्हें भूल गए हों परंतु हमारे सूचनार्थ उन्होंने स्वयं उन घटनाओं का रिकाड तैयार किया है और सभी सम्बन्धित राष्ट्रों के पास सी०आई०ए० का रिकार्ड उपलब्ध हैं। क्या यह सच नहीं है कि अस्थिरता के इस खेल

में 1953 ई० में ईरान में डा० मौसाद की सरकार का तख्ता पलट दिया गया था ? वे शायद इस बात को भूल गए हों परन्तु हम इसे नहीं भूले हैं। और 1973 में चिली में साल्वेडोर अलदीज में क्या हुआ था ? और महोदय यहां तक कि हाल ही में रीगन ने अंगोला में एम०पी०एल०ए० सरकार और फिर मौजाम्बिक में फ्रेलियों सरकार को गिराने के लिए खुले रूप में सहायता दी है। ये हाल की घटनाएं हैं। अतः उनके मुंह से अस्थिरता और आतंकवाद की बातें अच्छी नहीं लगती हैं।

ये वे लोग हैं जो न गतिविधियों में शामिल है। वे न केवल इन गतिविधियों में शामिल हैं, अपितु आतंकवाद सिखाने के स्कूल भी हैं और इन आतंकवादियों के स्कूलों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। मैं नहीं जानता कि क्या उन्हें स्नातकोत्तर डिग्रियां दी जाती हैं लेकिन हमने अपने देश में आतंकवाद में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त किए हुए लोगों को देखा है कि वे कितना विनाश करते हैं और हमारी सीमा से पार जिन आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है तो जब कभी आतंकवादियों की गतिविधियां पंजाब और दूसरे स्थानों में होती हैं तो उनमें से कुछ लोग अपनी प्रसिद्धि प्राप्ति में लग जाते हैं कि ये लोग वे हैं जिन्होंने उनसे प्रशिक्षण प्राप्त किया है और कुछ घिनौनी गतिविधियों के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराते हैं। अब, यह आतंकवाद नहीं तो क्या है ? और क्या ये वह शक्तियाँ नहीं हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय वायुयानों में भी आतंकवाद फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं ? और इसलिए क्या यह न्यायोचित नहीं है कि हम आतंकवादियों के हथियारों से जवाब दें। उदाहरण के लिए अगर हमारी सरकार या हमारे प्रधान मन्त्री जी को इस बात की सूचना मिलती है कि जिन आतंकवादियों को सीमा पार पाकिस्तान में प्रशिक्षण मिला है। वे पंजाब में आतंकवाद फैला रहे हैं तो क्या हमारी सरकार सीमा पार पाकिस्तान पर बम गिराना हमारे लिए न्यायोचित होगा। महोदय मुझे खुशी है कि ऐसे कार्यों में हम शामिल नहीं हैं। लेकिन यदि वे कुछ रात्रि क्लबों में आतंकवाद को न्यायोचित ठहरा सकते हैं जहां पर बर्लिन में कुछ अमरीकन डिस्को करते समय मारे गए। अगर वे कुछ आतंकवादियों द्वारा मारे जाते है तो क्या यह आतंकवाद का उत्तर देने का ठीक रास्ता है कि उस देश के निर्दोष व्यक्तियों पर बम गिराये जाएं। इसलिए इसे जरा भी न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस आक्रमण की आर्थिक व राजनीतिक जड़ की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विचार से बम गिराए जाने और नौसेना का प्रयोग करने सम्बन्धी तथ्य इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि यह विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

जब लीबिया में राजकीय शासन था। अमरीका के लीबिया के साथ अच्छे सम्बन्ध थे। वहां कोई समस्या न थी उस समय संयुक्त राष्ट्र अमरीका का लीबिया में सैनिक अड्डा था। अमरीका तेल कम्पनियों का लिब्रियम तेल उद्योग में व्यापक परिचालन था।

1 सितम्बर 1969 को गद्दाफी के अधीन जब अचानक सत्ता पलट दी गई तो अमरीका को सैनिक अड्डे समाप्त करने का आदेश हुआ। वे परेशान थे जब उन्हें लीबिया में सैनिक अड्डों को समाप्त करने के लिए कहा गया तो वह परेशान हो गए। लीबिया के लोगों द्वारा तेल कम्पनियों में अधिक हिस्सा लेने से अमरीका की तेल कम्पनियां प्रभावित हुई थी। अतः जब उनके वित्तीय; औद्योगिक और आर्थिक हितों में बाधा पड़ी तो अमरीका इस बात से परेशान हो गया

[प्रो० मधु दण्डवते]

था। लीबिया के नेताओं ने संयुक्त राज्य अमरीका के अरब इजराइल समझौते के प्रयासों का विरोध किया जो फिलस्तीनी लोगों के हितों की उपेक्षा कर रहा था। अमरीका सोवियत संघ द्वारा लीबिया को दिए गए हथियारों की सहायता से क्रुद्ध हो गया। वे किसी को भी हथियारों की सहायता दे सकते हैं लेकिन अगर कोई और किसी को आर्थिक, वित्तीय या हथियारों की सहायता देता है, तब वह यह कार्य किसी कारण से प्रोत्साहित होकर किया गया माना जाता है। स्वाभाविक रूप से वे जलन की भावना से परेशान हैं। रेगन ने लीबिया को आर्थिक सहायता कम कर दी है। हम अक्सर यह तथ्य भूल जाते हैं कि लीबिया पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने की नीति के एक हिस्से के रूप में उन्होंने लीबिया के अमरीका में धन को समाप्त करने का प्रयास किया। यह एक ऐतिहासिक सच हैऔर संयुक्त राज्य अमरीका ने सभी देशों को हथियारों की सहायता दी है जो लीबिया के विरुद्ध थे और उसी के फलस्वरूप वह मध्य सागर में नौ सेनाओं की उपस्थिति को सुनिश्चित करने का प्रयास किया और मध्यसागर के सम्पूर्ण वातावरण को अशान्त करने की कोशिश की है जैसे हम हिन्द महासागर को जिसे हम शान्तिमय समुद्र या शान्ति क्षेत्र बनाना चाहते हैं वर्तमान तनाव की स्थिति को देखते हुए यह बहुत आवश्यक है कि मध्य सागर में तनाव को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए और मध्य सागर शान्ति का क्षेत्र बना रहे। लेकिन अमरीका का हित यह है कि मध्य सागर शान्ति का क्षेत्र न बने। उनकी नौसेना का दबाव क्षेत्र बना रहे। इसलिए उन्होंने इस दिशा में यह नीति अपनाई है।

आर्थिक व राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए हमें यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि आक्रामक रुख क्यों अपनाये गए हैं। अमरीका के आक्रमण और उसकी बुरी नीयत की ओर विभिन्न राष्ट्रों का क्या रुख था। और अरब लीग के 21 सदस्यों ने 13 अप्रैल 1986 को यह घोषणा की थी कि अमरीका के लीबिया पर आक्रमण करने पर वे लीबिया को सहायता देंगे। "वह यह आशा करते थे कि लीबिया के विरोधी देशों को बहुत सी आर्थिक सहायता और हथियारों की सहायता देने से लीबिया के विरोधी देशों में बहुत घमासान युद्ध होगा। 13 अप्रैल 1986 को अरब लीग के सदस्यों ने अमरीका द्वारा किए गए आक्रमण से लीबिया की सहायता करने की प्रतिज्ञा की थी। सीरिया और ईरान ने पहले से ही लीबिया की सहायता करने की घोषणा की थी। लीबिया सऊदी अरब से भी मध्यस्थ के रूप में सहायता चाहते थे। लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली परन्तु प्रयास किए गए थे। अमरीका के यूरोपियन मित्र राष्ट्र भी संयुक्त राज्य अमरीका के आक्रामक इरादों से प्रसन्न नहीं थे और वे पहले से ही सावधान थे उन्होंने अमरीका को चेतावनी दी थी कि क्योंकि प्रत्येक यूरोपियन देश यह महसूस करते हैं कि अगर क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो यह यूरोप के देशों के राष्ट्रीय हितों के कारण बढ़ेगा।

आरम्भ में मारग्रेट थैचर बहुत ही कठोर महिला थी, जिसने अमरीका के नौसैनिक अड्डों के लिए इन्कार किया था। बाद में वह अपने मूल रवैयों से हट गई और मंत्री ने पहले ही स्वीकार किया है कि वर्तमान युद्ध में अमरीका को लीबिया पर आक्रमण के लिए अड्डे स्थापित करने और उनका प्रयोग करने की आज्ञा दे दी है। पश्चिम बर्लिन के नेताओं ने आर्थिक सहायता या सैनिक आक्रमण का विरोध किया और इस अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध उन्होंने अमरीका को चेतावनी दी।

महोदय, मैं सोवियत संघ के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं कि सभी नौसेनाओं को भूमध्य सागर से हटा लिया जाए जिससे तनाव समाप्त हो सके।

जब विश्व निरस्त्रीकरण की बात कर रहा है। तो मैं सोचता हूं कि सोवियत संघ का यह उचित कदम है कि सभी नौसेनाओं को भूमध्य सागर से हटा लिया जाए और इसे शान्ति क्षेत्र बना दिया जाए। यह पृष्ठ भूमि है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे यह पता चलता है कि अमरीका किस प्रकार दूसरे देशों से अलग पड़ गया है।

सरकार और लोग अलग-अलग चीजें हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को यह याद करवाना चाहता हूं कि वियतनाम युद्ध के प्रश्न पर अमरीका ने अपराधिक दृष्टिकोण व रवैया अपनाया लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका के लाखों साधारण व्यक्तियों ने शिकागो वाशिंगटन और न्यूयार्क की गलियों में संयुक्त राज्य अमरीका की वियतनाम युद्ध नीति के विरुद्ध प्रदर्शन किया वह प्रदर्शन हमने देखा। सब जगह हमने प्रदर्शन देखा और आज भी जबकि श्रीमती थैचर हाऊस आफ कॉमन्स में इसका समर्थन कर रही है। विरोधी दल के सदस्य, श्रम दल के सदस्य और दूसरे छोटे ग्रुप के सदस्यों ने श्रीमती थैचर के इस रवये का जोरदार विरोध किया कि ब्रिटेन सहायता क्यों कर रहा है। यहां तक कि अमरीका में भी जिसने आक्रमण किया था, स्वयं कांग्रेस और कुछ दल दो हिस्सों में बंट गए वह वर्ग रेगन द्वारा अपनाए गए रवैये का विरोध कर रहे हैं। यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए।

आज ऐसी स्थिति है कि हम परमाणु युद्ध के कगार पर खड़े है। लेकिन मेरा विचार यह चेतावनी देने का नहीं है कि परमाणु युद्ध से विध्वंस होने जा रहा है। ऐसा इस-लिए नहीं है कि अमरीका या बड़ी शक्तियां ऐसा नहीं चाहती। आपको स्मरण होगा कि इस सदन में निरस्त्रीकरण नीति पर बहस शुरू करते हुए मैंने अणु हथियारों और निरस्त्रीकरण पर ये बिल्कुल भिन्न विचार प्रकट किए थे कि अणु हथियारों के प्रसार में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। जब बेलग्रेड कान्फ्रेंस हुई—जो कि प्रथम गुट निरपेक्ष बैठक थी—और अब हाल ही में इसे नये आयाम मिल गए हैं परमाणु अस्त्रों का बहुत प्रसार हुआ है। आरम्भ में केवल 5000 परमाणु अस्त्र थे और अब इनकी संख्या 15000 होने से उनकी संख्या और किस्म के कारण स्थिति बदल गई है। बड़ी शक्तियों की परमाणु क्षमता बदल गई है और आज प्रश्न इस बात का है कि इन छोटे युद्धों और छोटे हमलों के कारण क्या परमाणु आक्रमण हो सकता है और अमरीका सारा विश्व नष्ट करने जा रहा है। इसको रोकने वाला एक ही है। अगर अमरीका का युद्ध और इन सभी परमाणु हथियारों पर एकाधिकार होता तो संभवता स्थिति कुछ भिन्न होती। लेकिन दो बड़ी शक्तिओं अमरीका और रूस की परमाणु क्षमताएं समान हैं और इसके परिणामस्वरूप श्रीमान रीगन भली प्रकार जानते हैं कि वह केवल बटन दबाकर ही सारे विश्व में परमाणु युद्ध कर सकते हैं। लेकिन जब परमाणु युद्ध शुरू होगा, आधुनिक संदर्भ में हार और जीत का कोई महत्व नहीं। जीतने वाले और जो बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे और समाप्त हो जायेंगे जहां तक सभ्यता का प्रश्न है बिल्कुल निरर्थक रह जाएगा। परमाणु युद्ध भयानकता और बिल्कुल नाशवान होने के कारण कौन जीतता है कौन हारता है यह प्रश्न बिल्कुल असंगत होगा। जो जीतेंगे वे भी हार जायेंगे। वे भी हार जायेंगे और सारी मानव सभ्यता नष्ट हो जायेगी और औद्योगिक सभ्यता के लाभ भी समाप्त हो जाएंगे ये लाभ उन देशों में भी समाप्त हो जाएंगे जो जीते होंगे। ऐसी स्थिति

[प्रो० मधु दण्डवते]

होने के कारण अमरीका के लोग डर गए कि हैं उनके बराबर की क्षमता वाली शक्ति है। भारत के सामने यही समस्या है और इसलिए आज ये अजीब वातावरण में अमरीका बिल्कुल अलग पड़ गया है और जब यह बिल्कुल अलग पड़ गया है तो हमने संतोष के लिए प्रक्रिया पूरी करने के लिए नहीं कि हमने अपना कर्त्तव्य पूरा कर लिया है और हमने लीबिया के लोगों के प्रति सहानुभूमि दिखा दी है। हम 24 घंटों के अन्दर-अन्दर यहां एकत्र हुए हैं और हमने वाद-विवाद किया है विश्व को यह दिखाने के लिए यह प्रभुसत्ता सम्पन्न भारत पूर्णतया लीबिया के साथ है और हम एक छोटे से देश लीबिया पर अमरीका द्वारा आक्रमण को बिल्कुल सहन नहीं कर पायेंगे।

इस प्रकार हम अपनी संस्कृति कायम रख सकेंगे जो हम कई वर्षों से कायम रखते आ रहे हैं यह गांधी जी का देश है जहां हमने कुछ संस्कृति कायम रखी है और अब भी रख रहे हैं।

क्या मैं एक उदाहरण देकर समाप्त कर सकता हूं इस देश में 1942 में गतिशील नेता गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए ललकारा। याद कीजिए उस आवाज "भारत छोड़ो" को। यह प्रभुसत्ता सम्पन्न संसद को भारत छोड़ो का उदाहरण देते हुए अमरीका को बताना है और इस संसद का नारा होगा "मिस्टर रीगन लीबिया छोड़ो"। इस संसद का यह नारा दुनिया के कानों में गूंजेगा और यह उस देश को भारत की तरह विश्वास दिलायेगा, गांधी का भारत, भारत जिसने इस हमले का विरोध किया है आज भी अमरीका द्वारा किए गए हमले का विरोध करता है और हम अपने रीति-रिवाजों और संस्कृति के प्रति सच्चे हैं और छोटे से देश लीबिया के साथ हैं जो अपनी स्वतन्त्रता और सार्वभौमिकता की रक्षा कर रहा है!

अध्यक्ष महोदय : मध्य भारत छोड़ो, हिन्द महासागर छोड़ो।

श्री जी०जी० स्वैल (शिलांग) : मैं इस अवसर पर प्रधान मंत्री को बधाई देना अपना प्रथम कर्तव्य समझता हूं। कल लीबिया के हालात का पता लगने के तुरन्त पश्चात्, विदेश मंत्री के सदन में वक्तव्य देने के लिए आने से पूर्व, प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री के रूप में, सभा के नेता के रूप में तथा निर्पेक्ष आन्दोलन के सभापति के रूप में लीबिया पर अमरीकी आक्रमण की जोरदार शब्दों में निन्दा करते हुए एक बक्तव्य जारी किया।

इस संबंध में हम प्रधान मंत्री जी का पूरा समर्थन करते हैं और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि निर्पेक्ष देशों के समन्वय ब्यूरो ने जिसका संयोगवश इस समय दिल्ली में अधिवेशन चल रहा है प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य का समर्थन किया है। अतः यह देश तथा सदन अपनी परम्परा का पालन करने में किसी प्रकार भी पीछे नहीं रहा है।

कोई यह कह सकता है कि प्रधान मंत्री जी ने जो कुछ कहा है क्या हमें इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की आवश्यकता है अथवा नहीं, किंतु, निश्चय हो, मैं समझता हूं कि हमें अमरीकी आक्रमण की निंदा करने के लिए अपने आस-पास की आवाजों के साथ स्वर मिलाकर कहना है। यह आवश्यक है कि अमरीकी प्रशासन न कि अमरीकी जनता को हमारी बात भी कान खोलकर सुननी चाहिए। हम लीबिया पर अमरीका के इस खुले घृणित आक्रमण की निंदा करते हैं जिसे हम पूरी तरह अविवेकी, असमर्थनीय और निन्दनीय समझते हैं ...

श्री सोमनाथ चटर्जी : पूरी तरह धिक्कार्य है।

श्री जी०जी० स्वैल : पूरी तरह धिक्कार्य—मैं आपको धन्यवाद देता हूं—और क्या मैं कह दूं कि यह पूरी तरह अश्लील है।

अध्यक्ष महोदय : और कोई विशेषण ?

श्री जी०जी० स्वैल : एक अमरीकी व्यक्ति, विद्वान राजनयिक जॉन केनिथ गाल्ब्रेथ जो इस देश में राजदूत थे, ने **न्यूयॉर्क टाइम्स** में प्रकाशित अपने लेख में राष्ट्रपति रीगन को एक ऐसा व्यक्ति बताया है जिसने अभी रंग मंच के साथ अपनी युवावस्था के सम्मोहन को नहीं छोड़ा है। वह अभी भी सोचते हैं कि संसार एक रंगमंच है और वह एक अभिनेता हैं और शेखीबगारता हुआ एक ऐसा घुड़सवार है जो पश्चिम की ओर सवार होकर भारतीयों पर बहुत बुरी तरह प्रहार कर रहा है।

एक माननीय सदस्य : धुंआधार बंदूक के साथ।

श्री जी०जी० स्वैल : हां, एक धुंआधार बंदूक लेकर। महोदय, राष्ट्रपति रीगन ने जो हाल लीबिया का किया वह कोई नई बात नहीं है। यह केवल इस प्रकार नया है कि यह काम विश्व के अत्यन्त नाजुक तथा बड़े महत्वपूर्ण भाग में हुआ जिससे आसानी से परमाणु विध्वंस हो सकता है जैसा मेरे माननीय मित्र प्रो० दण्डवते ने कहा है। उन्होंने ग्रेनाडा में ऐसा किया था। अमरीकी सेना ने ग्रेनाडा पर आक्रमण किया था। वह निकारागुआ में निकारागुआ की निर्वाचित सरकार को विद्रोहियों को धन तथा शस्त्र देकर अपदस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो उन्होंने इस प्रकार के काम के अनुसरण में लीबिया में किया है जिसे वह "न्यू अमेरिकन माचो" कहते हैं। और यदि राष्ट्रपति रीगन आज अपनी कार्यवाही को सिद्ध करना चाहते हैं क्योंकि कुछ आतंकवादी लीबिया में थे अथवा विश्व में किसी स्थान पर आतंकवाद की कुछ कार्यवाहियां हुई हैं और राष्ट्रपति रीगन के अनुसार इन आतंकवादियों को कर्नल गद्दाफी से प्रेरणा मिली, मैं यह पूछना चाहूंगा कि वह कौन आतंकवादी हैं जिन्हें अमरीकी कानून के अंतर्गत अमरीकी भूमि पर प्रशिक्षण मिल रहा है। चाहे यह फ्रैंक कैम्पर स्कूल है अथवा कोई अन्य आतंकवादी स्कूल, यह आतंकवादी स्कूल किस लिए हैं ? यह लोगों को विश्व के अन्य भागों में जाकर आतंकवाद फैलाना सिखाते हैं और हमारे देश के लोगों को भी इन स्कूलों में भारत में आतंकवाद फैलाने की शिक्षा मिली है। इस सदन में इस बात की मांग की गई है कि अमेरिका में ऐसे स्कूलों को अवैध घोषित किया जाए और इन पर रोक लगा दी जाए। और अमरीकी सरकार का उत्तर यह है कि कानून के अन्तर्गत वह ऐसा नहीं कर सकते। हां, यह अमरीकी प्रशासन की गंदी चालें हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो अमरीका की सरकार खुले आम तथा प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती है। वह छिपकर ऐसा करना चाहते हैं और इन आतंकवादियों को दूसरे देशों में अस्थिरता उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण दिया जाता है। यह भी कहा गया कि पश्चिमी बर्लिन में भी आतंकवाद की कुछ कार्यवाहियां हुई और यह आरोप लगाया जाता है कि यह कर्नल गद्दाफी की प्रेरणा से हुआ है। अतः यह आक्रमण किया गया। इसी तर्क को लेकर हम यह कह सकते हैं कि अमेरिका में बहुत से आतंक-

[श्री जी० जी० स्वैल]

वादियों को प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है और अमेरिका के लोगों ने इसे कानूनी (वैध) समझा है इसलिए अमेरिका पर बम फेंक दिया जाए। कर्नल गद्दाफी ने कहा है कि उसकी भूमि पर (उनके देश में) कोई आतंकवादी स्कूल नहीं है और उनका आतंकवादियों से कोई संबंध नहीं है। किंतु अमेरिका वाले यह मानते हैं कि वहां आतंकवाद के प्रशिक्षण के लिए स्कूल हैं और यह एक खुली बात है कि ग्रेनाडा के लोगों को डुबो दिया गया है; निकारागुआ की जनता को डुबोया जा रहा है। इसी प्रकार की बहुत सी बातें विश्व में अमरीका की प्रेरणा से हुई हैं। केवल यहां यह अंतर है कि राष्ट्रपति रीगन यह समझते हैं कि उन्हें साम्राज्यवाद से काम करने की शक्ति प्राप्त है। उनके पास इस समय बहुत शक्ति है, अर्थात् एफ० 111, एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु, पनडुब्बियां आदि। चूंकि लीबिया एक छोटा सा देश है, यद्यपि वह वीरता से लड़ रहे हैं—फिर भी वह अमेरिका के विशिष्ट शस्त्रागार का सामना नहीं कर सकता है।

महोदय, आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि अमरीका वालों ने यह कहना आरंभ कर दिया है कि त्रिपोली और बेंगाजी में जो क्षति हुई है वह अधिकतर लीबिया द्वारा अमरीकी विमानों की ओर प्रक्षेपास्त्र चलाए जाने से हुई है किंतु इसे अमेरिका वालों ने अपने इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों द्वारा रोक दिया और यह प्रक्षेपास्त्र वापस बेनगाजी और त्रिपोली में जा गिरे। हम नहीं जानते कि वास्तव में क्या हुआ है। यह कहना बहुत कठिन है। यह नए प्रकार की तथा प्रौद्योगिकी युद्ध स्थिति है। केवल इसलिए कि राष्ट्रपति रीगन के पास इस प्रकार के शस्त्र हैं, वह विश्व भर में घूम सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं।

यह ठीक है कि इस समय अमरीका की कार्यवाही की निन्दा विश्व भर में हो रही है। अमरीका कभी भी इतना अलग-थलग नहीं हुआ है जितना इस समय है। जहां तक हम जान सकते हैं, केवल दो और देश हैं जिन्होंने अमेरिका की कार्यवाही का समर्थन किया है.........

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : दो और सरकारें।

श्री जी०जी० स्वैल : हां दो और सरकारें—क्योंकि कल हाउस ऑफ कॉमन्स में भी श्रीमती मार्ग्रेट थेचर का बहुत विरोध हुआ......

प्रो० मधु दण्डवते : विपक्ष सदा बुद्धिमान है।

श्री जी०जी० स्वैल : विश्व में केवल और दो सरकारें - ब्रिटेन तथा कनाडा की सरकार—जहां तक हमें मालूम है। किसी और सरकार ने राष्ट्रपति रीगन की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। यह भी राष्ट्रपति रीगन की भर्त्सना है। और हम इस देश में चकित नहीं होते। भारतीय आतंकवादियों को कहां प्रशिक्षण मिलता है ? गत वर्ष हमने यह इस बात पर चर्चा की कि किस प्रकार हमारे प्रधान मंत्री को जब अमेरिका की यात्रा पर जाना था क्योंकि आतंकवादियों को अमेरिका में प्रशिक्षण दिया जाता है। हम जानते हैं कि अधिकतर आतंकवादी जो भारत के हैं अथवा भारतीय मूल के हैं उन्हें इन देशों में शरण दी जाती है और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आजकल एक मुख्य समस्या जो है जिस बात पर हमें ब्रिटेन की सरकार से झगड़ा है वह यह

है कि वह भारत के अथवा भारतीय मूल के आतंकवादियों को ब्रिटेन में शरण दे रहे हैं। अत: हमें किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं हो रहा है।

यह खेद की बात है कि अमरीका का राष्ट्रपति रीगन जैसा व्यक्ति है। यह खेद की बाद है कि विश्व में अमेरिका का राष्ट्रपति रीगन जैसा व्यक्ति है जो विश्व का सबसे अधिक धनवान तथा शक्तिशाली देश है क्योंकि वह एक सीमित व्यक्ति है; उनका दैनिक अध्ययन अथवा यूँ कहें मासिक अध्ययन रीडर्स डाइजेस्ट से अधिक नहीं है; वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके विषय में लगता कि उन्हें अपने मन के बारे में भी कुछ मालूम नहीं है। इस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में इससे और कोई बात कुछ प्रकट नहीं कर पाई जब गत वर्ष वह वाशिंगटन से जेनिवा सोवियत रूस की कोम्यूनिष्ट पार्टी के महासचिव श्री गोर्बेचोफ से मिलने गए। जब वह वास्तव में विमान से यात्रा कर रहे थे तो उनके रक्षा मंत्री ने पत्रकारों को उनका लिखा हुआ एक पत्र चोरी छिपे दे दिया जिसमें राष्ट्रपति रीगन को यह चेतावनी दी गई कि वह सामरिक महत्व के हथियारों के बारे में पहल को तिलांजलि न दे। इस प्रकार की बात अकाल्पनिक है। हमारे देश में इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, कि जब प्रधान मंत्री कहीं बाहर कोई महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में गये हों तो एक मंत्री पत्रकारों को एक ऐसा पत्र देंगे जिसमें प्रधान मंत्री को कुछ बातों के संबंध में चेतावनी दी गई हो। क्या आप समझते हैं कि यह कभी संभव है? **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : फिर उनकी नौकरी भी चली जाएगी और सर भी।

श्री जी०जी० स्वैल : और फिर भी जब राष्ट्रपति रीगन से पूछा गया कि वह श्री वेनबर्गर रक्षा मंत्री के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे, क्या वह उन्हें नौकरी से निकाल देंगे, उनका उत्तर था "नहीं।"

अध्यक्ष महोदय : क्या यह "वेनबर्गर" है अथवा "वार-बर्गर" ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इसमें परिवर्तन होता रहता है।

श्री जी०जी० स्वैल : "वाइन और बर्गर।"

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने सोचा आप हैमबर्गर की बात कर रहे हैं।

श्री जी०जी०स्वैल : अभी भी वह अमरीकी प्रशासन के एक सशक्त व्यक्ति की भांति शक्तिशाली होते रहे हैं। महोदय, जेनीवा में उनके मेजर डोमो मुख्य सुरक्षा अधिकारी श्री रोनाल्ड रीगन ने सभी महिलाओं जिसमें श्रीमती रीगन और श्रीमती गोरबचव भी शामिल हैं की यह कहते हुए हँसी उड़ाई कि इन महिलाओं को इन परमाणु युद्धों तथा परमाणु शस्त्रों आदि के विषय में कुछ भी मालूम नहीं है। उन्होंने यह कहा और फिर भी जब वह वापस अमेरिका लौट आए तो श्री डोनाल्ड रीगन अधिक शक्तिशाली व्यक्ति बन गए और उनके कहने पर अमेरिका के एक कैबिनेट स्तर के मंत्री को निकाल दिया गया। यह दु:ख की बात है।

मैं इस सदन के द्वारा यह कहना चाहूंगा कि यदि यह अमरीका की जनता तक पहुंचना

[श्री जी०जी० स्वैल]

संभव है, कि क्या वे लोग अमरीका को ऐसी स्थिति में देखना चाहेंगे। हर प्रकार से, धन तथा अन्य बातों के मामले में अमेरिका विश्व में सबसे से आगे है। यह सुरक्षा परिषद का एक स्थाई सदस्य है। इसका यह कर्तव्य है कि इस प्रकार की घटना कहीं पर न हो। इस मामले में यह देश एक ऐसे रूठे हुए किशोर की भांति व्यवहार कर रहा है जो "यूनेस्को" से अलग हो रहा है क्योंकि "यूनेस्को" में इसकी बात नहीं मानी जा रही है; आई०एल०ओ० से इस लिए भाग रहा है क्योंकि उसमें इसकी बात नहीं मानी जा जा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से इसलिए भाग रहा है क्योंकि वहां उसकी बात को नहीं सुना जाता है और अब अपने 20% योगदान को वापस लेकर संयुक्त राष्ट्र पर अपनी इच्छा लादने का प्रयत्न कर रहा है।

क्या अपने बारे में वह विश्व के सामने ऐसी तस्वीर पेश करना चाहेंगे ? मैं समझता हूं कि समय आया है। जब विश्व को जागना होगा, और जब सारा विश्व जाग उठेगा तो अमरीकी जनता अपनी कार्यवाही की गलती समझेगी और एक ऐसा समय आयेगा जब वे श्री रीगन जैसे उच्च पद पर आसीन व्यक्ति को हटा देंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द गजपति राजू। कृपया समय को ध्यान में रखें।

श्री आनन्द गजपत राजू (बोबिली) : अध्यक्ष महोदय, अमरीकी बेड़े द्वारा लीबिया पर आक्रमरण निश्चित रूप से कायरतापूर्ण है जिसकी सभी को निन्दा करनी चाहिए और हम भी इसकी निन्दा करते हैं। मेरे विचार से यह आक्रमण संगठित आतंकवाद से अधिक है।

आज, अमेरिका महसूस करता है कि वे अलग-थलग पड़ गए हैं। केवल इस कारण से अलग-थलग पड़ गये हैं क्योंकि अन्य राष्ट्रों प्रभुसत्ता संपन्न जनता को और विकसित देशों को भी उन्होंने अपनी कार्यवाही से खतरे में डाल दिया है। हमें पता है कि पीछे 1971 में जब बंगला देश की स्थापना हुई थी उस समय भारत सरकार को खतरे में डालने के लिए बंगाल की खाड़ी में अमरीका का सातवां बेड़ा उतर आया था।

राष्ट्रपति रीगन ने अब क्या करने का प्रयास किया है वह यह है कि वह भी उसी तरह बन्दूक तथा नाव की कूटनीति अपना रहे हैं जो मेरे विचार तथा इस सदन के विचार से पुराने हो गए हैं और जो विगत काल की अवशेष स्मृति हैं। त्रिपोली और बेगांजी पर बंम वर्षा करना निश्चितरूप से आक्रमण की कार्यवाई है।

इस तरह मैं यह बताना चाहूंगा कि शीत युद्ध फिर से ठंडे वातावरण में शायद जो छठे दशक में हुआ था शुरू हो गया है। अमरीकी राष्ट्रपति की कार्यवाही पूरी तरह से एक पक्षीय है और कुछ करारों का भी जो दो महाशक्तियों के बीच होने थे अर्थात् महाघातक शस्त्रास्त्र नियंत्रण संधि-2 (एस० ए० एल० टी० II) का अतिलंघन करती हैं। महाघातक हथियारों पर रोक लगाने संबंधी बातचीत अवरूद्ध हो गई। अमरीका ने इससे पहले आणविक परीक्षण किया और हवा से लड़ने की अपनी मनोवृत्ति का संकेत दे दिया। आज वह यही कर रहा है।

आप देखें कि अमरीका पूरे विश्व की घेराबन्दी करने के प्रयास में है। हिन्द महासागर को बड़े पैमाने पर सैनिक क्षेत्र बनाया जा रहा है। इसी प्रकार प्रशांतमहासागर और अटलांटिक महासागर अर्थात् विश्व के अन्य भागों में भी यही प्रयास कर रहा है। इसके अलावा वह अपने समर्थन में अत्यधिक दक्षिण पंथी आन्दोलन पैदा करने की कोशिश कर रहा है जिससे निर्धन देशों के विरुद्ध श्वेत विश्व को एकजुट कर सके।

मैं इस संबंध में यह भी बताना चाहता हूँ कि आक्रमण की ये कार्यवाहियां नजर-अन्दाज नहीं हो सकती और इनसे निश्चित रूप से अमरीकी राष्ट्र को निजी तौर पर समस्या आयेगी। हम अमरीकी जनता की नहीं बल्कि अमरीकी सरकार की जिसने इस प्रकार का विवेकहीन रुख अपनाया है, निन्दा करते हैं। इस क्षेत्र का सैन्यीकरण करने तथा शस्त्रों की सप्लाई करने के लिए हर समय सोवियत रूस को दोष दिया जाता है। परन्तु व्यापक रूप से देखा जाए तो अमरीका शस्त्रों की होड़ बढ़ा रहा है और विश्व के विभिन्न भागों में तनाव को बढ़ाने के लिए वे जिम्मेदार हैं। वह किसी भी तरह की लोकतंत्रीय सरकार के खिलाफ है। वह तानाशाही को अधिक समर्थन दे रहा है।

इस समय मैं बताना चाहता हूं कि 1960 में राष्ट्रपतित्व छोड़ने से पहले आइजनहावर ने सैनिक औद्योगिक समूह के अभ्युदय के बारे में जो कहा वह सैनिक औद्योगिक समूह आज अमरीका में शक्तिशाली हो गया है। वह तीसरी दुनिया के विकास में दिलचस्पी नहीं रखते। शीघ्र ही विश्व बैंक में एक भूतपूर्व कांग्रेसमेन लगाया जाने वाला है जिसके विचार परिवर्तन विरोधी है। यूनेस्को और यूनिसेफ जैसे संगठनों को भी जो विकासशील देशों की सहायता करते हैं, अमरीका सहायता देने से पीछे हट रहा है। आई० डी० ए० को धन सुलभ कराने के बारे में भी वह खुश नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय समापक अर्थ-सुलभता में वृद्धि करने के लिए जो हमने कहा था उसको भी उसने मना कर दिया है। इस प्रकार विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच हर क्षेत्र में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विकसित देश यहां तक कहने लगे हैं कि विकासशील देशों का पेट भरना उनका उत्तरदायित्व नहीं है। उन्हें अपने रुख में परिवर्तन करना चाहिए। क्योंकि हम उनसे अपने भरण-पोषण के लिए नहीं कह रहे हैं। हम उनसे समान अवसर देने को कह रहे हैं। इसलिए अमरीकी सरकार के रवैये में परिवर्तन की आवश्यकता है और यदि वह इस स्तर तक नहीं आता है तो निश्चितरूप से निर्गुट आन्दोलन की प्रासंगिकता सबसे आगे आएगी और लीबिया इसके लिए कहता रहा है—"उस खाड़ी में मत जाइए जो हमने बनाई थीं।" उन्होंने एक लाइन खींची थी और कहा था। "इसे लांघकर प्रवेश मत करिए अन्यथा यह आक्रमण की कार्रवाई होगी।" परन्तु अमरीकियों ने अपने देश के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर 250 मील आर्थिक क्षेत्र को एक पक्षीय रूप से 1974-75 में नियत किया था और एक लाइन खींची थी और कहा था "यह हमारा आर्थिक क्षेत्र है।" जब वह एक लाईन खींच सकते हैं तो लीबिया यह कहते हुए लाईन क्यों नहीं खींच सकता है कि यह भी एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर हम मार्मिक रूप से विचार करते हैं तथा जिसका सैन्यीकरण नहीं होना चाहिए। अत: सदन से शायद बिना तैयारी के परन्तु सदन के रुख और इस देश के लोगों की मन:स्थिति को देखते हुए मेरा विनम्र अनुरोध है कि हमें सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने के नाते संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा एक विकासशील देश पर जिसका तीसरी दुनिया के साथ गहरा सम्बन्ध है इस प्रकार का एक पक्षीय आक्रमण करने की कार्यवाही की पूरी निन्दा करनी चाहिए।

4.51 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस संबंध में मुझे एक और बात तेल से संबंधित कहनी है । आज पश्चिमी देश तेल की कीमत में कमी होने के कारण अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं हालांकि वे कहते हैं कि कुछ उपायों के माध्यम से वे इस कीमत को समर्थन देना चाहते हैं लेकिन शायद वे भौगोलिक - राजनीतिक कारणों से उसे कम रखने के लिए इच्छुक है और इसलिए मेरी राय से यह तीसरी दुनिया पर एक प्रहार है। यह एक प्रहार है उन उद्देश्यों पर जिनके लिए तीसरी दुनिया कार्यरत है। यह बेलग्रेड में हुए सम्मेलन पर प्रहार है; यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर प्रहार है; तीसरी दुनिया के देशों को स्वतन्त्र रूप से सोचने पर प्रहार है और इसलिए हमें यह अधिकार है कि हम किसी भी ताकत का मुकाबला करने को तैयार रहें क्योंकि हमारे कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें महात्मा गांधी ने प्रचारित किया है और जब हम इस प्रकार के ठोस आधार पर खड़े हैं तो कोई भी हमें अपने स्थान से नहीं डिगा सकता है ।

श्री आर० एस० स्पैरो (जालन्धर) : उपाध्यक्ष महोदय अमरीका ने लीबिया पर आक्रमण किया है । अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से यह बहुत खतरनाक स्थिति है जिसमें हर व्यक्ति ग्रस्त है और कुछ भी परिणाम हों हम सबको उसका सामना करना होगा । महोदय, मैं आपको और सदन को इस विशेष घटना के चार संगत कारण बताना चाहता हूं । पहला कारण पूरे विश्व में सभी प्रकार के हथियारों को अधिक मात्रा में एकत्र करने से संबंधित है । श्री दण्डवते जी ने इस बारे में थोड़ा सा बतलाया था । परन्तु यह खतरनाक स्थिति लड़ाई के आधुनिक हथियारों के साथ जो बहुत खतरनाक किस्म के हैं । हरेक ने खिलवाड़ शुरू कर दी है और कुछ देशों ने इनके इस्तेमाल में संयम बरतना शुरू कर दिया है तथा कुछ लोग ऐसा नहीं कर सके हैं ।

आज अमरीका की निन्दनीय स्थिति है । हम समझते हैं कि इनके पास क्या ताकत है और विश्व के पास क्या ताकत है। सभी प्रकार के आणविक हथियार, आई० सी० बी० एम०, मध्यम दर्जे के एम एक्स आदि विभिन्न लोगों के पास हैं जिन्हें वे अपनी आशानुरूप युद्ध में इस्तेमाल के लिए नियन्त्रित तथा स्थापित कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि लेसर किरणों, जीवाणु रासायनिक पदार्थों से युक्त हथियारों का भी बड़ी मात्रा में आविष्कार हो गया है । बस इनमें किसी के द्वारा चिनगारी दिखाने की कसर बाकी है । यह एक तरीका है जिसे आज रोनाल्ड रीगन ने अपनाया है । इस हद तक जाने का उनका कोई कार्य नहीं है। जैसा कि मेरे एक साथी ने सही कहा है कि अमरीका संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का सदस्य है । बटन मात्र दबाने से छिड़ने वाला युद्ध किसी के लिए हितकारी नहीं होगा । यदि कोई इस विषय का अध्ययन गहराई में करें तो कोई भी उसे असानी से समझ सकता है । मैं उस पर विस्तार से बोलना नहीं चाहता हूं । परन्तु यह एक ऐसा पहलू है जिस पर नजर रखी जानी चाहिए । अग्निकाण्ड का क्या प्रभाव हो सकता है, यदि यह विध्वंस होता है । तो इसका क्या प्रभाव होगा । यह हम सबको समझना चाहिए ।

जो अगला कारण मैं बताना चाहता हूँ वह है अमरीकी भूमिका, जिसे थोड़ा स्पष्ट करने की आवश्यकता है । इसके दो पहलू हैं। पहला, अमरीका मोहम्मद गद्दाफी को दोषी ठहराते हैं कि

वह आतंकवादियों को समर्थन, बढ़ावा, सहायता देते हैं और उकसाते हैं। क्या मैं सदन को और अमरीकी प्रशासन को याद दिला सकता हूँ कि इस विशेष प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में अमरीकी प्रशासन की क्या भूमिका रही है ? निकारागुआ, ग्रिनेडा, ग्वाटेमाला एलसलवेडोर, होन्डूराज अर्थात् मध्य अमरीकी राज्यों से लेकर दक्षिणी अमरीकी राज्यों में चिली तक सभी जगह पैसा और हथियारों के बल पर गड़बड़ी कराई गई है। इसको कौन नहीं जानता ? क्या विश्व के साथ व्यवहार करने का यह तरीका है और मोनरो सिद्धांत को विफल करने का यह तरीका है ? क्या अमरीका के लोग इसको चाहते हैं ? मुझे संदेह है। प्रशासन ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है। झूठा भय दिखाने वाले चरवाहे की तरह बनने का प्रयास करना ठीक नहीं है जो आज लागू नहीं होता है। हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और होते हैं।

आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए जेक केम्पर द्वारा चलाये जा रहे स्कूल से हर व्यक्ति अवगत है। यह खुला रहस्य है। इसके बारे में सब जानते हैं। इसकी शाखाएं चारों ओर फैली हैं। हमारे बहुत नजदीक कहूरा तथा अन्य स्थानों पर भी ऐसे प्रशिक्षण स्कूल काम कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति इसको जानता है। उनका क्या योगदान है ? लेकिन वे आतंकवादी गतिविधियों में दूसरों को दोष देते हैं। यह ठीक नहीं है। गलत दिशा में कदम है।

दूसरा पहलू है, देश के रूप में, विशेष रूप से प्रशासन के रूप में उनका क्या कार्य रहा है। बार-बार उन्होंने अपनी गतिविधियों से अमरीका के लोगों को नत अवस्था में ला दिया है। विश्व के विभिन्न लोगों को नत अवस्था में ला दिया है। यह पहला अवसर नहीं है। अमरीकी प्रशासन एक समय अपने मित्र से एक व्यवहार करता है, तो दूसरे समय दूसरा व्यवहार करता है जो सामान्य अमरीकी लोगों के मूल चरित्र के अनुरूप बात नहीं है। अमरीकी लोग स्वतंत्र पैदा हुए हैं, स्वतन्त्ररूप से बोलते हैं, उन्हें इसका गौरव है, वे परिपक्व हैं। वे शक्तिशाली हैं और भूमि पर व्यवहारिक रूप से सभी प्रकार के साहसपूर्ण जातियों से गठित हुए। सामान्यरूप से ये अमरीकी लोग हैं परन्तु प्रशासन को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए ? जब कोई मित्र-वत देश खतरे में होता है तो किसी कारण के बिना वह विश्वासघात करता है और उसे निसहाय छोड़ देता है। जैसा कि उसने उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, वियतकांग, कम्बोडिया, कांगो, कटांगा, नाइजिरिया बाईफ्राक्ष, युगान्डा, इथोपिया, ईरान के साथ किया है। अफगानिस्तान और कई अन्य देशों का भी यही उदाहरण है।

5.00 म० प०

आपकी विदेश नीति का आधार क्या है ? क्या आप पूरे विश्व की प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं ? क्या ऐसे व्यवहार किया जाता है ? क्या अपनी शक्ति का इस प्रकार प्रदर्शन किया जाता है ? किसी भी दृष्टि से यह पूर्णतः गलत बात है।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है। एक सुन्दर वस्तु अन्धकार में इस तरह जगमगा रही है जैसे घने बादलों में बिजली चमकती है, जैसी कि स्थिति विश्व में इस समय बनी हुई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, विदेश मंत्री ने, हमारी सरकार ने तथा इस सभा ने अमरीका द्वारा मुहम्मद गद्दाफी के विरुद्ध की गई कार्यवाही की निन्दा की है। यह ऐसी बात है कि जिस पर कोई भी गर्व कर सकता है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पहल की। और प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री

[श्री आर० एस० स्पैरो]

ने अमरीका की कार्यवाही की न केवल इस सभा में निन्दा की अपितु "नाम" राष्ट्रों के मंत्रियों की बैठक में भी उसकी निन्दा की है। हम पूरी तरह से अमरीकी हमले की निंदा करते हैं। सही बात सही बात ही है। उसका हमें इस प्रकार से सामना करना पड़ेगा। हम किसी से भी भयभीत क्यों हो ? हम अपनी टांगों पर खड़े हैं और आत्मनिर्भर हैं। हमारे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई पहल वास्तव में सुन्दरता से जगमगा रही है। और यह किसी बात की याद दिलाती है।

[हिन्दी]

......इस बारे में यदि आप सुनें तो शायद आपको अच्छा लगे।

"कोहेनूर का जलवा हर बार नहीं होता,
हर रोज हसीनों का दीदार नहीं होता।"

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : हम इसे समझ नहीं पाये परन्तु यह सुन्दर है।

श्री आर० एस० स्पैरो : ये सिर्फ बहुत कम अवसरों पर ही किसी के द्वारा इस तरह की सुन्दर कार्यवाही की जाती है। हमारे प्रधान मंत्री ने हमारी इस सभा ने पूरी एकाग्रता से निश्चय किया है। मैं बहुत खुशी के साथ कह रहा हूँ कि आज प्रधान मंत्री ने सही दिशा की ओर आगे बढ़ने का संकेत दिया है। और हम सब मिलकर उसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं।

मेरी अन्तिम बात का सम्बन्ध जिस बात से है उससे हमें सबक लेना चाहिए। यह हमारे निकट के देशों से सम्बन्ध रखती है। मैं दक्षिण एशिया की बात करने जा रहा हूं इसका सम्बन्ध मुख्यतया हमसे है क्योंकि बड़ी शक्तियां सदा युद्ध भूमि को अपनी धरती से दूर रखना चाहती हैं। अत: आपको अपने मोर्चे की ध्यानपूर्वक निगरानी करनी है। इस सन्दर्भ में मैं दक्षिण एशिया का उल्लेख करना चाहता हूं। दक्षिण एशिया के देश दूसरों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य क्यों करें ? यह मेरा निवेदन है और अब मैं अगली बात को लेता हूं। नेपाल, भूटान, भारत, पाकिस्तान, बर्मा, बंगला देश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सभी दूसरी ताकतों का शिकार रहे हैं। क्या यह सही नहीं है? हमारी सभी की साझी परम्परा है तथा एक इतिहास है तथा हम एक साथ जुड़े हुए हैं। अपने वाणिज्य अर्थ-व्यवस्था तथा हमारी पारस्परिक पूर्ण-रूपेण प्रगति की पर्याप्त जानकारी है। दक्षिण पूर्वी ब्लाक के भागीदार के नाते हम एक दूसरे की स्वतन्त्रता सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि हमारे बीच कोई मतभेद हों तो उन्हें हम द्विपक्षीय आधार पर हल कर सकते हैं।

भूगोलिक तथा सामरिक महत्व की दृष्टि से दक्षिण पूर्व के देश साझी सुरक्षा व्यवस्था न करें, इसका कोई कारण नहीं है। हमारे राष्ट्रों के मध्य इस कार्यवाही से शान्ति मैत्री, तथा स्थिरता आयेगी। किसी भी आक्रामक सैनिक ब्लाक के विरुद्ध दक्षिण पूर्वी ब्लाक महान प्रतिबन्धक बन सकता है। हम मिलकर कार्य कर सकते हैं तथा परमाणु युद्ध से भी बच सकते हैं। अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता। श्री दण्डवते जी मैं आपके मत का पूर्णत: समर्थन करता हूं। जैसा कि प्रधान मंत्री ने, आपने तथा अन्य वक्ताओं ने कहा है हम सबको मिलकर कार्य

करना है तथा संसार को सिद्ध कर सकते हैं कि यह एक राष्ट्र है तथा सभी स्थितियों का मुकाबिला कर सकता है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, यह चर्चा अत्यन्त समुचित है क्योंकि इससे हमारे देश की जनता की भावनाएं प्रकट होती हैं। 'नाम' की मंत्री स्तर की बैठक में इस मामले पर जिस तरह की वार्ता हुई थी उसे मैं पसन्द करता हूं। वहां पर भी इस स्थिति का विरोध प्रकट किया गया। इस परिस्थिति पर प्रधान मंत्री की प्रतिक्रिया का मैं स्वागत करता हूं। इस हिंसा का विरोध करने में सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ हैं, कल कई लोगों ने इस घोर कार्यवाही के विरुद्ध अमरीकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। आज भी हम सभी मिलकर श्री रीगन को बताएंगे कि हम प्रगतिशील साम्राज्यवाद विरोधी लोग उनकी इस कार्यवाही के विरुद्ध है, परन्तु हम देखते हैं कि उनके साथी भी उनके विरुद्ध हैं। यह आक्रमण न केवल विश्व व्यापी जनमत का विरोध करते हुए अपितु अपने समर्थकों अर्थात् यूरोपीय आर्थिक समुदाय का भी विरोध किया है। जैसा कि पहले बताया गया है उनके विमानों को 2800 मील का चक्कर लगाना पड़ा क्योंकि फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल ने अपनी सीमाओं से ऊपर विमानों को उड़ने की अनुमति नहीं दी थी। ये अच्छे चिन्ह हैं। हो सकता है इसीलिए त्रिपोली में फ्रांसीसी दूतावास को भी क्षति पहुंची। मैं कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश प्रधान मंत्री श्रीमती थैचर का रवैया अत्यन्त निन्दनीय था। हमने समाचारों पत्रों में पढ़ा कि ब्रिटेन लीबिया पर हमले के लिए अपने अड्डे उपयोग नहीं करने देगा। परन्तु इन्हीं अड्डों से अमरीकी विमान उड़े तथा उन्होंने लिबिया पर हमला किया।

श्रीमती थैचर को लौह महिला कहा जाता है। परन्तु हम जानते हैं कि लोहा भी उपयुक्त तापमान पर पिघल सकता है और हमें विश्व जनमत द्वारा ऐसा वातावरण तैयार करना है। वे समझते हैं कि वे जनमत को ठेस नहीं पहुंचा सकते। इस प्रकार के रवैया का विश्व भर में गम्भीर परिणाम हो सकता है।

फिर जिस प्रकार से हमला किया गया, उन्होंने इस आतंकवाद का मुकाबला करने का नाम लिया है, उन्होंने राष्ट्रपति के महल पर हमला किया। तथा राष्ट्रपति गद्दाफी के दो पुत्रों को जख्मी कर दिया तथा एक पुत्री को मार दिया। श्री रीगन को इस बात का अनुभव नहीं है कि किसी का पुत्र जख्मी होता अथवा पुत्री मारी जाती है, तो इसका क्या अर्थ होता है। कभी भी अमरीकी धरती पर नहीं व्हाइट हाऊस पर कभी बमबारी हुई थी। वे समझते हैं कि इस बात की उनके पास शक्ति है कि वे अन्यत्र युद्ध कर सकते हैं परन्तु अपने देश में नहीं।

हम लीबिया के आत्मघाती दस्तों के बारे में और लिबिया की सहायता से उग्रवाद की बात सुनते हैं। परन्तु उसका क्या बना? हमने यह नहीं देखा कि अमरीकी कार्यवाही के विरोध में लिबिया का आत्मघाती दस्ता व्हाइट हाऊस में बमबारी करने गया हो। ये सभी काल्पनिक बातें हैं।

अमरीका उग्रवाद से निपटने की बात करता है। वे खालिस्तान के राष्ट्रपति के महल पर बमबारी क्यों नहीं करते जोकि उनकी अपनी धरती पर है। कौंट्रास के बारे में स्थिति क्या है? हम सभी इस बारे में जानते हैं, मैं इस बात को नहीं लेता। वे अंगोला में 'यूनिता' के नेता के

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

साथ क्या कर रहे हैं ? वे सामबिया के शान्ति विरोधी नेता को समर्थन दे रहे हैं। वे उसे अपने देश में बुलाकर उसका स्वागत कर रहे हैं। वह व्यक्ति अपने संगठत के साथ क्या कार्यवाही करता है ? वह अंगोला की लोकप्रिय विधिक सरकार को अपदस्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। उस स्थान पर यही स्थिति है।

मैं कहना चाहता हूं कि उग्रवाद के मूल में अमरीका का हाथ है। जब वे गद्दाफी पर उग्रवाद का आरोप लगाते हैं तब हमें इन मामलों पर गम्भीरता से विचार करना है। हमने मालता की घटना को देखा है जहां पर कि मिसरी विमान का अपहरण किया गया था। यह विस्मय की बात है कि अपहरणकर्त्ताओं ने कोई उन्होंने पुन: इंधन भरने की मांग की; और उसके बाद क्या हुआ ? विमान को नष्ट करने तथा यात्रियों की हत्या करने के लिए कमाण्डो भेजे गए। सभी कुछ विनष्ट कर दिया गया तथा यह भी सूचना मिली थी कि जिस विमान में कमाण्डो ले जाए गए थे उसमें तीन अमरीकी अधिकारी भी थे। यह समाचार बाद में प्राप्त हुआ। अमरीका द्वारा आरोप लगाया गया था विमान अपहरण का यह षड्यन्त्र त्रिपोली के ग्रैन्ड होटल के कमरा नं० 401 में रचा गया था। परन्तु पाया क्या गया कि उक्त कमरा काफी समय से, अमरीकी अधिवक्ता संघ जोकि वहां पर रंगभेद नीति के विरुद्ध एक बैठक में भाग लेने गया था, के पास था।

फिर रोम तथा वीयाना में विमान हमले के सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं दे पाया। इटली तथा अस्ट्रेलियन सरकारों का कहना है कि वे लिबिया को दोष नहीं दे सकते। हम जानते हैं कि हमला करने से चार दिन पूर्व अमरीकी स्टेट विभाग के चार्लस रेडमैन ने लीबिया के विरुद्ध कार्यवाही करने की चुनौती दी थी। जब पत्रकारों ने पूछा आप लिबिया पर कब हमला कर रहे हैं; तब उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई अत: यह दीर्घकालीन आयोजित हमला था कोई तत्कालीन कार्यवाही नहीं थी। उग्रवाद तो भिन्न बात है। पश्चिम बर्लन की घटना के बारे में भी पश्चिम बर्लन सरकार ने कि वे कह नहीं सकते कि क्या इसमें लिबिया का हाथ है। इसका कोई प्रमाण नहीं है। तर्क के तौर पर हम मान लेते हैं कि इसमें लीबिया का हाथ है। संयुक्त राष्ट्र संघ विद्यमान है और अमरीका सुरक्षा परिषद् का सदस्य है। यदि लीबिया का उसमें हाथ है भी तो अमरीका का उस पर आक्रमण करने का क्या अधिकार है। उनके पास ऐसा अधिकार नहीं है। अन्यथा वे किसी भी देश पर उग्रवादी गतिविधियों का आरोप लगा सकते हैं तथा किसी भी देश पर आक्रमण कर सकते हैं जोकि उस देश की प्रभुसत्ता पर हमला है।

अब सिड्रा की खाड़ी के सम्बन्ध में। यह अमरीकी समुद्र तट के निकट नहीं है यह अमरीका से हजारों मील दूर है। अमरीका ने समुद्री परम्परा को स्वीकृति नहीं दी है। यदि वे समझते हैं कि यह अन्तर्राष्ट्रीय जल मार्ग है तो उन्हें विश्व न्यायालय का सहारा लेना चाहिए था। अमरीका स्वत: ही निर्णय कैसे ले सकता है। वे सभी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं इस बात पर चर्चा नहीं करना चाहता कि किस प्रकार वे उग्रवाद के मूल में हैं।

हमें इसराइल द्वारा पी० एल० ओ० के मुख्यालय पर हमले को समझना है। यदि ऐसा होता है तथा उसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोग उग्रवाद का सहारा लेते हैं, तो मैं उसका समर्थन नहीं करता। जब हम उग्रवाद की निन्दा करते हैं तब हमारा उसे रोकना हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि राष्ट्रों द्वारा

व्यवस्थित अन्य देशों के विरुद्ध उग्रवाद को रोका जाए। परन्तु पी० एल० ओ० पर हमले के बाद मिश्री विमान का अपहरण हुआ था। अमरीका ने उसकी प्रतिक्रिया में क्या किया ? उन्होंने बल पूर्वक एक जापानी विमान को उतारा जिसमें समर्पित अपहरणकर्त्ता थे। इस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन चलता रहा। मैं पुरानी बातें दुहराना नहीं चाहता। परन्तु इसका मूल पलीस्तीन को कर न दिया जाना इसका कारण था। इतिहास क्या है ? अमरीका उस क्षेत्र में तनाव बनाए रखना चाहता है ताकि मध्य-पूर्व क्षेत्र में उसका प्रभुत्व बना रहे; यह उनकी बहुत पुरानी नीति है, मैं कह सकता हूं कि उनकी यह नीति गिरोहबाजी की है।

हमें बताया गया है, कर्नल गद्दाफी ने कई बार यह कहा है कि आतंकवाद में लीबिया का कोई हाथ नहीं है। लेकिन उन्होंने स्पष्टतय: कहा है कि लीबिया साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा सभी प्रकार के नस्लवाद के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिरोध का एक केन्द्र है; उन्होंने ठीक और उपयुक्त ही कहा है। और यह अमेरिका के लिए हृदय-दाहक हो गया है। ऐसी स्थिति में अमेरिका की नीति क्या है ? यू०एस०ए० के एक भूतपूर्व राज्य सचिव का कहना है "मध्य पूर्व क्षेत्र को सैन्य-राजनैतिक प्रयोगों के लिए प्रयोगशाला कहने की एक उपयुक्त वजह है।" यही वे कर रहे हैं। कार्टर के एक समय सहायक ब्रेजिन्सका ने इसे, जिसमें एशिया और अफ्रीका के 19 देश आते हैं। "अस्थिरता का शिखर" कहा था। सम्प्रति, हम देख सकते हैं कि उसने विभिन्न तरीकों से इन देशों में अपनी कठपुतली सरकारें स्थापित करने की कोशिश की, विभिन्न प्रकार की सहयोग परिषदें स्थापित कीं जो अमेरिकी साम्राज्यवाद की कठपुतली के रूप में कार्य करें। परन्तु जब वह अपने प्रसास में असफल हो रहा है तो वह इस क्षेत्र में संघर्ष उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है।

दमिश्क के एक समाचार पत्र तिश्रीन का कहना है "वाशिंगटन और तेल अबीव अरब राष्ट्रों को सैन्य संबंध स्थापित करने और इस क्षेत्र में बढ़ते हुए अमरीकी घुसपैठ को रोकने के लिए उठाये गये कदमों को हर कीमत पर रोकना चाहते हैं।" लीबिया पर आक्रमण इससे अलग घटना नहीं है। प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र, विशेषकर समग्र क्षेत्र खतरे में हैं।

सीरिया के संबंध में क्या उद्‌घाटन किया गया है ? हेरिटेज फाउन्डेशन, जिसमें रीगन की विचारधारा मिलती है कहा है कि "राष्ट्रपति असद के सीरिया को वाशिंगटन कुछ प्रलोभन दे सकता है। पर उसे कठोर शर्तों पर आश्रित रहना होगा।" इस तरह की नीति का यह अनुसरण कर रहा है।

सीरिया के बाथ-दल के अहमद दिरहन ने कहा "लीबिया के विरुद्ध धमकी व्यापक साम्राज्यवादी षड्यन्त्र का एक अंग है। हम भी इस कारण से निशाना बनाये जा सकते थे क्योंकि अमेरिका तथा इजराइल डरते हैं कि लेबनान में शान्ति स्थापना के प्रयास पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में साम्राज्यवाद-विरोधी गुट के निर्माण की नींव रख सकते हैं।" स्थिति यह है। वे इस क्षेत्र में दखलन्दाजी करने के लिए इस संघर्ष को बनाये रखना चाहते हैं। उनका यह सिद्धांत कि यदि यूरोपीय क्षेत्र में शान्ति बनाई रखी जाये तो कहीं भी झगड़ा नहीं होगा और आण्विक संघर्ष की स्थिति नहीं आयेगी। यह बहुत ही गलत और खतरनाक सिद्धांत है। किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार का संघर्ष आण्विक संघर्ष की ओर ले जा सकता है और संसार में त्रासदी ला

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

सकता है। इसके साथ मैं दो बातें कहना चाहता हूं जो लीबिया में हुई घटनाओं से घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। विश्व व्यापी विरोध और यू०एस० एस०आर० के एक तरफा रोक के बावजूद भी यू०एस० ए० ने नाभिकीय परीक्षण किए इसके द्वारा उसने विश्व को संकट की कगार ला खड़ा किया है। कुछ दिनों पहले यू०एस० ए० के जंगी जहाजों ने क्रीमिया में यू०एस०एस०आर० की जल-सीमा का उल्लंघन किया यह सब उसके द्वारा किए जा रहे प्रयोगों, परीक्षणों, के षड़यंत्र के तहत किया गया है। ये खतरनाक परिणाम सोच विचार कर लाये गये हैं। इस विशाल राष्ट्र के राष्ट्रपति रीगन महोदय ने राष्ट्रपति गद्दाफी के बारे में जो कुछ कहा उसमें उस राष्ट्र के प्रजातांत्रिक संघर्ष की उच्च गरिमा कहाँ दिखाई पड़ती है? उन्होंने कहा ! वह एक······**······· मध्य पूर्व से है।" (व्यवधान) यह शोभाजनक बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलत नहीं किया जायेगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : गद्दाफी ने उत्तर दिया वह तृतीय स्तर के अभिनेता हैं।

श्री एस०जयपाल रेड्डी : वह केवल उद्धरण दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह कहा हो या इसे कहते हों, लेकिन हम इसे अपने कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं करना चाहते।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह केवल उद्धरण दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह से निर्णय नहीं कर सकता। मैं इसे अनुमति नहीं दे सकता।

प्रो के०के० तिवारी (बक्सर) : यही कुछ रीगन महोदय ने कहा है (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है। राजाध्यक्ष ने कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है। माननीय सदस्य उन शब्दों को उद्धरण के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं। यू०एस०ए० के राष्ट्रपति द्वारा प्रयुक्त शब्दों को कहने में किसी प्रकार की आपत्ति का कोई औचित्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आज एक राष्ट्र अध्यक्ष का किसी ने उद्धरण दिया है, दोबारा किसी के द्वारा इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। यह असंसदीय है। हम इसे अनुमति नहीं दे सकते। किसी के द्वारा यह कहा जा सकता है कि पहले कुछ लोग ऐसा कर चुके हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब कोई कथन असंसदीय है तो उसे कार्यवाही-वृतान्त में कैसे शामिल किया जा सकता है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल करें। अथवा आप कह सकते हैं।······**······(व्यवधान)

**कार्यवाही-वृतांत में शामिल नहीं किया गया।

श्री सैफ़ुद्दीन चौधरी : वह सुझाव दे रहे हैं * * किसी रूप में, मैं प्रथम रहा या द्वितीय स्तर की बात में नहीं जा रहा हूं.........(**व्यवधान**) मैं एक दूसरी चीज उद्दृत करना चाहता हूं जो कल टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी, राष्ट्रपति रीगन के बजट निदेशक डेविड स्टॉकमेन ने अपनी पुस्तक "नीतियों की विजय—रीगन क्रांति असफल क्यों ?" में कहा है। उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति थोड़ा ......**......होते जा रहे हैं। रीगन महोदय, जो इतनी महाशक्ति के राष्ट्रपति हैं.........**.........होते जा रहे हैं।

प्रो मधु दण्डवते : वह केवल उद्धरण कर रहे हैं। महोदय, उद्धरण बरकरार रखा जाना चाहिए ।

श्री सैफ़ुद्दीन चौधरी : मैं उद्धृत करता हूं :—व्हाइट हाउस टीम के सम्बन्ध में उन्होंने कहा :

> "कोई गहन विधायी अनुभव या ज्ञान नहीं था। अधिकतर लोगों को संख्याओं की समझ नहीं थी रीगन क्रांति का एक मात्र उद्देश्य रानैतिक प्रतिरोध को खत्म करना था।"

यही उन्होंने कहा। (**व्यवधान**) हमें, इस सदन को, अरब राष्ट्रों से अपील करना है। प्रथमतय: वे अपने संबंध और घनिष्ठ बनाये। अन्दरुनी लड़ाई में वे अपनी शक्ति बरबाद न करें और एक जुट होकर इस चुनौती का सामना करें। इस ललकार को, लीबियन नेताओं द्वारा सहाय्यित आतंकवाद भर कहकर कम नहीं किया जा सकता।

द्वितीय, मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि 'नाम' ने बड़ी शीघ्रता और तत्परता से प्रतिक्रिया व्यक्त की है, लेकिन इसके साथ इसके कुछ दायित्व भी है। यू०एस०ए० लीबिया के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है। (**व्यवधान**) लेकिन वास्तव में यदि विश्व के सभी राष्ट्र एक जुट हो जाएं और वे यू०एस०ए० के विरुद्ध एक प्रकार के आर्थिक प्रतिबन्ध लगायें, तब वह कहां जाएगा। लैटिन अमेरिका में इस तरह की भावना आ चुकी है। मुझे विश्वास है, यदि हम इसका अनुसरण करें और अपने संबंध और नजदीक लगायें, हम इन लोगों को इस प्रकार के दुस्साहस करने से रोक सकते हैं जो किसी दिन हमारे देश को भी खतरे में डाल सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० तिवारी, आप समय का भी खयाल रखें।

प्रो० के०के० तिवारी : समय का खयाल आवश्यक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : डेढ घण्टे में कितने लोगों ने अपनी बात कही है ? केवल चार या पांच लोग बोले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा आरम्भ करने वाले को अधिक समय दिया जाता है। दूसरों को पांच मिनट दिए जा सकते हैं।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : हमें हमारे प्रधान मंत्री, सरकार तथा इस सदन पर गर्व है कि साम्राज्यवादी आक्रमण एवं नस्लवादी ढंग से संघर्ष एवं विरोध करने की अपनी गौरव-शाली परम्परा के अनुरूप यह देश एक बार फिर साम्राज्यवादी मयादोहन, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लीबिया पर शर्मनाक आक्रमण का विरोध करने वाले देश के रूप में उभरा है। इस दस्युवृत्ति और राज्य नियंत्रित आतंकवाद की कार्यवाही से हमारे मस्तिष्क में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के प्रति सवाल उठता है।

यह ऐसा विषय नहीं है जिसे हम अमरीकी द्वारा की गई यत्रतत्र ज्यादतियों के उदाहरण देकर खारिज कर दें। हमें संपूर्ण परिदर्शन पर विचार करना होगा, साम्राज्यवाद की भूमिका पर भी जिसको लुण्ठक फासिज्म के रूप में गतिमय पतन हो रहा है मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। रीगन महोदय, जिनके संबंध में मेरे मित्रों ने बहुत कुछ कहा है और उनके अपने देश के लोगों का भी कहना है कि व्यापक शक्ति संपन्न होने के कारण उनको वर्तमान मानसिक स्तर को देखते हुए मानवता के अस्तित्व को खतरा पैदा कर रहे हैं। यह कुछ रीगन महोदय के बारे में कहा गया है।

"वह दिन में केवल तीन से चार घण्टे कार्य करते हैं। वह कोई गृह कार्य नहीं करते। वह

अपने सार-संक्षेप कागजातों को नहीं पढ़ते...।"

अन्तिम वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है।

"यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके जैसा व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रपति है।"

यह वक्तव्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष श्री पी०ओ० नील द्वारा दिया गया है।

श्री पी० ओ० नील जूनियर सारे विश्व में श्री रीगन की गतिविधियां उनकी विचार-धारा को दर्शाती हैं। मेरे लिए तो वह.......**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इसको कार्यवाही वृतांत में सम्मिलत नहीं किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है नहीं किया जाएगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : श्री तिवारी तो ऐसे विषय को भी विवादास्पद बना देने में सक्षम हैं जिसमें कोई विवाद न हो।

प्रो० के० के० तिवारी : अगर आप श्री रीगन का समर्थन करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। किन्तु मैं इस वाद विवाद में कोई भी विवादास्पद बात नहीं कह रहा हूं।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया।

इसलिए, जो कुछ लीबिया में हुआ है वह निहायत ही अन्यायपूर्ण है। हमने सदन में इसकी निन्दा करने में जबरदस्त एकता दिखाई है। किन्तु हमें दूसरी घटनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए।

यह सारी साम्राज्यवादी व्यवस्था के विचलित होने का एक लक्षण है। श्री रीगन और उनके मित्र व्हाईट हाऊस में जो कुछ कर रहे हैं वह साम्राज्यवादी नीति की पुन: पुष्ठि करना है। गुट निरपेक्ष आन्दोलन की सफलता तथा जिन्हें उपनिवेशवादी शक्तियों ने सदियों तक दासता में रखा था, उन शक्तियों के खिलाफ लम्बे संघर्ष के पश्चात्, अब इन्होंने यह जान लिया है कि संसार को अपने स्वप्नों तथा अपनी इच्छानुसार ढालने की योजना क्षीण होती जा रही हैं। इसलिए, एक नई योजना तथा सिद्धान्त का प्रसार किया जा रहा है और वह हस्तक्षेप का सिद्धान्त है। अमेरिका और इसके पश्चिमी मित्र राष्ट्र इसकी योजनाएं बनाते रहे हैं। और मैं सदन को यह जानकारी दे सकता हूं कि 1947 से लगभग 78 बार किए गए हस्तक्षेपों में से, अमेरिका ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में लगभग 60 बार हस्तक्षेप किया है। इस तरह, आजकल हम देखते हैं कि एक महाशक्ति, विध्वंसकारी और विनाशकारी घातक हथियारों से पूर्णतया लैस होकर, युद्धपथ पर अग्रसर है। लीबिया पर आक्रमण करने के कई कारण बताये गए हैं। सन् 1981 से लीबिया को तंग किया जा रहा था। आन्तरिक अव्यवस्था स्थापित करने के लिए सी०आई०ए० द्वारा श्री गद्दाफी की हत्या के प्रयास किए गए थे जिससे कि अमेरिका को लीबिया में एक मैत्रीपूर्ण शासन मिल सके। और जब हम इस घटना पर विचार करते हैं तो हमें इसके व्यापक महत्व और मेडीटेरेनियम पर नियन्त्रण करने के विश्वव्यापी महत्व को समझने का प्रयास करना चाहिए। उग्रवाद की गतिविधि का भी जिक्र किया गया है। अमेरिका ने बदले की कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि उसको शक था कि श्री गद्दाफी और उनका शासन अमेरिका तथा उसके मित्र राष्ट्रों के खिलाफ विश्व भर में उग्रवादियों को सहारा दे रहे थे। किन्तु यह कार्रवाई अपने आप में राजकीय उग्रवाद का सबसे अधिक स्पष्ट उदाहरण है जिसके बचाव में कुछ नहीं कहा जा सकता है और सारे विश्व में फैलते हुए उग्रवाद के लिए अमेरिका उत्तरदायी रहा है। इजराइल में, फिलस्तीनी असहाय देश भक्तों तथा दूसरे अरबी लोगों के खिलाफ जायोनिस्क शासन का खुला छेड़ा गया राजकीय उग्रवाद, दक्षिणी अफ्रीका में इस समय सत्ता में रंगभेदी शासन है और जिस ढंग से वहां लोगों की हत्याएं तथा जातिसंहार आतंक से लोगों को तंग किया जा रहा है, इन सभी क्षेत्रों में हम अमेरिका की भूमिका को भूल नहीं सकते।

जैसा कि कहा गया है, तीसरी दुनियां की स्थिरता को बढ़ते हुए अमेरिका के खतरे की धमकी हम पर भी लागू होती है क्योंकि श्री रीगन और उसके सलाहकार 'तृतीय विश्व की व्यापारिक एकता' को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, अर्थात्, तृतीय विश्व के देश तथाकथित अमेरिका तथा उसके मित्र-राष्ट्रों के व्यापक हितों के विरुद्ध अपने आप को व्यापारिक संघों में संगठित कर रहे हैं। इसलिए, जब हम सारी स्थिति का जायजा लेते हैं, तो हमें इसकी कड़ी निन्दा करनी पड़ती है। एक राष्ट्र के रूप में अमेरिका में उस हाईग्रेव को हम कैसे भूल सकते हैं ? इससे कितना रहस्य उद्घाटित होता है और जिसको इस सदन में दोहराया जा चुका है। मैं इसे लगभग हर भाषण में दोहराता रहा हूं। अमेरिका के लोग जो लोकतन्त्र से प्यार का खुला दावा करते हैं और जो उग्रवाद के प्रति इतने परेशान और उत्तेजित हैं, उनके ही राजकीय

(प्रो० के० के० तिवारी)

विभाग ने इस अध्ययन का प्रबन्ध किया था। अगर महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाए तो भारत में क्या स्थिति होगी इसके बारे में इस हाईग्रेव रिपोर्ट को तैयार करने के लिए अमेरिका के राजकीय विभाग ने ही आदेश दिया था। अमेरिका की सरकार के अनुसार ही ऐसा किया गया था। क्या हम खुद यह अनुमान नहीं लगा सकते कि अमेरिका चाहता था कि भारत अस्थिर, विभाजित होने के साथ-साथ स्वतन्त्रता रहित हो जाए, इसलिए, एक योजना बनाई जा रही थी, और महात्मा गांधी को दृश्यपटल से हटाने के लिए एक षडयंत्र रचा गया था ? इसके बाद जब हमारे प्रधान मन्त्री अमेरिका की यात्रा कर रहे थे तो अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में उनके विरुद्ध रचे जा रहे षडयन्त्रों की रिपोर्टें हमारे पास हैं। इस सम्बन्ध में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। अब भी लगभग हर रोज ये रिपोर्टें प्रकाशित हो रही हैं कि वहां पर षडयंत्र रचे जा रहे हैं; और वहां पर उग्रवादियों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और जब भी हम इसके बारे में सदन को अवगत कराते हैं और जब भी भारत सरकार यह मामला इन देशों के साथ उठाती है तो उनका एकमात्र यह तर्क होता है कि उनके कानून ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों को बन्द करने और ऐसे लोगों को, जो उनकी भूमि से विभिन्न देशों के विरुद्ध क्रियाशील हैं, कानूनी दायरे में लाने की सरकार को अनुमति नहीं देते। लंदन और वाशिंगटन उग्रवादियों की ऐसी गतिविधियों के अड्डे बन गए हैं और इन दो अड्डों से उग्रवाद को बड़े पैमाने पर बाहर भेजा जा रहा है। इसी प्रकार, यदि भारत या कोई दूसरा देश इस तरह का तर्क देना शुरू कर दें, अर्थात् यह कहे कि, आपके देश से खतरा उभर रहा है और हम ऐसे मामलों को आक्रमण के रूप में लेते हैं तो वे कहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हो जाएगा। और श्रीमान्, इस संबंध में मैं कह सकता हूं—और मुझे पक्का विश्वास है कि आप मुझसे सहमत होंगे—कि अमेरिका की ओर से गंभीर खतरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति श्री रीगन अन्तर्राष्ट्रीय कानून की कदर करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। वे अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता की भी कदर नहीं करते। अमेरिका के प्राधिकारी जो देश उनके साथ नहीं चलते और उनके अन्तर्राष्ट्रीय विचारों का समर्थन नहीं करते उनको सिर्फ अपने वश में करने के लिए ही भरसक प्रयास नहीं करते, बल्कि वे ऐसे सभी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं को नष्ट करने का भरसक प्रयास करते रहे हैं जिन्होंने विश्व को इकट्ठा रखा है और अब तक मानव जाति की सुरक्षा तथा विश्व में शान्ति की गारंटी दी है। इस स्थिति में, हमें साम्राज्यवाद और अमेरिका की ताकत को अवश्य याद रखना चाहिए। अमेरिकी ताकत अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अस्थिर करने के लिए कटिबद्ध है और उनकी अस्थिरता तथा हस्तक्षेप करने की योजनाएं विश्व भर में फैले उनके केन्द्रों के माध्यम से साथ-साथ तैयार की गई है। आज ऐसा लीबिया के साथ हो रहा है। और कल और कोई देश हो सकता है; और भारत भी हो सकता है। हम यह नहीं भूल सकते कि हाल ही में अमेरिका का छठा समुद्री बेड़ा कराची में आया था। यह हमारे पड़ोस में था। हम यह भी नहीं भूल सकते कि बंगला देश के युद्ध के समय, श्री निक्सन ने भारत पर आणविक आक्रमण करने तक के बारे में भी सोचा था। हम इसे कभी नहीं भूल सकते। इस प्रकार यह हस्तक्षेपवादी संलक्षण बढ़ते हुए, साम्राज्यवादी हमले का लक्षण है जो तेजी से बढ़ रहा है और हमें इसका ध्यान रखना है।

श्रीमान, यह एक अच्छा और स्वागत योग्य संकेत है कि समस्त विश्व में जो लोग अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में विवेक, अन्तर्राष्ट्रीय कानून और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों का आदर करते हैं,

उन्होंने अमेरिका के इस घिनौने आक्रमण की निन्दा की है मुझे पक्का विश्वास है कि अमेरिकी आक्रमण और उसके इरादे के विरुद्ध समस्त विश्व में अलग-थलग करने के लिए जनमत तैयार किया जाएगा और अन्ततः जो खतरनाक योजनाएं अमेरिका तथा उसके मित्र राष्ट्रों जैसे ब्रिटेन और कनाडा द्वारा रचायी जा रही हैं उनकी पोल खोली जाएगी । ये तीन देश विकासशील देशों के लिए सबसे अधिक खतरा पैदा करते हैं, क्योंकि, इन सभी तीनों देशों में उग्रवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और हम इसके शिकार रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने घंटी बजाकर यह संकेत दिया है कि मुझे अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए । श्रीमान, इसलिए, अन्त में मैं कह सकता हूं कि अमेरिका का लीबिया पर यह आक्रमण सिर्फ एक शुरूआत है और यह आक्रमण विश्व के सभी शान्ति-प्रिय तथा विकासशील देशों को प्रभावित करेगा। इस प्रकार, जैसा कि हमने इस सदन में किया है हमारे देश के लिए नेतृत्व संभालने और विकासशील तथा तृतीय विश्व और विश्व के प्रगतिशील लोगों को अमेरिका को अलग-थलग करने और उन प्रवृतियों को जो अन्ततः मानवता और विश्व के अस्तित्व के लिए खतरा बनेंगी शुरू में ही उन्हें दबाने के लिए इकठ्ठे होकर एक विश्व व्यापी आन्दोलन छेड़ने के लिए कहने का समय आ गया है।

श्रीमान, इन शब्दों के साथ मैं प्रो० मधु दंडवते द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द और चर्चा का समर्थन करता हूं। कम से कम एक बार तो मैं प्रो० दंडवते के विचारों से सहमत होता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे तो ऐसा कर सकते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : प्रो० मधु दंडवते कुछ अनमने से लग रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : नहीं, मैं ठीक हूं। ऐसे अवसर कितने भी आ सकते हैं लेकिन आक्रमण नहीं।

प्रो० के० के० तिवारी : इसलिए, यह सदन लीबिया के लोगों और उन सभी देशों, जो आज अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा इसके मित्र राष्ट्रों के खतरे से आशंकित है, के प्रति चिन्ता और एकात्मा प्रकट करता है।

श्री सी० कुलन्दईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री द्वारा अमेरिका के लिबिया पर किए गए आक्रमण के बारे में तुरन्त जारी किए गए आलोचनात्मक वक्तव्य के लिए धन्यवाद देता हूं। और लीबिया पर सैनिक आक्रमण के सम्बन्ध में विरोधी नेताओं द्वारा दिए गए लम्बे भाषणों के लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

श्रीमान, मैं अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से लीबिया पर अमेरिकी हमले की निन्दा करता हूं। वास्तव में, पिछले दो दशकों का इतिहास दर्शाता है कि राजकीय उग्रवाद, उग्रवाद पर नियंत्रण नहीं लगाता है बल्कि अधिक उग्रवाद को उत्पन्न करता है। अमेरिका का लीबिया पर एक आक्रमण अन्तर्राष्ट्रीय अवैधता का एक अन्यायपूर्ण कार्य है और श्री रीगन एक मुकाबला करने वाले युद्धकारी की भूमिका निभा रहे हैं। असल में ऐसा लगता है कि श्री

[श्री पी० कुलन्देई वेलू]

रीगन ने राम्बो वाला रुख अपनाया हुआ है, किन्तु हमें श्री रीगन को यह स्मरण करवाना है कि संसार एक हॉलीवुड वाला मनोराज्य नहीं है क्योंकि श्री रीगन कहते हैं कि कर्नल गद्दाफी गल्ती पर हैं। किन्तु मानलो कि कर्नल गद्दाफी ने कोई गल्ती की भी है, तो श्री रीगन इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सघ में ले जा सकते हैं और वहां श्री गद्दाफी का भेद खोल सकते हैं और उनको अलग थलग कर सकते हैं। किंतु वास्तव में श्री रीगन जंगल का कानून अपनाते जा रहे हैं। वे तो "जिसकी लाठी उसकी भैंस" वाली बात कहते हैं। किन्तु यह वह दुनियां नहीं है जहां श्री रीगन इस तरह कह सके और जंगल का कानून अपना सकें। और यह घटना जताती है कि अमेरिका और लीबिया के मध्य लम्बी कटुता है। मुख्य घटनाओं का कालक्रम यह दर्शाता है कि सन् 1979 से अब तक लीबिया और अमेरिका के मध्य कई घटनाएं हो चुकी हैं। इसलिए मैं अमेरिका द्वारा लीबिया के विरुद्ध किए गए आक्रमण तथा उग्रवादी कार्यों की भी निन्दा करता हूं। निःसंदेह अमेरिका विश्व का एक तानाशाह बनना चाहता है। किन्तु मैं यह साहसपूर्वक कह सकता हूं कि जब हमारे माननीय प्रधान मंत्री सभी तरह के उग्रवाद को कुचलने के लिए यहां हैं तो वे एक तानाशाह नहीं बन सकते। यह देश उग्रवादियों की गतिविधियों के लिए कदापि नहीं है। मैं कड़े शब्दों में अमेरिका की लीबिया के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की निन्दा करता हूं।

श्री एडुआर्डो फलीरो (मारमागाओ) : उपाध्यक्ष महोदय अमेरिका द्वारा लीबिया पर आक्रमण की दुनिया के सभी शान्तिप्रिय लोगों ने पूर्ण और उपयुक्त रूप से निन्दा की है और इससे न केवल लीबिया अपितु संसार के सभी छोटे विकासशील देशों की शान्ति व सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरे की स्थिति पैदा कर दी है।

पिछले महीने नौ सेना द्वारा आक्रमण किया गया था और इसका कारण यह था कि लीबिया ने सिदरी की खाडी में अन्तर्राष्ट्रीय जल सीमा का अतिक्रमण किया था। सिदरी की खाडी के पानी पर लीबिया ने 1973 में ही अपना क्षेत्रीय जल होने का दावा किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने, जो सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य है सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र की अन्य किसी संस्था अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का सहारा लिए बिना, अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के सभी मानदण्डों की पूर्ण उपेक्षा करते हुए, पिछली मार्च को सिदरी की खाडी में लीबिया की सेनाओं पर आक्रमण कर दिया। उन्हें सफलता नहीं मिली। क्योंकि वे सफल नहीं हुए इसीलिए कल उन्होंने त्रिपोली और बेन्गाजी और कुछ अन्य क्षेत्रों पर हवाई आक्रमण कर दिया। मैं कहता हूं कि यह आक्रमण पूर्वयोजना के अनुसार ठीक गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के अवसर पर किया गया था, गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के लिए जानबूझकर अवमानना करने के लिए, हमारे सभी देशों के लिए अनादर दिखाने के लिए, और यह दिखाने के लिए किया गया कि वे हमारी राय हमारे विचार विमर्श की जरा भी परवाह नहीं करते। क्योंकि गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों की इस मंत्रालय-स्तर की इस सभा में दोनों प्रश्नों—अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद जिसका अमेरिका ने लीबिया पर आरोप लगाया है और स्वयं लीबिया के प्रश्न पर वाद-विवाद होना था। इसलिए ऐसे समय पर और ऐसे ढंग से हमला किया गया कि गुट-निरपेक्ष देशों के लिए नफरत जाहिर हो, यह उनके विचार विमर्श के लिए और मोटे-तौर पर उनकी राय के प्रति घृणा प्रकट करने लिए किया गया।

जैसा कि यहां कहा गया है अब इस आक्रमण के लिए आरोप यह लगाया गया है कि कर्नल गद्दाफी आतंकवाद में सम्मिलित थे। मैं कर्नल गद्दाफी का पक्ष नहीं लेता और अधिकतर सदस्यगण कर्नल गद्दाफी का पक्ष नहीं लेते। परन्तु निश्चित रूप से संयुक्त राज्य प्रशासन ने गलती की है यदि उन्होंने यह सोचा है कि चूंकि कर्नल गद्दाफी संसार के सबसे अधिक प्रिय नेताओं में से एक नहीं हैं इसीलिए जनमत उनके विरोध में नहीं जायेगा। संसार के बहुमत ने स्वयं अमेरिका के जनमत सहित—केवल ब्रिटेन को छोड़कर जिसके सम्बन्ध में मुझे एक-दो बात कहनी हैं, इस कार्यवाही की निन्दा की है; और इसलिए आज रीगन महोदय की संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार दक्षिणी आफ्रिका और इजरायल की बदनाम संगति में खड़े हैं आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों में से एक है। इसका कारण जो कुछ अमेरिका ने किया है वह है। अमेरिका ने लीबिया के लोगों को आतंकित कर दिया है, एक देश को जिसकी जनसंख्या 50 लाख है, संसार के सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा आतंकित किया जा रहा है। इसका कारण ढूंढ़ना आसान है। संयुक्त राज्य, अमरीका का रीगन प्रशासन अब सारी दुनिया को अपनी जागीर समझते हैं और महासागर को अपनी निजी सम्पत्ति समझते हैं। यही स्थिति है।

जब हम संयुक्त-राज्य अमरीका की निन्दा करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए और मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि आपको श्रीमती थैचर की ब्रिटिश सरकार श्रीमती थैचर की कन्जर्वेटिव सरकार जो साम्राज्यवादी नीतियों में रीगन महोदय की पूर्वज थी, की भी निन्दा करनी चाहिए। मध्य-पूर्व में आज जो स्थिति उत्पन्न की गई है, वह साम्राज्यवादी नीतियों, ब्रिटिश उपनिवेशों के समय से लाई गई फूट डालो और शासन करो के साम्राज्यवादी सिद्धान्तों का परिणाम है। ऐसा केवल फिलिस्तीन के सम्बन्ध या केवल मध्य-पूर्व के सम्बन्ध में ही नहीं है अपितु फूट डालो और शासन करो की नीति सभी जगह लाई गई है इस उपमहाद्वीप में भी, और इसके फलस्वरूप अब कर्नल गद्दाफी के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और अब रीगन महोदय की कार्यवाही में दिख रहा है। यह एक बड़ी नीति का भाग है, जिसे अब रीगन नीति के नाम से जाना जाता है। यह अब बहुत जटिल नहीं है, मुझे कहना चाहिए कि यह बहुत सरल है। यह रीगन की तरह सरल है और इसमें बुराई और खतरे की सम्भावना है सिद्धान्त यह बताता है कि आज हम पिछले विश्व युद्ध के समय के बाद सबसे बुरी स्थिति में हैं। हम जानते हैं कि पांचवे दशक में, युद्ध के उपरान्त समय में सिद्धान्त यह रहा कि साम्यवाद को अवश्य ही सीमित रखा जाए और इसीलिए हमें अवश्य ही हस्तक्षेप करना चाहिए परन्तु अब रीगन समर्थक तो एक कदम और आगे निकल गए हैं और वे कहते हैं कि साम्यवाद को सीमित रखना ही पर्याप्त नहीं हैं, हमें सक्रियता से हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं यहां एक रीगन कानून को उद्धृत करता हूं सैद्धान्तिक रूप से सहमत राष्ट्रों की स्थापना संसार में होनी चाहिए क्योंकि केवल सैद्धान्तिक रूप से सहमत राष्ट्र ही अमेरिका को सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि एक विशेष सरकार यदि संसार के किसी भाग में एक विशेष सरकार विशेषतया विकसित देशों में आदेश का पालन नहीं करती हो अमेरिका के लोग हस्तक्षेप करेंगे। केन्द्रीय कमांड के अन्तर्गत हिन्द महासागर में तेजी से सेना तैनात करने का उद्देश्य अन्य देशों के साथ झगड़ा करना नहीं है। तेजी से सेना तैनात करने का उद्देश्य हिन्द महासागर में सभी राज्यों को यह सैनिक धमकी देना है कि वे अमेरिका की योजनाओं का विरोध करेंगे, और उनके इरादों के विरुद्ध नहीं जायेंगे। यह, जैसा मैंने कहा है, उत्पन्न की गई स्थिति की केवल शुरूआत है। इस समय इजरायल के लगभग 2500 टैंक गोलान हाइट्स पर

[श्री एडुआर्डो फैलीरो]

लगे हुए हैं और यह हैरानी की बात नहीं होगी यदि लीबिया पर यह आक्रमण, इजरायल के लिए सीरिया पर आक्रमण करने के लिए शुभ-संकेत होगा। आज लीबिया और कल सीरिया पर हमला होगा क्योंकि रीगन प्रशासन और अमेरिकन साम्राज्यवादी नीतियों के उस क्षेत्र में 2 प्रमुख विरोधी देश हैं।

इस प्रकार यह स्थिति है और हमें हैरानी नहीं होगी यदि जल्दी इजरायल सीरिया पर गोलान हाइट्स से आक्रमण कर देता है।

जो स्थिति उत्पन्न की गई है हमें उसका ध्यान रखना है। चाहे किसी भी भाषा में कहा जाए, यह वही स्थिति है, वही व्यवहार है जिसे हम 16वीं शताब्दी में पश्चिमी शक्तियों द्वारा प्रतिपादित करते हुए और उस पर चलते हुए देख चुके हैं। यह संसार पर शासन करने का सिद्धांत है। अमेरिका के लोग आजकल जो कुछ कर रहे हैं वह सबसे क्रूर किस्म का साम्राज्यवाद है, तथा कथित मानव अधिकारों की पूर्ण उपेक्षा करते हुए, विकासशील देशों के लोगों व व्यक्तियों के लिए हम जिनकी इतनी चर्चा करते हैं और तथाकथित तीसरी दुनिया का पूर्ण निरादर है।

वास्तव में इस सन्दर्भ में अब हम अमेरिकी आतंकवाद के विरोध में कोई बहुत अधिक कार्यवाही नहीं कर सकते, क्या मैं इसे दोबारा कह सकता हूं? उदाहरण के लिए त्रिपोली पर आक्रमण केवल सैनिक अड्डों पर ही नहीं था। असैनिक अड्डों पर भी आक्रमण किया गया। फ्रांस के दूतावास पर आक्रमण किया गया। ईरान के दूतावास पर आक्रमण किया गया। कर्नल गद्दाफी के परिवार के सदस्य भी मारे गए और इसीलिए यह आतंकवाद नहीं तो और क्या है!

इस संबध में हम जो कुछ कर सकते हैं वह केवल जनमत तैयार कर सकते हैं। हम इस सदन में एक संकल्प लाने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आओ हम संसद सदस्य होने के नाते अमेरिकन सीनेट के सदस्यों से बातचीत करें। आओ हम सीनेट सदस्यों से बातचीत करें क्योंकि वे अमेरिका की जनता के प्रतिनिधि हैं, आओ हम अपनी भावनायें उनके ध्यान में लाए। आओ हम उनके ध्यान में लायें कि एक दूसरी तस्वीर भी है जोकि रीगन महोदय व उनके सहयोगियों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। आओ हम संसार की शान्ति व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनसे बातचीत करें।

यह भी महत्वपूर्ण है कि हमें मध्य-पूर्व के अरब संसार के लोगों को नैतिक समर्थन भी प्रदान करना है। हम यह बार-बार कह रहे हैं कि उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए आज जरूरी है अरब एकता का प्रश्न। समस्या यह है कि अरब के लोग असंगठित हैं। और यही रीगन महोदय का विश्वास है। उनका यह विश्वास है कि अरब लोग कर्नल गद्दाफी का समर्थन नहीं कर रहे और इसीलिए उन्हें इस क्षेत्र में जनमत बनाने का अच्छा समय मिलेगा। इस अन्धा-धुन्ध कार्यवाही का अच्छा पहलू यह रहा कि सारा अरब संसार और संसार के अन्य देशों ने स्पष्ट रूप से, संयुक्त राज्य के आक्रमण की निन्दा करते हुए अपने आपको संगठित कर लिया है। हमें अवश्य ही अपना नैतिक समर्थन लीबिया व सीरिया के लोगों को देना चाहिए और उन लोगों को, जो इस साम्राज्यवाद से लड़ रहे हैं, जो अपने लिए सभी बातों के लिए स्वयं निर्णय लेना चाहते हैं और जो किसी के प्रभुत्व को स्वीकार करना नहीं चाहते, विशेष रूप से साम्राज्यवादी इरादों वाले वर्तमान रीगन प्रशासन के प्रभुत्व के विरुद्ध समर्थन देना चाहिए।

इस सारे मामले का दुर्भाग्यपूर्ण, दुखान्त पक्ष यह है कि रिपोर्ट आ रही है कि संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा लीबिया को आधुनिकतम हथियारों के प्रयोग के लिए परीक्षण-स्थल बनाया गया। एफ III द्वारा लीबिया पर आक्रमण किया गया और एफ III आधुनिकतम विमानों में से एक हैं जो सामरिक ढंग का दूसरे नम्बर का बमवर्षक है। यह इलैक्ट्रोनिक तरीकों से और नाभिकीय दक्षताओं से पूर्णत: स्वचलित विमान है और यह बिना देखे पांच मीटर तक रात में भी मार कर सकता है और इन्हें पहली बार केवल परीक्षण के लिए लीबिया में प्रयुक्त किया गया और उनके हथियारों के लिए लीबिया एक परीक्षण-स्थल बन गया और उद्देश्य यह देखना भी था कि सोवियत संघ की स्थल से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र एस० ए० 5 की क्या प्रतिक्रिया होती है। यह रास्ता है जिस पर हम जा रहे हैं।

इस समय जो कुछ कह सकते हैं, वह यह है कि तीसरी दुनिया के देशों को अपना क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना चाहिए और सार्क जैसे आन्दोलनों को शक्तिशाली बनाना चाहिए। हमें अपने भेदभाव अवश्य ही निपटा लेने चाहिए और केवल यही एक उपाय है जिसके द्वारा इस क्षेत्र के और तीसरी दुनिया के सभी देश प्रगति कर पायेंगे। आओ हम कहें कि हम साम्राज्यवाद को नहीं रहने देंगे। साम्राज्यवादी सफल नहीं होंगे। संसार के शान्तिप्रिय लोग, विकासशील देशों के लोग अपने दुखों को याद करके एक जुट हो जायेंगे और यह कहेंगे कि प्रभुत्व और दमन जिससे वह पहले गुजर चुके हैं दोबारा कभी प्रयोग नहीं किया जाएगा। हम इस पर गौर करेंगे।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया (संगरूर) : यह भव्य सदन एक गम्भीर मामले पर बातचीत कर रहा है। वह है साम्राज्यवादी अमरीका का लीबिया के शान्तिप्रिय लोगों पर आक्रमण मेरा दल और मैं इस सदन के सभी सदस्यों के साथ और कल माननीय प्रधानमंत्री व माननीय विदेश मंत्री द्वारा इस विषय पर व्यक्त की गई बातों पर एकता की भावना व्यक्त करता हूं।

मेरे दल को महान गुरु गुरुनानक देव जी के उपदेशों से रोशनी मिलती है, जिन्होंने हमें जीओ और जीने दो का दर्शन पढ़ाया है। यह सह-अस्तित्व का दर्शन है। यह खतरा यह आक्रमण, ये अनुमानवीय क्रियाएं जो अमेरिका ने की हैं। सह-अस्तित्व की विचारधारा और जीओ और जीने दो की विचारधारा के लिए एक गम्भीर खतरा है। इस प्रकार मैं अमरीका के लीबिया पर आक्रमण की कड़ी निन्दा करता हूं। यह आक्रमण साम्राज्यवाद की नीतियों का प्रतिबिम्ब है। यद्यपि साम्राज्यवाद का अन्त हो रहा है यद्यपि सारे संसार में नागरिक स्वतन्त्रता की बहादुर लड़ाकू शक्तियों द्वारा साम्राज्यवाद को पराजित किया जा रहा है फिर भी अमेरिका बन्दूक की नोक पर संसार के शान्तिप्रिय देशों में अपनी तानाशाही चलाना चाहता है। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आत्म-सम्मान वाला कोई भी व्यक्ति इन नीतियों को जारी रखने की अनुमति नहीं देगा।

मैं बिलकुल हैरान हूं कि अमेरिका कहता है। मुझे यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया है। क्योंकि लीबिया आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। लीबिया आतंकवादियों की सहायता कर रहा है और लीबिया ने कुछ विशेष आतंकवादियों को बर्लिन भेजा है और इसका ठोस, निश्चित प्रमाण है। परन्तु आपके माध्यम से क्या मैं इन लोगों से पूछ सकता हूं? क्या मैं अमरीका से पूछ सकता हूं कि क्या उनके पास बोलने का कोई नैतिक अधिकार है।

[श्री बलवंत सिंह रामूवालिया]

6.00 म० प०

क्या वह देश स्वयं ही मेरे देश और मेरे प्रान्त में अस्थिरता पैदा करने के लिए आतंकवादियों को भड़का नहीं रहा है ? मेरी समझ से नहीं आता कि अमरीका यह कैसे कहता है कि हमें प्रत्येक दिन किसी न किसी प्रकार से उस हमले से बचाव करना पड़ता है। जब यह पूरे समुदाय के विरुद्ध किया जाता है। मैं अपना अनुरोध सभा के समक्ष रखना चाहूंगा कि हमें बुरे लोगों को अलग-अलग करने के लिए एक होना चाहिए। हमें उन्हें अलग-अलग करना ही चाहिए जो इस प्रकार की गंदी गतिविधियों में लगे रहते हैं। अब अमेरिका कहता है "जो लोग आतंकवादियों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करते हैं उन्हें सबक सिखाना हम न्यायोचित मानते हैं।" अमरीका न केवल अपने देश में आतंकवादियों को सीधे समर्थन दे रहा है अपितु आतंकवादियों को सहायता और प्रशिक्षण भी दे रहा है। कल यदि इस देश में यह आवाज उठे कि उन पड़ोसी देशों को जो आतंकवादियों को समर्थन दे रहे हैं सबक सिखलाना चाहिए तब अमरीका की क्या प्रतिक्रिया होगी ? यह एक बहुत गम्भीर मसला है। अमरीका के बुरे चालों की निन्दा करने में मैं पूरी तरह से भारत के लोगों तथा इस सभा के माननीय सदस्यों के साथ हूं।

श्री विपिन पाल दास (तेजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, शुरू में ही मैं प्रधान मंत्री और भारत सरकार को इस मामले पर साहसपूर्ण कदम उठाने के लिए बधाई देता हूँ। अमरीकियों ने जो किया है वह निःसंदेह बहुत ही गंदा, जघन्य और अक्षम्य अपराध है। यह अकेले लीबिया पर ही हमले की बात नहीं है बल्कि यह उससे भी खराब किस्म का निन्दनीय हमला है। हमें इसे गलत नहीं समझना चाहिए। हमें इसे कम भी नहीं समझना चाहिए। यह केवल लीबिया पर ही हमला नहीं है अपितु तीसरी दुनिया के समस्त देशों पर हमला है। यह समस्त गुटनिरपेक्ष आन्दोलनों पर एक हमला है। यह स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ व्यवस्था पर ही हमला है। यह अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता पर हमला है। अतः प्रश्न यह नहीं है कि अमरीकियों ने सिर्फ लीबिया पर ही हमला किया है। हमें इसके समस्त स्वरूप को और अमरीका के विश्वव्यापी इरादे को विस्तार से देखना है। यह एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक महाशक्ति जो कि सुरक्षा परिषद की सदस्य भी है लीबिया जैसे छोटे देश पर इस प्रकार का हमला करे और किस लिए करे ? मैं अभी उस पर आऊंगा। अमरीका भूल चुका है। उसे यह याद दिलाना है। वह वियतनाम, क्यूबा, अंगोला, निकारागुआ इत्यादि में हुई हार और अपमान को भूल गये हैं। हर जगह उनका अपमान हुआ है। उनका दुबारा अपमान होगा। किस बात के लिए होगा ? आखिरकार जीत या हार परमाणु बम की नहीं होती है। यह लोगों की स्वतन्त्रता के लिए लड़ने वाली इच्छा शक्ति है। जो सभी सम्मानित लोगों में होती है और केवल यही अकेले जीतती है और यही कारण है कि हमने हाल ही के विश्व इतिहास में ऐसे कुछ ज्वलन्त उदाहरण देखे हैं। उन्हें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए कि किसी देश के लोगों का दृढ़ संकल्प, स्वतन्त्रता की लालसा, चाहे देश कितना ही छोटा क्यों न हो अमरीका तथा किसी अन्य देश के किसी भी हथियारों से अधिक शक्तिशाली हैं। जो कुछ उन्होंने किया है उसे न्यायोचित ठहराने के लिए उनके पास कोई कारण नहीं है। अब प्रश्न यह है कि उनका क्या ध्येय था ? उन्होंने यह सब क्यों किया ? मेरे विचार से हम तीन उद्देश्यों पर सोच सकते हैं। पहला यह कि वह लीबिया को सबक सिखाना चाहता है, क्योंकि लीबिया ने उसे आर्थिक दृष्टि से और उनके पूंजी निवेश को अपने यहां से निकाल बाहर किया है। यह अपमान

वह सह नहीं सकता और वह लीबिया को सबक सिखाना चाहता है। दूसरी बात यह है कि वह चाहता है कि इस प्रकार की कार्यवाही से वह समस्त तीसरी दुनिया को, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को डरा सके, आतंकित कर सकें, और धमका सकें ताकि वे झुकें और बिना शर्त निवेदन करें। यह बहुत बड़ा कारण है और इसे गंभीरता से नोट किया जाना चाहिए। यह एक अकेली कार्यवाही या एक अलग कार्यवाही नहीं है। इस कार्यवाही से उन्होंने विश्व में सभी को, सभी छोटे देशों को, समस्त तीसरी दुनियां को, और गुट निरपेक्ष आन्दोलन को सूचित किया है। "मेरे प्यारे बच्चों सुनो यदि आपने अभद्रता की तो हम आपके महलों और मकानों पर और आम जनता पर बम फेंकेंगे।" और यही उन्होंने किया है। तीसरी बात यह है कि वह भूमध्य-सागरीय क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को पुनः स्थापित करना चाहता है। उनके लिए उस क्षेत्र में कर्नल गद्दाफी एक कांटे के समान हैं और इसीलिए उन्हें इस व्यक्ति को उखाड़ फेंकना चाहिए। अमरीकियों ने न केवल यह सिद्ध किया है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के नेता हैं अपितु उन्होंने यह भी सिद्ध किया है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय गुन्डागर्दी के भी नेता हैं···

श्री सोम नाथ चटर्जी : इससे आपका मतलब रीगन प्रशासन से है।

श्री बिपिन पाल दास : उससे मेरा तात्पर्य रीगन प्रशासन से है, अमरीकन से, मेरा मतलब अमरीकी सरकार से है अमरीकी प्रशासन से है; मेरा मतलब वहां के लोगों से नहीं है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने यह इसलिए किया है क्योंकि लीबिया अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का गढ़ बन गया है। परन्तु उन्हें किसने अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस अधिकारी नियुक्त किया है? यदि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से भिड़ने के लिए कोई संस्था है तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद है। किसी ने भी अमरीका को पुलिस के रूप में संसार के किसी भी भाग में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए नियुक्ति नहीं किया है। आतंकवाद के बारे में कहने वाले वे कौन होते हैं? जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि जब वहां कानून से मान्यता प्राप्त ऐसे स्कूल चल रहे है जहां आतंकवादी प्रशिक्षित किये जाते हैं और ये आतंकवादी इस देश सहित समस्त विश्व में जाते हैं और अस्थिरता की स्थिति पैदा करते है, तब लीबिया के आतंकवाद के बारे में कहने वाले वे कौन होते हैं? उन्हें इसके बारे में बोलने का कोई भी नैतिक आधार नही है। संयुक्त राष्ट्र संघ को इस मामले को शीघ्र लेना चाहिए और अमरीका को सही रास्ते पर लाना चाहिए। किसी भी हालत में संयुक्त राष्ट्र संघ का यह कर्त्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करें कि दुबारा इस प्रकार की हमले की कार्यवाहियां न हो। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ को बने रहना है तो उन्हें यहीं से और अभी शुरू करना है, चाहे उसे अपनी तरफ से कुछ भी करना पड़े।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन चुप नहीं रह सकता है, हमें गर्व है, हमें खुशी है कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष ने एक साहसी कदम उठाया है और समस्त आन्दोलन का मार्ग प्रशस्त किया है। परन्तु यह काफी नहीं है। यह अब सारे आन्दोलन का कर्तव्य है, समस्त गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्यों का कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी इस प्रकार से इस आन्दोलन से सम्बन्धित सदस्यों पर हमला करके बच न सके। अमरीका सहित समस्त संसार में विशेषतया

[श्री बिपिन पाल दास]

गुट निरपेक्ष तथा और देशों में भी ऐसा जनमत तैयार किया जाए ताकि इस प्रकार की कार्य-वाहियां इस प्रकार के जनमत के बल पर रोकी जा सकें।

अब मैं अन्तिम मुद्दे पर आता हूं। हम भारत में इस घटना को एक अलग, भिन्न रूप में नहीं ले सकते। हमें इसे गम्भीर रूप में लेना चाहिए। इसके सैद्धान्तिक महत्व या विश्लेषणात्मक महत्व के अलावा हम 1971 में जो हुआ है उसे नहीं भूले हैं।

मुझे कुछ जानकारी है। परन्तु न तो मेरे पास सभा को यह बताने के लिए समय है और नहीं मैं इस बारे में कोई कुछ बता सकता हूं। परन्तु हर एक जानता है कि जब सातवां बेड़ा चटगांग की तरफ बढ़ रहा था तो क्या हुआ था। आज मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी को याद करता हूं वह महान नेता थी वह न केवल राजनैतिक नेता थी बल्कि मैं उन्हें सैनिक नेता भी कहूंगा। उस समय सभी चिन्तित थे। श्री सोमनाथ चटर्जी मैं नहीं जानता कि आप यहां थे या नहीं थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हां, मैं यहीं था।

श्री विपिन पाल दास : सभी उत्तेजित थे और केन्द्रीय हाल में कांप रहे थे। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। सभी नेता, कांग्रेस के, विपक्ष के, सब उत्तेजित थे जब सातवां बेड़ा बढ़ रहा था परन्तु इस संसद भवन में एक व्यक्ति निश्चल और अटल बैठा था और वह श्रीमती इन्दिरा गांधी थी।

क्या मैं इस सभा की कार्यवाही का जिक्र कर सकता हूं? मैं उस समय यहां सदस्य नहीं था। जब सदस्य चिल्ला रहे थे कि हम क्या करेंगे, सरकार की क्या नीति है, सातवां बेड़ा आ रहा है, विश्वयुद्ध होने जा रहा है, हम क्या कर सकते हैं ···· ···

श्री मधु दण्डवते : कोई भी चिन्तित नहीं था।

श्री बिपिन पाल दास : हां, मैं लोकसभा की कार्यवाही से आपको बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या हुआ था और उस समय के संसदीय मामलों के मंत्री श्री राजबहादुर को क्या कहना पड़ा था। खैर इसके अलावा, यह मार्ग निर्देश था······

श्री एस० जयपाल रेड्डी : चिन्ता और भय में फर्क है।

श्री बिपिन पाल दास : आप तथ्य को तथ्य की तरह क्यों नहीं मानते? मैं यहां राजनीति नहीं ला रहा हूं। मैं केवल तथ्यों की बात कर रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : किसी को साहसी बताने की आपकी उत्सुकता में आपको समस्त सभा को कायर समझने की आवश्यकता नहीं है। मैं यही सब आपको बताना चाहता हूं।

श्री बिपिन पाल दास : मैंने कायर नहीं कहा है। समस्त सभा चिन्तित थी। हर एक इसलिए चिन्तित था कि पता नहीं क्या होगा। मैं चिन्तित था और मेरा दल चिन्तित था।

मेरे पास यह दिखाने के लिए सबूत है कि वह ही ऐसी व्यक्ति थी जो चिन्तित न थी। उन्होंने वही किया जो वे 16 दिसम्बर 1971 को जब ढाका पर कब्जा कर लिया गया था तब करना चाहती थीं और सातवें बेड़े को चटगांव पहुंचने से पहले ही वापस लौटना पड़ा था। यही सब हुआ था। अत: यह घटना हमारे लिए एक व्यवहारिक अनुभव के रूप में है। आज लीबिया में जो कुछ हो रहा है कल वह किसी भी अन्य देश में हो सकता है। अत: हम चुप नहीं रह सकते और पूरी तरह आत्म संतुष्ट भी नहीं रह सकते।

अन्तत: हम एक खतरनाक संसार में रह रहे हैं। हमें इस खतरनाक संसार में संकट में रहना सीखना चाहिए। एक कहावत है कि खतरनाक संसार में खतरे से खेलना सीखो। हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते हैं और हमें तद्नुसार तैयारी करनी होगी।

श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वाद विवाद को शुरू करते हुए श्री मधुदंडवते ने यह बात उठाई थी कि इस सभा में ऐसे बहुत कम अवसर आये हैं जबकि विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर मतभेद होने के बावजूद हम सब एक मत हुए हों जैसे कि आज हम लीबिया पर कायरतापूर्ण हमले की निन्दा करते हुए एक हुये हैं।

मैं समझता हूं कि एक अन्य पहलू भी है और वह यह है कि यह सभा हमेशा से किसी दूसरे प्रशासन के विरुद्ध टिप्पणियां करते वक्त बहुत सावधान रही है। हम हमेशा इसके प्रति सावधान रहे हैं। और हम हमेशा विचारों को व्यक्त करने में संयम बरतते रहे हैं। परन्तु मैंने पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा है। जबकि इस प्रकार के जोरदार शब्दों में कहा गया हो, जैसा कि इस सभा के सभी वर्गों द्वारा और सभी सदस्यों द्वारा इस मामले में आज विचार प्रकट किये गये हैं। यह पूर्णतया इस सभा की भावना को व्यक्त करता है। हालांकि कड़े शब्द भी कहे गये हैं, फिर भी हम समझते हैं कि हमने अपने विचार पूरी तरह प्रकट नहीं किये हैं क्योंकि हमारे पास कहने के लिए शब्दों की कमी है।

हम कड़ाई से इस हमले की निन्दा करते हैं, क्योंकि जैसा कि कई वक्ताओं ने पहले कहा है कि लीबिया पर हमला मात्र लीबिया की क्षेत्रीय अखण्डता पर ही हमला नहीं है बल्कि यह गुट निरपेक्ष आन्दोलन पर हमला है और यह विश्व के शान्ति प्रिय लोगों के लिए एक चुनौती है। इस समय जबकि संसार यथार्थ रूप में संकट की घड़ी में है और ऐसे समय में जबकि आणविक विध्वंस इस क्षितिज पर वास्तविकता के रूप में उभर सकता है, किसी समय भी लीबिया पर उस हमले की तुलना एक ऐसे पागल आदमी के कार्य से की जा सकती है जो कि घास-फूस के घरों में धूल भरे और हवादार दिन मे आग से खेल रहा हो।

और इसके लिए क्या बहाने किये गये हैं ? पहले भी अमरीकी प्रशासन ने कई देशों में हस्तक्षेप किया है, परन्तु कुछ बहाने बनाये गये थे। इस समय कौन-सी दलीलें दी गयी हैं। ये दलीलें यही हैं कि लीबिया ने आतंकवादियों को आश्रय दिया या कर्नल गद्दाफी का पश्चिम बर्लिन में और इसी प्रकार अन्य जगहों पर आतंकवादी गतिविधियों में हाथ रहा है। फिर भी इससे अमरीका के मित्र राष्ट्र भी सहमत नहीं हैं। पश्चिम जर्मनी को इस वक्तव्य पर संदेह है। उच्च सरकार ने इस वक्तव्य को स्वीकार नहीं किया है। इसी प्रकार फ्रांस ने भी कहा है। उन्होंने

[श्री दिनेश गोस्वामी]

संयुक्त राज्य अमरीका को ईंधन भरने के लिए या किसी अन्य कार्य हेतु अपने क्षेत्र का प्रयोग करने की इजाजत नहीं दी है।

महोदय, यदि इस बहाने को किसी अन्य देश पर हमला किये जाने के लिए आधार बनाने की अनुमति दी जाती है तो इस संसार में कोई भी देश सुरक्षित नहीं रह सकेगा, क्योंकि किसी भी देश पर इस बहाने के आधार पर हमला किया जा सकता है। मेरा तात्पर्य यह है कि वह देश आतंकवादियों को आश्रय दे रहा है या आतंकवादी गतिविधियों में सहायक है। जैसा कि श्री रामूवालिया द्वारा बताया गया है कि अमरीका ही हमारी सीमाओं के पार आतंकवादियों को हथियार देने और उन्हें उकसाने में सहायक है। निस्संदेह यह सच है कि अमरीका ने पहले वियतनाम फिर चिली अब निकारगुआ पर आक्रमण किये हैं। अफ्रीका के मोचबिंद राज्यों पर भी आक्रमण किये हैं। आक्रमण के लिए बहाने ढूंढने में कभी कमी नहीं आई। एक बहाने या दूसरे बहाने से अमरीकी प्रशासन विश्व जनमत की अवहेलना कर रहा है। पिछले वक्ता द्वारा इस आक्रमण के तीन मुख्य कारणों के बारे में बताया गया है। इसका चौथा कारण भी हो सकता है जैसे कि अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव का होना। श्रीमन रेगन अमरीकी लोगों के समक्ष अपने को विनम्र प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने फिल्मों में अभिनय करते समय किया था। कुछ ही महीनों में होने वाले राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक अभिलाषा पूरा करने के लिए यह आक्रमण कितनी खतरनाक बात है।

महोदय, हम पूरी तरह से श्रीमती थैचर की उन्हें सहायता देने के लिए, जबकि दूसरे देशों और फ्रांस ने उनको सहायता न देने का निश्चय किया है, निन्दा करते हैं क्या हम श्रीमती थैचर को इंगित कर सकते हैं कि विश्व जनमत और अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत सबसे बलवान नेताओं को भी हराने में समर्थ है। जब मिस्र पर बम फेंका गया था तो अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत को देखते हुए एन्थनी ईडन को गद्दी छोड़नी पड़ी थी। मिस्र वालों की स्थिति देखते हुए आज लीबिया व मध्य सागर की स्थिति बहुत बुरी है।

सदन में प्रत्येक व्यक्ति ने रीगन की निंदा की है। जिन शब्दों में उनकी निन्दा की गई वे अवर्णनीय हैं मुझे विश्वास है कि अगर उसकी निंदा को पूर्ण रूप से वर्णन करूं तब आप इन शब्दों को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं होने देंगे। लेकिन मेरे विचार से यह रीगन का व्यक्तित्व नहीं है जो महत्वपूर्ण है, इसका कारण अमरीकी शासन का अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं की ओर एक विशेष रुख है। जो कुछ सदियों से चल रहा है। वह नहीं चाहते कि तीसरे विश्व के देश उन्नत हो और अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखे तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भाग लें। मेरे विचार में इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि तृतीय विश्व के देश, गुटनिरपेक्ष देश एक हो जायें। आज जब अमरीका संयुक्त राष्ट्र संघ को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करने का हर संभव प्रयास करें जिससे वह संस्था अपनी भूमिका उचित प्रकार से जैसा हम चाहते हैं, निभा सके। पिछली बार एक मुद्दा उठाया गया था कि अमरीका संयुक्त राष्ट्रसंघ के लिए अपने अंशदान में कमी करने की बात कर रहा था। मेरे विचार से गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को मिलकर कहना चाहिए कि अगर संयुक्त राज्य अमरीका संयुक्त

राष्ट्र संघ या उसके अन्य निकायों के लिए आर्थिक सहायता में कटौती करेगा, तब तीसरे विश्व के गुटनिरपेक्ष राष्ट्र विश्व शान्ति के लिए अपने योगदान द्वारा उस क्षति को पूरा कर लेंगे उन्हें कहना चाहिए अगर आवश्यकता होगी तो वह घरेलू अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कठिनाई का सामना कर लेंगे।

महोदय, इस कठिन परिस्थिति में गुट निरपेक्ष ब्यूरो की मंत्रिमण्डलीय स्तर पर कान्फ्रेंस हुई है और मुझे विश्वास है कि आपसी बातचीत द्वारा इस स्थिति का हल हो जाएगा। जैसा कि हमें बताया गया है, आज अमरीका में हथियारों की होड़ के विरुद्ध बहुत कड़ा लोकमत है। 6 राष्ट्रों ने हथियारों पर रोक लगाने के लिए आवाज उठाई है। सोवियत संघ ने इसका सकारात्मक उत्तर दिया है। दुर्भाग्य से अमरीका ने कोई उत्तर नहीं दिया है। लेकिन वास्तव में उन्होंने निरस्त्रीकरण के सभी प्रयासों को विफल कर दिया है। अगर संयुक्त राष्ट्र में मतदान की रुझान से कोई संकेत मिलते हैं तो जब कभी विश्व का व्यापक जनमत निरस्त्रीकरण के लिए संकल्प लाया, हथियारों को जमा न करने की होड़ समाप्त करने का प्रस्ताव लाया तो अमरीका ने विश्व जनमत के विरुद्ध मत दिया है मेरे विचार में यह बहुत उपयुक्त समय है जब सदन को अमरीका के लोगों को जिसमें लोकतंत्र की महान परम्परा है अपील करें कि वे रीगन प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णयों को त्याग दें और प्रशासन के इस नृशंस और दुष्ट आक्रमण के विरुद्ध आवाज उठाएं जो अन्ततोगत्वा पूरे विश्व की पूरी मानवता को विनाश की ओर धकेलने वाला है मुझे विश्वास है कि हमारी संसद की यह आवाज दूसरी संसदों में व शान्ति चाहते वाले लोगों तक पहुंचेगी और उनसे कुछ उत्तर प्राप्त करेंगे और शक्तिशाली रीगन प्रशासन के बावजूद विश्व जनमत के हाथों समाप्त हो जायेंगे।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले प्रो० मधुदण्डवते और इन्द्रजीत गुप्त को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो त्रिपोली और बेनगाजी पर बमबारी के सम्बन्ध में विदेश मंत्री के वक्तव्य पर यह विवाद उठाया। मैं हृदय से उस वक्तव्य का भी स्वागत करता हूं। जो विदेश मंत्री ने 15 अप्रैल 1986 को दिया था जिसमें उन्होंने लीबिया की प्रभुसता सम्पन्न व क्षेत्रीय अखण्डता पर आक्रमण की स्पष्ट शब्दों में निन्दा की थी। मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर सोचे विचारे बिना कोई कार्य न किया जाए आगे उन्होंने बताया कि विश्व शान्ति के लिए इस तनाव को समाप्त करने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिए और आगे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां तक गुट निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष की हैसियत से प्रधानमंत्री के वक्तव्य का सम्बन्ध है उसके अन्तिम वाक्य में बहुत महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए हैं कि "इस मुसीबत के समय लीबिया के गुट निरपेक्ष आन्दोलन की सहानुभूति व उसका समर्थन प्राप्त है।" "अब इस मुसीबत के समय में लीबिया को समर्थन व सहानुभूनि की आवश्यकता है।"

अब मैं कह रहा था यह हमला बहुत ही गम्भीर है क्योंकि आक्रमण महल पर और रिहायशी क्वाटरों पर भी किया गया है। जिसमें कर्नल गद्दाफी के परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हो गई है। इसलिए अगर मैं यह कहूं कि इस बम्ब का प्रयास कर्नल गद्दाफी की हत्या के लिए था तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं इस संदर्भ में ब्रिटेन की भी निन्दा करता हूं। इसलिए क्योंकि उसने इस घृणित कार्य के लिए अमरीका को अपने यहां स्थित सैनिक अड्डों का

[श्री शरद दिघे]

उपयोग करने दिया। अगर वह वचन निभाया जाता कि अमरीका को हवाई अड्डों का प्रयोग नहीं करने दिया जायेगा तो इस बम्बबारी से बचा जा सकता है। उन्होंने उसकी सहायता ही नहीं की बल्कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने यह कहकर कि "यह उनके आत्मरक्षा अधिकार के अन्तर्गत था।" को न्यायोचित ठहराया है। इस स्थिति में जहां तक इस घटना का सम्बन्ध है ब्रिटेन भी निन्दा के योग्य है।

रीगन प्रशासन इतना घमण्डी हो गया है कि इस बम के गिराने को न्यायोचित ठहराते हुए राष्ट्रपति रीगन ने कहा है कि हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमें ऐसा करना पड़ा अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इसे दोबारा भी करेंगे। यह अमरीका के राष्ट्रपति का दर्दपूर्ण वक्तव्य है। यह गम्भीर मामला है।

राष्ट्रपति रीगन के अनुसार यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बर्लिन के रात्रि क्लब में हाल ही में जो बम्ब गिरा था, उसका सीधा स्पष्ट व अखण्डनीय प्रमाण मिला है कि लीबिया उसमें शामिल था। अगर ऐसा है तो राष्ट्रपति रेगन का यह कर्त्तव्य है कि वह विश्व को बताए कि उसके पास कौन से अखण्डनीय प्रमाण हैं। अन्यथा इन आरोपों का लीबिया सरकार ने पहले ही इन्कार कर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि उनका अमरीका द्वारा किए गए दावे के साथ कोई सम्बन्ध नहीं कि उनका हाल ही में हुए आतंकवादियों द्वारा किए आक्रमण का कोई सम्बन्ध नहीं है। यही नहीं लीबिया के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सभी आतंकवादी गतिविधियों जहाजों के अपहरण, निर्दोष लोगों की हत्या से लीबिया का कोई सम्बन्ध नहीं हैं इन तथ्यों को देखते हुए चूंकि अगर अमरीका के राष्ट्रपति के पास कोई एकात्मक प्रमाण है तो उसे इस सूचना को विश्व को बताना चाहिए ! तभी वह कह सकता है कि इसी कारण उसने यह बमबारी की है।

दूसरी बात यह है अगर यह मान भी लिया जाये कि उसके पास कोई प्रमाण है वह उस देश पर बमबारी को न्यायोचित नहीं ठहराती है क्योंकि वह महसूस करता है कि आतंकवादियों को वहां पर प्रशिक्षण दिया गया है। इस मुद्दे को दूसरे वक्ताओं ने पूर्णतया वर्णन किया है और मैं इस थोड़े समय में इस प्रश्न पर नहीं जाऊंगा।

मेरे अनुसार जैसा पहले कुछ वक्ताओं ने बताया है कि इसका वास्तविक उद्देश्य छोटे देशों पर जो कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के अधीन आते हैं, उन पर हमला करना है ऐसा विशेष रूप से इसीलिए किया गया था क्योंकि कर्नल गद्दाफी अपनी सहानुभूति और उदार हृदय से दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, फिलस्तीन, अफगानिस्तान व कम्पूचिया इत्यादि देशों की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का समर्थन कर रहा था। इस राजनीतिक कारण से वे उन्हें सजा देना चाहते थे। मेरे विचार से इसके पीछे यही वास्तविक उद्देश्य था।

यह पहला अवसर नहीं है। 25 मार्च को अमरीका के छठे बेड़े के तीन जहाजों ने कर्नल गद्दाफी के सिदरा की खाड़ी में 'लाइन आफ डैथ' को पार किया और लीबिया की चार नावों पर गोली चलाई। उस समय भी 'वाशिंगटन पोस्ट' ने जो कि उनका लोकप्रिय समाचार पत्र है, स्पष्ट रूप से कहा था कि राष्ट्रपति रीगन गद्दाफी को परेशान करना चाहते हैं और उसके राज्यों को

उखाड़ना चाहते हैं और इसीलिए यह आक्रमण किया गया था इसलिए इन आक्रमणों का वास्तविक उद्देश्य क्या था, यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है।

मैं इस सदन के सामने दो या तीन मुद्दे रखना चाहूंगा, जो इन आक्रमणों के कारण पैदा होते हैं पहला, यह छोटे देशों की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है, बल्कि इसने सैनिक चौकियों की स्थापना करके वास्तविक उद्देश्यों का भी रहस्योदघाटन कर दिया है। अब तक, अमरीका दूसरे आधारों पर सैनिक चौकियों को न्यायोचित ठहरा रहा था। और वे दिखावा कर रहे हैं कि यह अन्य देशों के लिए धमकी नहीं थी। परन्तु अब यह विशेषतौर पर प्रमाणित हो चुका है कि वे अन्य चौकियों का प्रयोग केवल लघु राष्ट्रों पर आक्रमण करने के लिए ही करते हैं। यह एक तथ्य है वे अब प्रमाणित कर चुके हैं। दूसरा तथ्य यह है। अब तक अमरीका ने उन देशों के विरुद्ध गुप्त कार्यवाही को तरजीह दी है जो उनके खेमे में नहीं थे। इस विषय में उन्होंने एक सरकार को दूसरे तरीकों से केवल अस्थिर करने या हटाने का ही प्रयत्न नहीं किया जो वे अन्य देशों के साथ करते थे। परन्तु अब उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण किया है और अब उस गुप्त नीति को छोड़ दिया है जिसका अनुसरण वे अब तक करते आये थे। ये बहुत गम्भीर बातें हैं जो अब सामने आई हैं। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है लघु राष्ट्रों द्वारा इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए, विशेषकर विकासशील देशों और गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा भाई चारे का प्रदर्शन किया जाना चाहिए जैसा कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के ब्रिवरण में श्रीमान गद्दाफी और लीबिया के प्रति दिखाया गया है। इन शब्दों के साथ मैं सरकार के वक्तव्य और गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष के वक्तव्य का भी स्वागत करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : उपसभापति महोदय, अमरीकी प्रशासन के इरादे और योजनायें लीबिया पर किए गए इस लज्जाजनक आक्रमण से इतनी स्पष्ट हो गई हैं कि कम से कम मेरी याददाश्त में इस सभा ने कभी भी किसी भी मसले पर एकमत होकर आवाज बुलन्द की हो। मुझे इस बात का गर्व है कि आज भारतीय संसद विश्व के समक्ष स्पष्ट शब्दों में इसके विरुद्ध अपना रोष एवं भर्त्सना व्यक्त करने में सक्षम है और यह सुनिश्चित करने का संकल्प लेती है कि भविष्य में तीसरी दुनिया के सभी देशों और विश्वभर के सभी स्वतन्त्रता प्रिय देशों द्वारा इन विस्तारवादी तथा आक्रामक योजनाओं का विरोध दुगने उत्साह के साथ किया जायेगा।

महोदय, मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं। निःसंदेह यह एक संयोग की बात है या इतिहास की विशिष्टता है कि यह आक्रमण ठीक उस समय हुआ जब गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के ब्यूरो की बैठक इस भवन से कुछ ही दूरी पर हो रही थी। वे प्रतिनिधि जो उस क्षण यहां हमारे मान्य अथितियों के रूप मे आए हैं, इस समस्या पर आक्रान्त हो उठे हैं। यह बात कल उन्होंने व्यक्त की है। मुझे विश्वास है कि उनकी बैठक समाप्त होने से पूर्व वे इस विषय में कुछ और निर्णय लेंगे। और यह अच्छी बात है कि उस समय जब वे यहां हमारी धरती पर हमारे अतिथियों के रूप में उपस्थित हैं, वे इस बात से भी सन्तुष्ट होने चाहिए कि भारतीय लोगों के प्रतिनिधि भारतीय लोगों की इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। हम लगातार लघु राष्ट्रों के बारे में बात कर रहे हैं परन्तु हमारा राष्ट्र लघु राष्ट्र नहीं है, हमारा राष्ट्र एक बड़ा राष्ट्र है परन्तु हम उन देशों की जाति का भी एक अंश हैं, गुटनिरपेक्ष एवं विकासशील देश जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं और वास्तविकता यह है

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

कि इस समय हम गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष हैं और संसद की आवाज द्वारा उनको विश्वास दिला दिया जाना चाहिए कि हम इस देश के लोगों की सर्वसम्मत राय का अतिनिधित्व कर रहे हैं।

महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो भी प्रस्ताव पारित करें मेरे विचार में हम एक प्रस्ताव पारित करने जा रहे हैं और यदि यह अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत किया जाये, तो यह और भी अच्छा होगा—उसे एक व्याख्या पत्र के साथ अमरीकी कांग्रेस को भेज दिया जाना चाहिए। ताकि एक संसद के विचारों से हम दूसरी संसद को अवगत करा सकें। हम जानते हैं कि अमरीकी कांग्रेस में ताकते हैं जो प्रभावी नहीं है परन्तु अभी तक शक्तिशाली हैं जो अपने ढंग से भी रीगन प्रशासन के बुरे इरादों का विरोध कर रही है, जैसा कि हमने हाल ही में देखा है कि उन्होंने भारी धन राशि को स्वीकृत करने से मना कर दिया जो वह स्पष्ट रूप से निकारागुआ में कोन्त्रास को शस्त्रों से लैस करने के लिए चाह रहा था। अतः वे अपने ढंग से भी संघर्ष कर रहे हैं परन्तु मुझे यह अवश्य कहना चाहिए कि यह संघर्ष एक बहुत बड़ा संघर्ष होने जा रहा है। मैं राष्ट्रवादी प्रचार को भी कम महत्वपूर्ण नहीं समझता जो दुर्भाग्यवश इन देशों में से कुछ एक में अभी तक काफी जोरों पर है। यदि आप राष्ट्रपति रीगन के प्रशारण का पूरा विषय पढ़ेंगे—जो उसने ठीक उस समय अमरीका निवासियों को प्रसारण भाषण में दिया था जिस समय आक्रमण किया गया था—तो आप देखेंगे कि वह जिस प्रकार वह अपने लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़का रहा था, गद्दाफी पर केवल उनका सरगना कह कर ही आक्षेप नहीं लगाया अपितु उनको यह विश्वास भी दिलाया—प्रत्येक पुरुष स्त्री तथा बच्चा जब कभी जहां कहीं भी सम्पूर्ण विश्व में कोई भी अनिष्टकर शक्ति या दुष्ट व्यक्ति आप में से किसी पर भी उगली उठाता है, तो मैं, रोनाल्ड रीगन, आप सभी की देखभाल करने के लिए यहां हूं; और अन्त में यह विश्वास दिलाया कि हम इसका सख्त प्रतिकार करेंगे। मैं जानता हूं कि फॉकलैंड युद्ध के समय मार्ग्रेट थैचर ब्रिटेन के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना भड़काने में सफल हो गई थी और बाद में होने वाले चुनाव में उसे इसका बहुत लाभ मिला। अतः हमें इस बात को महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए।

6·36 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरे साथी प्रो० स्वैल महोदय को बहुत आशा थी कि शायद वह दिन दूर नहीं है जब अमरीका निवासियों को महसूस होगा कि वे श्रीमान् रीगन की जकड़ में आ चुके हैं और वे यह देखेंगे कि उसे सत्ता से हटा दिया गया है परन्तु यह इतना आसान नहीं है। यह एक व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है जैसा कि यहां कहा गया है, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति निक्सन अथवा लिंडन जोह्न्सन के कार्यकाल में अमरीकी वियतनाम में क्या कर रहे थे। यह कुछ साम्राज्यवादी ताकतों की नीति है और इसमें अधिक परिवर्तन नहीं आया है विशिष्ट राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में उनके व्यक्तित्व के कारण इसके अर्थ में परिवर्तन आ सकता है, कार्यविधि में अन्तर आ सकता है परन्तु आधार

रेखा में परिवर्तन नहीं आया है। और लिंडन जोहसन ने एक हास्यास्पद बहाना बनाकर अमरीकी वायुसेना को लाओस पर बम डालने का आदेश दिया जो उस युद्ध में बिल्कुल भी शामिल नहीं था। क्योंकि उसने कहा कि वियतनाम की सेनायें लाओस में से कार्यवाही कर रही हैं और वे लाओस के क्षेत्र में शरण लिए हुए हैं। और कई वर्षों बाद यह प्रमाणित हो गया कि यह पूर्णरूपेण एक भुलावा था। परन्तु उस समय लाओस जैसा एक गरीब, कमजोर, सुरक्षारहित देश पर अमरीका द्वारा निर्दयतापूर्वक बम डाले गए। बाद में एक कहानी गढ़ ली गई कि टोकिन की खाड़ी में वियतनीतियों ने अमरीकी जहाजों पर आक्रमण कर दिया था—यह एक बहुत प्रसिद्ध घटना है जो अमरीका द्वारा दूसरे बड़े आक्रमण के लिए गढ़ी गई थी। और कई वर्षों बाद यह पाया गया कि यह पूर्ण रूप से मनगढ़न्त बात है। इसमें कतई सच्चाई नहीं है। और ठीक उसी तरह की कहानी, लीबिया सरकार की इन उग्रवादियों के साथ जो सक्रिय हैं, तथा कथित सहापराधिता के आधार पर अब गढ़ने की कोशिश की जा रही है। निःसन्देह हम उग्रवाद के खिलाफ हैं। हमें सदैव उग्रवाद के खिलाफ होना चाहिए, चाहे इसके लिए कोई भी उत्तरदायी है चाहे यह कोई व्यक्ति विशेष है अथवा चाहे यह एक राज्य है, परन्तु आप बिना किसी प्रमाण के या बिना किसी ऐसे तथ्य के जिससे यह ज्ञात हो कि यूरोप में दो घटनायें हो चुकी हैं या तीन घटनायें हो चुकी हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अतः गद्दाफी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। अतः परमाणु पनडुब्बियों और विमान वाहक जहाजों की विशाल जल सेना भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इस देश पर एक विध्वंशकारी आक्रमण करने के लिए भेज देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : एक ऐसे जाल को खोजिए जिसमें फंदा डाला जा सके।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : फिर भी हमें मांग रखनी पड़ेगी मुझे यह आशा है कि गुटनिरपेक्ष मीटिंग यह मांग करेगी कि जहाजों तथा विमान वाहक जहाजों और परमाणु पनडुब्बियों की यह विशाल जल सेना जो लीबिया के तट से दूर हैं, क्या वे वहीं रहेंगे ? क्या घटना घटने वाली है ? वे भूमध्यसागर को अमरीकी झील बनाना चाहते हैं। सोवियत संघ ने यह प्रस्ताव रखा है कि भूमध्यसागर से सभी जल सेनाओं को हटा लिया जाना चाहिए। वे इस बात से सहमत नहीं है और उन्होंने यह विशाल बेड़ा भेजा है। वे ऐसे प्राणघातक हथियारों से लैस हैं, परन्तु अभी वे फिर शीघ्र ही एक या दो दिन में लीबिया पर आक्रमण नहीं करेंगे। मैं नहीं जानता कि कोई घटना घट सकती है। परन्तु क्या होगा ? क्या यह बेड़ा तट से दूर प्रत्येक व्यक्ति को भयभीत करने के लिए वहीं रहेगा। और इसकी विडम्बना यह है कि भूमध्य सागर के उत्तरी तट पर जहां पर अमरीका के सभी अड्डे हैं—पुर्तगाल में, स्पेन में, फ्रांस में, इटली में, यूनान में—जहां भूमध्य सागर को पार करना इतना आसान है जहां से लीबिया पर आक्रमण किया जा सकता है, उसे एक भी ऐसा स्थान प्राप्त नहीं है जहाँ से वे सरकारें उन अड्डों के प्रयोग की अमुमति दे सकें। वायुसेना को लीबिया में अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हजारों मील का चक्कर लगाना पड़ा था।

यहां किसी ने कहा है कि मार्ग्रेट थैचर को लौह स्त्री के नाम से जाना जाता है। परन्तु लोहा भी कभी-कभी पिघलता है। दुर्भाग्यवश बहामा में दक्षिण अफ्रीका पर हुई राष्ट्रमण्डल बैठक में हम उसे अधिक नहीं पिघला सके। वहां उसका हृदय नहीं पसीजा। उसने लौह स्त्री के रूप में अपना तेज बनाए रखा। परन्तु हाऊस ऑफ कामन्स में विपक्ष के नेता ने कहा है कि जब रीगन

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

महोदय उसे छलांग लगाने के लिए कहते हैं तो उसका उत्तर होता है : "ठीक है; परन्तु आप मुझे कितने फुट छलांग लगवाना चाहते हैं ?" इस प्रकार वहां लोहा पिघल रहा है। और उसने दो दिन पहले ही कहा है कि ब्रिटेन में बने अड्डे इन उद्देश्यों के लिए प्रयोग में नहीं लाए जायेंगे। राष्ट्रमण्डल में हम भी उसके साथी हैं। (**व्यवधान**)

अतः यहां मैं एक बात कहूंगा : कल विदेश मन्त्री महोदय द्वारा सरकार की ओर से जो वक्तव्य दिया गया था उसमें हमारे द्वारा हमले की भर्त्सना के तीन कारण दिए गये थे : प्रथमतः यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून की पूर्ण रूप से अवहेलना करता है; दूसरे हमले की यह कार्यवाही लीबिया की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखण्डता के विरुद्ध है, और तीसरे इसने क्षेत्रीय सुरक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को घोर संकट में डाल दिया है। ये सभी अनापत्तिजनक आधार हैं जो दिए गए हैं। इनके साथ इस तथ्य को भी लिया जाना चाहिए कि हमले की इन कार्यवाही से गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को घोर संकट उत्पन्न हो गया है, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के विवेक के लिए यह एक चुनौती बन गया है। निःसन्देह, यह ब्रिटेन के लिए भी एक चुनौती है। जैसा कि हालैंड के एक मन्त्री महोदय ने कहा है कि यह यूरोपीय समुदाय के मुंह पर एक तमाचा भी है। परन्तु हमें इस बात की ज्यादा चिन्ता है कि यह गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को प्रत्यक्ष चुनौती है, और इसलिए मुझे यह कहना पड़ रहा है। मैं यहां कही गई सभी बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। मैं केवल दो या तीन बातें कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन और इसके अध्यक्ष ने स्पष्ट एवं जोरदार ढंग से इसका विरोध किया है और उन्हें इसका स्पष्ट व जोरदार विरोध करते रहना चाहिए क्योंकि उन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि विश्वभर के सभी देश भक्त एवं साम्राज्य-वाद विरोधी लोग इसका समर्थन करेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जैसा कि यहां कहा जा चुका है कि इस हमले की योजना एवं तैयारियों बहुत समय पहले से की जा रही हैं। यह कोई ऐसी घटना नहीं है जो एकदम से घटी हो। मेरी एक शिकायत यह है कि—आप इसे शिकायत या जो कुछ भी कह सकते हैं : मुझे नहीं मालूम कि इसे क्या कहा जाए—इन घटनाओं से यह ज्ञात होता है कि यदि आप शुरू में ही नम्रता से पेश आते हैं तो शायद आप इस खतरे की क्षमता का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ हैं। शुरू में नम्र रुख अपनाने पर पेंटागन में बैठे ये धोखेबाज केवल अधिक आक्रामक बनते हैं और इनका हौंसला बढ़ता है।

पहले क्या हो रहा था ? 1980 में अमरीका ने लीबिया के सभी राजनयिकों को निकाल दिया था। 1982 में लीबिया से तेल खरीदने पर रोक लगा दी गई थी। निःसन्देह, 1983 में स्वयं लीबिया ने ही, पश्चिमी तेल कम्पनियों के हितों पर कुठाराघात करते हुए लगभग 70% तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। फिर 1983 में, लीबिया के तट से दूर लीबिया के दो विमानों को गिरा दिया गया। वे तट के साथ-साथ गश्त लगा रहे थे। उन्हें गिरा दिया गया। 1985 में लीबिया के अधिकारों को, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में काम करते थे, अमरीकी अधिकारियों द्वारा अन्दर जाने की अनुमति नहीं दी गई; उनको संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई। लीबिया से आर्थिक सम्बन्ध पूर्ण रूप से विच्छेद कर लिए गए। अमरीका में लीबिया निवासियों के सभी बैंक खाते समाप्त कर दिए गए। लीबिया में कार्यरत एक हजार अमरीकी नागरिकों को अमरीका बुला लिया गया। निःसन्देह, उनमें से

बहुत से लोगों ने अमरीका जाने से मना कर दिया। फिर मार्च 1986 में इस अमरीकी बेड़े ने जानबूझ कर निष्ठुरतापूर्वक सिदरा की खाड़ी में गद्दाफी द्वारा कही गई मृत्युरेखा को पार किया और फिर पांच दिन तक अमरीकी बम वर्षक विमानों द्वारा 200 से अधिक उड़ानें भरी गईं जिन्होंने लीबिया के तट से दूर बहुत से प्रतिष्ठानों, जहाजों, छोटी नावों और जहाजों को ध्वस्त कर दिया।

मैं यह कह रहा हूं कि इस अवधि के दौरान यदि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन ने आवाज उठाई होती अथवा कुछ जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त की होती तब शायद.........क्योंकि आपको मालूम है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के अपनी नीतियों के निर्धारण घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों के निर्धारण के परम सिद्धान्त को बमों एवं अणु तोपों से चुनौती दी जा रही है।

इसलिए हमें आज वास्तविकता की स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए। आतंकवाद के बारे में, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि अधिकतर सदस्यों ने इस बारे में यहां बोला है। आतंकवादियों का सरगना दूसरों को आतंकवादी बता रहा है। आप देखिए यह पूरी स्थिति है। अमरीका सरकार द्वारा स्थापित इजराइल के बारे में मैं नहीं जानता कि इजराइल के विरुद्ध आतंकवाद की कितनी घटनाएं लाई जा सकती हैं जिसे वे कई वर्षों से एक साथ कर रहे हैं। परन्तु उनके बारे में राष्ट्रपति रीगन के पास कहने को कोई शब्द नहीं हैं।

हम पी० एल० ओ० और स्वापो के समर्थक हैं क्योंकि वे अभी भी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। वे शस्त्रों का उपयोग करते हैं। परन्तु क्या हम आतंकवादियों से उनकी तुलना कर सकते हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते; और निश्चितरूप से दक्षिण अफ्रीका अथवा इजरायल द्वारा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। और अब जयवर्धने आतंकवाद का सामना करने के नाम पर इजरायली एजेंसी, ब्रिटिश एजेंसी और अन्य एजेंसियों को अपने देश में ला रहे हैं। अतः मैं समझता हूं कि मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। हाल ही में अमरीकी चलचित्र उद्योग और अमरीकी टेलीविजन उद्योग ने 'रामबो' नामक चित्र को दिखाया है। मैं नहीं जानता कि आपको उसे देखने का अवसर मिला है। मैंने उसके बारे में पढ़ा है। रामबो पुष्ट अरीकी नायक है जिसका छाया चित्रण पहाड़ी से दिखाया जाता है और सभी अश्वेत लोगों, हब्सियों और अन्य लोगों को जो अमरीका के अस्तित्व को चुनौती देने की कोशिश करते हैं, समाप्त कर देता है और कोई भी व्यक्ति उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता; वह सभी प्रकार के हथियारों को चला सकता है तथा वह कराटे जानता है और वह किसी का भी वध कर सकता है तथा प्रत्येक को समाप्त कर सकता है। अतः रामबो—रीगन अब अपने सभी विमानों और प्रक्षेपास्त्रों आदि सहित विश्व के सामने प्रस्तुत है। हम इस धमकी का सामना कर रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि हम कम से कम वास्तविकता से अवगत हो गए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को आदरपूर्वक सलाह देना चाहता हूं कि ये जो रहस्योद्घाटन बाद हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें अमरीका के साथ अपने सम्बन्धों की सावधानी से पुनरीक्षा करनी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि हमें अमरीका से सम्बन्ध समाप्त कर देना चाहिए। स्पष्टरूप से आप वह नहीं कर सकते। हमारा भी एक बड़ा देश है; हम इतने कमजोर नहीं हैं, तथापि आर्थिक चीजों में, उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, शस्त्रास्त्र के मामले में इनसे प्राप्त होने की बहुत आशा है, हमें इन लोगों से थोड़ा अधिक सावधान रहना चाहिए।

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : मैंने स्वयं इसे स्पष्ट कर दिया है और रक्षा राज्य मंत्री भी कई बार इसे स्पष्ट कर चुके हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें वे आपको फांसने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। वे हमें कुछ शस्त्रों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री राजीव गांधी : हमें भी खुशी होगी।

प्रो० मधु दंडवते : वह केवल इतना कहते हैं कि हमें दूर रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम उनको दूर रखेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : काले को श्वेत जैसा प्रदर्शित करने के लिए लाखों डालर प्रचार पर खर्च किए जा रहे हैं। यह पूरे विश्व में चल रहा है। अमरीकी प्रचार मशीन बहुत शक्तिशाली है और यह अन्य देशों के समाचार पत्रों को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रही है और हमें बहुत अधिक सतर्क तथा सावधान रहना चाहिए। और इसलिए मैं कहूंगा कि हमें यह देखकर किसी तरह से आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि छः राष्ट्रों के आणविक परीक्षणों को स्थगित करने के प्रस्ताव पर अमरीका का रुख पूरी तरह से नकारात्मक है जिसका नेतृत्व एन ए एम के चैयरमैन तथा हमारे प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था। प्रतिक्रिया पूरी तरह से नकारात्मक थी और उन्होंने फिर से अपने आणविक परीक्षण शुरू कर दिए हैं और इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है। हम आश्चर्यचकित नहीं हैं कि वे इन छः राष्ट्रों की अपील का कोई जबाब नहीं देते हैं। हम उनके इस रवैये के बारे में आश्चर्यचकित नहीं हैं जो वे हिन्द महासागर के प्रश्न के प्रति अपनाते हैं तथा इस पर सम्मेलन कराने के रास्ते में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। वे अपने रवैये पर अडिग है। इनके रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अन्य देशों के रवैया में कभी-कभी परिवर्तन देखा जा सकता है जिन्हें मीठी बातों और डालरों की सहायता से कभी-कभी मूर्ख बनाया जा सकता है अथवा दबाव में लाया जा सकता है।

मुझे और कुछ नहीं कहना है। नि:संदेह इस प्रश्न पर पूरा संसद और देश तथा प्रत्येक व्यक्ति एक है। हमें अपने देश में भी एक आवाज के साथ लोगों से बोलना चाहिए। और हमें इस सदन के बाहर लोगों को संगठित तथा सावधान करना चाहिए। यदि इसे केवल कुछ निर्वाचित सदस्य करते हैं तो यह पर्याप्त नहीं हैं। आप यहां भी देखें कितने लोग उपस्थित हैं ? मैंने देखा कि कल अमरीका दूतावास के बाहर कितने लोग गए थे।

प्रो० मधु दंडवते : वे लोगों को इकट्ठा करने गए थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें लोगों को संगठित करना चाहिए। हमें बाहर भी लोगों को संगठित करना चाहिए। देश में कुछ बड़ी रैलियाँ और प्रदर्शन भी होने चाहिए ताकि अमरीका को यह पता लग जाए कि भारतीय जनता के विचार क्या हैं और जहां कहीं भी आक्रमण किया है वहां से उन्हें वापस जाने के लिए बाध्य किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : श्री बृजमोहन महन्ती ।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, सदन को सबसे पहले मैं यह बताता हूं कि अमरीका की मंशा स्पष्ट है । यह घटना नई नहीं है । इस शताब्दी के अन्तिम पचास वर्षों के दौरान कम से कम दो सौ बार उथल पुथल हुई हैं और उनमें से 70 सी० आई० ए० द्वारा कराई गई थी. अतः यह नई घटना नहीं है । और अमरीका द्वारा जो कुछ किया गया है मुझे उस पर आश्चर्य नहीं हुआ है । उनकी नीति सीधी है । उनकी नीति ताकत के साथ सौदेबाजी करने की है ।

जहाँ तक इसका सम्बन्ध है यह अन्तर्राष्ट्रीय जल पर उनके अधिकार या लीबिया का आतंकवाद में हाथ है, का प्रश्न नहीं हैं । यह वास्तविक विषय नहीं है । वास्तविक बात यह है कि गद्दाफी पश्चिम एशिया में अमरीका की नीतियों का अनुसरण नहीं कर रहा है यह सीधी बात है । इसलिए, किसी न किसी तरह उन्हें उस रास्ते पर लाना है और अपना गुलाम बनाना है ।

एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं । जहां तक लीबिया का सम्बन्ध है इसमें संदेह नहीं है कि हम राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की निन्दा करते हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय जल में लीबिया के रवैया को स्वीकार तथा मंजूरी नहीं करते हैं परन्तु इस कारण अमरीका द्वारा इतने बड़े पैमाने पर शस्त्रों का उपयोग करना किसी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता ।

मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या अमरीका वास्तविक रूप से आतंकवाद के विरुद्ध है ? मैं समझता हूं कि वह नहीं है । हमारे प्रधान मंत्री जी ने जब वह अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव थे, साफ-साफ कहा था कि पंजाब में उग्रवादियों के पीछे, आतंकवाद के पीछे अमरीका का हाथ है । क्या ऐसा नहीं है ? जब अमरीका के राजदूत...... **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी : मैंने अमरीका में अमरीकी सरकार के साथ बात-चीत के दौरान भी इसका उल्लेख किया था ।

श्री बृजमोहन महन्ती : शुरू में आपने यह उस समय कहा था जब आप महासचिव थे और बाद में आपने अमरीका में कहा ।

जब श्री चौहान अमरीका से यह उग्रवादी गतिविधि जारी रख रहे थे तो अमरीका के राजदूत श्री बर्नेस ने इस गतिविधि को उचित ठहराया था । उन्होंने इस आधार पर इसे उचित ठहराया था कि यह प्युर्टो रिको की तरह है । यह राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन है उन्होंने कहा था, "इसी तरह से खालिस्तान आन्दोलन उसी किस्म का है ।" यह बिल्कुल आश्चर्य वाली बात है ।

मेरा निवेदन यह है कि ब्रिटेन में पुलिस संरक्षण में खालिस्तान का झण्डा फहराया जा रहा है । उन्हें पुलिस संरक्षण दे रही है । ब्रिटेन में उग्रवादियों को पुलिस संरक्षण दिया गया है । वहां खालिस्तान हाऊस को ब्रिटेन की सरकार मदद दे रही है ।

एक माननीय सदस्य : संयुक्त राज्य !

श्री बृजमोहन महन्ती : हमारे विरोध के बावजूद इन गतिविधियों के विरुद्ध ब्रिटेन ने कोई गम्भीर कार्यवाही नहीं की है। एक प्रश्न के उत्तर में माननीय विदेश मंत्री ने कहा है कि हम अप्रसन्न हैं कि उग्रवादियों के खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने कोई गम्भीर कार्यवाही नहीं की है। एक समय था। जब कुछ राजनैतिक दल इस बात से सहमत नहीं थे कि पाकिस्तान पंजाब में उग्रवादियों की सहायता कर रहा है, उन्होंने कहा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी राजनैतिक कारणों से पाकिस्तान का नाम ले रही है। आज, श्री बरनाला बार बार कहते है कि पंजाब में पाकिस्तान से आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं और वे उग्रवादियों और आतंकवादियों के रूप में पंजाब में कार्य कर रहे हैं। यह बहुत स्पष्ट है कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसे अमरीका का मौन समर्थन प्राप्त है, यदि यह सीधा सी० आई० ए० के माध्यम से नहीं हो रहा है। यह प्रसन्नता की बात है कि सभी राजनैतिक दलों और भारत के लोगों ने संगठित रूप से अमरीका के इस खुले आक्रमण की निन्दा की है। परन्तु साथ-साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विभिन्न अवसरों पर हमारे बीच गम्भीर मतभेद रहे हैं। यह आरोप लगाया गया है कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन कभी इस ओर और कभी उस ओर झुक रहा है परन्तु हमने अपवे मतभेद व्यक्त किए हैं।

कुछ राजनीतिक नेता पाकिस्तान के सैनिक शासन के अध्यक्ष, श्री जिया-उल-हक के साथ समझौता करने के लिए गए थे। हमारा यही अनुभव है। राष्ट्र संकट की स्थिति में है। कम से कम इस देश की एकता तथा अखण्डता के लिए हम सबों को एकजुट होना चाहिए। मैं यहां मित्रों को याद दिलाना चाहूंगा कि किस प्रकार हमें अस्थिर बनाने के लिए शक्तियां कार्य कर रही हैं, किस प्रकार विश्व के कुछ देश हमें अलग-अलग करने के लिए साजिश कर रहे है। हमें इस विषय में बहुत सतर्क रहना चाहिए।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सम्बन्ध में सभी गुट निरपेक्ष देशों को एक सूत्र में बांधे रखने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिएं। क्या मैं उन देशों के नाम जान सकता हूं जो गुट निरपेक्ष आन्दोलन से जुड़े हैं किन्तु अमेरिका द्वारा उन्हें खतरनाक हथियार तथा आर्थिक तथा वित्तीय सहायता दी जाती है ? वह आपके साथ कैसे रहेंगे ? जब कभी संकट की स्थिति होगी तो मुझे यह भय है कि वे गुट निरपेक्ष आन्दोलन में शामिल नहीं रहेंगे। बल्कि उन्हें अमरीका द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में अस्थिरता लाने की साजिश में साधन बनाया जाएगा। ऐसे कुछ देश हैं; मैं इनके नाम नहीं लेना चाहता हूं। हमें इनके सम्बन्ध में अत्यन्त सतर्क रहना चाहिए।

जहां तक हमारे प्रधान मंत्री का सम्बन्ध है उन्होंने भारत की विदेश नीति का वर्णन केवल एक वाक्य में किया है और वह यह है कि भारत न तो किसी राष्ट्र और न ही किसी व्यक्ति पर प्रभुत्व रखता है और न ही प्रकृति अथवा ईश्वर पर। यह भारत की विदेश नीति की विशेषता है और यही भारतीय संविधान की विशेषता का वर्णन एक ही वाक्य में है। यह हमारे प्रधान मंत्री द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। भारत के राजनीतिक दल तथा जनता इसके प्रति वचनबद्ध रहें। हमें इस देश की एकता तथा अखण्डता की रक्षा करनी है। हमें शांति का पक्ष लेना चाहिए। और हमें उन सभी शक्तियों का मुकाबला करना चाहिए जो विश्व की शान्ति को अस्थिर करना चाहती हैं। अथवा इसमें बाधा डालना चाहती हैं।

7·00 म० प०

अध्यक्ष महोदय : स्वयं विदेशी मंत्री के पास एक महत्त्वपूर्ण काम है। उन्हें विदेश मंत्रियों के सम्मान में एक भोज का आयोजन करना है और अभी हमारे पास.........

(**व्यवधान**)

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : महोदय, मेरे दल को नहीं बुलाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो यह है कि विदेश मंत्री को उस आयोजन के लिए जाना है। किन्तु नेशनल कॉफ्रेंस भी है, श्री बनातवाला भी हैं। बहुत कुछ कहा जा चुका है.........

(**व्यवधान**)

श्री अब्दुल रशीद काबुली : महोदय, केवल पांच मिनट.........(**व्यवधान**) हमारे अपने लोगों में भी गलत फहमी होगी। वह यह सोचेंगे कि हमने चर्चा में कोई भाग ही नहीं लिया।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसमें क्या कर सकता हूं ? मैं समय की रचना नहीं कर सकता......

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं आपको एक मिनट दे सकता हूं। आप कह सकते हैं कि आप इस से सहयोजित रहे।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : महोदय, मुझे पांच मिनट दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पांच नहीं दो मिनट का समय दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : जनाबे स्पीकर, अमेरिकन सदर रेगन की तरफ से जो आखिर में कहा गया है कि इस अंग का उन्वान है।

[अनुवाद]

आज हमने वही किया है जो हमें करना था। यदि आवश्यकता हुई तो हम ऐसा फिर करेंगे।

[हिन्दी]

फिर जो व्हाइट हाऊस की तरफ से कम्युनिके जारी हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि

[अनुवाद]

यह कर्नल गद्दाफी को हम पर भविष्य में और हमला करने से रोकने की एक कोशिश है। यह आत्म-रक्षा की कार्रवाही है।

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

[हिन्दी]

जनाबे स्पीकर मैं यह कहना चाहता हूं कि अमेरिका का यह पोश्चर रहा है, इसने सारी दुनिया को जजबात को बहुत मजरूह कर दिया है। आज इस पार्लियामेंट में प्राईम मिनिस्टर की तरफ से, सरकार की तरफ से आपोजिशन की तरफ से एक मुत्तफिक स्टेंड लिया गया है, यह हमारे जज़बात की सही तर्जुमानी है। आज सारी दुनिया को बहुत बड़ा खतरा है और यह खतरा इस वजह से है कि अमेरिका अपनी ताकत के बजबूते पर छठे और सातवें बेड़े को लेकर गल्फ ऑफ सिदरा में, कभी वे आफ बंगाल और कभी बहरे हिन्द में अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है और छोटे-छोटे मुल्कों को खासकर नॉन-एलाइंड नेशन को धमका रहा है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दुनिया खतरे से 2-4 है और आज इस वक्त एटामिक वैपन के जितने स्टाक-पाइल हो चुके हैं, इसका मुकाबला नहीं हो सकता है, लेकिन हिन्दुस्तान की आवाज बड़ी वजनदार है, हम बहुत बड़े मुल्क में रह रहे हैं और हमारी जो पालसी है, उस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ज्यादा जोर दें और इस वक्त बड़ी ताकतों का जो तौर-तरीका है, इसका मुकाबला करने के लिये राय-आमां को बेदार किया जाये।

आज गद्दाफी पर इल्ज़ाम तराशी हुई है कि उसने टैरारिज्म की मदद की है। जहां तक गद्दाफी का ताल्लुक है, उनकी ताईद प्राइम मिनिस्टर ने की है और उन्होंने अल्फाज़ में कह दिया कि हम टैरारिज्म में के कोई साथ नहीं हैं। खास तौर से वैस्ट जर्मनी में एक नाइट क्लब में पिछले दिनों जो एक्सप्लोजन हुआ है, उसके बारे में गद्दाफी ने वाज़ेह कर दिया।

आज सबसे बड़ी तनाजे की जड़ फिलस्तीनी है। इसकी वजह से ही सारी दुनिया जंग के भवर में फंस रही है। हजारों-लाखों की तादाद में फ़िलस्तीनी दर-दर भटक रहे हैं और उनको सीरिया में, इजीप्ट में, जार्डन में कोई पनाहगां नहीं है और जो लेबनान में रह रहे हैं, वहां पर इस्राइल ने उन पर हमला करके उनके छतीला और सावरा जैसे रिफ्यूजी कैम्प को डिस्ट्राय कर दिया है हालांकि लेबनान को भी सिविल-वार के साथ जोड़ दिया है जिससे हजारों-लाखों आदमी दिनों दिन तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं, वह मुल्क बिल्कुल जल रहा है। फिलस्तीनियों का हक बनता है कि वह अपनी आज़ादी के लिये, अपने मुल्क को हासिल करने के लिये सारी दुनिया में एहतिजाज करे क्योंकि बड़ी ताकत अमेरिका जिस ढंग से इस्राइल की मदद कर रहा है उससे लग रहा है कि टोटली एक प्रोग्राम बनाया जा रहा है और टोटल एनीहिलेशन आफ पेलिस्टियन पीपल का एक सिलसिला जारी हुआ है। मैं ऐसा समझता हूं कि जब तक फिलस्तीन का मामला रहेगा तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी और चाहे गद्दाफी हो, चाहे सीरिया हो, चाहे जार्डन हो और चाहे हिन्दुस्तान हो, उनकी मदद करना एक इखलाकी फर्ज है। इस किस्म का टैरारिज्म जो इस वक्त फिलस्तीन के लोग करा रहे हैं, इसका इखलाकी जबाब है। उनका हक बनता है कि वह अपनी आज़ादी के लिये, अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिये और इस्राइल की ताकत से आज़ाद होने के लिये जिस किस्म का भी चाहें ताकत या हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं यह तो अमेरिका को तसलीम करना चाहिये कि वहां के लोगों को वापस उस मुल्क में बसायें।

मैं आपको यह भी कहूंगा कि यूनाइटेड नेंशस एक बहुत बड़े खतरे से दो चार है। अगर

यह सिलसिला जारी रहा, अगर अमेरिका की इस किस्म की बालादस्ती, इस किस्म की जोर जबर्दस्ती का सिलसिला शुरू हुवा तो इसके नतीजे क्या हो सकते हैं ? खुद अमेरिका के अपने ही मुल्क में यूनाइटेड नेशंस हैं। लेकिन अमेरिका की जो नीतियां हैं और जो यह तरीकाये कार है, जिस ढंग से उन्होंने कद्दाफी पर हमला कर दिया है, ट्रिपोली और दूसरे शहरों में बेगुनाह निहत्थे आवाम को मार डाला है उससे मैं समझता हूं कि यूनाइटेड नेशंस का जनाजा उठने वाला है, यूनाइटेड नेशंस का खात्मा होने वाला है।

अध्यक्ष महोदय : वह आपने सुना है न कि हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : जी हां, इसलिये मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर यूनाइटेड नेशंस जो हमारी आखिरी उम्मीद की किरण है, अगर यह सिलसिला जो इस वक्त जारी रखा गया है उसका तदारुक न किया गया तो यूनाइटेड नेशंस को खतरा है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा, नैटो कन्ट्रीज ने, स्पेन और फ्रांस और बाकी कन्ट्रीज ने जो अमेरिका को बता दिया है वाजेह अल्फाज में कि उनकी जमीन को इस रेड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। उससे जाहिर होता है कि खुद नैटो में खल्फशाह है और जो हमारी आजादाना पालिसी है, जो पूरी दुनिया को बचाने की कोशिश है, उसमें अब खुद अमेरिका के कैम्प में भी इख्तलाफ है। यह बड़ी उम्मीद-अफजा बात है।

سری عبدالرشید کابلی (سری نگر) جناب اسپیکر امریکن صدر ریگن کی طرف سے جو آخر میں کہا گیا ہے اس جنگ کا علان ہے

Today we have done what we had to do. If necessary, we will do it again.

جو جوائنٹ ہاوس کی طرف سے کمیونیکیشن جاری ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ

This is an effort on our part to prevent Colonel Gaddafi from making future attacks on us. This is a self-defence move.

جناب اسپیکر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کا یہ جو پوسچر رہا ہے اس نے ساری دنیا کے جزبات کو بہت مجروح کر دیا ہے - آج اس پارلیمینٹ میں پرائم منسٹر کی طرف سے سرکار کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے ایک متفق اسٹیٹمنٹ لیا گیا ہے یہ ہمارے جزبات کی صحیح ترجمانی ہے - آج ساری دنیا کو بہت بڑا خطرہ ہے اور یہ خطرہ اس وجہ سے ہے کہ امریکہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر چھٹے اور سے توین بیڑے کو لیکر گلف آف سدرا میں کبھی بے آف بنگال اور کبھی بحر

ھند میں اپنی طاقت کی نمائش کر رھا ھے اور چھوٹے ملکوں کو خاص کر نمان ایٹلانٹک نیشن کو دھمکا رھا ھے - میں یہ بس بتانا چاھتا ھوں کہ آج دنیا خطرے سے دو چار ھے اور آج اس وقت ایٹامن ویپن کے جتنے اسٹاک پائل ھو چکے ھیں اسکا مقابلہ نہیں ھو سکتا ھے - لیکن ھندوستان کی آواز بڑی وزن‌دار ھے - ھم بہت بڑے ملک رھتے ھیں اور ھماری جو پالیسی ہے اس پر ھمارے پرائم منسٹر صاحب زیادہ زور دیں اور اس وقت بڑی طاقتوں کا جو طور طریقہ ھے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے رائے عامہ کو بیدار کیا جائے -

اج قذافی پر الزام تراشی ھوتی ھے کہ اس نے تیرارزم کی مدد کی ھے - جہاں تک قذافی کا تعلق ھے ان کی تائید پرائم منسٹر نے کی ھے اور انھوں نے واضح الفاظ میں کہ دیا ھے کہ ھم تیرارزم کے ساتھ نہیں ھیں - خاص طور سے ویسٹ جرمن میں ایک نائٹ کلب میں پچھلے دنوں جو ایکسپلوزن ھوا ھے - اس کے بارے میں قزافی نے واضح کر دیا -

آج سب سے بڑی تنازع کی جڑ فلسطین ھے - اس کی وجہ سے ھی ساری دنیا جلس کے بھلور میں پھنس رھی ھے - ھزاروں لاکھوں کی تعداد میں فلسطین در در بھٹک رھے ھیں اور ان کو سیریا میں امجیبت میں جارڈن میں کوئی پناہ گاہ نہیں ھے اور جو لبنان میں رہ رھے ھیں وھاں پر اسرائیل نے ان پر حملہ کر کے ان کے چھتیلا اور ساورا جیسے رفوجی نیجمپ کر دیا حالانکہ لبنان کو بھی سویل وار کے ساتھ جوڑ دیا ھے جن سے ھزاروں لاکھوں آدمی دنوں دن تباھی کی طرف بڑ رھے ھیں - وہ ملک بالکل جل رھا ھے - فلسطینیوں کا حق بنتا ھے کہ وہ اپنی ازادی کے لئے اپنے ملک کو حاصل کرنے کے لئے ساری دنیا میں احتجاج کریں کیونکہ بڑی طاقت امریکہ جس ڈھنگ سے اسرائیل کی مدد کر رھا ھے اس سے لگ رھا ھے کہ ٹوٹلی ایک پروگرام بنایا جارھا ھے اور ٹوٹل ایلیمنیشن پیلسٹائن آف پیوپل کا ایک سلسلہ جاری ھوا ھے - میں ایسا سمجھتا ھوں کہ جب تک فلسطین کا معاملہ رھیگا تب تک یہ لڑائی جاری رھیں اور چاھے قذافی ھو سیریا ھو چاھے جارڈن ھو اور چاھے ھندوستان ھو ان کی مدد کرنا ایک اخلاقی فرض ھے - اس قسم کا تیرارزم جو اس وقت فلسطین کے لوگ کرارھے ھیں اس کا اخلاقی جواب ھے - ان کا حق بنتا ھے کہ وہ اپنی آزادی کے لئے اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لئے اور اسرائیل کی طاقت سے آزاد کرنے کے لئے جس قسم کا بھی چاھیں طاقت یا ھتھیار استعمال کر

سکتے ھیں - یا تو امریکہ کو تسلیم کرنا چاھئے - کہ وھاں کے لڑکوں کو واپس ملک میں بسائے -

میں آپ کو یہ نہیں کہونگا کہ یونائٹڈ نیشن ایک بہت بڑے خطرے سے دو چار ھے - اگر یہ سلسلہ جاری رھا اگر امریکہ کی اس قسم کی بالادستی اس قسم کی زور زبردستی کا سلسلہ شروع ھوا تو اس کے نتیجے کیا ھوسکتے ھیں - خود امریکہ کے اپنے ھی ملک میں یونائٹیڈ نیشن ھے - لیکن امریکہ کی جو نیتیاں ھیں اور جو یہ طریقہ کار ھے - جس ڈھنگ سے انھوں نے قذافی پر حملہ کر دیا ھے ٹریپولی اور دوسرے شہروں میں بے گناہ نہتے عوام کو مار ڈالا ھے - اس سے میں سمجھتا ھوں کہ یونائٹیڈ نیشن کا جنازہ اٹھنے والا ھے - یونائٹیڈ نیشن کا خاتمہ ھونے والا ھے -

ادھیکش مہودے : وہ آپ نے سنا ھے کہ ھم تو ڈوبے ھیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبینگے -

شری عبدالرشید کابلی : جی ھاں - اس لئے میں خوشی کر رھاھوں کہ اگر یونائٹیڈ نیشن جو ھماری امید کی آخری کرن ھے اگر یہ سلسلہ جو اس وقت جاری رکھا گیا ھے اس کا تدارک نہ کیا گیا تو یونائٹیڈ نیشن کو خطرہ ھے - لیکن اس کے باوجود میں کہنا چاھونگا کہ نیٹو ممبرز نے اسپین اور فرانس اور باقی کنٹریز نے جو امریکہ کو بتا دیا ھے واضح الفاظ میں کہ ان کی زمین کو اس مقصد کے لئے استعمال نہیں کیا جائیگا اس سے ظاھر ھوتا ھے کہ خود نیٹو میں خالفشار ھے اور جو ھماری آزادانہ پالیسی ھے جو پوری دنیا کو بچانے کی کوشش ھے اس میں اب خود امریکہ کے کیمپ میں بھی اختلاف پیدا ھے یہ بڑی امید افزابات ھے -

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं समय की पाबंदियों का आदर करता हूं और मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

महोदय, जब मैं विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद में भाग ले रहा था मैंने भूमध्यसागर में तनाव की बात से और लीबिया के विरुद्ध अमेरिका के बुरे इरादों से ही अपने विचार आरंभ किए। अब हम यह खुला आक्रमण देख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय अमेरिका की इस कार्यवाही की भर्त्सना करने के लिए जितने भी शब्द कहे जायें वे कम होंगे। अमेरिका द्वारा लीबिया पर जो खुले रूप में आक्रमण किया गया है उसकी पूरी

[श्री जी० एम० बनातवाला]

तरह निन्दा करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो अमेरिका अपना ही कानून चला रहा है। वह लीबिया पर आतंकवाद में सहयोग देने का आरोप लगाता है और स्वयं ही इस मामले का निर्णय कर बैठता है और इस निर्णय के आधार पर उसे दंड देने चल पड़ता है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह कहावत है न कि काली भैंस जो होती है वह अपने रंग से नहीं, काली गोरी से डरती है।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यह घोर आक्रमण शिष्ट व्यवहार तथा अन्तर्राष्ट्रीय आचरण के सभी नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मित्र देशों को भी अमेरिका के व्यवहार से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने अमेरिका को किसी प्रकार की सैनिक कार्यवाही न करने की सलाह दी थी। किंतु जैसे ठीक ही कहा गया है कि यह आक्रमण अमेरिका के मित्रों के मुख पर चांटा है। यह उचित समय है जबकि अमेरिका के मित्र इस बात को समझ लें कि अमेरिका को दिए गए उनके परामर्श का रीगन सरकार ने किस घृणित ढंग से अनादर किया है।

महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं समस्त विश्व संयुक्त राज्य अमेरिका को दोषी घोषित करने के लिए उठे। हमें अमेरिका को केवल यह कह कर कि वह भविष्य में इस प्रकार की सैनिक कार्यवाही न करे और ऐसी गतिविधियों से दूर रहे संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हम केवल इस बात से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। मैं तो इस बात पर बल देता हूं कि हमें संयुक्त राज्य अमेरिका को कहना चाहिए कि उसने अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार तथा आचरण के सभी मानदण्डों का उल्लघंन करके लीबिया को जो क्षति पहुंचाई है उसका वह लीबिया को उचित मुआवजा देकर प्रायश्चित करें।

महोदय, हमारे विदेश मंत्री तथा प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्यों का एक-एक शब्द भारतीय जनता की भावनाओं को व्यक्त करता है। इस वक्तव्य के प्रत्येक शब्द में भारतीय जनता का स्वर गूंजता है।

लीबिया की क्षेत्रीय अखण्डता और प्रभुसत्ता की रक्षा के प्रयास में हम उसके साथ एक जुट होकर आगे बढ़ें।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट का समय लूंगा।

राष्ट्रपति श्री रीगन के नेतृत्व में अमरीकी सरकार के लीबिया पर घातक हमले की निन्दा

में मैं सम्मानीय सदन का समर्थन करता हूं। महोदय दुनिया जानती है कि अमरीका एक महाशक्ति है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी देश जो छोटे अथवा गरीब हैं उन्हें अमरीका का प्यादा समझा जाये। अतः अमरीका द्वारा लीबिया के हमले का विश्व विरोध कर रहा है तथा भारतीय विशेष रूप में शांति प्रिय लोग हैं तथा संसद ने भी इस घातक हमले की निन्दा की है, श्री रीगन के नेतृत्व वाली अमरीका सरकार के लिए इस घातक कार्य करने पर कुछ भी कहना अपर्याप्त है। साथ ही जबकि संसद में सभी एकमत हैं। हमें राष्ट्र में भी एक ही आवाज उठानी होगी तथा विश्व में यह जनमत तैयार करना होगा कि अमरीका को यह सीख देनी होगी कि संसार में महाशक्ति या रुपये के जोर पर ही शासन नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी बोलेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : आप पूरा समय ले सकते हैं तथा भोजन के समय आपका स्थान मैं ले सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह बोलना जारी रख सकते हैं तथा आप वहां पर उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : निश्चित ही आप बोल सकते हैं। आपका स्वागत है। **(व्यवधान)**

श्री बी० आर० भगत : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में अभूतपूर्व एवं महत्वपूर्ण अनुभव है जब आक्रमण के विरुद्ध भारत के लोग एकमत होकर शांत परन्तु दृढ़ आवाज उठा रहे हैं। सदन ने एकमत से लीबिया पर हुये हमले की न सिर्फ निन्दा ही की है अपितु लीबिया अरब जमूहरीया की सरकार एवं वहां के लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति अभिव्यक्त की है। यह हमारी सदन की शानदार परम्परा है क्योंकि हमारे संविधान में भी निदेशक सिद्धांत दिये हुए हैं अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा, अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान, राष्ट्र के बीच न्यायोचित एवं सम्मानजनक संबंध तथा मध्यस्थता से अंतराष्ट्रीय विवादों का निपटारा कराना। हमारे संविधान में ये सिद्धांत दिये गये हैं जो हम पर लागू होते हैं तथा सदन ने बार-बार इन्हीं परम्पराओं को अपनाया है। पहली दफा 1950 में जब हमारे प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र को सम्बोधित किया था तो कहा था :—

"शांति को चुनौती और आजादी के लिये खतरा होने की स्थिति में भारत तटस्थ नहीं रहेगा।" ये शब्द उन्होंने कहे थे तथा सदन इसकी साक्षी है तथा सन् 1950 से हममें से जितने भी सदस्य यहाँ पर हैं उन्हें मालूम है कि जब कोरिया में संकट उत्पन्न हुआ, जब कोरिया को धमकी दी गई तब पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में इस सदन ने सर्वसम्मति से कोरिया पर आक्रमण के विरुद्ध अपनी राय व्यक्त की। जब स्वेज नहर पर फ्रांस और इंग्लैंड की मिली जुली सेनाओं ने हमला किया और मासिर पर हमला हुआ तब भी प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि वह इसका विरोध करेंगे, दुनिया को इसका विरोध करना चाहिए और संसद को भी इसका विरोध करना चाहिए 'गन-बोट' (डिप्लोमेसी) कूटनीति का उन्होंने विरोध किया और आगे चलकर सदन ने अनेक बार वियतनाम की महान और बहादुर जनता का साथ दिया। और साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा वियतनाम पर हमले की निन्दा की।

[श्री बी० आर० भगत]

इस प्रकार कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन इस सदन के लिये वह दिन सचमुच स्मरणीय था जब बंगला देश का संकट उत्पन्न हुआ क्योंकि यह हमारे ही ऊपर आक्रमण था। मैंने दूसरे देशों द्वारा किये गये आक्रमण का उदाहरण दिया है। लेकिन यह तो हमारे ही ऊपर आक्रमण था। बड़ी शक्तियों ने भारत को धमकियां दीं, उन्होंने कहा कि वह हमारे देश में हस्तक्षेप करेंगे। सातवां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा था। और उस समय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का नेतृत्व अद्भुत, साहसपूर्ण और निर्भीक सिद्ध हुआ। सदन ने उन्हें दुर्गा कहकर सम्बोधित किया। इस सदन ने भी उन्हें यह नाम दिया। विरोधी दलों ने भी इसके प्रति सहमति प्रकट की। और हमारे एक बड़े आलोचक डा० हेनेरी किसिंजर ने अपनी जीवन स्मृति में यह स्वीकार किया है कि जब हमारे देश को खतरा पैदा हो गया तब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने साहसपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया। उस समय बाहरी शक्ति का हमारे देश में हस्तक्षेप का खतरा पैदा हो गया था।

प्रो० मधु दण्डवते : और उस समय हमारे रक्षा मंत्री भी।

श्री बी० आर० भगत : हाल ही में सभा में उस दिन निकारागुआ पर बहस हुई थी। एक स्वतंत्र देश को समाप्त करने की कोशिश, उस समय अस्थिरता पैदा करने, आक्रमण करने और वहां हस्तक्षेप करने के विरुद्ध हमने एक स्वर से इसका विरोध किया।

अब हम उस वक्तव्य की चर्चा करेंगे। सभा ने आज संध्या में प्रधान मंत्री और गुट-निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष श्री राजीव गांधी के वक्तव्य पर बहस की। यह वक्तव्य भी उसी परम्परा का प्रतीक है, हमारे देश में नेतृत्व की गौरवशाली परम्परा का अनुसरण करता है। यदि आज पंडित जी जीवित होते तो वह भी इन्हीं शब्दों में अपने विचार व्यक्त करते। यदि इंदिरा जी आज यहां उपस्थित होतीं तो वह भी इसी प्रकार अपने विचार व्यक्त करतीं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम उसी परम्परा का अनुसरण कर रहे हैं, भारत की संसद की गौरवपूर्ण परम्पराओं और भारत में लोकतन्त्र की शक्ति का अनुसरण कर रहे हैं, कोई हमारे विचारों पर रोक नहीं लगा सकता। हमारे विचारों का सारे विश्व में प्रभाव होगा। भले ही हम सभी मौन रहकर अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं लेकिन यह निर्मय ताकत और आणविक शक्ति के विरुद्ध हमारी आवाज है। हमारे देश में ही नहीं किन्तु सारे विश्व में इस आवाज को कोई खामोश नहीं कर सकता, इसे कोई पराजित नहीं कर सकता क्योंकि यह हमारी राजनैतिक इच्छाशक्ति जनता की काफी है, लाखों करोड़ों लोगों की यह इच्छा है। कल जब निरगुट देशों के समन्वय ब्यूरा की मंत्री स्तरीय आपातकालीन बैठक में भी जब उन्होंने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष और भारत के प्रधान मंत्री के वक्तव्य का उन्होंने स्वागत किया और उनके वक्तव्य की प्रशंसा की उस समय भी हमने यही बात देखी। बैठक में उन्होंने कहा कि यह वक्तव्य सामयिक तथा साहसपूर्ण है और सही नेतृत्व प्रदान करता है; इसमें आक्रमण के विरुद्ध विचार व्यक्त किये गये हैं और लीबिया जनता और सरकार का साथ दिया गया है।

पिछले तीन महीनों में जब यह संकट शुरू हुआ तब से हम बराबर यह कह रहे हैं और

13 जनवरी, बाद में 26 मार्च और तत्पश्चात 14 अप्रैल को हमने अपने व्यक्तव्यों में इस प्रकार की गतिविधियों और अमरीका तथा लीबिया में उत्पन्न सैनिक झड़प का विरोध किया और इसमें संयम बरतने के लिये आह्वाहन किया। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन समन्वय ब्यूरो की बैठक न्यूयार्क में हुई थी, भारत इसका अध्यक्ष है, हमारी अध्यक्षता में 6 फरवरी और 26 मार्च को वक्तव्य जारी किये गये जिनमें अमरीकी कदम की निन्दा की गई और उनमें यह मांग की गई कि अमरीका द्वारा सैनिक कार्यवाही तुरन्त बंद होनी चाहिये।

हाल ही में कल जब मैंने ताजा स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया था। और मैंने कहा था कि गुट-निरक्षेप समन्वय ब्यूरो की आपातकालीन बैठक में अमरीकी कार्यवाही की जोरदार शब्दों में निन्दा की गई और उसमें सैनिक गतिविधियों पर तुरन्त रोक लगाने और लीबिया को शीघ्र पूरा मुआवजा देने की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त वक्तव्य में सुरक्षा परिषद का आह्वाहन किया गया कि वह इस आक्रमण की निन्दा करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करे और इसप्रकार के कार्यों को भविष्य में रोकने के लिए कदम उठाये। इस वक्तव्य में लीबिया को पूर्ण समर्थन प्रदान कर उसके साथ सहानुभूति व्यक्त की गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सत्र इस समय चल रहा है। और वहां हमारे प्रतिनिधि ने प्रधान मंत्री के वक्तव्य और सभा में मेरे वक्तव्य के अनुसार ही वहां वक्तव्य जारी किया है।

ताजा सूचनाओं के अनुसार अमरीका द्वारा बम 11 से 12 मिनट तक डाले गये। हमले के दौरान कर्नल गद्दाफी के मकान को भी क्षति पहुंची। उनकी छोटी लड़की मारी गई और दो लड़के घायल हुये। स्वयं राष्ट्रपति गद्दाफी सुरक्षित हैं। लीबिया में पांच स्थानों पर हमले किये गये। इनमें अल-अजिजया बैरेक, त्रिपोली हवाई अड्डा, अल जमूहरीया बैरेक, बेनिना हवाई अड्डा तथा सीदी बलाल शामिल हैं।

दुनिया में अनेक रोचक घटनाएं होती हैं। इंग्लैंड और पश्चिम जर्मनी में अमरीकी कार्यवाही के विरुद्ध अनेक लोकप्रिय और हिंसक प्रदर्शन हुये। लीबिया के विरुद्ध ब्रिटेन में स्थित अड्डों से अमरीकी विमानों के उड़ान की अनुमति देने के लिये प्रधान मंत्री श्रीमती थैचर का हाऊस आफ कामन्स में घोर विरोध किया गया।

एक और दिलचस्प बात है। सभा को मालूम है कि पहले अमरीकी सरकार द्वारा लीबिया के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने का आह्वाहन किया गया था। यूरोप के किसी देश ने इसका अनुकरण नहीं किया। ब्रिट्रेन ने भी यह नहीं किया था। लीबिया में अमरीकी कार्यवाही का समर्थन करने वाला ब्रिट्रेन ही एकमात्र देश है। किन्तु यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने 14 अप्रैल की बैठक में एक वक्तव्य जारी किया जिसका अन्तिम पैरा इस प्रकार है :—

> "अन्त में, इस क्षेत्र में आगे सैनिक तनाव रोकने के लिये और राजनीतिक हल प्राप्त करने की दृष्टि से क्योंकि इसमें अनेक खबरें निहित हैं, बारह ······ यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 12 सदस्यों ने··· ·······सब देशों से संयम बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया।"

इस पर हस्ताक्षर करने वालों में ब्रिटेन के विदेश सचिव सर जोफरी ही हैं और अब ब्रिटेन अपने अड्डों की अनुमति दे रहा है। यह ब्रिटेन की नीति और ईमानदारी है।

प्रो० एन० जी० रंगा : जनरल असेम्बली की बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : त्रिपोली में विदेशी समाचार एजेन्सी की रिपोर्ट है कि और भी हमले हुये हैं। क्या आपके पास इस विषय में कोई जानकारी है ?

श्री बी० आर० भगत : इस रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है कि अमरीका ने लीबिया पर दूसरी बार हमला किया था।

प्रो० एन० जी० रंगा : उन्हों स्वयं स्थिति को ठीक करते हुए एक और हमले की बात कही है।

श्री बी० आर० भगत : मेरे पास यही रिपोर्ट है।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : मेरे पास की रिपोर्ट है कि आगे और हमला नहीं हुआ लेकिन विमान भेदी तोपों (एन्टी एयर क्राफ्ट गन) द्वारा कुछ गोलाबारी की गई थी। कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ। किन्तु विश्वास किया जाता है कि यह सर्वेक्षण कार्य में लगा कोई विमान था जो थोड़ा ऊंची उड़ान लगा रहा होगा।

प्रो० मधु दण्डवते : भारतीय दूतावास के बारे में क्या जानकारी है।

श्री बी०आर० भगत : भारतीय दूतावास से हमारा सम्पर्क बना हुआ है। भारतीय दूतावास और उसके कर्मचारी सुरक्षित हैं। और यह सौभाग्य की बात है कि वहां रहने वाले भारतीय नागरिक इससे प्रभावित नहीं हुये हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या यह मुमकिन नहीं है कि हम इस संबंध में बात करें तथा वर्तमान में हो रहे सम्मेलन को भी राजी करें जोकि यूनाइटेड नेशन्स जनरल एसेम्बली की आपातकालीन बैठक बुलाये जाने की मांग कर रहा है। यह तो सच ही है कि हमारा वहां पर बहुमत है। सुरक्षा परिषद में हमारा अल्प मत है।

श्री बी० आर० भगत : छह यूरोपीय देशों जर्मन गणराज्य संघ, स्पेन, फ्रांस, ग्रीस तथा नीदरलैंड ने इस हमले की निन्दा की है। स्पेन तथा फ्रांस ने अमरीका के एयरक्राफ्ट को अमरीका से लीबिया की उड़ान भरने के वास्ते अपनी वायु सीमा में उड़ने की अनुमति देने से मना कर दिया है। अमरीका द्वारा बमबारी किये जाने का समर्थन सिर्फ ब्रिटेन, इजराइल तथा कनाडा ने ही किया है जबकि आस्ट्रेलिया सरकार ने दोनों पक्षों को संयम बरतने की सलाह दी है। अफ्रीकी एकता संगठन तथा इस्लामी देशों के संगठनों ने भी इस हमले की निन्दा की है।

लीबिया के विरुद्ध आक्रमण की एक मत से इस सदन में जो निन्दा की गई है इससे देश में राजनैतिक संकल्प को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी चूंकि बढ़ते हुये संघर्षों से गम्भीर स्थिति पैदा हो सकती है इसलिये हमारे प्रयास होने चाहिए कि हम इसे रोकें। अमरीका तथा इस क्षेत्र से सम्बन्धित सभी अन्य राष्ट्रों से प्रधान मंत्री ने रोक लगाने की अपील की है। विदेश मंत्रियों के गुटनिरपेक्ष ब्यूरो की बैठक में हम इस प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं तथा माननीय सदस्य से प्राप्त

सुझाव पर हम विचार कर रहे हैं कि हम पर किस प्रकार से कार्यवाही की जाये, क्या सुरक्षा परिषद में जिसका कि सत्र अभी चल रहा है या फिर जनरल एसेम्बली में अपना किसी और तरीके से। परन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संघर्ष को आगे बढ़ने से रोका जाना चाहिये ताकि इससे कोई इतना बड़ा विवाद न उत्पन्न हो जाये जिससे अन्य शक्तियां भी संघर्ष में कूद पड़ें यह एक गम्भीर संकट की घड़ी सामने आ जाए हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। परन्तु निश्चित ही मैं दुबारा कहूंगा कि मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अपना समर्थन एवं मार्गदर्शन दिया। इससे न सिर्फ भारतीय संसद की गरिमा ही बढ़ेगी अपितु इस तरह के गम्भीर मसलों पर भारतीय संसद द्वारा अगुआई किये जाने की विश्व आशा रखता है।

7.29 म० प०

अमरीकी विमानों द्वारा त्रिपोली और बेनगाजी पर हाल ही में की गई बमबारी के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : मैंने सोचा था कि कोई संकल्प………

अध्यक्ष महोदय : तुरन्त ही आपके सामने आ रहा है।

प्रो० एन० जी० रंगा : उसके बाद सदन की भावनाओं को व्यक्त करिये।

प्रो० मधु दण्डवते : इस सदन में आप तटस्थ हैं, इसीलिये अच्छा होगा कि आप इसे प्रस्तुत करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० साहब, तुरन्त ही यह आ रहा है।

प्रो० एन० जी० रंगा : शिष्ट मंडल के नेता जो यहां पर उपस्थित हैं तथा आक्रमण के शिकार दुर्भाग्यपूर्ण देश के नेता को भी आप इस सदन में व्यक्त की गई एकमत भावनाएं संप्रेषित करें।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय :

"यह सभा—

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लीबिया अरब जमहूरिया के राज्यक्षेत्र पर हाल में की गई बमबारी पर गहरा दुख और रोष प्रकट करते हुए;

[अध्यक्ष महोदय]

इस बात से सहमत है कि संयुक्त राज्य अमरीका की इस कार्यवाही से लीबिया की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता का घोर उल्लंघन हुआ है और इससे क्षेत्रीय तथा विश्वशांति और सुरक्षा के लिये गम्भीर खतरा पैदा हो गया है;

(1) अमरीका की इस कार्यवाही की स्पष्टत: निन्दा करती है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय विधि की पूर्ण अवहेलना हुई है और जो साफ तौर पर आक्रमण है;

(2) संकट की इस घड़ी में लीबिया अरब जमहूरिया को पूर्ण एकता के लिये पूरा-पूरा समर्थन अभिव्यक्त करती है;

(3) इस गुट-निरपेक्ष देश के विरुद्ध उत्तेजनात्मक और शत्रुतापूर्ण कार्यवाही को तुरन्त समाप्त करने की मांग करती है;

(4) अमरीका और सभी अन्य देशों से अत्यधिक संयम बरतने और ऐसी कार्यवाही न करने का आग्रह करती है जिससे इस क्षेत्र में पहले से ही व्याप्त तनावपूर्ण स्थिति में और वृद्धि हो;

(5) 15 अप्रैल, 1986 को नई दिल्ली में समन्वय ब्यूरो की मंत्रीस्तरीय बैठक में विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के अध्यक्षों के आपातकालीन सत्र में गुट-निरक्षेप आन्दोलन द्वारा अपनाये गये सामूहिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है;

(6) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आग्रह करती है कि वह इस आक्रमण की निन्दा करने के लिए तत्काल कार्यवाही करे और ऐसी कार्यवाही की पुनरावृत्ति न होने दे जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था और यू० एन० चार्टर का उल्लंघन होता हो।"

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं समझूं कि संकल्प को सर्वसम्मति से सदन ने पारित कर दिया है ?

माननीय सदस्यगण : जी हां।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय इस संकल्प की प्रतियों को कृपा कर अमरीकी कांग्रेस में आपके प्रतिपक्षों एवं हाऊस आफ रिप्रेजेन्टेटिव को भेज दीजिये तथा लीबिया के प्रतिनिधियों को भी यह बता दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : जरूर।

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : इस संकल्प की प्रतियां लीबिया सरकार तथा सभी गुट-निरक्षेप राष्ट्रों की सरकारों को भी भेजी जा सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : निश्चित रूप में। मैं भी ऐसा ही करना चाहूंगा। मैं जानता हूं इसका अर्थ क्या है।

7.32 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 157 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अधिसूचना संख्या 249/86-सी०शु० तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 16 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 24 सितम्बर, 1981 की अधिसूचना संख्या 213-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, जिससे सभी प्रकार के फैट्टी एसिडों पर आंशिक छूट को वापस लिया जा सके।

(दो) अधिसूचना संख्या 250/86-सी०शु० तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 16 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जिसके द्वारा 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचनाओं संख्या 130/86-सी०शु० और 136/86 सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है जिससे पी० टी० ए० तथा डी० एम० टी० पर मूल शुल्क की प्रभावी दर को 150 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ाकर 150 प्रतिशत मूल्यानुसार जमा 3 रु० प्रति किलोग्राम और डी० एम० टी० पर शुल्क की अधिमान्य दर 140 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ाकर 140 प्रतिशत मूल्यानुसार जमा 3 रु० किलोग्राम की जा सके।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2502 क/86]

प्रो० मधु दण्डवते : यह तो उल्टी गाड़ी चल रही है।

अध्यक्ष महोदय : गुरुवार, 17 अप्रैल, 1986 को ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिये सभा स्थगित होती है।

7.33 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 17 अप्रैल 1986/27 चैत्र, 1908 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

श्री दुर्गा प्रिंटिंग प्रेस 1867 चीराखाना नई सड़क दिल्ली—110006